सर्वशिक्षा अभियान

S.S.A

पर्सपेक्टिव प्लान

कुशीनगर

2002-2007

जनपद – कुशीनगर

अनुक्रमणिका

क्रम संख्या	अध्याय	पृष्ठ संख्या
1.	जिले की पृष्ठभूमि	01–11
2.	भौतिक परिदृश्य	12–24
3.	नियोजन प्रक्रिया	25–50
4.	सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्य के उद्देश्य	51–59
5.	समस्याएं एवं रणनीतियाँ	60–70
6.	शिक्षा की पहुँच का विस्तार–1 (नवीन औपचरिक विद्यालय)	71–76
7.	शिक्षा की पहुँच का विस्तार–2 (ई0जी0एस0 / ए0आई0ई0 / नवाचार शिक्षा योजना)	77–87
8.	ठहराव में वृद्धि के कार्यक्रम	88–129
9.	गुणवत्ता संवर्द्धन एवं अकादमिक क्षमताओं का विकास	130–186
10.	परियोजना प्रबंधन	187–215
11.	परियोजना लागत (फेजिंग सहित)	216–221

अध्याय—1

जनपद का परिचय

जनपद कुशीनगर उत्तर प्रदेश के उत्तर पूर्व में स्थित है पूर्व में यह जनपद देवरिया का अंग था । जनपद कुशीनगर का निर्माण प्रशासनिक गतिशीलता एवं सर्वांगीण विकास को दृष्टिगत रखते हुए जनपद देवरिया के दूरस्थ 14 विकास खण्डों को मिलाकर 13मई 1994 को किया गया। इसी दिन तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री मुलायम सिंह यादव द्वारा इसकी आधार शिला रखी गयी । यहां की जलवायु शीतोष्ण है, अत्यधिक वर्षा के कारण यह क्षेत्र तराई कहलाता है। इस जिले की प्रमुख नदी बड़ी गण्डक है जो नारायणी के नाम से भी जानी जाती है। इसके अतिरिक्त यहॅा की अन्य छोटी नदियां बांसी, छोटी गण्डक आदि हैं।

ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि

जनपद कुशीनगर के नामकरण के संबंध में लोककथा है, कि सूर्यवंशी राजा रामचंद्र ने अपने राज्य को दो भागो में विभाजित कर उनका शासन अपने दो पुत्रों लव और कुश को सौंप दिया था। राज्य का जो भाग कुश को मिला उसी भाग में कुशीनगर का भूखण्ड भी पड़ता था जो कुशीनगर के नाम से जाना जाता है। यह गौतम बुद्ध की निर्वाण स्थली भी है। जनपद कुशीनगर का ऐतिहासिक गौरव अति प्राचीन है बौ.द्ध धर्म के संस्थापक भगवान बुद्ध की

महापरिनिर्वाण स्थली कुशीनगर बौद्ध घर्म अनुयायियों के श्रद्धा का केन्द्र है। वर्तमान मे चीन, जापान, कोरिया, श्रीलंका, थाईलैण्ड, वर्मा व ताइवान आदि देशों ने यहां बौद्ध मंदिरों का निर्माण कराया है। प्रत्येक वर्ष विश्व के कोने कोने से हजारों बौद्ध तीर्थ यात्री यहां तीर्थयात्रा हेतु इस पवित्र स्थल पर आते रहते हैं जिसके कारण कुशीनगर उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल के रूप में जाना जाता है। जो वर्तमान समय अन्तराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त स्थान है।

जनपद में जैनधर्म के चौबीसवें तीर्थांकर भगवान महावीर की निर्वाण स्थली के रूप में पावानगर प्रसिद्ध है। इस स्थल पर बड़ी संख्या में जैन तीर्थयात्री आते रहते हैं।

जनपद मुख्यालय से दक्षिण पूर्व में स्थित तुर्कपट्टी स्थान अपनी स्वर्णिम सांस्कृति धरोहर सूर्य मंदिर के कारण विख्यात है।

भौगोलिक विशेषतायें :–

जनपद कुशीनगर की पूर्वी व उत्तरी सीमायें क्रमशः पड़ोसी राज्य बिहार के गोपालगंज व पश्चिमी चम्पारण जिले को स्पर्श करती हैं तथा दक्षिणी व पश्चिमी सीमायें क्रमशः देवरिया व गोरखपुर जनपद से जुड़ी है जनपद का कुल क्षेत्रफल 28735 वर्ग किमी0 है ,जनसंख्या धनत्व 78 प्रति वर्ग किमी0 है।

ृदा संरचना (भू संरचना)

जनपद में अधिकांशतः दोमट, मटियार व चिकनी मिट्टी पायी जाती है जो कृषि की दृष्टि से अत्यधिक उपजाऊ क्षेत्र है। सिंचाई की सुविधा होने के कारण इस क्षेत्र में गन्ने की अत्यधिक पैदावार होती है। जनपद में कुल नौ चीनी मिलें है।

जलवायुः–

जनपद कुशीनगर का अधिकांश क्षेत्र शीतोष्ण जलवायु से आच्छादित है। अत्यधिक वर्षा के कारण जनपद का उत्तरी क्षेत्र तराई क्षेत्र कहलाता है। यहाँ पर 1994 में 1303 मिमी0 औसत वर्षा दर्ज की गयी थी। यहाँ का अधिकतम व न्यूनतम तापमान क्रमशः 42.5 डिग्री सेल्सियस व 7.3 डिग्री सेल्सियस है।

वन एवं पशुः–

प्राचीन समय में जनपद का अधिकांश क्षेत्र वनों सें आच्छादित था परन्तु वर्तमान में वनों के कटान में वनो के कटान के कारण अधिकांश भूमि कृषि के कार्य में प्रयुक्त हो रही है । मात्र 0.2 प्रतिशत क्षेत्र पर वन अवशेष है। शीशम, आम, बेल एवं खैरा यहां के प्रमुख वृक्ष हैं। गाय, भैंस, बैल एवं बकरी यहां के प्रमुख धरेलु पशु है। यहाँ पर नील गायों की अच्छी संख्या पायी जाती है जिससे कृषि को काफी नुकसान पहुंचता है।

सिंचाई के साधनः–

जनपद में कृषि मुख्यतः वर्षा पर आधारित है। इसके अतिरिक्त नहरों एवं नलकूपों द्वारा सिंचाई का कार्य किया जाता है। गण्ड़क नहर इस जनपद की प्रमुख नहर है। जनपद में नहरों की कुल लम्बाई 1491 किमी0 है तथा जनपद में कुल 129 राजकीय एवं 2823 व्यक्तिगत नलकूप है। नदियों के तट क्षेत्र में सीधे नदियों के द्वारा सिंचाई की जाती है। कुछ किसानों द्वारा अभी भी सिंचाई के साधन के रुप मे कुओं का प्रयोग किया जाता है।

आर्थिक स्थितिः–

व्यवसायिक स्थितिः–

जनपद की अर्थ व्यवस्था मुख्य रूप से कृषि आधारित है। 1991 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या के 61.5 प्रतिशत लोग कृषक हें शेष 24.4 प्रतिशत कृषि मजदूरी, 0.3 प्रतिशत पशुपालन एवं बागवानी, 1.0 प्रतिशत घरेलू उद्योग, 0.2 प्रतिशत जनपद के बाहर के उद्योगों, 0.5 प्रतिशत निर्माण कार्यों, 3.5 प्रतिशत व्यापार, 0.7 प्रतिशत परिवहन और संचार तथा 3.4 प्रतिशत अन्य कार्यों में लगे हैं।

भूमि उपयोगः–

जनपद के कुल क्षेत्रफल 284655 हेक्टेयर है जिसका 76.9 प्रतिशत कृषि में, 0.2 प्रतिशत वन, तथा 0.2 प्रतिशत चारागाह में प्रयुक्त होतां है। कृषि से अलग कार्यो हेतु कुल भूमि का 12.5 प्रतिशत भाग प्रयुक्त है।

प्रशासन व्यवस्था:—

जनपद के विकास कार्यक्रम में गतिशीलता लाने हेतु प्रशासन की महती भूमिका होती है। जनपद की प्रशासनिक व्यवस्था तालिका 1.1 में वर्णित है—

सारणी 1.1
प्रशासन व्यवस्था

क्रमांक	प्रशासनिक इकाई	संख्या
क:—	ग्रामीण क्षेत्र:—	
1	तहसील	04
2	विकास खण्ड	14
3	न्याय पंचायत	141
4	ग्राम पंचायत	957
5	राजस्व ग्राम/बस्तियां	1623
ख:—	नगरीय क्षेत्र:—	
1	नगर पालिका	01
2	नगर पंचायत	06
3	वार्ड	98

स्रोत: सांख्यिकी पत्रिका 1997 कुशीनगर ।

जनसंख्याः–

1991 की जनगणना के अनुसार जनपद कुशीनगर कुल जनसंख्या 2235501 थी। जिसमें 1152395 पुरुष तथा 1083106 महिलाएं थी। इस प्रकार पुरुष महिला अनुपात 1000 : 940 का था। 1991 की कुल आबादी में अनुसूचित जाति की जनसंख्या 342519 थी जो कुल जनसंख्या का 16.2 प्रतिशत थी । कुल आबादी का 24.8 प्रतिशत अल्पसंख्यक वर्ग था। जिले में अनुसूचित जनजाति के मात्र 91 लोग थे, जो पड़ोसी राज्य बिहार से आए थे। जनपद की आबादी में ग्रामीण आबादी 95.13 प्रतिशत तथा नगरीय आबादी 4.87 प्रतिशत थी। 1991 की जनगणना के अनुसार जनपद की वार्षिक जनसंख्या वृद्धिदर 2.52 थी। जनसंख्या 1991 का विकास खण्डवार विवरण तथा वार्षिक वृद्धिदर के आधार पर 2001 की प्रक्षेपित जनसंख्या का विवरण आगे क्रमशः सारणी 1.2 एवं 1.3 दिया गया है।

<u>नोट</u>:– जनपद में वर्तमान में जनगणना 2001 के कुछ जनपद स्तरीय आकड़े उपलब्ध हैं जिसके अनुसार 2001 में जनपद की कुल जनसंख्या 2891933 जिसमें 1474884 पुरुष तथा 1417049 महिलाएं हैं । पुरुष महिला अनुपात 1000 : 961 का है। ग्रामीण जनसंख्या 2759414 तथा 132519 है। जनसंख्या का वार्षिक वृद्धिदर 2.8 प्रतिशत है।

सारणी 1.2

जनसंख्या विवरण

जनपद– कुशीनगर जनगणना 1991

क्रमांक	विकास खण्ड	जनसंख्या वर्ष 1991									पिछले दशक में प्रतिशत वृद्धि
		कुल जनसंख्या			जनसंख्या अनुसूचित जाति			जनसंख्या अनुसूचित जनजाति			
		पुरुष	महिला	योग	पुरुष	महिला	योग	पु0	म0	योग	
1	कप्तानगंज	75325	69159	144484	14138	12965	27110	–	–	–	24.35
2	रामकोला	80700	74665	155365	15392	14868	30800	12	8	20	29.62
3	मोतीचक	67601	65062	132663	10177	10068	20245	–	–	–	24.56
4	सुकरौली	68252	65150	133402	13929	13268	27197	–	–	–	21.74
5	हाटा	70025	67693	137718	11726	11385	23111	–	–	–	28.75
6	खड्डा	78142	69899	148041	15250	14008	29258	–	–	–	28.15
7	नौरंगिया	71363	65194	136557	12564	11679	24243	–	–	–	28.15
8	विशुनपुरा	81299	73833	155132	13509	12516	26025	–	–	–	36.63
9	पड़रौना	123360	144198	257558	18578	16967	35545	–	–	–	29.60
10	कसया	94312	46786	96098	7276	6948	14224	–	–	–	28.72
11	फाजिलनगर	70889	70963	141652	9563	9521	19084	44	27	71	27.41
12	दुदही	88876	83102	171978	17309	16401	33710	–	–	–	32.05
13	तमकुही	86072	88896	171968	10742	10606	21348	–	–	–	28.88
14	सेवरही	83192	80133	164125	11292	10757	22049	–	–	–	31.55
	योग (ग्रामीण)	**1094208**	**1032533**	**2126741**	**181985**	**171957**	**333942**	**56**	**35**	**91**	**28.09**
15	नगरीय	58219	50541	108760	4514	4063	8577	–	–	–	–
	कुल योग	**1152395**	**1083106**	**2235501**	**186499**	**176020**	**342519**	**56**	**35**	**91**	**28.09**

।स्रोत: सांख्यिकी पत्रिका 1997 कुशीनगर

सारणी 1.3
जनसंख्या विवरण

जनपद– कुशीनगर

अनुमानित

क्रमांक	विकास खण्ड	जनसंख्या वर्ष 2001 अनुमानित								
		कुल जनसंख्या			जनसंख्या अनुसूचित जाति			जनसंख्या अनुसूचित जनजाति		
		पुरुष	महिला	योग	पुरुष	महिला	योग	पु0	म0	योग
1	कप्तानगंज	96442	88547	184989	18115	16607	34722	–	–	–
2	रामकोला	103306	95576	198882	20401	19035	39436	15	11	26
3	मोतीचक	86642	83365	170007	13057	12916	25973	–	–	–
4	सुकरौली	87400	83425	170824	17832	16981	34813		–	–
5	हाटा	89779	86765	176544	15020	14580	29600	–	–	–
6	खड्डा	100088	89532	189620	19515	17927	37442	–	–	–
7	नौरंगिया	91414	83496	174910	16070	14935	31005	–	–	–
8	विशुनपुरा	104078	94532	198610	17795	16022	33317	–	–	–
9	पडरौना	158006	146300	344306	23789	21722	45511	–	–	–
10	कसया	63208	59943	123151	9343	8925	18268	–	–	–
11	फाजिलनगर	90549	90899	181448	12249	12189	24438	56	35	91
12	दुदही	113770	106360	220130	22183	21016	43199	–	–	–
13	तमकुही	110318	110084	220403	13754	13579	27333	–	–	–
14	सेवरही	106571	103748	210319	14462	13778	28240	–	–	–
	योग (ग्रामीण)	**2724143**	**1401571**	**1322572**	**233085**	**220212**	**453297**	**71**	**46**	**117**
15	नगरीय	74573	64737	139310	5777	5201	10978	–	–	–
	कुल योग	**2798716**	**1466308**	**1461882**	**238862**	**225413**	**464275**	**71**	**46**	**117**

स्रोत : सांख्यिकी पत्रिका से वार्षिक वृद्धि दर 2.52 से अनुमानित

सामाजिक एवं सांस्कृतिक स्थितिः—

सामाजिक और शैक्षिक दृष्टिकोण से यह क्षेत्र अत्यन्त पिछड़ा है। 2001 की जनगणना के अनुसार यहॉ की कुल साक्षरता 48.43 प्रतिशत जिसमें पुरुष साक्षरता 65.35 प्रतिशत तथा महिला साक्षरता 30.85 प्रतिशत है। बाल विवाह, अन्धविश्वास, तथा निरक्षरता यहॉ की सामाजिक संरचना को परिलक्षित करते हैं। जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा अनुसूचित जातियों एवं अल्पसंख्यक समुदाय का है। अनुसूचित जनजातियों की संख्या नगण्य है। अल्पसंख्यक समुदाय में बालकों की शिक्षा के प्रति जाकरुकता नगण्य थी जिसे जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम द्वारा उभारा जा रहा है। मुस्लिम महिला अध्यापिकाओं की संख्या कम होने कारण मुस्लिम बालिकाओं की उपस्थिति विद्यालयों में अत्यन्त क्षीण थी। जिसे जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम अर्न्तगत मकतबों में अनुदेशकों की नियुक्ति द्वारा सुधारने का प्रयास किया जा रहा है। दशहरा, दीपावली तथा होली यहॉ अत्यन्त उत्साह के साथ मनाये जाते है दूसरी तरफ मुस्लिम सन्तों के मकबरों एवं बुद्ध के महापरिनिर्वाण स्थल कुशीनगर में मेलों का आयोजन धूम—धाम से किया जाता है।

आधारभूत सुविधायें:–

परिवहन तथा संचार सुविधा:–

जनपद का मुख्यालय गोरखपुर तथा बिहार राज्य के सिवान जिले से मीटर गेज रेलवे से जुड़ा है । जिसे वर्तमान में ब्राड गेज में आमान परिर्वतन हेतु स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। राष्ट्रीय राज मार्ग संख्या 28 इस जनपद के कुशीनगर कस्बे से होकर गुजरती है। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसें तथा प्राइवेट टैक्सियॉ यहॉ परिवहन तथा संचार की मुख्य साधन है। डाकघर ,तारघर तथा टेलीफोन केन्द्र यहॉ संचार की मुख्य सुविधायें प्रदान करते है।

विद्युत व्यवस्था:–

वर्ष 1994–95 तक की रिर्पोट के अनुसार 944 ग्राम सभाओं और 1576 आबाद ग्रामों का विद्युतीकरण किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त 7 नगरीय क्षेत्रों तथा 943 अनुसूचित जाति बस्तियों का विद्युतीकरण भी पूर्ण किया जा चुका है ।

पेय जल व्यवस्था:–

जनपद के सभी नगरीय क्षेत्रों में पेय जल हेतु जल निगम के द्वारा जल आपूर्ति की व्यवस्था है । इसके के साथ ही इण्डिया मार्क पाइप 2 हैण्ड पम्पों की व्यवस्था भी हो चुकी है। जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत बहुत सारे कूओं का निर्माण किया जा चुका है।

विकास परक योजनाएं :–

इस जनपद के मुख्यतः कृषि पर आधारित होने के कारण यहाँ सीजनल बेरोजगारी अधिक मात्रा में है। आवश्यकता से अधिक लोग कृषि कार्य में लगें हैं। महिलाओं का साक्षरता अत्यन्त क्षीण होने के कारण उनकी स्थित अत्यन्त दयनीय है। 50 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने को मजबूर हैं। शिक्षा के विकास हेतु जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम तृतीय चरण जनपद में सतत् प्रयत्नशील हैं। इसके अतिरिक्त जनपद में बाल विकास परियोजना कामकाजी परिवारों की वालिकाओं को अपने केन्द्रों के माध्यम से शिक्षा से जोड़ने एवं उनके पोषण सहायक सिद्ध हो रहा हैं। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम में इनके कन्द्रों के सुदृढ़ीकरण का कार्य किया जा रहा है । जनपद में जवाहर रोजगार योजना, सुनिश्चित रोजगार योजना, प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना आदि के अर्न्तगत पंचायत भवनों, घाटों, सड़कों, खड़न्जों आदि का निर्माण तथा रोजगार की व्यवस्था की जा रही है । सासद तथा विधायक निधियों द्वारा क्षेत्रीय सड़कों एवं खड़न्जों का निर्माण किया जा रहा है। नवयुवको और नवयुवतियों को ट्राईसेम योजना के अर्न्तगत प्रशिक्षित कर स्वरोजगार हेतु प्रेरित किया जा रहा है।

---*---

अध्याय 2

शैक्षिक परिदृश्य

जनपद कुशीनगर साक्षरता की दृष्टि से प्रदेश का अत्यधिक पिछड़ा जनपद है। 2001 की जनगणना के अनुसार जिले की साक्षरता 48.43 प्रतिशत जिसमें महिलाओं की साक्षरमता मात्र 30.85 प्रतिशत है। प्राथमिक शिक्षा में उन्नयन के लिए अप्रैल, 2000 से जनपद में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस योजना का उद्देश्य प्राथमिक विद्यालयों में शत प्रतिशत नामांकन , उपस्थिति सुनिश्चित करना तथा बच्चों की शैक्षिक सम्प्राप्ति में वृद्धि करना है। इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु समुदाय में जागरूकता लाना, शिक्षा के क्षेत्र में समुदाय की सहभागिता सुनिश्चित करना, बालिका शिक्षा पर विशेष ध्यान, गुणवत्ता परक शिक्षा के लिए शिक्षको सेवारत प्रशिक्षण, सहायक सामग्री हेतु अध्यापक अनुदान आदि अनेक प्रयास किये जा रहे है।

पहुँच के विस्तार के लिए 82 नवीन प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना, 122 वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों, 115 ई0 जी0 एस0 केन्द्रों, ठहराव हेतु, 469 ई0सी0सी0ई0 केन्द्रों, 400 अतिरिक्त कक्षा–कक्ष, 200 हैन्डपम्पों, 120 शौचालयों की स्थापना की जा रही है। साथ ही 150 विद्यालयों का पुर्ननिर्माण, 14 बी0आर0सी0, 140 एन0पी0आर0सी0 भवनों का निर्माण कराया जा रहा हैं।

डी0पी0ई0पी0 को मात्र प्रा0 विद्यालयों तक ही सीमित रखा गया है। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत पूर्व माध्यमिक विद्यालयों को केन्द्रित करते हुए नामांकन, उपस्थिति, सम्प्राप्ति एवं भौतिक सुविधाओं सहित शैक्षिक सुविधाओं की पूर्ति हेतु प्रयास किया जाना है। परियोजना के आधारभूत लक्ष्यों की पूर्ति हेतु प्राथमिक विद्यालयों को भी इसमें सम्मिलित किया जायेगा।

साक्षरताः—

वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार जनपद की साक्षरता 32.3 प्रतिशत थी जिसमें पुरुषों की 49.5 तथा महिलाओं की 13.9 प्रतिशत थी। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार कुल साक्षरता 48.43 प्रतिशत जिसमें पुरुष साक्षरता 65.35 प्रतिशत तथा महिला साक्षरता 30.85 प्रतिशत है। जनपद का साक्षरता विवरण निम्नांकित है।

<u>सारणी 2.1</u>

प्रतिशत साक्षरता दर जनपद कुशीनगर — जनगणना वर्ष 1991

क्रमॉक	साक्षरता का प्रतिशत	जनगणना 1991	जनगणना 2001
1	कुल साक्षरता	32.3	48.43
2	कुल पुरुष साक्षरता	49.5	65.35
3	कुल महिला साक्षरता	13.9	30.85
4	ग्रामीण साक्षरता	30.8	–
5	नगरीय साक्षरता	60.3	–

स्रोतः— जनगणना 1991 एवं 2001

उपरिलिखित तालिका से स्पष्ट है कि जनपद में वर्ष 1991 के सापेक्ष साक्षरता दर में 16.13 प्रतिशत की वृद्धि हुयी है। महिला साक्षरता दर में 16.95 प्रतिशत की अभूतपूर्व वृद्धि हुयी है। परन्तु इससे यह भी प्रतीत होता है कि अभी भी शिक्षा के क्षेत्र में काफी कार्य करने

की आवश्यकता है। जिससे कि जनपद की साक्षरता विशेषकर महिलाओं की साक्षरता में आशातीत वृद्धि हो सके।

विकास खण्डवार साक्षरता परिदृश्य अधोलिखित तालिका में दर्शित है।

सारणी 2.2

साक्षरता विकासखण्डवार

जनगणना 1991

क्रमांक	विकास खण्ड	साक्षरता दर		
		पुरुष	महिला	योग
1	कप्तानगंज	52.7	13.7	34.1
2	रामकोला	50.4	12.1	32.0
3	मोतीचक	52.3	11.8	32.5
4	सुकरौली	55.87	12.9	34.8
5	हाटा	57.8	16.8	37.6
6	खड्डा	35.1	7.4	22.2
7	नौरंगिया	48.5	10.4	30.3
8	विशुनपुरा	44.6	10.6	28.5
9	पड़रौना	49.9	14.0	32.7
10	कसया	55.3	15.2	35.7
11	दुदही	36.0	6.8	22.0
12	फाजिलनगर	55.6	1€.7	36.0
13	सेवरही	37.3	8.6	23.1
14	तमकुही	52.0	15.3	35.5
	कुल (ग्रामीण)	48.3	12.3	30.8
	नगरीय	72.1	46.3	60.3
	कुल (जनपद)	49.5	13.9	32.3

स्रोत:– जनगणना 1991

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि सबसे अधिक साक्षरता विकास खण्ड हाटा तथा सबसे कम विकास खण्ड दुदही की थी। महिला साक्षरता की दृष्टि से भी विकास खण्ड हाटा सबसे अधिक तथा दुदही सबसे कम थी। 2001 की साक्षरता दर के विकास खण्डवार आकड़े उपलब्ध नही है।

शैक्षिक संस्थाएः—

जनपद में शैक्षिक संस्थाओं का विवरण निम्नलिखित तालिका में वर्णित है।

सारणी २.३

शैक्षिक संस्थायें

क्रमांक	शै० संस्था का प्रकार	परिषदीय / शासकीय			मान्यता प्राप्त			कुल			गैर मान्यता प्राप्त		
		ग्रामीण	नगरीय	योग	ग्रामीण	नगरीय	योग	ग्रामीण	नगरीय	योग	ग्रामीण	नगरीय	योग
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४
१	प्राथमिक विद्यालय	१४३६	२१	१४५७	२४१	५३	२६४	१६७७	७४	१७५१	२६५	५०	३४५
२	माध्यमिक वि० से संबद्ध प्रा० अनुभाग	—	—	—	१७	४	२१	१७	४	२१	—	—	—
३	उच्च प्रा०वि०	३१४	१०	३२४	१४३	२२	१६५	४५७	३२	४८६	१०६	२२	१३८
४	माध्यमिक वि० से संबद्ध उच्च प्रा० अनुभाग	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
५	केन्द्रीय वि०	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
६	नवोदय वि०	—	१	१	—	—	—	—	१	१	—	—	
७	हाईस्कूल	१	३	४	१६	३	२२	२०	६	२६	—	—	—
८	इण्टरमीडिएट	—	—	—	४२	१७	५६	४२	१७	५६	—	—	—
९	डीग्री कालेज	—	—	—	३	१	४	३	१	४	—	—	—
१०	स्नातकोत्तर महाविद्यालय	—	—	—	२	२	४	२	२	४	—	—	—
११	विश्वविद्यसलय	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
१२	तकनीकीसंस्थान;आई०टी०आई० / पालिटेक्निकद्ध	१	२	३	—	—	—	१	२	३	—	—	
१३	कम्प्यूटर शिक्षा प्रदान करने वाली संस्थाएं	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
१४	आगानबाडी केन्द्रों की संख्या	२०६१	—	२०६१	—	—	—	२०६१	—	२०६१	—	—	—
१५	मकतब / मदरसे	—	—	—	४०	८	४८	४०	८	४८	१००	२२	१२२
१६	संस्कृत पाठशलाएं	—	—	—	१३	२	१५	१३	२	१५	—	—	—
१७	विकलांग बच्चों की शिखा हेतु संस्थाएं	—	—	—	२	—	२	२	—	२	—	—	—
१८	बाल श्रमिक विद्यालय	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

शिक्षकों की उपलब्धताः—

जनपद कुशीनगर के परिषदीय प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों स्वीकृत पद, कार्यरत संख्या, रिक्त पद एवं स्वीकृत शिक्षा मित्रों की संख्या निम्नलिखित है। ;सारणी संख्या २.

सारणी २.४

शिक्षकों की उपलब्धता :परिषदीय विद्यालय

विद्यालय का प्रकार	सृजित	कार्यरत	रिक्त	स्वीकृत शिक्षा मित्र
परिषदीय प्राथमिक विद्यालय	४१७३	२१९१	१९८२	२२३०
परिषदीय उच्चप्राथमिक विद्यालय	९७२	४६६	५०३	—

स्रोतः विभागीय आकड़े

टिप्पणीः– कार्यरत अध्यापकों की संख्या में समन्वयक बी०आर०सी० १४ एवं सहसमन्वयक २८ तथा एन०पी०आर०सी० समन्वयक १४१ सम्मिलित है।

बस्तियों का विवरणः–

विद्यालयों की सुविधा की दृष्टि से बस्तियों का विवरण निम्नवत तालिका में दिया गया है।

सारणी २.५

परिषदीय अथवा मान्यता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों की आवश्यकता

कमांक	ग्रामों/बस्तियों का प्रकार	१ कि०मी० से कम दूरी पर प्रा० विद्यालय उपलब्ध	१ कि०मी० से अधिक किन्तु १.५ कि०मी० से कम दूरी पर प्रा० विद्यालय उपलब्ध	१.५ कि०मी० से अधिक दूरी पर प्रा० विद्यालय उपलब्ध	प्रा०वि०/ई०जी०एस० केन्द्र खोलने की आवश्यकता	कुल बस्तियों की संख्या
१	ऐसे ग्रामों/बस्तियों की संख्या जिनकी आबादी ३०० से अधिक है।	४७२	६४३	०	०	१४११
२	ऐसे ग्रामों/बस्तियों की संख्या जिनकी आबादी ३०० से कम है।	३०	३६	१४२	१४२	२०८

स्रोत विभागीय आकड़े

उपरोक्त सारणी के अनुसार आबादी ३०० से अधिक की सभी बस्तियां सेवित है। जनपद में १४२ बस्तियों बस्तियां जिनकी आबादी ३०० से कम है में १ किमी० से अधिक दूरी पर प्राथमिक विद्यालय उपलब्ध है। अतः सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत आगे कोई प्राथमिक विद्यालय प्रस्तावित नहीं किया जा रहा है। जनपद में १४२ ई०जी०एस० केन्द्र खोलने की आवश्यकता है। डी०पी०ई०पी० के तह्त कुल ५० केन्द्र खोले जा चुके है। शेष १४२ केन्द्रों का प्राविधान सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत किया गया है।

सारणी २.६

परिषदीय अथवा मान्यता प्राप्त उच्च प्राथमिक विद्यालयों की आवश्यकता

कमांक	ग्रामों/बस्तियों का प्रकार	३ कि०मी० से कम दूरी पर परिषदीय मान्यता प्राप्त उच्च प्रा० विद्यालय उपलब्ध	३ कि०मी० से अधिक पर परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालय उपलब्ध	उ०प्रा०वि०/ए०आई०ई० केन्द्रों खोलने की आवश्यकता	कुल बस्तियों की संख्या
१	ऐसं ग्रामों /बस्तियों की संख्या जिनकी आबादी ८०० से अधिक है।	१०३८	०	२८३	१०३८
२	ऐस ग्रामों /बस्तियों की संख्या जिनकी आबादी ८०० से कम है।	४३४	१५१	१५१	५८५

स्रोत विभागीय आकडे

उच्च प्राथमिक विद्यालयों की उपलब्धता एवं वास्तविक आवश्यकता, निम्नवत् है।

	ग्रामीण	नगरीय
• वर्तमान प्राथमिक विद्यालय	१४३६	२१
• प्रस्तावित प्राथमिक विद्यालय	०	०
• वर्तमान में उपलब्ध उ०प्रा०वि०	३२३	१
• वर्तमान में उ०प्रा०वि० की आवश्यकता	०	०

विद्यालयों में भौतिक सुविधायें:-

परिषदीय विद्यालयों में उपलब्ध भौतिक सुविधाओं का विवरण अग्रलिखित सारणी में अंकित है।

सारणी:–२.७

विद्यालयों में भौतिक सुबिधायें ;परिषदीय विद्यालयद्ध

प्राथमिक स्तर

कमाक	विकास खण्ड	प्रा० वि० भवन	कक्षा कक्षों के अनुसार विद्यालयों का वर्गीकरण					मरम्त योग्य		शौचालय			हैंडपम्प		
			एक कक्षीय	दो कक्षीय	तीन कक्षीय	चार कक्षीय	पाँच कक्षीय	लघु	वृहत	युक्त	विहीन	आवश्यकता	युक्त	विहीन	आवश्यकता
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६
१	सेवरही	१०५	०	६१	१४	०	०	२५	१०	४६	५६	५६	६१	१४	१४
२	खड्डा	६६	०	८९	१६	२	०	१४	७	४०	५६	५६	८६	१०	१०
३	सुकरौली	६४	०	७८	१६	०	०	२०	१२	६२	३२	३२	८६	८	८
४	तमकुही	१२०	०	८७	३३	०	०	२५	१०	६१	५६	५६	११३	७	७
५	पड़रौना	१५८	०	१०४	४२	१०	२	३२	१४	१३६	२२	२२	१३४	२४	२४
६	कसया	७५	०	६०	१३	०	२	१६	५	५३	२२	२२	७६	२	२
७	मोतीचक	७६	०	६०	८	६	२	२८	२८	३७	३६	३६	७२	४	४
८	दुदही	६२	०	६४	२८	०	०	२०	१२	३४	५८	५८	८२	१०	१०
९	रामकोला	६६	०	८३	१३	१	२	२२	२३	३६	६३	६३	६०	३६	३६
१०	नौरंगिया	८७	०	६४	२३	०	०	१८	१४	३४	५३	५३	७६	६	६
११	कप्तानगंज	८७	०	७२	१५	०	०	१७	०	६६	२१	२१	८५	०	०
१२	विशुनपुरा	१००	०	७०	२६	१	०	१०	७	३२	६८	६८	८२	११	११
१३	हाटा	६३	०	६६	२७	०	०	२०	१०	५४	३६	३६	६१	२	२
१४	फाजिलनगर	१०४	०	६२	१०	२	०	४५	४५	५३	५१	५१	१००	४	४
		१३८६	०	१०७२	२८७	२२	१०	३१२	१६७	७४४	६४५	६४५	१२४३	१४४	१४४

स्रोतः— विभागीय आकड़े

अग्रलिखित सारणी के अनुसार १३८६ प्राथमिक विद्यालयों कुल १०७२ कक्षा–कक्षों की आवश्यकता है तथा ३१२ विद्यालयों में लघु मरम्मत,१६७ में वृहद मरम्मत की आवश्यकता है। साथ ही ६४५ विद्यालयों में शौचालय, १४४ विद्यालयों हैण्डपम्प की आवश्यकता है।

सारणीः—२.८

विद्यालयों में भौतिक सुबिधायें (परिषदीय विद्यालय)

उच्च प्राथमिक स्तर

क्रमांक	विकास खण्ड	उच्च प्रा० वि० भवन	कक्षा कक्षों के अनुसार विद्यालयों का वर्गीकरण						मरम्मत योग्य		ईंधन			हैंडपम्प		
			एक कक्षीय	दो कक्षीय	तीन कक्षीय	चार कक्षीय	पाँच कक्षीय	पाँच से अधिक कक्ष	लघु	बृहत	युक्त	विहीन	आवश्यकता	युक्त	विहीन	आवश्यकता
१	२		४					८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६
१	संवरही	१३	०	०	१	१०	२	०	०	०	१३	०	०	१३	०	०
२	खड्डा	१८	०	०	१	१४	३	०	४	०	१८	०	०	१८	०	०
३	सुकरौली	७	०	०	१	६	०	०	२	०	७	०	०	७	०	०
४	तमकुही	२३	०	०	१	१७	५	०	५	३	२३	०	०	२३	०	०
५	पडरौना	३४	०	०	१	२६	७	०	२	१	३४	०	०	३४	०	०
६	कसया	१८	०	०	३	११	२	२	३	१	१८	०	०	१८	०	०
७	मोतीचक	७	०	०	१	५	१	०	२	२	७	०	०	७	०	०
८	दुदही	१४	०	०	२	९	३	०	०	०	१४	०	०	१४	०	०
९	रामकोला	७	०	०	१	४	२	०	०	०	७	०	०	७	०	०
१०	नौरंगिया	१३	०	०	१	९	३	०	१	२	१३	०	०	१३	०	०
११	कप्तानगज	९	०	०	१	८	०	०	०	०	९	०	०	९	०	०
१२	विशुनपुरा	१७	०	०	३	१३	१	०	२	३	१७	०	०	१७	०	०
१३	हाटा	१३	०	०	१	११	१	०	४	२	१३	०	०	१३	०	०
१४	फाजिलनगर	१८	०	०	३	११	४	०	३	३	१८	०	०	१८	०	०
		२११	०	०	२१	१५४	३४	२	२८	१७	२११	०	०	२११	०	०

अग्रलिखित सारणी के अनुसार २११ उच्च प्राथमिक विद्यालयों कुल १६६ अतिरिक्त कक्षा—कक्षों की आवश्यकता है। उपलब्ध है तथा २८ विद्यालयों में लघु मरम्मत,१७ में वृहद मरम्मत की आवश्यकता है।

भौतिक सुविधाओं की मॉग:–

सारणी २.६

क्रमांक	आईटम/सुविधा का नाम	प्राथमिक			उच्च प्राथमिक		
		कमी	डी०पी०ई०पी०/११वीं वित्त आयोग/जिला योजना/अन्य श्रोत से प्राविधान	मॉग	कमी	डी०पी०ई०पी०/११वीं वित्त आयोग/जिला योजना/अन्य श्रोत से प्राविधान	मॉग
१	नवीन विद्यालय	०	०	०	०	०	०
२	विद्यालयपुर्ननिर्माण	१८६	१००	८६	२३	०	२३
३	अतिरिक्तकक्षा–कक्ष ;प्रति विद्यालय प्राथमिक में ३ एवं उच्च प्राथमिक में ५ कक्षा–कक्ष के आधर पर द्ध	१०७२	०	१०७२	१६६	०	१६६
४	पेयजल सुविधा	८२	०	८२	११३	०	११३
५	शौचालय	८२५	१२०	७०५	६५	०	६५

स्रोत:– विभागीय आकड़े

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि शिक्षा में और अधिक सुधार के लिए उपरोक्तानुसार भौतिक सुविधाओं की व्यवस्था सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत किया जाना अत्यन्त समीचीन होगा।

सकता हैं । ई0एम0आई0एस0आकड़ों के अनुसार जनपद का सकल नामांकन अनुपात 65.65 तथा वास्तविक नामांकन अनुपात **55.6 है परन्तु बालगणना के अनुसार जनपद का** सकल नामांकन अनुपात 86.59 है। दोनों आकड़ों में अन्तर का कारण बहुत मान्यता प्राप्त प्राईवेट तथा सभी गैर मान्यता प्राप्त प्राईवेट विद्यालयों से आकड़ों का न प्राप्त होना है। जनपद में डी0पी0ई0पी0 के प्रारम्भ के समय सकल नामांकन अनुपात 80.00 प्रतिशत था। जो इस समय बढ़कर 87.51 प्रतिशत पर पहुँच चुका है। परन्तु इसमें और सुधार आवश्यक है। ई0एम0आई0एस0आकड़ों के अनुसार जनपद के सकल नामांकन अनुपात, वास्तविक नामांकन अनुपात एवं छात्र अध्यापक अनुपात का विवरण अधोलिखित है।

ई0एम0आई0एस0आकड़ों के अनुसार

जनपद का GER, NER & PTR

क्रमांक	विकास खण्ड	GER	NER	PTR
1	दुदही	57.10	47.34	121.3
2	फाजिलनगर	52.42	43.38	59.6
3	हाटा	59.06	48.65	63.7
4	कप्तानगंज	56.33	45.95	86.6
5	कसया	73.37	58.95	72.9
6	खड्डा	50.69	41.54	134.1
7	मोतीचक	69.76	53.55	72.8
8	नौरंगिया	77.27	65.34	91.8
9	पड़रौना	87.80	71.19	66.2
10	नगर क्षेत्र	20.22	17.25	37.9
11	रामकोला	51.86	43.09	73.3
12	सेवरही	52.32	42.94	83.4
13	सुकरौली	85.93	74.83	65.4
14	तमकुही	71.93	58.15	64.4
15	विशुनपुरा	69.71	60.23	113.0
	जनपद–	65.68	55.60	76.6

उपरोक्त सारणी के अनुसार GER तथा NER के मध्य 10.08 प्रतिशत का अन्तर है।

उच्च प्राथमिक स्तर पर विशिष्ट सूचकांक
जनपद कुशीनगर

1999 से 2002 तक परिषदीय उच्च प्राथमिक स्तर पर नामांकन जनपद कुशीनगर

वर्ष	नामांकन			प्रतिशत		
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
1999–00	10910	4856	15766	69.2	30.8	100
2000–01	11253	5592	16843	66.87	33.2	100
2001–02	11870	6450	18320	64.8	35.2	100

स्रोतः– विभागीय आकड़े

जनपद कुशीनगर अप्रैल 2000 से डीपीईपी परियोजना से आच्छादित है।परियोजना से प्राथमिक स्तर पर नामांकन में वृद्धि के साथ–साथ उच्च प्राथमिक स्तर पर भी नामांकन में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। उच्च प्राथमिक स्तर पर बालिकाओं के नामांकन में 1999 से2002 के बीच बालिकाओं के प्रतिशत में वृद्धि हुइ है।

वर्ष	कक्षा–6	कक्षा–7	कक्षा–8	योग	गत वर्ष के सापेक्ष प्रतिशत वृद्धि
1999–00	6270	5781	3715	15766	–
2000–01	6570	5711	4564	16845	6.41
2001–02	8317	6288	5077	18320	8.05

स्रोतः– विभागीय आकड़े

उक्त सारणी में उच्च प्राथमिक स्तर पर कक्षावार नामांकन दर्शाया गया है जिसके विश्लेषण उपरान्त यह निष्कर्ष निकलता है कि 2000–01 एवं 2001–02 में क्रमशः6.4 एवं 8.05 प्रतिशत की बृद्धि हुइ है।

वर्ष	कक्षा–5	कक्षा–6	ट्रांजिशन दर
1999–00	22997	6270	27.26
2000–01	23986	6570	27.39
2001–02	24524	8317	33.91

स्रोतः– विभागीय आकड़े

किसी भी प्राथमिक शिक्षा के कार्यक्रम मे यह अति आवश्यक है कि कितने बच्चे एक स्तर की शिक्षा प्राप्त कर दूसरे स्तर की शिक्षा में नामांकित होते हैं । जनपद कुशीनगर के परिषदीय विद्यालयों में छात्रों की कक्षा 5 से कक्षा 6 में ट्रांजिसन दर उपरोक्त सारणी में निकाला गया है। सारणी से स्पष्ट है कि जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के दौरान वर्ष 2000–01 से 2001–02 के बीच ट्रांजिसन दर में 6.52 प्रतिशत की बृद्धि हुइ है ।तथा यह भी स्पष्ट होता है कि प्राथमिक स्तर के मात्र 34 प्रतिशत के लगभग बच्चे उच्च प्राथमिक स्तर में नामांकित हो पाते हैं ।

––*––

अध्याय – 3

नियोजन प्रक्रिया

सर्व शिक्षा अभियान भारत सरकार द्वारा नियोजित समयबद्ध कार्यक्रम है। राज्य सरकार की भागीदारी से प्रारम्भिक शिक्षा को जन–जन तक पहुँचाना ही सर्व शिक्षा अभियान का लक्ष्य है। प्रारम्भिक शिक्षा को जन–जन तक पहुँचाने के लिए राज्य सरकार ने भारत सरकार की सहायता से 6–14 वय वर्ग के लिए वर्ष 2010 तक के लिए एक योजना तैयार कर जनपद स्तर पर से संचालित करने करने का लक्ष्य है। सर्व शिक्षा अभियान जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम कर सम्पूरक कार्यक्रम है।

सर्व शिक्षा अभियान कोटि पूरक प्रारम्भिक शिशक्षा को मिशन के रूप में प्रदान करने सम्बन्धी एक प्रयास है। इस कार्यक्रम के द्वारा स्त्री–पुरुष में असमानता को कम करने तथा सामामजिक अन्तर को समाप्त करने की परिकल्पना को पूर्ण करने का उद्देश्य है।

इस कार्यक्रम के माध्यम से शिक्षा सम्बन्धी इन सभी प्रयासों में एक सूत्रता लाने का प्रयास किया गया है। ऐसे प्रयास किये जायेंगें जिनसे सामुदायिक सहभागिता बढ़ाने से स्कूल स्तर से निचले स्तर तक कियात्मक विकेन्द्रीकरण सुनिश्चित हो सके। पंचायती राज संस्थाओं, निर्धारित क्षेत्रों में जनजातीय परिषदों जिनमें ग्राम पंचायतें भी सम्मिलित हैं। के साथ–साथ गैर

सरकारी संगठनों , शिक्षकों, स्वयं सेवकों , कलाकारों महिला संगठनो आदि को शामिल करके अपनी सामुदायिक स्वामित्व में सर्व शिक्षा अभियान को पूर्ण किया जा सके।

सूक्ष्म नियोजन तथा ग्राम शिक्षा योजनाः—

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत सूक्ष्म नियोजन की प्रकिया को विशेष महत्व दिया गया है। इसका प्रयोजन यह है कि प्रत्येक बस्ती तथा ग्राम के प्रत्येक परिवार के 6—11 वय वर्ग के बालकों तथा बालिकाओं की भौतिक स्थिति का आंकलन किया जाय। सूक्ष्म नियोजन प्रारम्भ करने हेतु ग्राम शिक्षा समितियों के सदस्यों, ग्राम के उत्साही प्रबुद्ध व्यक्तियों तथा अध्यापकों के लिए इसके उद्देश्यों तथा विधियों के सम्बंध में प्रशिक्षण आयोजित किया गया और प्रत्येक ग्राम में बस्तियों की सूची तैयार की गयी । व्यक्तियों की सूची परिशिष्ट में दी गयी है इस जनपद में सर्व प्रथम 2000—2001 में तथा दूसरा चरण 2001—2002 तक सभी ग्रामवासियों के सहयोग से बस्ती और प्रत्येक परिवार से सम्बन्धित सभी सूचनाओं जिनकी सूची पहले से तैयार की थी, का एकत्रीकरण किया गया और एकत्रित सूचनाओं / आकड़ों का विश्लेषण करके समस्याओं/आवश्यकताओं की पहचान की गयी। सूक्ष्म नियोजन से प्रत्येक ग्राम के लिए निम्नलिखित सूचनाएं एकत्रित की गयी।

- ग्राम के 6—11 वय वर्ग कुल बच्चों की संख्या
- विद्यालय/शिक्षा गारण्टी केन्द्रों में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या।
- विद्यालय न जाने वाले बच्चों की संख्या ।

- शिक्षा ग्रहण न करने वाले बच्चों के विद्यालय/शिक्षा गारण्टी केन्द्र न जाने के कारण खोले जाने **की आवश्यकता है।**
- यदि मानक के अनुसार नवीन विद्यालय खोला जाना सम्भव नहीं है तो ग्रामवासी शिक्षा की क्या व्यवस्था प्रस्तावित करते है?
- क्या ग्राम में स्थित प्राथमिक विद्यालय में भवन एवं उपलब्ध भौतिक संसाधन पर्याप्त हैं।
- यदि नहीं, तो इनके सुधार के लिए ग्राम वासियों के क्या सुझाव हैं?
- क्या विद्यालयों में अध्यपकों की तैनाती छात्र संख्या के अनुसार है तथा छात्र–अध्यापक का अनुपात क्या है?
- क्या अध्यापक नियमित रूप से विद्यालय आते हैं?
- शिक्षण कार्य की स्थिति / शिक्षा की गुणवत्ता के विषय में ग्राम वासियों के विचार ।

सूक्ष्म नियोजन द्वारा उपरोक्त सूचना एकत्रित करने के पश्चात् निम्न कार्य ग्रामवासियों के सहयोग से किये गये है।

1. परिवार सर्वेक्षण
2. स्कूल का मानचित्र/शैक्षिक मानचित्रण
3. सूचनाओं का विश्लेषण
4. ग्राम शिक्षा योजना का निर्माण

शैक्षिक मानचित्रण, विश्लेषण, ग्राम शिक्षा योजना निर्माण की तैयारी–

ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में ग्राम शिक्षा समिति के सभी सदस्यों. उत्साही यवक–यवतियों , शिक्षकों /शिक्षिकाओं की एक सभा बुलाकर गाँव की शैक्षिक समस्याओं के साथ–साथ अन्य

समस्याओं तथा आवश्यकताओं पर चर्चा की गयी। समूहों द्वारा सर्वेक्षण प्रपत्रों के माध्यम से गाँव के समस्त परिवारों का सर्वेक्षण भी कराया गया ।

इसके पश्चात् शैक्षिक मानचित्रण के द्वारा गाँव की सम्पूर्ण स्थिति को परिलक्षित किया गया। प्राप्त सूचनाओं एवं स्कूल मानचित्र के विश्लेषण के द्वारा ग्राम वासियों के सहयोग से गावं की उत्तम व्यवस्था के लिए ग्राम शिक्षा योजना बनायी गयी।

शैक्षिक मानचित्र द्वारा प्रत्येक ग्राम के लिए निम्नलिखित सूचनाएं एकत्र की गयी है।

1 बस्ती की पूरी जनसंख्या।

2 विभिन्न आयु वर्ग की जनसंख्या।

3 स्त्री–पुरुष की जनसंख्या।

4 पढ़ने व न पढ़ने वाले बच्चों की जनसंख्या (उम्र 6–14 वय वर्ग)

5 बाल श्रमिकों के विषय में जानकारी (वय वर्ग वार)

6 विकलांग बच्चों के विषय में जानकारी।

7 बालिका शिक्षा की स्थिति।

उपरोक्त सभी तथ्यों, समस्याओं आदि पर बस्ती के लोगों व समुदाय के सभी सदस्यों से विचार विमर्श के दौरान उभरे विन्दुओं को सम्मिलित करते हुए परिवारों/बस्तियों के विवरण को समेकित करके ग्राम शिक्षा योजना तैयार की गयी। जो ग्राम शिक्षा योजना तैयार की गयी। उन्हें ग्राम स्तर पर ही विद्यालय में रखा गया ताकि इनका उपयोग गांव स्तर पर आसानी से

सारणी ३.१

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत हाउस होल्ड सर्वे के अनुसार वाल गणना ६-१४ वय वर्ग मई- जून २००३

क्र०सं०	विकास खण्ड का नाम	६-११वय वर्ग के बच्चे									११-१४ वय वर्ग के बच्चे								
		कुल बच्चो की संख्या			विद्यालय जाने वाले बच्चे			विद्यालय न जाने वाले बच्चे			कुल बच्चो की संख्या			विद्यालय जाने वाले बच्चे			विद्यालय न जाने वाले बच्चे		
		बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
१	कप्तानगज	१६३१६	१४१०९	३०४२५	१४३७८	१२०८४	२६४६२	१९३८	२०२५	३९६३	७०५७	५६१३	१२६७०	६२२९	४७०७	१०९३६	८२८	९०६	१७३४
२	रामकोला	२०९७५	१७३१९	३८२९४	१८५४३	१४८६४	३३४०७	२४३२	२४५५	४८८७	८६०६	७०४७	१५६५३	७२८५	५३८५	१२६७०	१३२१	१६६२	२९८३
३	मोतीचक	१४६७३	१२२२४	२६८९७	१२९०७	१०३६८	२३२७५	१७६६	१८५६	३६२२	५८२६	४९५३	१०७७९	५०२७	४०६८	९०९५	७९९	८८५	१६८४
४	सुकरौली	१४२६७	१३१७४	२७४४१	११५८६	१०६७९	२२२६५	२६८१	२४९५	५१७६	६०३८	५२९५	११३३३	५४९९	४६२१	१०१२०	५३९	६७४	१२१३
५	हाटा	१७९४७	१४९८४	३२९३१	१६४०२	१३४२१	२९८२३	१५४५	१५६३	३१०८	८५०६	७२७७	१५७८३	७८४४	६५७९	१४४२३	६६२	६९८	१३६०
६	खड्डा	१९४६८	१५६२३	३५०९१	१५३८५	११३१२	२६६९७	४०८३	४३११	८३९४	७९९४	५६४६	१३६४०	६३७६	३८९७	१०२७३	१६१८	१७४९	३३६७
७	नौरंगिया	१७३६०	१४२०९	३१५६९	१४६४८	११२६७	२५९१५	२७१२	२९४२	५६५४	६२८४	४६५४	१०९३८	५४७८	३६७७	९१५५	८०६	९७७	१७८३
८	विशुनपुरा	२०२२१	१६३९२	३६६१३	१७१०६	१२८७३	२९९७९	३११५	३५१९	६६३४	८४८३	६१८०	१४६६३	६९३१	४४४७	११३७८	१५५२	१७३३	३२८५
९	पडरौना	३१४३१	२५९१५	५७३४६	२८१९६	२२६४६	५०८४२	३२३५	३२६९	६५०४	१४०६५	१११३५	२५२००	११९०१	९१२९	२१०३०	२१६४	२००६	४१७०
१०	कसया	१००९४	८१२०	१८२१४	८९३७	७१२२	१६०५९	११५७	९९८	२१५५	४७०५	४१९४	८८९९	४३२०	३७६२	८०८२	३८५	४३२	८१७
११	फाजिलनगर	१७९८४	१६५४८	३४५३२	१६१५९	१४८६८	३१०२७	१८२५	१६८०	३५०५	८९१६	८०८२	१६९९८	८२९५	७३६९	१५६६४	६२१	७१३	१३३४
१२	दुदही	२८७६२	२२८०५	५१५६७	२३०१८	१७३६९	४०३८७	५७४४	५४३६	१११८०	१६१२०	११७१५	२७८३५	१२३९५	८५३९	२०९३४	३७२५	३१७६	६९०१
१३	तमकुही	२०४७७	१७४४२	३७९१९	१९५१४	१६३३७	३५८५१	९६३	११०५	२०६८	९१४९	७५३५	१६६८४	८५७१	६८२६	१५३९७	५७८	७०९	१२८७
१४	सेवरही	२४३१५	१९५७४	४३८८९	१९८३९	१४९०६	३४७४५	४४७६	४६६८	९१४४	१२२४९	९७९३	२२०४२	१०१०४	७६७४	१७७७८	२१४५	२११९	४२६४
	महायोग	२७४२९०	२२८४३८	५०२७२८	२३६६१८	१९०११६	४२६७३४	३७६७२	३८३२२	७५९९४	१२३९९८	९९११९	२२३११७	१०६२५५	८०६८०	१८६९३५	१७७४३	१८४३९	३६१८२

सारणी ३.२

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम एवं सर्व शिक्षा अभियान कुशीनगर

नामांकन प्रगति २००३-०४ · ३१ अगस्त २००३

बच्चो की कुल संख्या	हाऊस होल्ड सर्वे में चिन्हित कुल बच्चे							३१-०८-२००३ तक नामांकित बच्चे						
	बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका	योग
	५+ से ६+		७+ से १०+		११ से १४			५+ से ६+		७+ से १०+		११ से १४		
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५
७२५८४७	१७७०८	१६५६३	१९९५७	२१७५६	१७७३४	१८४३७	११२१५५	१५५४७	१४२१४	१४८२५	१६३५६	१२५३७	१३०५९	८६५३८

माह जून में कराये गये हाउस होल्ड सर्वे में कुल ११२१५५ बच्चे स्कूल से बाहर थे जिनमें से अगस्त माह तक कुल ८६५३८ बच्चों का नामांकन कराया जा चुका है वर्तमान में २५६१७ बच्चे अभी भी स्कूल से बाहर हैं। जिनके लिये अध्याय ७ में कार्यक्रम प्रस्तावित किया गया है।

Jeewan Lal
Under Secretary
Tele: 23388037

D.O. No.F.12-5/2003-EE.9 8th December, 2003

Dear Shri Talukdar,

State project Director, Uttar Pradesh has forwarded revised State Perspective Plans and AWP&B of SSA for 54 districts of U.P. which are to appraised now by the same team which appraised the AWP&B for the year 2003-04 for SSA. The original Revised perspective plan is enclosed herewith with the request that the same may be circulated to all Appraisal team members for Uttar Pradesh after making enough copies. Appraisal report may please be forwarded to this Department as early as possible for placing before the Project Approval Board.

With regards,

Yours sincerely,

(Jeewan Lal)

Shri M.K. Talukdar,
Chief Consultant, TSG, Ed.CIL,
I.P. Estate, New Delhi

Phone No. ~~23388037~~ ~~23379772~~

~~Copy to:-~~

~~Shri Dayaram, Chief Consultant, TSG, Ed.CIL, I.P. Estate, New Delhi.~~

Jeewan Lal
Under Secretary
Tele: 23388037

D.O. No.F.12-5/2003-EE.9

8th December, 2003

Dear Shri Talukdar,

State project Director, Uttar Pradesh has forwarded revised State Perspective Plans and AWP&B of SSA for 54 districts of U.P. which are to appraised now by the same team which appraised the AWP&B for the year 2003-04 for SSA. The original Revised perspective plan is enclosed herewith with the request that the same may be circulated to all Appraisal team members for Uttar Pradesh after making enough copies. Appraisal report may please be forwarded to this Department as early as possible for placing before the Project Approval Board.

With regards,

Yours sincerely,

(Jeewan Lal)

Shri M.K. Talukdar,
Chief Consultant, TSG, Ed.CIL,
I.P. Estate, New Delhi

Phone No. ~~23388037~~, 23379172

~~Copy to:-~~

~~Shri Dayaram, Chief Consultant, TSG, Ed.CIL, I.P. Estate, New Delhi~~

सारणी 3.3

6 से 11 वय वर्ग सकल एवं वास्तविक नामांकन अनुपात (G.E.R, NER)

वर्ष	लिंग	6–11वय वर्ग के कुल बच्चे	कुल छात्र नामांकन	जी0ई0आर0	एन0ई0आर0
2001–2002	बालक	233974	210475	89.96	79.88
	बालिका	195149	164740	84.42	74.34
	योग	429123	375515	87.51	77.43
2002–2003	बालक	274290	266990	97.33	87.25
	बालिका	228438	220686	96.60	86.52
	योग	502728	487676	97.00	86.92

सारणी 3.4

11 से 14 वय वर्ग सकल एवं वास्तविक नामांकन अनुपात (G.E.R)

वर्ष	लिंग	11–14वय वर्ग के कुल बच्चे	कुल छात्र नामांकन	जी0ई0आर0	एन0ई0आर0
2001–2002	बालक	79751	64473	80.84	70.76
	बालिका	64899	49707	76.59	66.51
	योग	144650	114180	78.93	78.85
2002–2003	बालक	123998	118792	95.80	85.72
	बालिका	99119	93739	94.57	84.49
	योग	223117	212531	95.25	85.17

हाऊस होल्ड सर्वे 2003 से प्राप्त परिवार वार /बस्तीवार आंकड़ों को सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत उपयोगी बनाने हेतु विकास खण्ड के सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारियों की सहायता से वर्गीकृत व विकासखण्ड वार संकलित किया गया । 6–14 वय वर्ग के विद्यालय न जाने वाले बच्चों को दो श्रेणी में विभाजित किया गया । सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रस्तावित शिक्षा गारण्टी योजना तथा वैकल्पिक शिक्षा /नवाचार शिक्षा योजना कार्यक्रमों की दृष्टिगत रखते हुए विद्यालय न जाने वाले बच्चों की संख्या 6–11 वय वर्ग तथा 11–14 वय वर्ग समूहों में आंकलित की गयी। इन बच्चों में बालको व बालिकाओं की संख्या ज्ञात की गयी। इसके अतिरिक्त ऐसे बच्चों की संख्या भी आंकलित की गयी जा कामकाजी है, पैतृक व्यवसाय में माता–पिता की सहायता करते है अथवा सड़क छाप बच्चें स्ट्रीट चिल्ड्रेन्स हैं।

सर्वेक्षण के प्राप्त आंकड़ों के आधार पर उन बस्तियों की सूची भी तैयार की गयी है जो नवीन विद्यालय खोले जाने का मानक पूरा करते है तथा विद्यालय प्रस्तावित किये गये है उन बस्तियों की सूची भी तैयार की गयी है। जिनमें शिक्षा गारण्टी केन्द्र/वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र एवं नवाचार शिक्षा केन्द्र हेतु सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रस्तावित है। इस प्रकार सर्व शिक्षा अभियान के प्लान की संरचना के अधिक से अधिक बस्तीवार सूचना एकत्रित कर उपयोग में लायी गयी है तथा विद्यालय न जाने वाले बच्चों की संख्या का आंकलन करते हुए उनकी शिक्षा व्यवस्था हेतु कार्यक्रम रखे गये है।

ग्राम शिक्षा समितियों द्वारा समस्त समुदाय की सहभागिता से सूक्ष्म नियोजन का अध्यावधिक 2000–2003 चक्र सर्वशिक्षा अभियान की दीर्घ कालीन योजना की प्रथम वार्षिक योजना के कियान्यवयन के दौरान पूर्ण किया जायेगा। इसके द्वारा प्राप्त आंकणों/सूचनाओं का उपयोग वार्षिक कार्ययोजना 2000–2003 के अन्तर्गत विभीन्न कार्यक्रम तैयार करने हेतु किया जायेगा।

जहां तक नगरीय क्षेत्रों के सुसंगत शैक्षिक आंकड़ों का सम्बन्ध है, इस क्षेत्र में परियोजना से पूर्व गतिविधियों (प्री प्रोजेक्ट एक्टीविटीज) के अन्तर्गत सर्वेक्षण कार्य प्रारम्भ किया जाना है। इस सर्वेक्षण से प्राप्त आंकड़ों का सारणीयन व संकलन किया जायेगा तथा निष्कर्षो का उपयोग वर्ष 2002–2003 की वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट तैयार करते समय किया जायेगा।

स्कूल चलो अभियान–

जनपद में जुलाई 2000 में बालक /बालिकाओं के नामांकन बृद्धि को बढ़ाने व ड्राप आउट समाप्त करने के उद्दे य से 2000–2001 में बालक/बालिकाओं में आशानुकूल वृद्धि हुई है। इसके फलस्वरूप जो वातावरण सृजित हुआ है उसका लाभी सर्व शिक्षा अभियान में उठाया जायेगा। स्कूल चलो अभियान का विवरण नीचे दिया गया है।

स्कूल चलो अभियान के तहत व्यापक प्रचार प्रसार किया गया । जिले में शत प्रतिशत नामांकन कराने हेतु शिक्षा विभाग एवं जिला प्रशासन ने संकल्प लिया । प्रथम चरण 01.07. 2001 से 15.07.2001 तक आयोजित किया गया।

दिनांक 23.06.2001 को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यक्रम में समस्त सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी / प्रति उप विद्यालय निरीक्षक, जिला समन्वयक (डी.पी.ई.पी.) सहित बैठक आयोजित की गयी और स्कूल चलो अभियान की रूप रेखा तैयार की गयी।

दिनांक 29–6–2001 को जिलाधिकारी की अध्यक्षता में अभियान की समीक्षा बैठक आयोजित की गयी एवं कोर ग्रुप का गठन किया गया । उक्त बैठक में स्कूल चलो अभियान के सम्बन्ध में निम्न निर्णय लिए गये:–

1. जनपद के समस्त विकास खण्डों पर स्कूल चलो अभियान के प्रभावी संचालन के लिए खण्ड विकास अधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया।

2. जनपद 140 न्याय पंचायत पर स्कूल चलों अभियान चलाने के लिए समन्वयक एन.पी.आर.सी. को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया।

3. जनपद की 957 ग्राम पंचायतों पर स्कूल चलो अभियान के लिए ग्राम पंचायत पर वरिष्ठ अध्यापक को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया।

यह भी निर्देश दिये गये की शिक्षा विभाग एवं अन्य प्रशासनिक अधिकारी अपने –अपने क्षेत्र का भ्रमण कर स्कूल चलो अभियान सफल बनायेंगें। इसके साथ साथ जिला विकास अधिकारी , प्रधानाध्यापक राजकीय दीक्षा विद्यालय पडरौना , जिलाविद्यालय निरीक्षक, जिला पंचायंत राज अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी , जिला समाज कल्याण अधिकारी , सचिव साक्षरता समिति , जिला सूचना अधिकारी , तहसीलदार आदि क्षेत्र भ्रमण कर कार्यक्रमों कों सफल बनायेंगें । इस कार्यक्रम हेतु तहसील स्तर पर परगना मजिस्ट्रेट कों जोनल अधिकारी बनाया गया।

दिनांक 15.07.2001 को पडरौना में विशाल रैली का आयोजन किया गया जिसमें नगर जनपद स्तर के अधिकारियों ने भाग लिया। स्कूल चलों अभियान रैली का प्रारम्भ जिलाधिकारी ने झण्डा दिखाकर तथा कबूतर एवं गुब्बारा छोड़कर किया।

दिनांक 11.07.2001 को विकास खण्ड खड्डा में स्कूल चलो अभियान के लिए के रैली का आयोजन किया गया जिसमें नगर वं ग्रामीणें क्षेत्रों के बच्चों , अध्यापक , सहायक बेसिक

शिक्षा अधिकारी तथा गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति रही । रैली का शुभारम्भ माननीय विद्यायक दीपलाल भारती ने हरी झण्डी दिखाकर किया । रैली के पूर्व जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सेवा निवृत्त प्रधानाचार्यों ने स्कूल चलों अभियान को सफल बनाने में सक्रिय योगदान दिया ।

क्षेत्र पंचायत प्रमुख की अध्यक्षता में दिनांक 10.07.2001 को विकासखण्ड नौरंगिया में स्कूल चलो अभियान रैली का आयोजन किया जिसमें खण्ड विकास अधिकारी नौरंगिया एवं सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी नौरंगिया, समन्वयक बी.आर.सी. /एन.पी.आर.सी. नौरंगिया तथा क्षेत्र के बच्चे एवं अध्यापक उपस्थित रहे। रैली के बाद ग्राम वासियों एव ग्राम प्रधानों को स्कूल चलों अभियान के सम्बन्ध में अवगत कराया गया ।

उपजिलाधिकारी तमकुही के नेतृत्व में 11.07.2001 को सेवरहीं स्कूल चलो अभियान के विकास खण्ड की रैली का आयोजन किया गया जिसमें उपजिलाधिकारी एव्रं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा रैली के द्वारा ग्राम प्रधानों, बी.डी.सी. सदस्यों , ग्राम पंचायत सदस्यों एवं अन्य गणमान्य व्यक्तियों को सम्बोधित करते हुए स्कूल चलो अभियान को सफल बनाने का आग्रह किया गया।

इस प्रकार दिनांक 15.07.2000 को स्कूल चलो अभियान का समापन किया गया एवं अविभावकों से सम्पर्क कर बच्चों को प्राथमिक विद्यालय /पूर्व माध्यमिक विद्यालय में नामांकन

कराने हेतु प्रोत्साहित किया गया। स्कूल चलो अभियान की उपलब्धियां निम्नलिखित सारणी में दी गयी है।

सारणी 3.5
स्कूल चलो अभियान की वास्तविक उपलब्धि

वर्ष 2001

जनपद– कुशीनगर

कमांक	जनपद का नाम	सर्वेक्षण / अभियान के अर्न्तगत स्कूल न जाने वाले चिन्हित बच्चे	चिन्हित बच्चों में से स्कूल में पंजीकृत बच्चों की संख्या	अवशेष बच्चों की संख्या जो स्कूल जाना प्रारम्भ नही किये है।	प्रतिशत 4 का 3 से	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
1	कुशीनगर	34046	27256	6790	80.5	—

स्रोतः– विभागीय आकड़े

सर्व शिक्षा अभियान के स्वरुप को ध्यान में रखते हुए विकेन्द्रीकृत नियोजन की प्रणाली पुनः अपनायी गयी जिसमें बस्ती स्तर पर शैक्षिक योजनाएं बनाने की दिशा में कार्यवाही प्रारम्भ की गई।

जनपद स्तर पर सर्वशिक्षा अभियान की परियोजना के संरचना हेतु निम्नांकित प्रयास किये गये

1:–नियोजन टीम का गठन:–सर्व शिक्षा अभियान की परियोजना के सफल कियान्वयन हेतु जनपद स्तर पर छः सदस्यीय नियोजन टीम का गठन किया गया ।नियोजन टीम द्वारा सर्व शिक्षा अभियान की उद्‌देश्य की पूर्ति हेतु प्लान की संरचना की गयी तथा उसके लिए एक लक्ष्य भी निर्धारित किए गये।

२:-ग्राम/बस्ती स्तर पर जन समुदाय के साथ बैठकें की गयी । सर्व शि।क्षा अभियान के संचालन के पूर्व समुदाय की शिक्षा के प्रति क्या सोच है तथा उसकी शिक्षा से क्या–क्या अपेक्षाएं हैं ?वह किस प्रकार की शिक्षा चाहता है?इन विषयों पर समुदाय का विचार जानना अति आपवश्यक है। समुदाय के सहभागिता एवं विचारों को समाहित किए वर्गर सर्व शिक्षा की उद्‌देश्यों की पूर्ति हो ही नहीं सकती ।एफ0 जी0डी0 प्रकियासे उन क्षेत्र विशेष की समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए सर्व शिक्षा अभियान परिप्रेक्ष्य योजना का निर्माण किया गया है।कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो सामाजिक एवं शैक्षिक कार्यों में रूचि लेते है।कार्यकम/के संचालन में उनका सहयोग सम्पर्क व्यक्ति;(कान्टैक्ट परसन)सोसल एक्टिविस्ट के रूप में ले सकते हैं । सन्दर्भ व्यक्तियों की पहचान , स्वयंसेवी संस्थाओं की पहचान ,पंचायती राज संस्थाओं के पदाधिकारियों की सोच की जानकारी एफ0जी0डी0 से ही हो सकती है।यह कार्य एक उत्तम कोटि का पर्सपेक्टिव प्लान बनाने में सहायक सिद्ध हुआ है।

परियोजना की गतिविधियों के अन्तर्गत जिले में एफ0जी0डी0 टीम का गठन किया गया । उसमें अधिकारी/कर्मचारी भी सम्मिलित है जिन्होंने प्लान बनाने के लिए सीमेट इलाहाबाद के

तत्वाधान में आयोजित कार्यशालाओं में प्रतिभाग किया है। इसके अतिरिक्त इसके संरचना में डी0पी0ई0पी0 ।।। के जिला समन्वयक , सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी , प्रति उप विद्यालय निरीक्षक , बी0आर0सी0, एन0पी0आर0सी0, समन्वयक , प्रा0 तथा उच्च प्रा0 विद्यालयों के अध्यापक , स्वयं सेवी संगठन के प्रतिनिधि अनेक विभागों के अधिकारियों , कर्मचारियों तथा इन प्रतिनिधियों से सहयोग मिला ।एफ0जी0डी0के निष्कर्षो से आवश्यकता आधारित (नीड बेस्ट)प्लान बनाने में सहायता मिली ।

प्री प्रोजेक्ट गतिविधियों के अन्तर्गत प्रत्येक ग्राम में प्रधान , पंचायत सदस्य , प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों तक यह संदेश एन0पी0आर0सी0 के माध्यम से दिया गया ।ग्राम शिक्षा समितियों को भी अवगत कराया गया कि यह कार्यक्रम पूरी तरह से समुदाय की सहभागिता पर निर्भर करता है।इसकी सूक्ष्म योजक एफ0जी0डी के जरिये समाज की आवश्यकताओं , प्राथमिकताओं को ध्यान में रखकर 'ग्रास रूट लेविल प्लानिंग' के आधार पर की जायेगी । योजना की संरचना के पश्चात इसका कियान्वयन भी समाज के हर वर्ग के सहयोग से होगा ।विशेषकर ग्राम पंचायतों को इसमें नियोजन / प्रबन्धन सम्बन्धी पर्याप्त प्रशासनिक और वित्तीय अधिकार होगें। अनुश्रवण एवं मूल्यांकन में भी उनकी भागीदारी होगी ।इसमें स्वयं सेवी , स्वैच्छिक संस्थाओं की सशक्त भागीदारी होगी ताकि वास्तविक रूप में यह जनता का अभियान बन सके ।

शैक्षिक नियोजन विभिन्न स्तरों पर होते हैं जैसे राष्ट्रीय स्तर पर नियोजन , क्षेत्रीय स्तर पर नियोजन एवं विविध स्तरीय नियोजन । यहां जनपद विशेष मे स्थानीय आवश्यकताओं और

प्राथमिकताओं को ध्यान में रखकर ग्रास रूट प्लानिंग के बाद जनपद स्तर पर नियोजन का स्वरूप निर्धारित किया गया है ।

जनपद स्तर पर नियोजनः—

जनपद में डी0पी0ई0पी0।।। कार्यक्रम विगत दो वर्षों से संचालित है । उसी के वृहद स्वरूप मे सर्व शिक्षा अभियान को संचालित किया जाना है।जिन विकास एजेन्सीज से हमें डी0पी0ई0पी0 ।।। में सहयोग मिला है ओर जो विभाग मानव संसाधनों का सृजन करते हैं उन विभागों के अधिकारियों के साथ बैठकें की गयी।

जिला पंचायत अध्यक्ष की अध्यक्षता में दिनांक 15—12—01 को बैठक की गयी जिसमें जन प्रतिनिधि ,शिक्षा विभाग के अधिकारी एवं नागरिक उपस्थित रहे। जन प्रतिनिधियों तथा नागरिकों की ओर से यह विचार विशेष रूप से उभर कर सामने आया कि प्रारम्भिक शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। और इसमें समाज की अधिकतम भागीदारी भी होनी चाहिए। सर्व शिक्षा अभियान की सफलता हेतु माननीय सांसद, विधायक गण व विधान परिषद सदस्यों से भी विचार विमर्श किया गया ।

क्षेत्र पंचायत स्तर पर क्षेत्र प्रमुख , बी0डी0सी0 सदस्यगण , ग्राम प्रधानों, स्वयंसेवी संगठनों तथा अपवंचित वर्ग के सदस्यों ,अनुसूचित जाति ,अनु0जन0 के प्रतिनिधियों , अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों से भी विचार विमर्श किया गया ।

जनपद स्तर जिलाधिकारी महोदय के अध्यक्षता में दिनांक 14–12–01 को जिला शिक्षा परियोजना समिति की बैठक हुई । जिसमें जिला परियोजना समिति के सदस्य उपस्थित रहे।सर्व शिक्षा अभियान के पर्सपेक्टिव प्लान की संरचना हेतु समिति ने अपने सुझाव दिया कि अपवंचित एवं अल्प संख्यक तथा अनु0जाति, जन जाति के बच्चों को स्कूल तक लाने तथा उनके विद्यालय मे ठहराव बनाये रखने , गुणवत्तायुक्त शिक्षा देने पर विशेष बल दिया जाय तथा सभी सवर्ग के बालक /बालिकाओं के शत प्रतिशत नामांकन को सुनिश्चित करने की व्यवस्था की जाय।

इसके अतिरिक्त ग्रास रूट लेविल के स्थानीय निकायों, विशेष अपवंचित वर्ग के सदस्यों एवं कम्युनिटी लीडर्स , नागरिकों एवं समितियों से विभिन्न स्तरों यथा ग्राम पंचायत स्तर, न्याय पंचायत स्तर , ब्लाक स्तर पर फोकस ग्रुप डिस्कसन आयोजित किये गये जिनका विवरण अग्रलिखित है।

समय सारणी

बैठक / कार्यशाला / अध्ययन(जनपद ,विकास खण्ड ,न्याय पंचायत एवं ग्राम पंचायत स्तर)

कमांक	स्तर	स्थल	तिथियाँ
1	जिलाधिकारी की अध्यक्षता में	कार्यालय जिलाधिकारी	14 / 12 / 2001
2	अध्यक्ष , जिला पंचायत की अध्यक्षता में	कार्यालय जिला पंचायत	15 / 12 / 2001

3	बा0आर0सी0 स्तर पर	ब्लाक संसाधन केन्द्र	27/11/2001 से 11/12/2001
4	न्याय पंचायत स्तर	न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र	27/11/2001
5	ग्राम पंचायत स्तर	ग्राम पंचायत भवन	19/11/2001 से 2/12/2001
6	विद्यालय स्तर	प्रा0वि0 भवन	24/11/2001 से 26/11/2001

इन बैठकों का पूर्ण विवरण अग्र लिखित है:–

क्र0 सं0	ब्लाक/ स्तर/ ग्राम स्तर	तिथि	स्थान	प्रतिभागियों का विवरण संख्या	बैठक/विचार विमर्श में जो बिन्दु उभरें उनका संक्षिप्त विवरण
1.	ग्राम स्तर	2–12–01	प्रा0वि0 सुकरौली वि0 खण्ड सुकरौली	अधिकारी–1 प्रधान–6 बहुद्देशीय कर्मी–1 समन्वयक (NPRC) - 8 समाजसेवी–6 अभिभावक–25 अध्यापक–15 कुल – 62	1. कामकाजी मां बाप के बच्चों को किस प्रकार विद्यालयों में नामांकन कराया जाय। 2. चाय एवं होटलों तथा अन्य दुकानों में काम करने वाले बच्चों का विद्यालय में नामांकित करने पर। 3. छात्रों का शत प्रतिशत नामांकन कराना।
2.	ब्लाक स्तर	3.12.01	प्रा0वि हाटा विकास क्षेत्र हाटा	अधिकारी–1 प्रधान–4 शिक्षक संघ के पदाधिकारी–3 समन्वयक (BRC)-1 समन्वयक (NPRC) - 6 अभिभावक–7 अध्यापक–22 कुल – 44	1. शिक्षा के गुणवत्ता परक सुधार पर विचार। 2. भौगोलिक कठिनाइयों से शिक्षा में अवरोध पर विचार। 3. छात्रों के अनुपात में अध्यापकों की उपलब्धता पर विचार । 4. विद्यालय को आकर्षण बनाने पर विचार।
3.	ब्लाक स्तर	4.12.01	प्रा0वि0. कुशीनकर	अधिकारी–1 प्रधान–8 शिक्षक संघ के पदाधिकारी–4	1. माता एवं शिक्षक के सामंजस्य पर विचार। 2. समुदाय के सहभागिता पर विचार।

				समन्वयक (NPRC) - 6 **समाजसेवी–8** **अभिभावक–13** अध्यापक–45 कुल – 85	3. **पत्तल बनाने वाले बाल श्रमिकों के शिक्षा पर विचार।** 4. **ईट भट्ठों पर काम करने वाले बच्चों को नामांकित कराने पर विचार।**
4.	ब्लाक स्तर	3.12.01	प्रा0वि0 फाजिलनगर विकास क्षेत्र फाजिलनगर	अधिकारी–1 प्रधान–4 सदस्य–4 अन्य विभाग–4 समन्वयक (BRC)-1 समन्वयक (NPRC) - 8 जनप्रतिनिधि–6 अभिभावक–20 अध्यापक–15 कुल – 63	1. अल्प संख्यक वर्ग की बालिकाओं के नामांकन पर विचार। 2. अन्य विभागों से समन्वय पर विचार। 3. मुझहर नरायनपुर के छात्रों के नामांकन पर विचार।
5.	ब्लाक स्तर	4.12.01	प्रा0 वि0 सेरवही ब्लाक सेवरही	अधिकारी–1 प्रधान–3 सदस्य–6 ग्राम शिक्षा समिति–4 शिक्षक संघ के पदाधिकारी–3 समाजसेवी–8 अभिभावक–25 अध्यापक–35 कुल – 85	1. बाढ़ क्षेत्र के बच्चों के नामांकन पर विचार। 2. बाढ़ की स्थिति में बच्चों के अध्यापन पर विचार। 3. नदी के रेतों में घिरे बच्चों के नामांकन पर विचार। 4. अति–गरीब छात्रों के नामांकन पर विचार। 5. बीड़ी बनाने वाले बालकों के नामांकन पर विचार।
6.	ब्लाक स्तर	5.12.01	प्रा0वि0 दुदही विकास खण्ड दुदही	अधिकारी–1 शिक्षक संघ के पदाधिकारी–6 प्रधान–8 क्षेत्र प्रमुख–1 समन्वयक (BRC)-1 समन्वयक (NPRC) - 6 समाजसेवी संगठन–6 अध्यापक–25 कुल – 54	1. शिक्षा के गुणवत्ता पर विचार। 2. विद्यालयों में शोचालय के सुविधा पर विचार। 3. विद्यालय शिक्षण सामग्री की उपलब्धता पर विचार। 4. छात्रों के अनुपात में अध्यापकों के उपलब्धता पर विचार।
7.	ब्लाक स्तर	6.12.01	प्रा0वि0 पडरौना विकास क्षेत्र पडरौना	अधिकारी–1 समन्वयक (BRC)-1 समन्वयक (NPRC) - 12 अभिभावक–23	1. विद्यालयों में बच्चों के ठहराव पर विचार। 2. विद्यालय छोड़ने वाले बच्चों को विद्यालय में लाने पर विचार।

				अध्यापक–35 जनप्रतिनिधि–3 शिक्षक संघ के पदाधिकारी–4 कुल – 79	3. गुणवत्ता युक्त शिक्षा पर विचार। 4. बाल श्रमिकों के अध्यापन पर विचार।
8.	ब्लाक स्तर	6.12.01	प्रा0वि0 मंशा छापर विकास क्षेत्र विशुनपुरा	अधिकारी–1 प्रधान–4 समन्वयक (BRC)-1 समन्वयक (NPRC) - 6 शिक्षक संघ के पदाधिकारी–4 जनप्रतिनिधि–8 समाजसेवी–4 अभिभावक–15 अध्यापक–22 कुल – 65	1. नदी के रेतों में आबाद बस्तियों के गरीब लोगों के बच्चों के पठन–पाठन पर विचार। 2. विद्यालय भवनों के उपलब्धता पर विचार। 3. गरीब बच्चों के नामांकन पर विचार।
9.	ब्लाक स्तर	10.12.01	प्रा0 वि0 कोटवा विकास क्षेत्र नौरंगिया	अधिकारी–1 प्रधान–8 समन्वयक (BRC)-1 समन्वयक (NPRC) - 6 जनप्रतिनिधि–3 अभिभावक–23 अध्यापक–15 कुल – 57	1. अल्प संख्यक वर्ग के बालिकाओं के नामांकन पर विचार। 2. अनु0जाति एवं जनजाति के बालिकाओं के नामांकन पर विचार। 3. अति पिछड़ा वर्ग के बालिकाओं के नामांकन पर विचार। 4. अध्यापकों के उपलब्धता पर विचार।
10.	ब्लाक स्तर	10.12.01	प्रा0 वि0 खड्डा विकास क्षेत्र खड्डा	अधिकारी–1 प्रधान–4 समन्वयक (BRC)-1 समन्वयक (NPRC) - 6 ग्रामीण–21 अभिभावक–35 अध्यापक–13 कुल – 77	1. जंगल क्षेत्र में स्थित गांवों के बच्चों के शिक्षण व्यवस्था पर विचार। 2. विद्यालय की उपलब्धता पर विचार। 3. अध्यापकों की कमी पर विचार।
11.	ब्लाक स्तर	11.12.01	प्रा0 वि0 रामकोला विकास क्षेत्र रामकोला	अधिकारी–1 अन्य विभाग–4 जनप्रतिनिधि–3 समन्वयक (BRC)-1 समन्वयक (NPRC) - 6	1. विद्यालयों की उपलब्धता पर विचार। 2. अध्यापकों की कमी पर विचार। 3. छात्रवृत्ति के वितरण पर विचार।

				अभिभावक–13 अध्यापक–11 कुल – 39	
12.	ब्लाक स्तर	7.12.01	प्रा0वि0 पैकौली विकास क्षेत्र मोतीचक	अधिकारी–1 प्रधान–6 ग्रामशिक्षा समिति–4 समन्वयक (BRC)-1 समन्वयक (NPRC) - 6 ग्रामीण–23 अभिभावक–13 अध्यापक–15 कुल – 69	1. गरीब छात्रों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक पर विचार। 2. कामकाजी बच्चों के नामांकन पर विचार। 3. पोषाहार के वितरण एवं उपलब्धता पर विचार।

क0 सं0	ब्लाक स्तर/ ग्राम स्तर	तिथि	स्थान	प्रतिभागियों का विवरण एवं संख्या	बैठक/विचार विमर्श में जो विन्दु उभरें उनका संक्षिप्त विवरण
1	ग्राम स्तर	23.11.01	ग्राम वनचरा विकास खण्ड सुकरौली	अधिकारी–1, प्रधान–1, बहुद्देश्यीय कर्मी–1 उपप्रधान–1 सदस्य–8 अभिभावक–10 नागरिक–25 कुल –51	1–बिना भेद भाव के बालिकाओं के शिक्षा पर बल 2–समाज में महिलाओं को बराबरी का दर्जा देने की आवश्यकता । 3–बालिकाओं का विद्यालय में नामांकन एवं ठहराव पर बल 4– बालिकाओ का शाला त्याग दर कम करना
2	विद्यालय स्तर	24.11.01	प्रा0 वि0 पैकोली विकास खण्ड मोतीचक	अधिकारी–1, प्रधान–1, बी0आर0सी0 समन्वयक –1 एन0पी0आर0सी0 समन्वयक –10 ग्राम शिक्षा समिति सदस्य–8 अध्यापक – 4 ग्रामप्रधान–1 उपग्रामप्रधान–1 अभिभावक–15 कुल –46	1–जनजाति वर्ग में शिक्षा के प्रति जागरूकता को विकसित करना 2– शिक्षा से अन्ध विश्वास से दूर करना 3–बालिकाओं के शिक्षा के प्रति उदासीनता को दूर करना 4– शत प्रतिशत नामांकन कराना
3	ग्राम स्तर	26.11.01	सिधुआं स्थान विकास खण्ड पडरौना	अधिकारी–1, प्रधान–1, पंचायत के सदस्य –6 उपप्रधान–1	1–अपवंचित वर्ग में बालक/बालिकाओं की शिक्षा पर बल दिये जाने की आवश्यकता 2–सामाजिक रूढ़ियों, अंधविश्वास, प्रगति में बाधक हैं शिक्षा से ही इन्हे दूर किया जाता है। 3–गुणवत्तापरक शिक्षा

				अध्यापक–4 अभिभावक–23 कुल –36	
4–	विद्यालय स्तर	03.12.01	प्रा0वि0 दुदही विकास क्षेत्र दुदही	अधिकारी–1, प्रधान–1, बी0आर0सी0 सहसमन्वयक –1 एन0पी0आर0सी0 समन्वयक –6 अभिभावक–25 कुल –47	1–अल्प संख्यक वर्ग में शिक्षा क सभी साधनों के बावजूद शिक्षा ग्रहण करने में उत्साह कीकमी को दूर करना 2– अभिभावक बालिकाओ का नामांकन विद्यालय में अवश्य कराएं 3शिक्षा के साथ–साथ कार्यानुभव सम्बन्धी कौशल सिखाना तथा उसे विकसित करना 4– लिंग भेद समाप्त करना

क्र0 सं0	ब्लाक स्तर/ग्राम स्तर	तिथि	स्थान	प्रतिभागियों का विवरण एवं संख्या	ब्ठक /विचार विमर्श में जो विन्दु उभरें उनका संक्षिप्त विवरण
5	विद्यालय स्तर	24.11.01	प्रा0वि0 दुदही विकास क्षेत्र दुदही	ए0बी0एस0ए0–1 प्रधान–1, ग्राम शिक्षा समिति–4 उपप्रधान–1 ग्रामवासी–15 अभिभावक–46 समन्वयक एन0पी0आर0 सी011 कुल –72	1–वालक वालिकाओं के लिए शिक्षा व्यवस्था पर विचार 2–अपवंचित वर्ग एवं अनुसूचित जाति के वच्चों के नामांकन पर विचार 3–वालिका शिक्षा हेतु उनके शत प्रतिशत नामांकन पर विचार
6	व्लाक स्तर	27.11.01	प्रा0वि0 तमकुही विकास क्षेत्र तमकुही	प्र0उ0वि0नि0–1 जि0पं0सदस्य–2 समन्वयक बी0आर0सी0–1 एन0पी0आर0 सी0–7 अधिकारी–1 अध्यापक–45 नागरिक–43 अभिभवक–35 कुल–134	1–शिक्षा में गुणवत्ता परक सुधार पर विचार 2–जिन बस्तियों में विलय नही है वहॉ के वच्चों के लिए नए विद्यालय/वैकल्पिक शिक्षा शिखा केन्द्र खोलना 3– अल्प संख्यक बस्तियों शिक्षा की व्यवस्था पर विचार 4–बाढग्रस्त इलाकों में शिक्षा की व्यवस्था पर विचार 5–ईट भट्टा पर कार्य वाले वाल श्रमिकों के लिए वैकल्पिक शिखा की व्यवस्था करना 6–वन गांव में रहने वाले वच्चों की शिक्षा पर विचार
7	ग्राम स्तर	28.11.01	प्रा0वि0 साहबगंज	प्र0उ0वि0नि0–1 समन्वयक	1 आर्थिक एवं सामाजिक पिछड़ेपन को शिक्षा के माध्यम से दूर करने पर विचार

			विकास क्षेत्र सेवरही	बी0आर0सी0–1 समन्वयक बी0आर0सी0–6 प्रधान–1 नागरिक–6 कुल–38	2 वच्चों के स्कूल में ठहराव पर विचार 3 भैगोलिक कठिनाई के कारण (जैसे नदी नाले जंगल)शिक्षा में अवरोध पर विचार
8	ग्राम स्तर	29.11.01	प्रा0वि0 सुधियानी विकास क्षेत्र कप्तानगंज	ए0बी0एस0ए0–1 प्रधान–1, उपप्रधान–1 ग्रामवासी–8 अभिभावक–15 समन्वयक 1 एन0पी0आर0 सी0 5 कुल –32	1 विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षा–कक्ष के अभाव फर्नीचर आदि पर विचार 2 शौचालय एवं चाहरदीवारी आदि की कमा पर विचार

क0 सं0	ब्लाक स्तर/ग्राम स्तर	तिथि	स्थान	प्रतिभागियों का विवरण एवं संख्या	ब्ठक /विचार विमर्श में जो विन्दु उभरें उनका संक्षिप्त विवरण
9	न्याय पंचायत स्तर	27.11.01	प्रा0वि0 सुधियानी विकास क्षेत्र कप्तानगंज	ए0बी0एस0ए0–1 प्रधान–3, ग्राम शिक्षा समिति–4 उपप्रधान–4 ग्रामवासी–23 अभिभावक–16 समन्वयक 1 एन0पी0आर0 सी0 7 कुल –69	1 शिक्षा के प्रति वच्चों के अभिभावक के जागरुकता पर विचार 2 वच्चों के माता व शिक्षक संगठन पर विचार 3 शिक्षक का व्यवहार कुशलता पर विचार 4 बालिकाओं के नामांकन पर विचार
10	ग्राम स्तर	19.11.01	प्रा0वि0 रामकोला विकास क्षेत्र रामकोला	अधिकारी–1 प्रधान–3, पंचायत 2 उपप्रधान–4 अभिभावक–16 समन्वयक 1 नागरिक 11 एन0पी0आर0 सी0 6 कुल –38	1 गरीबी के कारण छात्रों के पास पाठ्य पुस्तकों का कमी पर विचार 2 अध्यापकों का मानक के अनुसार संख्या में उपलब्धता पर विचार 3 विद्यालय का वातावरण आकर्षक बनाने पर विचार 4 अध्यापक से अन्य विभागों के कार्य कम कराने पर विचार
11	ग्राम स्तर	28.11.01	प्रा0वि0 खड्डा विकास क्षेत्र खड्डा	ए0बी0एस0ए0–1 प्रधान–1 पंचायत सदस्य2 अभिभावक13 ग्रामवासी–8	1 विद्यालय में छात्रों के ठहराव पर विचार 2 अध्यापक के शिक्षण कार्य में अरुचि पर विचार 3 विद्यालय वातावरण आकर्षक बनाने पर

				अध्यापक–3 समन्वयक 1 एन0पी0आर0 सी04 कुल –33	विचार
12	विद्यालय स्तर	26.11.01	प्रा0वि0 कुशीनगर विकास क्षेत्र कसया	ए0बी0एस0ए0–1 अध्यापक 11 जन प्रतिनिधि–4 नागरिक–36 अभिभावक–35 समन्वयक एन0पी0आर0 सी0 6 कुल –72	1–अध्यापक/ अभिभावकों एवं छात्रों में सामंजस्य पर विचार 2– अभिभावकों के सहभगिता पर विचार 3–सकिय सामातिक सह भगिता पर विचार

क0 सं0	ब्लाक स्तर/ग्राम स्तर	तिथि	स्थान	प्रतिभागियों का विवरण एवं संख्या	बैठक /विचार विमर्श में जो विन्दु उभरें उनका संक्षिप्त विवरण
13	ग्राम स्तर	29.11.01	प्रा0वि0 मशाछापर विकास क्षेत्र खड्डा	ए0बी0एस0ए0–1 प्रधान–1, नागरिक–14 अध्यापक–3 समन्वयक 1 एन0पी0आर0 सी04 कुल –33	1 विकलांग वच्चों के शिक्षा पर विचार 2 वाल श्रमिकों के अभिभावकों में शिक्षा के प्रति जागरुकता पर विचार अरुचि पर विचार 3 विद्यालय वातावरण आकर्षक बनाने पर विचार 4 गुणवत्ता परक शिक्षा पर विचार

प्रारम्भिक शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न एजेन्सीज /विभागों से समन्वय व सहयोग

प्रारम्भिक शिक्षा के विकास व उन्नयन हेतु निम्नांकित विभागों से सुनियोजित ढंग से सहयोग व समन्वय।

अ–आई0सी0डी0एस0 के साथ समन्वय

जिला कार्यकम अधिकारी व समन्वयक बालिका शिक्षा , स्वास्थ्य कर्मी , एन0जी0ओ0 आदि को सम्मिलित कर जिला संदर्भ समूह तथ विकास खण्ड संदर्भ समूह का गठन किया जाता है और आई0सी0डी0एस0 के साथ समन्वय स्थापित किया जाता है:–

1–आंगनबाड़ी केन्द्रों का समय स्कूलों के ामय के अनुसार निर्धारित किया जाता है।

2–आंगनबाड़ी केन्द्रों को विद्याालय प्रांगण या उसके निकट स्थापित किया जाता है।

3–आंगनबाड़ी केन्द्रें को शिक्षण सहायक सामग्री उपलब्ध करायी जाती है।

4–केन्दों केसुदृढ़ीकरण हेतु प्रशिक्षण कराया जाता है।

5–केन्द्रों के संचालन हेतु आनुपालिक ढंग से अतिरिक्त मानदेय दिया जाता है।

ब–स्वास्थ्य विभाग के साथ समन्वय

स्वास्थ्य विभाग के साथ समन्वय स्थापित करके प्रत्येक वर्ष परिषदीय विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं का स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाता है, जिससे चिन्हित रोगी छात्र–छात्राओं के उपचार हेतु उनके अभिभावकों को अवगत कराया जा सकेतथ बच्चों के स्वास्थ्य की समुचित देखभाल हो सके ।स्वास्थ्य कार्ड का रख रखाव विद्यालय स्तर पर किया जाता है। स्वास्थ्य परीक्षण हेतु राजकीय चिकित्सक अथवा पंजीकृत चिकित्सकों की सेवाएं ली जाती हैं।चिकित्सको के आने जाने की व्यवस्था विभाग से की जाती है।

स–समाज कल्याण विभाग से समन्वय

समाज कल्याणविभाग के सहयोग से प्रा0वि0 व उच्च प्रा0 विद्यालयों के अन0 जाति के सभी बच्चों को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करने हेतु कमशः 300/–व 480/–प्रति छात्र की दर से प्रति वर्ष छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

द–ग्राम पंचायतों से समन्वय

असेवित क्षेत्रों में नवीन विद्यालयों की स्थापना हेतु ग्राम पंचायतों के सहयोग से ग्राम पंचायत भूमि प्रबंधक समितियों द्वारा निःशुल्क भूमि उपलब्ध करायी जाती है,जहां पर विद्यालयों का निर्माण कराया जा सके।

य–खाद्य एवं आपूर्ति विभाग से समन्वय

खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के समन्वय एवं सहयोग से प्रत्येक विद्यालय में 80 प्रतिशत मासिक उपस्थिति वाले प्रत्येक छात्र –छत्रा को 3 किलोग्राम प्रति छात्र की दर से पोषाहार योजनान्तर्गत खाद्यान वितरित कराया जाता है।

र–विकलांग कल्याण विभाग से समन्वय

विकलांग कल्याण विभाग के सहयोग से विकलांग छात्र छात्राओं को उपकरण 'टायसाइकल ,बैसाखी आदि'उपलब्ध कराने हेतु सहयोग प्राप्त किया जाता हे।बच्चों के चिन्हीकरण में सहयोग प्राप्त होता है। शासन द्वारा यह आदेश भी जारी किये गये हैं कि विकलांगों के सहायतार्थ उपकरणों /संयंत्रों के वितरण में छात्र छात्राओं को प्राथमिकता दी जाये।

ल–उ0 प्र0 जल निगम/यू0 पी0 एग्रो से समन्वय

इन दानों विभागों के सहयोग से प्राथमिक व उच्च प्राथमिक वि?ालयों में छात्र छात्राओं के लिए पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने हेतु हैण्डपम्पों की स्थापना की जाती है।

व–युवा कल्याण विभाग से समन्वय

युवा कल्याण विभाग से समन्पय स्थापित कर छात्रों की क्रीड़ा प्रतियोगिता सम्पादित करायी जाती है जिससे उनमें खेल भावना का विकास नेहरू युवा केन्द्रो तथा मंगल दल के

कार्यकर्ताओं के सहयोग से छात्र नामांकन में वृद्धि हेतु कार्यक्रम चलाये जाते हैं।शिक्षा के क्षेत्र में ग्राम शिक्षा समितियों व स्थानीय समुदाय की सामुदायिक सहभागिता विकसित की जाती है।

श–पिछडत्रा वर्ग कल्याण एवं अलपसंख्यक कल्याण विभाग से समन्वय

इन दोनों विभागों से समन्वयस्थापित कर पिछडत्री जाति एवं अल्पसंख्यक बच्चों को 300/–प्रति छात्र प्रति वर्ष की दर से छात्रवृत्ति वितरित करायी जाती है ताकि इन छात्रों को गणवेश एवं आवश्यक पठन सामग्री उपलब्ध हो सके।

ष–जिला ग्राम्य विकास अभिकरण विभाग से समन्वय

शिक्षा के उन्नयन हेतु जिला ग्राम्य विकास अभिकरण डी0आर0डी0ए0 से समन्वय स्थापित कर विद्यालय भवनों के निर्माण हेतु 40 प्रतिशत धनराशि शिक्षा विभाग से प्राप्त होने के उपरान्त शेष 60 प्रतिशत धनराशि ग्राम्य विकास विभाग से प्राप्त कर विद्यालय भवनों का निर्माण कराया जाता है जिससे अधिक से अधिक विद्यालयों को आच्छादित किया जा सके।

स–स्वैच्छिक संगठनों से समन्वय

स्वैच्छिक संगठनों के सहयोग से बच्चों के शत प्रतिशत नामांकन के लक्ष्य को पूर्ण किया जा सके तथा लिंग में नामांकन के अन्तर को कम किया जा सके ।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत उपरोक्त सभी विभागों से समन्वय स्थापित कर सहयोग प्राप्त किया जाना है उपर्युक्त विभागों के साथ पूर्व से ही कन्वर्जेन्स स्थापित है जिसे और अधिक गति देने की आवश्यकता है।

—*—

अध्याय 4

सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्य एवं लक्ष्य

भारत सरकार द्वारा कक्षा 1–8 तक की प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वजनीकरण हेतु राज्यों में 'सर्व शिक्षा अभियान संचालित करने का निर्णय लिया गया है। सर्व शिक्षा अभियान केन्द्र पुरोनिधानित योजना के रुप में चलाया जायेगा। नवीं पंचवर्षीय योजनाकी अवधि तक केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार के मध्य अशंदान का प्रतिशत 85:15, दशम् पंचवर्षीय योजना में अशंदान का प्रतिशत 75:25 तथा उसके आगे की अवधि के लिए केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार के मध्य अशंदान का प्रतिशत 50:50 रहेगा।

अप्रैल 2001 में सेनेगल के डकार शहर में सम्पन्न हेए सम्मेलन का प्रारभिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के संबन्ध में ऐतिहासिक महत्व है जिसमें विश्व शिक्षा मंच के प्रतिनिधियों ने सभी के लिए शिक्षा के लक्ष्य के प्रति अति बचनबद्धता व्यक्त करते हेए इसे प्रत्येक व्यक्ति व हर समाज तक पहुँचाने का संकल्प लिया और शिक्षा मानव का मूल अधिकार माना गया। यह देशों के मध्य शान्ति विकास की कुंजी है।इकीसवी शताब्दी में जहॉ हम तेजी से वैश्वीकरण की तरफ बढ़ रहा है। अर्थ व्यवस्था में विभिन्न समाजों के प्रभावशाली भागीदारी

सुनिश्चित करने की शिक्षा अनिवार्य साधन है। अतः हम ज्यादा देर तक इसे स्थगित नही कर सकते है।

डकार सम्मेलन में विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों द्वारा जिन आधारभूत शिक्षण आवश्यकताओं को अति आवश्यक समझते हुए उनके प्रति सामुहिक वचन वद्धता की गयी अधोलिखित है–

- प्रारभिक शिशु देखा–भाल एवं शिक्षा का व्यापक प्रसार एवं सुधार विशेषकर असहाय एवं उपेक्षित बच्चों का।
- 2015 तक सभी बच्चों विशेष कर बालिकाओं जो कठिन परिस्थितियों और अल्पसंख्यक समुदायों से संबन्धित है की पहुँच शिक्षा तक बनाकर उनकी पूर्ण रुपेण निःशुल्क एवं गुणवत्ता परक अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा सुनिश्चित करना।
- समान पहुँच एवं पर्याप्त सीखने एवं जीवन के कौशल संबन्धी कार्यकमों के माध्यम से बच्चों तथा वयस्कों की सीखने की आवश्यकताओं की पूर्ति सुनिश्चित करना।
- 2015 तक वयस्क साक्षरता विशेषकर महिला साक्षरता स्तर में 50 प्रतिशत सुधार करना और उनके समान पहुँच एवं शिक्षा की निरन्तरता को बनाये रखने में।
- बालिकाओं की गुणवत्तापरक प्राथमिक शिक्षा में पूर्ण एवं समान पहुँच के माध्म से प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा में लिंग असमानताओं को समाप्त कर 2015 तक सम्पूर्ण शिक्षा में लिंग समानता प्राप्त करना।

❖ शिक्षा की गुणवत्ता के सभी पहलुओं में सुधार एवं उत्कृष्ठता सुनिश्चित करना जिससे कि सभी के द्वारा विशेषकर भाषायी, गणितीय और आवश्यक जीवन कौशलों के आकलन योग्य शैक्षिक निष्कर्षो की संप्राप्ति हो सके।

डकार सम्मेलन में व्यक्त की गयी वचनबद्धताओं के आलोक में प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण को पूर्ण रूपेण फलीभूत करने हेतु भारत सरकार सर्व शिक्षा अभियान के व्यापक लक्ष्य निर्धारित किये गये है जो अधोलिखित है।

- वर्ष 2003 तक सभी बच्चो का विद्यालय, शिक्षा गारण्टी केन्द्र, वैकल्पिक स्कूल, बैक टू स्कूल शिविर आदि के माध्यम से शत–प्रतिशत नामांकन ।
- वर्ष 2007 तक समस्त बच्चों द्वारा कक्षा 5 तक की प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण कर लेना ।
- वर्ष 2010 तक समस्त बच्चों द्वारा कक्षा 8 तक की प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण कर लेना ।
- गुणवत्ता परक प्रारम्भिक शिक्षा प्रदान करना।
- बालक बालिका तथा समाज के विभिन्न वर्गो के मध्य वर्ष 2007 तक प्राथमिक स्तर पर तथा 2010 तक उच्च प्राथमिक स्तर पर नामांकन, ठहराव व सम्प्राप्ति में अन्तर समाप्त करना ।
- वर्ष 2010 तक सार्वभैामिक ठहराव।

उपरोक्त अंकित राष्ट्रीय लक्ष्यों को जनपद के लिए भी लक्ष्य मान लिया गया है। उक्त सामान्य लक्ष्यों के साथ ही जनपद के लिए विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित किये गये है जिनका उल्लेख अग्रलिखित है–

नामांकन लक्ष्य:–

बाल संख्या नामांकन प्रोजेक्शन हेतु अपनायी गयी विधा:–

जनगणना 2001 का जनपदीय आंकड़ा प्राप्त होने के कारण जनगणना 2001 के आंकड़ों को आधार मानते हुए विगत 10 वर्षे में जनसंख्या में हुयी वृद्धि के आधार पर नीपा, नई दिल्ली के माड्यूल में वर्णित 'कम्पाउन्ड रेट आफ ग्रोथ मेथड' से जनपद की वार्षिक वृद्धि दर 2.8 ज्ञात की गयी है। इसी वृद्धि दर को आधार मानते हुए वर्ष 2002 से 2010 तक प्रत्येक वर्ष की जनपद की कुल जनसंख्या प्रक्षेपित की गयी है।

जनगणना 2001 की आयु वर्ग वार जनसंख्या के आकड़े उपलब्ध न होने के कारण जनगणना 1991 आयु वर्ग वार जनसंख्या के प्रतिशत को आधार मानते हुए वर्ष 2001 की जनसंख्या में 6–11 वर्ष की बाल संख्या ज्ञात करने के लिए 14.9 प्रतिशत तथा 11–14 वर्ष की बालसंख्या ज्ञात करने के लिए 6.2 प्रतिशत का अनुपात प्रयुक्त किया गया है। वर्ष 2001 की जनगणना की विभिन्न आयु वर्ग की जनसंख्या के विशिष्ट आंकड़ें उपलब्ध होने पर इन आंकड़ों का पुनरावलोकन आगामी वार्षिक योजनाओं में किया जा सकता है।

नामांकन के प्रोजेक्शन हेतु वर्तमान प्रक्षेपित बालसंख्या के आधार पर प्रक्षेपित वर्तमान जी0ई0आर0 76.73 प्राथमिक स्तर एवं 63.68 उच्च प्राथमिक स्तर को आधार मानते हुए नीपा,

नई दिल्ली द्वारा इनरोलमेन्ट रेशियों मेथड से २००२ से २०१० तक का जी०ई० आर० प्रक्षेपित किया गया है। वर्ष विशेष के लिए प्रक्षेपित जी०ई०आर० तथा प्रक्षेपित बाल संख्या से उस वर्ष के लिए नामांकन प्रक्षेपित किया गया है। प्राथमिक स्तर को ;६–११ द्व के लिए वर्ष २००३ तक तथा उच्च प्राथमिक स्तर ;११–१४ द्वके लिए वर्ष २००७ तक शत–प्रतिशत नामांकन लक्ष्य रखा गया है। चूँकि कुल नामांकन में कुल अधिक आयु तथा कुछ कम आयु के बच्चें भी होगें । अतः जी०ई०आर० का लक्ष्य १०० से अधिक रखा गया है। यह भी उल्लेखनीय है कि प्राथमिक स्तर पर वर्ष २००३ के बाद तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर वर्ष २००७ के बाद जी०ई०आर० में वृद्धि कम होगी क्योंकि जितने बच्चें ६–११ वर्ष व ११–१४ वर्ष में बढ़ेगें लगभग उतने ही नामांकन में बढ़ेगें। प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर २००१–२०१० तक नामांकन के लक्ष्य शिक्षकों की आवश्यकता तथा कक्षा–कक्षो की आवश्यकता का प्रक्षेपण अग्रलिखित तालिकाओं में किया गया है–

सारणी ४.१
प्राथमिक विद्यालय जनपद – कुशीनगर

कमांक	शैक्षिक सत्र	६–११ वय वर्ग के कुल बच्चों की संख्या	कुल नामांकित बच्चों की संख्या	मान्यता / गैर मान्यता प्राप्त वि० में नामांकित बच्चों की संख्या	परिषदीय प्रा० विद्यालयों में नामांकित बच्चों की संख्या	विद्यालय से अर्थात विद्यालय न जाने वाले बच्चों की संख्या	सकल नामांकन अनुपात क्रम	बालिका + अनुसूचित जाति बालकों की संख्या
१	२	३	४	५	६	७	८	९
१	२००१–०२	४७६६४३	४०६६१३	१७२६८६	२३६६२४	६६७३०	८६.१००००००४२	१८०२८१
२	२००२–०३	४८६५१३	४२६७३७	१८०४६७	२४६२४०	६२७७६	८७.०१७५८२५८	१८५०५४
३	२००३–०४	५०२७३०	५०२७३०	१९११४१	३११५८६	०	१००	[illegible]
४	२००४–०५	५१६३०३	५६७६३३	२४६८००	३१८१३३	०	११०	२२१५४०
५	२००५–०६	५३०२४३	५८३२६७	२५८१३६	३२५१३१	०	११०	२२८८८६
६	२००६–०७	५४४५६०	५९९०१६	२६६४०७	३३२६०९	०	११०	२३६४६५

सारणी ४.२

उच्च प्राथमिक विद्यालय जनपद – कुशीनगर

क्रमांक	शैक्षिक सत्र	११–१४ वय वर्ग के कुल बच्चों की संख्या	कुल नामांकित बच्चों की संख्या	मान्यता/गैर मान्यता प्राप्त उ०प्रा०वि० में नामांकित बच्चों की संख्या	परिषदीय उ०प्रा० विद्यालयों में नामांकित बच्चों की संख्या	विद्यालय से अर्थात विद्यालय न जाने वाले बच्चों की संख्या	सकल नामांकन अनुपात ळम्त	बालिका + अनुसूचित जाति बालकों की संख्या
१	२	३	४	५	६	७	८	९
१	२००१–०२	२११५३६	१४५६६१	१२२५४२	२३४१९	६५५७८	६६	१५१४०
२	२००२–०३	२१७२५१	१८६६३५	१४६५४८	३७३८७	३०३१६	८६	२०१७०
३	२००३–०४	२२३११७	२११६६१	१५८६७०	५२६६१	१११५६	६५	२२७०८
४	२००४–०५	२२६१४१	२४०५६८	१६८४१८	७२१८०	०	१०५	३४७६८
५	२००५–०६	२३५३२७	२५८८५६	१६८२५८	६०६०१	०	११०	४६३८०
६	२००६–०७	२४१६८०	२६५८४८	१५६५०८	१०६३४०	०	११०	५६१६१

प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों का वर्तमान स्थिति एवं आगामी वर्षो में शिक्षकों की आवश्यकता

<u>जनपद–कुशीनगर</u>

सारणी ४.३

क्रमांक	शैक्षिक सत्र	परिषदीय विद्यालयों में नामांकित बच्चे	वर्तमान शिक्षक (स्वीकृत)	वर्तमान शिक्षामित्र	योग ४+५	४०:१ दर	आवश्यक शिक्षक
१	२	३	४	५	६	७	८
१	२००३–०४	३११५८६	४१७३	२२३०	६४०४	७७८६	१३८६
२	२००४–०५	३१८१३३	४८६६	२६२३	७७८६	७६५३	१६४
३	२००५–०६	३२५१३१	४६४८	३००५	७६५३	८१२८	१७५
४	२००६–०७	३३२६०६	५०३५	३०६३	८१२८	८३१५	१८७

प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों का वर्तमान स्थिति एवं आगामी वर्षों में शिक्षकों की आवश्यकता

जनपद–कुशीनगर सारणी ४.४

कमांक	शैक्षिक सत्र	कुल आवश्यकता	नवीन प्रा० विद्यालयों के शिक्षक ;प्र०अ० + शिक्षामित्रद्ध	अन्य शिक्षक	अन्य शिक्षा मित्र	कमागत शिक्षक	कमागत शिक्षा मित्र
१	२	३	४	५	६	७	८
१	२००३–०४	१३८६	०	६६३	६६३	०	०
२	२००४–०५	१६४	०	८२	८२	७७५	७७५
३	२००५–०६	१७५	०	८७	८८	८५७	८५७
४	२००६–०७	१८७	०	६३	६४	६४४	६४५

प्राथमिक विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षा–कक्षों की आवश्यकता

जनपद–कुशीनगर सारणी ४.५

कमांक	शैक्षिक सत्र	कुल परिषदीय विद्यालय	नवीन विद्यालय	१:३ की दर से कक्षा–कक्षों की आवश्यकता	वर्तमान कक्षा–कक्ष	आवश्यक कक्षा–कक्ष
१	२	३	४	५	६	७
३	२००३–०४	१३८६	६८	४३७१	३२३१	११४०
४	२००४–०५	१४५७	०	४३७१	३६३१	७४०
५	२००५–०६	१४५७	०	४३७१	४०३१	३४०
६	२००६–०७	१४५७	०	४३७१	४३७१	०

उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों का वर्तमान स्थिति एवं आगामी वर्षो में शिक्षकों की आवश्यकता

जनपद–कुशीनगर सारणी ४.६

कमांक	शैक्षिक सत्र	कुल परिषदीय विद्यालय	नवीन विद्यालय	१:३ की दर से शिक्षकों की आवश्यकता	वर्तमान शिक्षक संख्या	आवश्यक शिक्षक
१	२	३	४	५	६	७
१	२००३–०४	२११	११३	६७२	६७२	०
२	२००४–०५	३२४	०	६७२	६७२	०
३	२००५–०६	३२४	०	६७२	६७२	०
४	२००६–०७	३२४	०	६७२	६७२	०

उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा–कक्ष का वर्तमान स्थिति एवं आगामी वर्षो में कक्षा--कक्षों की आवश्यकता

जनपद–कुशीनगर सारणी ४.७

कमांक	शैक्षिक सत्र	कुल परिषदीय विद्यालय	नवीन विद्यालय	१:५ की दर से कक्षा–कक्षो की आवश्यकता	वर्तमान कक्षा–कक्ष	आवश्यक कक्षा–कक्ष
१	२	३	४	५	६	७
३	२००३–०४	२११	११३	१६२०	१२२४	३६६
४	२००४–०५	३२४	०	१६२०	१३७४	२४६
५	२००५–०६	३२४	०	१६२०	१५२४	६६
६	२००६–०७	३२४	०	१६२०	१६२०	०

16	छात्रो की गणवेशों को उपेक्षित करना	गणवेश के अभाव में विद्यालय परिवेश का अनुकूलन सम्भव नहीं है, साथ ही सामाजिक एकरुपता एवं विशिष्ट छवि का अभाव बना रहता है।प्रतिस्पर्धा में व्यक्तिगत /नर्सरी विद्यालयों के छात्रों का वाह्य व्यक्तित्व अधिक मुखर लगने से अभिभावक अनायास ही परिषदीय विद्यालयों से उदासीन हो जाते हैं अतः स्वच्छ गणवेश छात्र के वाह्य व्यक्तित्व को और अधिक मुखरित होगां।
17	अध्यापक अभिभावकों एवं छात्रों में सामंजस्य न होना।	अभिभावकों का निरन्तर अध्यापक से सम्पर्क बना रहे इस हेतु त्रैमासिक अभिभावक सम्मेलन कराया जायेगा। जिसमें अधिकतर महिलाओं /विशेषकर अपवंचित / उपेक्षित बर्ग की भागीदारी सुनिश्चित की जायेगी। इस सम्मेलन में कोटिपरक शिक्षा पर बल दिया जायेगा तथा उनके विचारो/समस्याओ की जानकारी प्राप्त कर निदान कीकार्यवाही कर दी जायेगी। नियमित अभिभावक एवं अध्यापक गोष्ठी की जायेगी जिसमें शिक्षा समिति का विशेष योगदान रहेगा।
18	सतत् मूल्यांकन का अभाव	कोटिपरक शिक्षा के लिए सतत् एवं प्रभावकारी मूल्यांकन अति महत्वपूर्ण है।मूल्यांकन

		मासिक,त्रैमासिक,अर्द्धवार्षिक एवं वार्षिक परीक्षा के रुप में कराया जायेगा।मूल्यांकन के पश्चात कमजोर छात्रों के अभिभावकों से सम्पर्क स्थापित कर निदानात्मक शिक्षण की व्यवस्था अवकाशों में की जायेगी। प्रतिस्पर्धा विकसित करने के लिए प्रथम द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्रों को ग्राम शिक्षा समिति एवं अन्य गणमान्य व्यक्तियों द्वारा पुरस्कृत कराया जायेगा ।
19	शैक्षिक निरीक्षण/ पर्यवेक्षण की कमी	एन0पी0आर0सी0 तथा बी0आर0सी0 के समन्वयक, प्रति उप विद्यायालय निरीक्षक/ सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी, डायट अभिकर्मी एवं शिक्षा अन्य शिक्षा विभाग के अधिकारीयों के द्वारा प्रभावी शिक्षण निरीक्षण पर्यवेक्षण किया जायेगा। निम्न श्रेणी के विद्यालयों को उच्च श्रेणी में लाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिये जायेगें।
20	सकिय समाज सहभागिता का अभाव	अभिभावकों/ ग्रामवासियों में यह सोच विकसित हो सके कि यह विद्यालय हमारा है विद्यालय में अच्छी पढ़ाई हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा और इसी से आने वाले समय में गॉव की प्रगति हो सकेगी। इस कार्य में ग्राम शिक्षा समिति का सहयोग लिया जायेगा।

		ग्राम पंचायतें विद्यालयों का सतत् मूल्याकंन करेगी साथ–साथपर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण करेगी। माइक्रोप्लानिग एवं गुणवत्ता परक शिक्षा हेतु गॉव के जानकार लोगों की सहायता ली जायेगी। विद्यालय परिवेश में सुधार हेतु गणवेश स्वच्छता अनुशासनविद्यालय की बागवानी एवं साज–सज्जा की सकिय सहभाकगिता ली जायेगी। अध्यापक के अभाव में गॉव के पढ़े लिखे लोगों की मदद इली जीयेगी। उन्हें व्यवस्था देखने हेतु गुणवत्ता के अनुभ्वण हेतु विद्यालय में आमंत्रित किया जायेगा। गरीब बच्चों की गणवेश सेट कापी पेन्सिल तथा प्रतिभावान बच्चों को पुरस्कार हेतु समुदाय को प्रेरित किया जायेगा।
21	विशेष आवश्यकता वाले अथवा विकलांग बच्चों की शिक्षण की व्यवस्था	विकलांग बच्चों का सर्वे कराकर बस्तीवार सूचना ली जायेगी मुख्य विकास अण्धिकारी के माध्यम से ए0डी0पी0आई0 को बच्चों उपकरण कराने हेतु प्रस्ताव भेजना सुनिश्चित की जायेगी। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के प्रति अध्यापक को संवेदनशील बनाने का प्रायास किया जायेगा।
22	बाल श्रमिक तथा अभिभावकों में	6–14 वय वर्ग के बच्चों तथा उनके अभिभावकों को

	शिक्षा के प्रति जागरुकता का अभाव •	शिक्षा के महत्व को जानकारी देकर शिक्षा के प्रति जागरुक बनाया जाय जिसे बच्चों में व्यवसाय में न जाकर विद्यालय में प्रवेश ले तथा शिक्षा पूर्ण करे। श्रम विभाग सर्वेक्षण कार्य द्वारा संचालित विद्यालय के अध्यापको का प्रशिक्षण पाठ्य क्रम आदि प्राप्त कर उनके प्रोत्साहन हेतु शिक्षा अपेक्षित सहयोग श्रम विभाग को उपलब्ध कराकर बच्चों को मुख्य धारा से उनकी योग्यता की परीक्षणोपरान्त जोड़ा जायेगा।

उपरोक्त समस्याओं के अतिरिक्त जनपद के भविष्य में आने वाली शिक्षा संबन्धी समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए रणनीति बनायी जायेगी।

---*---

अध्याय 6
शिक्षा में पहुँच का विस्तार (1)

प्राथमिक स्तर पर नवीन प्राथमिक विद्यालय की आवश्यकता

जनपद कुशीनगर में वर्तमान सर्वेक्षण के अनुसार 300 से अधिक आबादी वाली 155 असेवित बस्तियॉ हैं जहॉ पर प्राथमिक विद्यालय की स्थापना राजकीय मानक के अनुसार किया जाना आवश्यक है। सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत इनकी स्थापना निम्नलिखित विवरणानुसार करायी जायेगी –

YEAR	2002-2003	2003-2004
New Primary School Unserved	0	68

उच्च प्राथमिक स्तर पर नवीन विद्यालय

प्रति दो प्राथमिक विद्यालय पर एक उच्च प्राथमिक विद्यालय की स्थापना राजकीय मानक के अनुसार होनी चाहिए। वर्तमान आकड़ों के अनुसार जनपद में कुल 163 उच्च प्राथमिक विद्यालय है। जनपद में 133 असेवित ग्राम जिनकी आबादी 800 से अधिक है तथा ये ग्राम उच्च प्राथमिक विद्यालयों से 3.00 किमी0 से अधिक दूरी पर है। यहॉ के बड़ी बच्चियों को उच्च प्राथमिक विद्यालयों पर शिक्षा प्राप्ति के लिए जाने में कठिनाईयॉ

होती है जिसके कारण ये शिक्षा बीच में छोड देती हैं। अतः उपरोक्त 133 ग्रामों में उच्च प्राथमिक विद्यालय खोला जाना अत्यन्त आवश्यक है।

इस प्रकार अग्रलिखित विवरण के अनुसार जनपद में सर्व शिक्षा अभियान योजना में कुल 133 उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना प्रस्तावित है। इन विद्यालयों की स्थापना के पश्चात् जनपद के असेवित ग्राम उच्च प्राथमिक विद्यालयों से स्वतः सेवित हो जायेगें। इनकी स्थापना का वर्षवार विवरण निम्नवत है।

YEAR	2002-2003	2003-2004	2004-2005	2005-2006
New Upper Primary Schools	20	113	0	0

शिक्षक व्यवस्थाः—

प्रत्येक नवीन प्राथमिक विद्यालय में एक प्रधानाध्यापक तथा एक सहायक अध्यापक की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। जो छात्र संख्या के अनुपात में समयानुसार बढ़ाई जाती रहेगी। नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए एक प्रधानाध्यापक तथा 2 सहायक अध्यापकों यानि कुल 3 अध्यापको की व्यवस्था प्रस्तावित है। जिसमें विज्ञान ,गणित एवं बालिका शिक्षा को प्रभावित करने हेतु 50 प्रतिशत महिला शिक्षक की व्यवस्था की जायेगी।

नवीन प्राथमिक विद्यालय साज–सज्जाः–

प्रत्येक नवीन प्राथमिक विद्यालय को सुसज्जित करने तथा विद्यालयों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु मानक के अनुसार निर्धारित धनराशि(@ रूपया 10000/–) उपलब्ध करायी जायेगी,। इस उपलब्ध धनराशि का उपयोग ग्राम शिक्षा समिति के माध्यम से करायी जायेगा। इस धनराशि से निम्नलिखित सामग्री क्रय किया जायेगा मेज, कुर्सी, टाट पट्टी,,वाल्टी, लोटा, गिलास आलमारी, सन्दूक, श्यामपट्ट,कूड़ादान म्युजिकल इक्यूपिमेन्ट(ढोलक, मजीरा, हारमोनियम) खेल सामग्री, (रिंग ,गेंद ,कूदने की रस्सी,टायर युक्तकूदने की रस्सी) कक्षा शिक्षण सामग्री (गणित किट, विज्ञान किट, मानचित्र,शैक्षिक चार्ट, ग्लोब, शब्दकोष, ज्ञानकोष, खिलौने बौद्धिक खेलकूद के ब्लाक आदि)। उक्त सामग्री ग्राम शिक्षा समिति से करायी जायेगी ,किन्तु ग्रामीण अंचलों में गणित किट, विज्ञान किट सुलभता से उपलब्ध नही हो पाते हैं ,इसलिए इनकी व्यवस्था जनपदीय क्रय समिति से करायी जायेगी।

नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय साज–सज्जाः–

प्रत्येक नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय को सुसज्जित करने तथा विद्यालयों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु मानक के अनुसार निर्धारित धनराशि(@ रूपया 50000/–) ग्राम शिक्षा समिति को उपलब्ध करायी जायेगी,। इस उपलब्ध धनराशि का उपयोग ग्राम शिक्षा समिति के माध्यम से किया जायेगा। इस धनराशि से निम्नलिखित

सामग्री क्रय की जायेगी मेज, कुर्सी, वाल्टी, लोटा गिलास, घण्टा ,कूड़ादान म्युजिकल इक्यूपिमेन्ट(ढोलक, मजीरा, हारमोनियम,बॉसुरी आदि) कीड़ा सामग्री, (फुटबाल ,वालीबाल, स्कीपिंग से हवा भरने का पम्प) कक्षा शिक्षण सामग्री (गणित किट, विज्ञान किट, मानचित्र,शैक्षिक चार्ट, ग्लोब, शब्दकोष, ज्ञानकोष, खिलौने टू इन वन आदि) एवं शिक्षक सहायक सामग्री। उक्त सामग्री ग्राम शिक्षा समिति से करायी जायेगी ।

पेयजल शौचालय एवं चाहरदीवारीः–

नवीन प्राथामिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में स्वच्छ पीने की पानी की व्यवस्था हेतु इण्डिया मार्का–।। हैण्डपम्प लगायें जायेगें। इन विद्यालयों में बालक और बालिकाओं के लिए पृथक–पृथक शौचालय का निर्माण कराया जायेगा। साथ ही इन प्राथमिक विद्यालयों एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों तथा छात्रों की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए साथ ही विद्यालय प्रांगण को सुसज्जित करने के उद्देश्य से चाहरदीवारी निर्माण कराया जायेगा।

निर्माण कार्यदायी संस्थाः–

सामुदायिक सहभागिता एवं विद्यालयों के प्रति स्वामित्व की भावना जागृति करने के उद्देश्य से विद्यालय भवनों के निर्माण का उत्तरदायित्व ग्राम शिक्षा समितियों को सौंपा गया है।

नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना लागत में कमी लाने की व्यवस्था

सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत प्रति दो प्राथमिक विद्यालय पर एक उच्च प्राथमिक विद्यालय की उपलब्धता बनायी गयी है। पूर्व से संचालित प्राथमिक विद्यालयों में आवश्यक भूमि, भवन , हैण्डपम्प, शौचालय आदि यथा संभव उपलब्ध है। सम्यक विचारोपरान्त यह भी निर्णय लिया गया कि आवश्यकतानुसार जिन प्राथमिक विद्यालयों में भूमि उपलब्ध है उन प्राथमिक विद्यालय के प्रांगण में नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय खोले जायेगे। जिससे कि कम लागत पर उनका निर्माण कराया जा सके।

शैक्षिक सुविधाओं की आवश्यकता हेतु सर्वेक्षण:–

प्रथमत: उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना राज्य सरकार द्वारा निर्धारित वस्ती की आबादी एवं दूरी की मानक के अनुसार की जायेगी। बस्ती में छात्र–छात्राओं की उपलब्धता को दृष्टगत रखते हुए जनपद में नवीन उच्च प्राथमिक एवं प्राथमिक विद्यालयों की आवश्यकता एवं विद्यालयों में भौतिक सुविधाओं के आकंलन त्वरित सर्वेक्षण प्रति वर्ष कराया जायेगा जिसके आधार पर आगामी वर्ष के बजट एवं वार्षिक कार्ययोजना में नवीन विद्यालयों तथा भौतिक सुविधाओं की स्थापना का प्रस्ताव सम्मिलित किया जायेगा। इस सर्वेक्षण के लिए रुपये दो लाख का वित्तीय प्राविधान प्रति वर्ष रखा गया है। सर्वेक्षण से प्राप्त आकड़ों का प्रयोग परियोजना के द्वितीय वर्ष से किया जायेगा।

विद्यालय निर्माण कार्य का तकनीकी पर्यर्वेक्षण:–

विद्यालय भवन, शौचालय, आदि का निर्माण कार्य ग्राम शिक्षा समिति द्वारा किये जायेगे। निर्माण कार्य का तकनीकी पर्यर्वेक्षण विकास खण्ड स्तर पर नियुक्त ग्रामीण अभियंत्रण सेवा/लघु सिचाई विभाग के अभियन्ताओं द्वारा किया जायेगा। इस संबन्ध में आवश्यक व्यवस्था दी गई है।

––*––

अध्याय — 7

शिक्षा गारण्टी योजना तथा वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा (EGS / AIE) योजना :—

इस योजना को मुख्य तीन भागों में विभाजित किया गया है—

1. उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित (EGS / AIE) केन्द्र एवं ब्रिज कोर्स ग्रीष्मकालीन शिविरों के माध्यम से योजना का संचालन।
2. स्वैच्छिक संगठनों द्वारा (EGS / AIE) केन्द्रो का संचालन।
3. स्वैच्छिक संगठनों द्वारा नवाचार एवं प्रयोगात्मक परियोजनायें।

आगामी दसवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारंभ से यह योजना प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के लिये संचालित " सर्व शिक्षा अभियान" (SSA) योजना का अंग होगी।

(EGS / AIE) कार्यक्रम का लक्ष्य समूह 06—14 वय वर्ग के बच्चे होंगे। विकलांग बच्चों के लिये यह आयु सीमा 18 वर्ष तक होगी।

इस योजना के अंतर्गत 6—8 वय वर्गो के बच्चों को विशेष प्रयास करके औपचारिक विद्यालयों में पंजीकृत कराया जायेगा अथवा (EGS) योजना के विद्यालयों में प्रवेश दिलाया जायेगा। 8—14 वय वर्ग के बच्चे जो पूर्व में ही विद्यालयों से ड्राप आउट हो चुके है अथवा कभी भी विद्यालय में पंजीकृत नहीं हुये है अथवा (Street Child /Child Labour) या

घुमन्तू बच्चे हो चुके है, के लिये वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा केन्द्रो अथवा बिज कोर्स / ग्रीष्मकालीन शिविरों के माध्यम से शिक्षित कर शिक्षा की मुख्य धारा में औपचारिक विद्यालयों में किसी भी कक्षा में किसी भी समय में, जिसके लिये बच्चे उपयुक्त होंगे, प्रवेश दिलाना ही मुख्य उद्देश्य होगा।

ऐसी असेवित बस्तियों में जहॉ 1.5 किमी0 की परिधि में विद्यालय नहीं है 6–11 वय वर्ग के 30 बच्चों की उपलब्धता पर कक्षा1 और 2 के लिये (EGS) केन्द्र खोले जायेगे। प्रथम चरण में इस क्षेत्र में (EGS) केन्द्र खोला जाना विचाराधीन होगा। वहॉ पर (AIE) केन्द्र खोलने पर संप्रति विचार नही किया जायेगा। क्योंकि सर्वप्रथम यह प्रयास होगा कि प्रत्येक बच्चा औपचारिक विद्यालयों में अथवा (EGS) केन्द्र में प्रवेश लेले। विशेष परिस्थितियों में ही ऐसे स्थानों पर (AIE) केन्द्र खोले जाने पर विचार किया जायेगा।

वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा (AIE) 'कार्यक्रम :—

ड्रापआउट होने के फलस्वरूप तथा अधिक आयु हो जाने के कारण झेंप / मनोवैज्ञानिक दबाव के कारण प्राथमिक शिक्षा से वंचित बच्चे विशेषकर बालिकायें, कामकाजी तथा बाल श्रमिकों को प्राथमिक शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिये वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा केन्द्रों, अल्प कालीन, ग्रीष्मकालीन शिविर तथा दीर्घकालीन शिविरो, ब्रिज कोर्स शिविरों का आयोजन इसके अंतर्गत किया जायेगा। इसके अतिरिक्त मुस्लिम समुदाय द्वारा चलाये जा रहे मक़तबो /मदरसों में बालक/ बालिकाओं को गुणवत्ता परक शिक्षा प्रदान किये जाने के उद्देश्यों से इनके क्षेत्रों में भी (AIE) योजना की व्यवस्था की जायेगी।

मुख्यतः झुग्गी झोपड़ी, मलिन बस्तियों एवं बाल श्रमिकों से आच्छादित स्थलों आदि जहॉ पर 9 – 14 वय वर्ग के ड्रापआउट एवं विद्यालय न जाने वाले कम से कम 20 बच्चे उपलब्ध होंगे वहॉ नवाचार एवं वैकल्पिक शिक्षा केंन्द्र संचालित किये जायेंगे। इन केन्द्रों में बच्चों का प्रवेश किसी भी समय किया जा सकेगा तथा इन केन्द्रों के माध्यम से बच्चें को प्राथमिक शिक्षा की विभिन्न कक्षाओं की पढाई पूर्ण करा कर औपचारिक शिक्षा की प्रमुख धारा के प्राथमिक विद्यालय में उपयुक्त कक्षा में किसी भी समय प्रवेश दिया जा सकेगा।

ब्रिज कोर्स / ग्रीष्मकालीन शिविर :-

सड़क/ प्लेटफार्म, मलिन बस्तियों, दुकानों , घुमन्तू बच्चों, नौकरीपेशा कुलीगिरी करने वाले बच्चों तथा ऐसे बच्चों जिनके अभिभावक जेल में है अथवा बाल श्रमिक / खतरनाक उद्योगों में लगे बच्चें जो 9–14 के है, के लिये ब्रिज कोर्स / ग्रीष्मकालीन शिविर संचालित किये जायेंगे। कोर्स /शिविरों की अवधि आवश्यकतानुसार 4 माह से 18 माह तक की होगी। प्रत्येक ब्रिज कोर्स एवं ग्रीष्मकालीन शिविर में न्यूनतम 50 बच्चे सम्मिलित किये जायेगे तथा ये शिविर आवासीय होंगे जहॉ बच्चों के रहने, खाने–पीने एवं शिक्षण आदि की व्यवस्था निःशुल्क होगी।

ब्रिज कोर्स / शिविर के लिये एक केयर टेकर, दो पैराटीचर, एक कुक (रसोइया) तथा एक चौकीदार की व्यवस्था की जायेगी।

वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षाकेन्द्र, ब्रिज कोर्स / शिविरों के प्रस्ताव की प्रस्तुति एवं उनका अनुमोदन –:

ग्राम शिक्षा समिति द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावों को विकास खण्ड स्तरीय समिति के द्वारा तैयार प्रस्ताव की समीक्षा कर के भारत सरकार के निर्देशानुसार उनकी समीक्षा कर प्रस्तावों का संकलन करेगी। तत्पश्चात अपनी संस्तुति जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध करायेगी।

जिला स्तर पर जिला प्राथमिक शिक्षा सलाहकार समिति का गठन किया जायेगा। जिसके अध्यक्ष जिलाधिकारी होंगे।

केन्द्र संचालन का समय :–

विशेप परिस्थितियों को छोड़कर केन्द्रों के संचालन का समय देर शाम एवं रात्रि को नहीं रखा जायेगा। वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र प्रतिदिन 4 घंटे संचालित किये जायेगे।

अनुदेशक चयन :–

अनुदेशकों का चयन यथा संभव उसी स्थान एवं समुदाय के उपयुक्त होगा जहॉ पर वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र स्थापित किया जायेगा। वहॉ अर्ह व्यक्ति न मिलने पर बिल्कुल निकट के गॉव का व्यक्ति आवेदन कर सकेगा।

अनुदेशक की न्यूनतम योग्यता हाईस्कूल तथा न्यूनतम आयु 18 वर्ष होगी। जिसमें महिलाओं को प्राथमिकता दी जायेगी। वरिष्ठता सूची के आधार पर ग्राम शिक्षा समिति 2/3 बहुमत से प्रस्ताव करके अनुदेशक का चयन करेगी तथा इसी बहुमत से उन्हें हटाया भी जा सकेगा।

नगर क्षेत्र में इन केन्द्रो में अनुदेशक का चयन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी , विशेषज्ञ बेसिक शिक्षा अधिकारी, शिक्षा अधीक्षक नगर क्षेत्र, सभासद संबंधित वार्ड, नगर क्षेत्र का वरिष्ठतम प्रधानाध्यापक/ शिक्षक की संस्तुति द्वारा किया जायेगा।

उच्च प्राथमिक स्तर के केन्द्रों के लिये अनुदेशकों की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता स्नातक तथा न्यूनतम आयु 21 वर्ष होगी जहॉ स्नातक अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होंगे वहॉ इंटरमीडिएट उत्तीर्ण महिला अभ्यर्थी का चयन किया जायेगा।

अनुदेशक का मानदेय, प्रशिक्षण :–

उक्त केन्द्रो के प्रारंभ होने पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा अनुदेशक के मानदेय की धनराशि रू0 1000/– प्रति अनुदेशक की दर से संबंधित ग्राम श्रिक्षा समिति के संयुक्त खाते में स्थानांतरित कर दी जायेगी। जहॉ से अनुदेशक को चेक द्वारा भुगतान दिया जायेगा। अनुदेशकों का 30 दिवसीय प्रशिक्षण डायट अथवा बी0आर0सी0 पर आयोजित किया जायेगा।

पर्यवेक्षण एवं निःशुल्क शिक्षण सामग्री का वितरण :–

इन केन्द्रो के सफल संचालन हेतु अकादमिक सहयोग एवं नियमित पर्यवेक्षण का कार्य सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/ एस0डी0आई0 /नगर अधीक्षक द्वारा किया जायेगा।

प्रत्येक केन्द्र को साज–सज्जा एवं शिक्षण समामग्री हेतु आवश्यक धनराशि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा ग्राम शिक्षा समिति के खाते में सीधे स्थानांतरित की जायेगी और ग्राम शिक्षा समिति द्वारा ही सामग्री क्रय का कार्य किया जायेगा।

वित्तीय मानक :–

प्रत्येक केन्द्र की ईकाई लागत बच्चो के आधार पर निर्धारित की जायेगी। यह धनराशि प्राथमिक तथा जूनियर स्तर के केन्द्रो के लिये क्रमशः रू0 845/– तथा रू0 1200/– प्रति छात्र–छात्रा प्रतिवर्ष होगी। विकास खण्ड के प्रबंधन की अधिकतम धनराशि रू0 2.50 लाख सम्मिलित होगी।

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत वैकल्पिक केन्द्रों की प्रगति :–

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम केअन्तर्गत जनपद में कुल 50 ई0जी0एस0 केन्द्रों की स्वीकृति प्राप्त हुई है। जिसमें से 25 केन्द्र वर्तमान में संचालित हैं।और उनमें 807 बालको, 517 बालिकाओं इस प्रकार कुल 1324 छात्रोंका नामांकन किया कर उन्हें शिक्षित किया जा रहा है। साथ ही जनपद हेतु जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत 122 वैकल्पिक केन्द्र/मकतब प्रस्तावित थे जिनमें से अभी तक 4 केन्द्र संचालित हैं जिनमें कुल 159 छात्र अध्ययन रत है। 46मकतबों में मार्च 2002 तक केन्द्र संचालित हो जायेंगे। शेष 72 मकतबों में परियोजना के अवशेष अवधि में वैकल्पिक केन्द्र संचालित किये जायेंगे। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम में अन्तर्गत स्वीकृत एवं संचालित केन्द्रों का विवरण निम्नलिखित सारणी में दिया गया है–

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत वैकल्पिक/अनौपचारिक केन्द्र

केन्द्र का प्रकार	स्वीकृत केन्द्रों की संख्या	संचालित केन्द्र	2002–03 से संचालित होने वाले केन्द्रों की संख्या	नामांकित बच्चों की संख्या		
				बालक	बालिका	योग
ई0जी0एस0	50	25	25	807	515	1324
वैकल्पिक केन्द्र/मकतब	122	4	118	94	65	159

स्रोत विभागीय आंकड़े

जनपद में सर्वशिक्षा अभियान हेतु कराये गये वर्तमान सर्वेक्षण में इन केन्द्रों के अतिरिक्त असेवित बस्तियों की संख्या का विवरण सारणी 7.1 में अंकित है।

जनपद कुशीनगर की कुल राजस्व ग्रामों की संख्या तथा प्राथमिक विद्यालयों की संख्या को दर्शाते हुये दोनो के अंतर के द्वारा असेवित मजरो की संख्या ज्ञात करके ई0जी0एस0 तथा ए0आई0एस0 का विवरण निम्नवत् है –

सारणी 7.1
परिषदीय अथवा मान्यता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों की आवश्यकता

क्रमांक	ग्रामों/बस्तियों का प्रकार	1 कि0मी0 से कम दूरी पर प्रा0 विद्यालय उपलब्ध	1 कि0मी0 से अधिक किन्तु 1.5 कि0मी0 से कम दूरी पर प्रा0 विद्यालय उपलब्ध	1.5 कि0मी0 से अधिक दूरी पर प्रा0 विद्यालय उपलब्ध	प्रा0वि0/ई0जी.एस0 केन्द्र खोलने की आवश्यकता	कुल बस्तियों की संख्या
1	ऐसे ग्रामों /बस्तियों की संख्या जिनकी आबादी 300 से अधिक है।	472	788	155	155	1415
2	ऐसे ग्रामों /बस्तियों की संख्या जिनकी आबादी 300 से कम है।	30	36	142	142	208

स्रोत विभागीय आकड़े

उपरोक्त सारणी के अनुसार 155 बस्तियां जिनकी आबादी 300 से अधिक है में 1.5 किमी0 मानक दूरी पर विद्यालय उपलब्ध नही है और 142 ऐसी बस्तियों में 1 किमी0 से अधिक दूरी पर प्राथमिक विद्यालय उपलब्ध है। अतः सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत इन 155 बस्तियों

को सेवित करने हेतु 68 प्राथमिक विद्यालय तथा 142 ई0जी0एस0/शिक्षा घर खोलने की आवश्यकता है। सर्वेक्षण के पूर्व डी0पी0ई0पी0 के तहत कुल 50 खोले जा चुके है। इन 142 केन्द्रों का प्रविधान सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत किया गया है। जनपद में कुल 122 मकतब मदरसे ऐसे हैं जिनमें प्राथमिक शिक्षा नही दी जाती थी इनमें डी0पी0ई0पी0 के अर्न्तगत वैकल्पिक केन्द्र प्रस्तावित हैं जिस कारण सर्वशिक्षा अभियान में कोई केन्द्र प्रस्तावित नहीं किये गये हैं।

सारणी 7.2
परिषदीय अथवा मान्यता प्राप्त उच्च प्राथमिक विद्यालयों की आवश्यकता

कमांक	ग्रामों/बस्तियों का प्रकार	3 कि0मी0 से कम दूरी पर परिषदीय मान्यता प्राप्त उच्च प्रा0 विद्यालय उपलब्ध	3 कि0मी0 से अधिक पर परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालय उपलब्ध	उ0प्रा0वि0/ए0आ0ई0 केन्द्रों खोलने की आवश्यकता	कुल बस्तियों की संख्या
1	ऐसे ग्रामों /बस्तियों की संख्या जिनकी आबादी 800 से अधिक है।	755	283	283	1038
2	ऐसे ग्रामों /बस्तियों की संख्या जिनकी आबादी 800 से कम है।	434	151	151	585

स्रोत विभागीय आकडे

जनपद में 151 बस्तियाँ जिनकी आबादी 800 से कम है परन्तु ये ग्राम उच्च प्राथमिक विद्यालयों से 3.00 किमी0 से अधिक दूरी पर है। यहाँ के बड़ी बच्चियों को उच्च प्राथमिक विद्यालयों पर शिक्षा प्राप्ति के लिए जाने में कठिनाईयाँ होती है जिसके कारण ये शिक्षा बीच में छोड देती हैं।

सर्वेक्षण के दौरान उपरोक्त बस्तियों में सर्वेक्षण के उपरान्त 6–8 एवं 9–14 वय वर्ग के कमशः 4386 तथा 4753 बच्चे विद्यालय से बाहर हैं इनका ब्लाकवार विवरण सारणी में निम्नवत अंकित हैं ।

सारणी 7.3

ई0 जी0 एस0 तथा ए0 आइ0 इ0 हेतु

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत परिवार सर्वेक्षण के अनुसार 6–14 वय वर्ग

जुलाई 2001

क0सं0	विकास खण्ड का नाम	6–8 वय वर्ग के स्कूल न जाने वाले बच्चों की संख्या			9–14 वय वर्ग के स्कूल न जाने वाले बच्चों की संख्या		
		बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
1	कप्तानगंज	208	185	393	201	185	386
2	रामकोला	311	286	597	225	181	406
3	मोतीचक	247	211	458	181	140	321
4	सुकरौली	161	130	291	191	149	340
5	हाटा	153	120	273	179	130	309
6	खड्डा	117	102	219	223	199	422
7	नौरंगिया	171	128	399	201	171	372
8	विशुनपुरा	135	102	237	155	130	285
9	पडरौना	177	151	328	167	149	316
10	कसया	85	71	156	91	65	156
11	फाजिलनगर	153	131	284	174	149	323
12	दुदही	141	121	262	195	151	346
13	तमकुही	175	151	326	201	180	381
14	सेवरही	94	69	163	203	187	390
		2328	1958	4386	2587	2166	4753

स्रोत विभागीय आंकड़े

ऐसे ग्रामों के इन छात्राओं को उच्च प्राथमिक शिक्षा में पहुँचाने हेतु 151 ए0आई0ए0 केन्द्रों का खोला जाना आवश्यक है। खोले जाने वाले केन्द्रो तथा अन्य वैकल्पिक कार्यक्रमों का विवरण अधोलिखित तालिका में दिया गया है।

सारणी 7.4

YEAR		2002-03	2003-04	2004--05	2005-06	2006-07
EGS (for 30 child per center))	0.845	0	0	50	40	0
Primary-including all models of DPEP(per child)-Shiksha Ghar	0.845	0	0	27	25	0
Upper Primary AIE Center	1.2	0	14	56	56	56
Bridge/Remedial course NPRC Level(per child)(40 child per center)	1.5	0	140	140	140	140
Bridge/Remedial course(per child)(60 child per center)	1.5	0	1	2	2	2
Strengthening Maqtab/Madarsa(per center)	15.35	0	0	0	0	0

ग्राम शिक्षा समितियों की भूमिका :–

प्रस्तावित वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा (ए0आई0ए0) के लिये ग्राम शिक्षा समिति के निम्नलिखित कर्तव्य एवं दायित्व होंगे –

1. 6– 11 वय वर्ग के विद्यालय न जाने वाले बच्चों को चिन्हित करना।
2. कार्यक्रम संचालन हेतु वातावरण सृजित करना।
3. अनुदेशक का चयन करना।
4. केन्द्रो का समय निर्धारित करना/ कराना।
5. केन्द्रो के साज–सज्जा हेतु शिक्षण सामग्री का क्रय करना एवं अनुदेशकों का उपलब्ध कराना।
6. अनुदेशकों को प्रशिक्षणोपरान्त ही केन्द्र का दायित्व सौपना।

7. अनुदेशकों की उपस्थिति, बच्चो की उपस्थिति एवं केन्द्रो का प्रबंधन तथा उनको प्रतिदिन निरीक्षित करना।

8. केन्द्र में पढने वाले बच्चो को औपचारिक विद्यालयों में प्रवेश कराने के लिये लगातार प्रोत्साहित करना।

9. नियमित रूप से अनुदेशकों के मानदेय का भुगतान कराना।

विकास खण्ड स्तरीय समिति की भूमिका :—

1. ग्राम शिक्षा समिति से प्राप्त प्रस्तावों को संकलित करना।

2. ग्रामीण क्षेत्रों की माइक्रोप्लानिंग कराना तथा उपलब्ध माइक्रोप्लानिंग का अध्ययन एवं समीक्षा करना तथा प्रस्तावों को तैयार कराना।

3. क्लस्टर रिसोर्स पर्सनस (CRP) की सहायता से केन्द्रो / शिविरों का भ्रमण एवं पर्याप्य पर्यवेक्षण / अनुश्रवण की व्यवस्था कराना।

4. जनपद एवं विकास खण्ड स्तर पर उपलब्ध संदर्भदाताओं की सहायता से प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कराना।

——*——

हाउस होल्ड सर्वे में चिन्हित विद्यालय न जाने वाले बच्चों का कारणवार (त्रै।व्छ ंपे) विवरण

क०	कारण	५से ६		७से१०		११–१४		योग		कुल योग
		बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका	
१	घरेलू कार्य	३८७२	४०२२	७७५२	८८५२	७६६२	६३३२	१६६१६	२२२०६	४१८२२
२	मजदूरी	५६१	४६०	२५०५	२२५७	३६७७	२६११	७०४३	५३२८	१२३७१
३	भाई बहनों की देखभाल	३८६०	३६३१	३६७३	५५४१	३६४०	३३१३	६८०३	१२७८५	२२५८८
४	विद्यालय दूर होना	१६३८	१३६६	१२३४	१३३४	८०१	६४५	३६७३	३३७५	७०४८
५	अन्य	७७४७	६७५४	४४६३	३७७२	३०२४	२५३६	१५२६४	१३०६२	२८३२६
	योग	१७७०८	१६५६३	१६६५७	२१७५६	१७७३४	१८४३७	५५३६६	५६७५६	११२१५५

सारणी ३.२

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम एवं सर्व शिक्षा अभियान कुशीनगर

नामांकन प्रगति २००३–०४ ३१ अगस्त २००३

बच्चो की कुल संख्या	हाऊस होल्ड सर्वे में चिन्हित कुल बच्चे							३१–०८–२००३ तक नामांकित बच्चे						
	बालक बालिका		बालक	बालिका	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका	योग
	५+ से ६+		७+ से १०+		११ से १४			५+ से ६+		७+ से १०+		११ से १४		
१	२	३	४	५	६	७	८	६	१०	११	१२	१३	१४	१५
७२५८४७	१७७०८	१६५६३	१६६५७	२१७५६	१७७३४	१८४३७	११२१५५	१५५४७	१४२१४	१४८२५	१६३५६	१२५३७	१३०५६	८६५३८

माह जून में कराये गये हाउस होल्ड सर्वे में कुल ११२१५५ बच्चे स्कूल से बाहर थे जिनमें से अगस्त माह तक कुल ८६५३८ बच्चों का नामांकन कराया जा चुका है वर्तमान में २५६१७ बच्चे अभी भी स्कूल से बाहर हैं। जिनके लिये अध्याय ७ में कार्यक्रम प्रस्तावित किया गया है।

क्र०	कार्यक्रम	२००३-०४		२००४-०५		२००५-०६		२००६-०७	
		केन्द्र की सं०	बच्चों की सं०	केन्द्र की सं०	बच्चों की सं०	केन्द्र की सं०	बच्चों की सं०	केन्द्र की सं०	बच्चों की सं०
१	ई०सी०सी०ई० केन्द्र	९५	३८००	९५	३८००	९५	३८००	९५	३८००
२	ग्रीश्म कालीन शिविर	२५	१०००	४२	१६८०	४२	१६८०	३०	१२००

अन्यः - जनपद में स्कूल से बाहर बच्चों में लगभग २५ प्रतिशत अन्य कारणों जैसे रुढिवादिता जागरुकता की कमी एवं खराब भौगोलिक स्थितियों आदि के कारण स्कूल नहीं जा पाते हैं। इन्हें विद्या केन्द्रों, अनूसूचित जाति के बच्चों हेतु ब्रिज कोर्सों के माध्यम से शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। जो अधोलिखित है-

क्र०	कार्यक्रम	२००३-०४		२००४-०५		२००५-०६		२००६-०७	
		केन्द्र की सं०	बच्चों की सं०	केन्द्र की सं०	बच्चों की सं०	केन्द्र की सं०	बच्चों की सं०	केन्द्र की सं०	बच्चों की सं०
१	विद्या केन्द्र	५०	२०००	९०	३६००	९०	३६००	९०	३६००
२	अनूसूचित जाति के बच्चों हेतु ब्रिज कोर्स	७	४२०	५०	३०००	५०	३०००	३३	१३२०

इस प्रकार वर्तमान में स्कूल से बाहर २५६१७ बच्चों को नामांकन हेतु कार्यक्रमों का सारणी निम्नवत है : -

क्र०	कार्यक्रम	२००३-०४
१	सितम्बर माह में अभियान द्वारा नवीन स्कूलों में नामांकन	१०२३०
२	ब्रिज कोर्स	५६००
३	ई०जी०एस०	२०००
४	ए०आइ०ई०	५६०
५	ई०सी०सी०ई०	३८००
६	समर कैंप	१०००
७	ब्रिज कोर्स अनु०जाति	४२०
	योग	२५६१७

जनपद में ३१ अगस्त २००३ तक अभी भी कुल २५६१७ बच्चे स्कूल से बाहर हैं। सितम्बर माह में वि ोश अभियान चलाकर ५० प्रति ात लगभग १२८०० बच्चों को निर्माणधीन नवीन प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्कूलों में नामांकन कराया जायेगां। ोश ५० प्रति ात लगभग १२८१७ बच्चों के लिये विभिन्न वैकल्पिक कार्यक्रम प्रस्तावित है जिनका विवरण अधोलिखित है।

घरेलू कार्य में लगे रहना:- जनपद में स्कूल से बाहर बच्चों में सार्वाधिक लगभग ३७ प्रति ात घरेलू कार्यों में लगे है। इन्हें ब्रिज कोर्सों एवं वैकल्पिक केन्द्रों के माध्यम से ि ाक्षा की मुख्य धारा से जोडने का लक्ष्य रखा गया है। जो अधोलिखित है-

क्र०	कार्यक्रम	२००३-०४		२००४-०५		२००५-०६		२००६-०७	
		केन्द्र की सं०	बच्चों की सं०	केन्द्र की सं०	बच्चों की सं०	केन्द्र की सं०	बच्चों की सं०	केन्द्र की सं०	बच्चों की सं०
१	ब्रिज कोर्स	१४०	५६००	१४०	५६००	१४०	५६००	१४०	५६००
२	ई०जी०एस०	५०	२०००	५०	२०००	९०	३६००	९०	३६००

मजदूरी में लगे रहना:- जनपद में स्कूल से बाहर बच्चों में लगभग ११ प्रति ात मजदूरी में लगे है। ये मुख्यतः ९ से १४ आयु वर्ग के बच्चे हैं। इन्हें प्राथमिक स्तर पर ि ाक्षाघर एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर ए० आइ० ई० केन्द्रों के माध्यम से ि ाक्षा की मुख्य धारा से जोडने का लक्ष्य रखा गया है। जो अधोलिखित है-

क्र०	कार्यक्रम	२००३-०४		२००४-०५		२००५-०६		२००६-०७	
		केन्द्र की सं०	बच्चों की सं०	केन्द्र की सं०	बच्चों की सं०	केन्द्र की सं०	बच्चों की सं०	केन्द्र की सं०	बच्चों की सं०
१	ि ाक्षाघर	०	०	२७	१०८०	५२	२०८०	५२	२०८०
२	ए०आइ०ई०	१४	५६०	५६	२२४०	५६	२२४०	५६	२२४०

भाई बहनों की देखभाल:- जनपद में स्कूल से बाहर बच्चों में लगभग २० प्रति ात जिनमें मुख्यतः बालिकायें हैं जो अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल करने के कारण स्कूल में प्रवे ा नहीं ले पाती या बीच में ही ाला त्याग देती हैं। इन्हें ई०सी०सी०ई० केन्द्रों तथा ग्रीश्म कालीन ि ाविरों के माध्यम से ि ाक्षा की मुख्य धारा से जोडने का लक्ष्य रखा गया है। जो अधोलिखित है-

अभ्यास — 8

ठहराव में बृद्धि हेतु कार्ययोजना —

प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण हेतु अनेक प्रयास किये गये है, परन्तु अपेक्षित सफलता अभी तक प्राप्त नहीं हो पायी है। अब तक किये गये कार्यों से पता चलता है कि बच्चों का नामांकन प्रतिवर्ष कराने में कुछ हद तक सफलता प्राप्त हो जाती है किन्तु धीरे–धीरे वे बच्चे विद्यालय बीच में ही छोड़ देते हैं। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डी.पी.ई.पी.) के अन्तर्गत ठहराव में वृद्धि के लिए कई रणनितियां अपनायी गयी जैसे–

1. विद्यालयों का पुर्ननिर्माण
2. अतिरिक्त कक्षा कक्षों का निर्माण
3. शौचालयों एवं हैण्डपम्पों की व्यवस्था
4. विद्यालयों का आकर्शक बनाने एवं आवश्यक साज–सज्जा उपलब्ध कराना आदि
5. अध्यापकों का सेवारत प्रशिक्षण ।
6. शिक्षकों की कमी को पूर्ण करने के लिए शिक्षा मित्रों की तैनाती आदि।

उपरोक्त कार्यों की डी0पी0ई0पी0 योजनान्तर्गत करते हुए ठहराव में बृद्धि के प्रयास किये गये है। किन्तु अब भी जनपद में ड्राप आउठ का दर 32 प्रतिशत है। इसका प्रमुख कारण जनपद की भौगोलिक स्थिति के सापेक्ष अन्य आवश्यक सुविधओं का अभाव है। इसी कारण को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। किन्तु उक्त प्रयास " सर्व शिक्षा अभियान" के अन्तर्गत भी किया जाना है, कारण की जनपद का ड्राप आउट दर इतना अधिक है कि उसे 2003 तक पूर्ण करना सम्भव नहीं हो पायेगा।

इस परिकल्पना के आधार आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराते हुए कक्षा शिक्षण , बच्चों के रूचि के अनुसार शिक्षण कार्य, अतिरिक्त शिक्षकों की व्यवस्था जिससे शिक्षकों की कमी पूरा किया जा सके। विकलांग बच्चों के साथ शिक्षा देने एवं बच्चों बच्चों को खेल–कूद सहित अन्य

सहगामी क्रियाये उनके दैनिक चर्या में प्राविधानित किये गये है, जिससे ड्रापआउट को कम किया जा सके।

1. प्राथमिक विद्यालयों का पुर्ननिर्माण :

वर्ष 2001 सर्वेक्षण से पता चलता है कि जनपद में 286 प्राथमिक विद्यालय जर्जर है। जिनका पुर्ननिर्माण कराया जाना आवश्यक है। कारण कि विद्यालय जर्जर होने के कारण बच्चे विद्यालय नहीं आते तथा ड्राप आउट दर बढ़ता है इस स्थिति के विश्लेषण पर 200 प्राथमिक विद्यालय भवनों का पुर्ननिर्माण डी.पी.ई.पी. योजनान्तर्गत प्रस्तावित है शेष 86 का निर्माण कार्य डी.पी.ई.पी. में 33 प्रतिशत सीलिगं होने के कारण सम्भव नहीं है। अतः उसे " सर्व शिक्षा अभियान " के अन्तर्गत प्रस्तावित किया गया है। इनके निर्माण की रूपरेखा वही रहेगी जो नवीन प्राथमिक विद्यालयों के निमार्ण की है।

2. पूर्व माध्यमिक विद्यालयों का पुर्ननिर्माण–

जनपद में वर्तमान संचालित पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में से 23 जर्जर है । इसका भी प्रभाव ड्राप आऊट पर व्यापक रूप से पड़ता है अतः सर्वशिक्षा शिक्षा अभियान के अन्तर्गत इन पूर्व माध्यमिक विद्यालयों को नवीन भवन से सुसज्जित करने का निर्णय लिया गया है। इनका निर्माण कार्य भी ग्राम शिक्षा समितियों के सहयोग से नवीन पूर्व माध्यमिक विद्यालयों की भाँति ही किया जायेगा। प्राथमिक तथा पूर्व माध्यमिक विद्यालयों के निर्माण का विवरण निम्नवत है–

YEAR	2002-2003	2003-2004	2004-2005	2005-2006
Reconstruction - PS	0	0	46	40
Reconstruction - UPS	0	0	15	8

3. मरम्मत–

1. विभागीय सर्वेक्षण के माध्यम से तथा डी.पी.ई.पी. के ई.एम.आई.एस0 डेटा से परिलक्षित होता है कि अब भी 100प्राथमिक विद्यालयों में लघु मरम्मत, 150 प्राथमिक विद्यालयों में वृहद मरम्मत की आवश्यकता है डी.पी.ई.पी. में

निर्माण कार्यों की सीलींग पूर्ण हो जाने से इनकी मरम्मत हेतु धनराशि का प्राविधान "सर्व शिक्षा अभियान" के अन्तर्गत किया गया है।

2. विभागीय सर्वेक्षण से यह भी ज्ञात हुआ है कि 40 पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में लघु मरम्मत तथा 23 पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में वृहद मरम्मत की आवश्यकता है। इनके मरम्मत हेतु धनराशि का प्राविधान " सर्व शिक्षा अभियान" के अन्तर्गत किया गया है। प्राथमिक एवं पूर्व मा0 विद्यालयों के लघु एवं वृहद मरम्मत का संयुक्त विवरण निम्नवत है।

YEAR	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	TOTAL
Repair - Minor	0	0	40	100	0	140
Repair Major	0	0	100	73	0	173

मरम्मत कार्य की प्रक्रिया –

1. प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक विद्यालयों के मरम्मत कार्यों हेतु ग्राम पंचायत स्तर पर लघु मरम्मत कार्यों हेतु ग्राम शिक्षा समिति स्वयं तथा ग्राम पंचायतों के अच्छे राजगीर को समिति में सम्मिलित करके आवश्यक मरम्मत कराये जाने वाले कार्यों का विवरण व प्रस्ताव जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को प्रस्तुत करेगी तथा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जनपद स्तर पर कार्य देखने वाले सहायक अभियन्ता के सहयोग से उक्त का परीक्षण करने के उपरान्त रूपया 20000.00 तक की स्वीकृत प्रदान करेंगें।

2. बृहद मरम्मत कार्यों हेतु ग्राम शिक्षा समिति विकास खण्ड के अवर अभियन्ता अथवा अन्य पंजीकृत अवर अभिन्ताओं के द्वारा बृहद मरम्मत योग्य कार्यों का पूर्ण विवरण सहित आंकलन प्रस्ताव जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध करायेगी तथा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा उक्त प्रस्ताव जनपद

४. अतिरिक्त कक्षा कक्ष–

विद्यालयों में छात्र संख्या को दृष्टिगत रखते हुए कक्ष की उपलब्धता न होने पर खुले आसमान में शिक्षण कार्य करना पड़ता है। जिससे बरसात , गर्मी आदि मौसम में प्रायः पठन–पाठन सुचारू रूप से नही हो पाता जिसका व्यापक प्रभाव बच्चों पर पड़ता है तथा बच्चे ड्राप आउट होते हैं। प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में तीन कक्षा–कक्ष का संशेधित लक्ष्य" सर्व शिक्षा अभियान " के अन्तर्गत प्रस्तावित किया गया है। जिसका विवरण अग्रलिखित तालिका में दिया गया है।

वर्ष 2005-06 में ....05.... प्राथमिक एवं ....05.... उच्च प्राथमिक विद्यालयों का आकंलन प्रस्ता।वित है।

एम.आई.एस. एवं नवीन सर्वे के अनुसार प्राथमिक स्तर पर शौचालय की आवश्यकता का प्रस्ताव निम्नवत् है।

वर्ष	प्रस्तावित लक्ष्य	
2004-05	250	
2005-06	250	
2006-07	145	
योग	645	

कुल लक्ष्य 645 का है।

जनपद में परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों अतिरिक्त कक्षा–कक्षों की आवश्यकता

सारणी 8.2 ब

कमांक	नाम विकास खण्ड	कुल विद्यालय संख्या	कक्षा–कक्षों के अनुसार विद्यालयों का वर्गीकरण			प्रति विद्यालय तीन कक्षा कक्षों के अनुसार आवश्यकता
			एक कक्षीय	दो कक्षीय	तीन या अधिक कक्षीय	
1	कप्तानगंज	87	0	72	15	72
2	रामकोला	99	.0	~~78~~ 83	~~16~~ [illegible]	~~78~~ 83
3	मोतीचक	76	0	60	16	60
4	सुकरौली	94	0	78	16	78
5	हाटा	93	0	66	27	66
6	खड्डा	99	.0	81	18	81
7	नौरंगिया	87	0	64	23	64
8	विशुनपुरा	100	0	70	30	70
9	पडरौना	158	0	104	54	104
10	कसया	75	0	60	15	60
11	फातिलनगर	104	0	92	12	92
12	दुदही	92	0	64	28	64
13	तमकुही	120	0	87	33	87
14	सेवरही	105	0	91	14	91
	योग	**1389**	**0**	**1072**	**~~317~~ 322**	**1072**

जनपद में परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों अतिरिक्त कक्षा–कक्षों की आवश्यकता

सारणी ८.३ अ

कमांक	नाम विकास खण्ड	कुल विद्यालय संख्या	कक्षा–कक्षों के अनुसार विद्यालयों का वर्गीकरण			प्रति विद्यालय तीन कक्षा कक्षों के अनुसार आवश्यकता
			तीन कक्षीय	चार कक्षीय	पॉच या अधिक कक्षीय	
१	कप्तानगंज	६	१	८	०	१०
२	रामकोला	७	१	४	२	६
३	मोतीचक	७	१	५	१	७
४	सुकरौली	७	१	६	०	८
५	हाटा	१३	१	११	१	१३
६	खड्डा	१८	१	१४	३	१६
७	नौरंगिया	१३	१	६	३	११
८	विशुनपुरा	१७	३	१३	१	१६
६	पडरौना	३४	१	२६	७	२८
१०	कसया	१८	३	११	४	१७
११	फातिलनगर	१८	३	११	४	१७
१२	दुदही	१४	२	६	३	१३
१३	तमकुही	२३	१	१७	५	१६
१४	सेवरही	१३	१	१०	२	१२
	योग	**२११**	**२१**	**१५४**	**३६**	**१६६**

उपरोक्त तालिका के अनुसार जनपद में प्रत्येक विद्यालय में तीन कक्षा–कक्षों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु जनपद में कुल १०७२ कक्षा – कक्षों की आवश्यकता है। जिसे ग्राम शिक्षा समिति के सहयोग से बनवाया जायेगा। जिनका वर्षवार विवरण अधोलिखित है।

सारणी ८.३ ब

ल्‍ाद	२००२. २००३	२००३.२००४	२००४. २००५	२००५. २००६	२००६. २००७	२००७. २००८	२००८. २००९	२००९. २०१०	०
ाककपजपवदंस ब्सेंतववउ च्तपउंतल ेबीववसे	०	०	०	४००	४००	२७२	०	०	१०७२
ाककसण ब्सेंतववउ न्चचमत च्तपउंतल ेबीववसे	१२	१३	२६	६०	८०	०	०	०	१९६

२. पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में प्रति शिक्षक एक कमरा उपलब्ध कराये जाने का प्राविधान है जिसका आंकलन तालिका संख्या ८.३ अ एवं ८.३ स में वर्णित है–

उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा–कक्ष का वर्तमान स्थिति एवं आगामी वर्षो में कक्षा–कक्षों की आवश्यकता

जनपद–कुशीनगर

सारणी ८.३ स

कमांक	शैक्षिक सत्र	कुल परिषदीय विद्यालय	नवीन विद्यालय	१:४ की दर से कक्षा–कक्षों की आवश्यकता	वर्तमान कक्षा–कक्ष	आवश्यक कक्षा–कक्ष
१	२	३	४	५	६	७
१	२००१–०२	१६३	०	६५२	६२७	२५
२	२००२–०३	१६३	७५	६५२	६५२	०
३	२००३–०४	२३८	७५	१२५२	१२५२	०
४	२००४–०५	३१३	७०	१५३२	१५३२	०
५	२००५–०६	३८३	४६	१७१६	१७१६	०
६	२००६–०७	४२९	०	१७१६	१७१६	०
७	२००७–०८	४२९	०	१७१६	१७१६	०
८	२००८–०९	४२९	०	१७१६	१७१६	०
९	२००९–१०	४२९	०	१७१६	१७१६	०

काफी अधिक होने के कारण प्रत्येक उच्च प्राथमिक विद्यालय में पॉच कक्षा–कक्ष का संशोधित लक्ष्य"सर्व शिक्षा अभियान" के अन्तर्गत प्रस्तावित किया गया है। जिसका विवरण तालिका 8.3अ तथा वर्षवार विवरण तालिका 8.3स में दिया गया है।

5. शौचालयों का निमार्ण –

विभागीय सर्वे से ज्ञात होता है कि प्राथमिक विद्यालयों में 825 शौचालयों तथा पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में 66 शौचालयों की आवश्यकता है । प्राथमिक विद्यालयों में डी.पी.ई.पी. योजनान्तर्गत 120 शौचालयों का निर्माण कराया जायेगा किन्तु पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में " सर्व शिक्षा अभियान " के अन्तर्गत शौचालयों का निर्माण प्रस्तावित है। शौचालयों की आवश्यकता का विवरण सारणी 2.7 एव2.8 में वर्णित हैं तथा वर्षवार विवरण निम्नवत है–

YEAR	2002-2003	2003-2004	2004-2005	2005-2006	2006-07	TOTAL
Toilets(PS)	0	0	250	250	145	645
Tolets(UPS)	20	0	45	0		65

8. अतिरिक्त शिक्षकों / शिक्षा मित्रों की व्यवस्था –

(अ) प्राथमिक विद्यालय–

प्राथमिक विद्यालयों में छात्र संख्या को दृष्टिगत रखते हुए 40 छात्रों पर एक शिक्षक की व्यवस्था किये जाने का प्राविधान है। वर्तमान में कार्यरत शिक्षकों एवं शिक्षा मित्रों के सापेक्ष

अतिरिक्त शिक्षकों की आवश्यकता पर आंकलन तालिका संख्या ८.४ एवं ८.५ में वर्णित है। जनपद में स्वीकृत पदों के सापेक्ष अध्यापकों की कमी है। अतः स्वीकृत पदों के उपरान्त अतिरिक्त शिक्षकों की मांग के आधार पर आवश्यक शिक्षकों की मांग अभियान में की गयी है। नियुक्त किये जाने वाले शि।क्षकों की नियुक्ति में ५० प्रतिशत महिला शिक्षकों की नियुक्ति की जायेगी।

प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों का वर्तमान स्थिति एवं आगामी वर्षो में शिक्षकों की आवश्यकता

अनुमानित छात्र संख्या के आधार पर

जनपद–कुशीनगर

सारणी ८.४

कमांक	शैक्षिक सत्र	परिषदीय विद्यालयों में नामांकित बच्चे	वर्तमान शिक्षक (स्वीकृत)	वर्तमान शिक्षामित्र	योग ४+५	४०:१ दर	आवश्यक शिक्षक
१	२	३	४	५	६	७	८
१	२००३–०४	३११५८६	४१७३	२२३०	६४०४	७७८६	१३८६
२	२००४–०५	३१८१३३	४८६६	२६२३	७७८६	७६५३	१६४
३	२००५–०६	३२५१३१	४६४८	३००५	७६५३	८१२८	१७५
४	२००६–०७	३३२६०६	५०३५	३०६३	८१२८	८३१५	१८७

प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों का वर्तमान स्थिति एवं आगामी वर्षो में शिक्षकों की आवश्यकता

अनुमानित छात्र संख्या के आधार पर

जनपद–कुशीनगर

सारणी ८.५

कमांक	शैक्षिक सत्र	कुल आवश्यकता	नवीन प्रा० विद्यालयों के शिक्षक ;प्र०अ० + शिक्षामित्रद्ध	अन्य शिक्षक	अन्य शिक्षा मित्र	कमागत शिक्षक	कमागत शिक्षा मित्र
१	२	३	४	५	६	७	८
१	२००३–०४	१३८६	०	६६३		०	०
२	२००४–०५	१६४	०	८२	775	७७५	७७५
३	२००५–०६	१७५	०	८७	८८	८५७	८५७
४	२००६–०७	१८७	०	६३	६४	६४४	६४५

जनपद में अनुमानित नामांकन के अनुसार ४०:१ छात्र अध्यापक अनुपात के आधार पर वर्तमान में स्वीकृत अध्यापकों एवं शिक्षा मित्रों के अतिरिक्त कुल ६४५ शिक्षा मित्रों एवं ६४५ अध्यापकों कुल ४७८४ की आवश्यकता बन रही है

(ब) पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापकों की आवश्यकता –

जनपद में संचालित प्रत्येक पूर्व माध्यमिक विद्यालयों पर कम से कम ५ शिक्षक के रखे जाने का प्राविधान किया गया है। इस व्यवस्था को निम्नांकित विवरण के अनुसार पूर्ण किये जाने का लक्ष्य रखा गया है–

उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों का वर्तमान स्थिति एवं आगामी वर्षो में शिक्षकों की आवश्यकता

<u>जनपद–कुशीनगर</u> सारणी ८.७

कमांक	शैक्षिक सत्र	कुल परिषदीय विद्यालय	नवीन विद्यालय	१:३ की दर से शिक्षकों की आवश्यकता	वर्तमान शिक्षक संख्या	आवश्यक शिक्षक
१	२	३	४	५	६	७
१	२००३–०४	२११	११३	६७२	५१८	४५४
२	२००४–०५	३२४	०	६७२	८५७	११५
३	२००५–०६	३२४	०	६७२	६७२	०
४	२००६–०७	३२४	०	६७२	६७२	०

६. विद्यालय विकास अनुदान–

जनपद के परिशदीय एवं सहायता प्राप्त समस्त प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक विद्यालयों को प्रत्येक वर्ष विद्यालयों को आकेपक एवं आवश्यक संसाधनों की प्रतिपूर्ति हेतु रुपया २०००

उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों का वर्तमान स्थिति एवं आगामी वर्षो में शिक्षकों की आवश्यकता

जनपद–कुशीनगर

सारणी ८.७

कमांक	शैक्षिक सत्र	कुल परिषदीय विद्यालय	नवीन विद्यालय	१:३ की दर से शिक्षकों की आवश्यकता	वर्तमान शिक्षक संख्या	आवश्यक शिक्षक
१	२	३	४	५	६	७
१	२००३–०४	२११	११३	६७२	५१८	४५४
२	२००४–०५	३२४	०	६७२	८५७	११५
३	२००५–०६	३२४	०	६७२	६७२	०
४	२००६–०७	३२४	०	६७२	६७२	०

६. विद्यालय विकास अनुदान–

जनपद के परिशदीय एवं सहायता प्राप्त समस्त प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक विद्यालयों को प्रत्येक वर्ष विद्यालयों को आर्कषक एवं आवश्यक संसाधनों की प्रतिपूर्ति हेतु रुपया २००० एवं रुपया ५००० की दर से विद्यालय विकास अनुदान एवं विद्यालय अनुरक्षण अनुदान का दिया जाना प्रस्तावित जिसका विवरण निम्नलिखित है–

सारणी ८.८अ प्राथमिक स्तर

क०	स्कूलों का प्रकार	वर्श२००३–०४	वर्श२००४–०५	वर्श२००५–०६	वर्श२००६–०७
१	परिशदीय	२५	१३८६	१४५७	१४५७
२	सहायता प्राप्त	०	२५	२५	२५
	योग	२५	१४१४	१४८२	१४८२

एवं रुपया ५००० की दर से विद्यालय विकास अनुदान एवं विद्यालय अनुरक्षण अनुदान का दिया जाना प्रस्तावित जिसका विवरण निम्नलिखित है–

सारणी ८.८अ प्राथमिक स्तर

क्र०	स्कूलों का प्रकार	वर्श२००३–०४	वर्श२००४–०५	वर्श२००५–०६	वर्श२००६–०७
१	परिशदीय	२५	१३८६	१४५७	१४५७
२	सहायता प्राप्त	०	२५	२५	२५
	योग	२५	१४१४	१४८२	१४८२

सारणी ८.८अ उच्च प्राथमिक स्तर

क्र०	स्कूलों का प्रकार	वर्श२००३–०४	वर्श२००४–०५	वर्श२००५–०६	वर्श२००६–०७
१	परिशदीय	२६१	३२४	३२४	३२४
२	सहायता प्राप्त	०	७७	७७	७७
	योग	२६१	४०१	४०१	४०१

सारणी ८.८

ल्ार	२००२.०३	२००३.०४	२००४.०५	२००५.०६	२००६.०७	[illegible]
बील्वस प्ुचतवअमउमदज हतंदज;चण्ण्ध्ीववसद्ध चे	०	२५	१४१४	१४८२	१४८२	[illegible]
बीववस प्ुचतवअमउमदज हतंदज;चण्ण्ध्ीववसद्ध न्चे	१४६	२६१	४०१	४०१	४०१	[illegible]
बीववस डंपदजमदंदवम हतंदज;चण्ण्ध्ीववसद्ध चे	०	१३८७	१३८६	१४५७	१४५९	[illegible]
बीववस उंपदजमदंदबम हतंदज;चण्ण्ध्ीववसद्ध न्चे	०	१४६	२११	३२४	३२४	१०२५

सन 2001 की जनगणना के आधार पर गांववार विस्तृत आंकडें प्राप्त नही हुए है। **आंकड़ें प्राप्त होने पर** आवश्यकता के अनुसार ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों (यथा वार्ड, टाउन **एरिया, नगर पालिका** एवं नगर महापालिकाओं) में एवं जनसंख्या वृद्धि के कारण आगामी वर्षो **में प्राथमिक** एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों का प्राविधान वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट में किया जायेगा।

. विद्यालय विकास अनुदान प्राथमिक विद्यालयों को वर्ष 2005–06 से तथा पूर्व माध्यमिक विद्यालयों को वर्ष 2002 –03 से दिये जाने का प्राविधान किया गया है।

10. नवाचार कार्यक्रम –

विद्यालयों में ठहराव को बनाए रखने हेतु समय–समय पर स्वयं सेवी संगठनों एवं शिक्षा के क्षेत्रों में कार्य कर रही अन्य शैक्षिक संस्थाओं, योजनाओं के अनुभवों को " सर्व शिक्षा अभियान" के अन्तर्गत समाहित किये जाने का प्राविधान किया गया है। उक्त के साथ ही बालिका शिक्षा के प्रति जन मानस में प्रेरणा जागृत करने हेतु भी इन संस्थाओं का सहयोग लिया जाना प्रस्तावित है। जनपद में बालिका शिक्षा का दर एवं महिला साक्षरता का दर सबसे न्यूनतम वाले विकास खण्डों के लिए इन संगठनों से कार्य किये जायेंगें।

बालिका शिक्षा–

वर्ष 2001 की जनगणना के राष्ट्रीय स्तर पर पुरूषों और महिलाओं की साक्षरता दर क्रमशः 75:78 तथा 54.16 कुल 63.38 है। उत्तर प्रदेश का कुल साक्षरता द्रर 57.36 है। पुरूशों और महिलाओं का साक्षरता दर क्रमशः 70.23 तथा 42.98 है। जनपद कुशीनगर का साक्षरता दर 48.43 है। पुरूषों एवं महिलाओं का साक्षरता दर क्रमशः 65.35 तथा 30.85 है।

विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में बालिकाओं की शिक्षा पर विशेष जोर श दिया गया है। बालिका शिक्षा विकास के लिए विशेष कार्यक्रम चलाये गये और अभी भी चल रहे है। बालिकाओं के शतप्रतिशत नामांकन हेतु निम्नलिखित रणनीति प्रस्तावित है।

बालिकाओं के ठहराव हेतु रणनीति शालात्यागी बालिकाओं कोहार्ट स्टडी –

एन0पी0आर0 सी0 समन्वयक के माध्यम से जिन विद्यालयों में बालिकाओं का शालात्याग दर अधिक है। उस विद्यालय से पिछले पांच वर्ष का रजिस्टर निकालवाकर शाला त्यागने वाले बच्चों की सूची बनायी जायेगी ऐसे बच्चों को ग्रीष्म कालीन शिविर में प्रशिक्षित करके उनको विद्यालय में लाने हेतु प्रयास किया जायेगा।

ग्रीष्म कालीन शिविर –

शालात्याग सर्वेक्षण के आधार पर यह विश्लेषित करना कि कौन से ऐसे ग्राम /ग्राम पंचायत हैं। जहां पर 40 बालिकाएं शाला त्यागी के रूप में चिन्हित की जायेगीं इसमें 10 दिवसीय ग्रीष्म कालीन शिविर चला कर उन्हें पुनः विद्यालय में प्रवेश दिलाया जायेगा। शैक्षिक सत्र के पूर्व ग्रीष्म कालीन शिविर आयोजित किये जाने का प्राविधान किया गया है। जिसका वर्षवार विवरण निम्नवत है–

YEAR	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
Summer Camps	0	0	42	42	30

कला जत्था अभियान – बेटी हो स्कूल में –

सामुदायिक सह भागिता सुनिश्चित करने हेतु कला जत्था भी एक शसक्त माध्यम है। विद्यालय में बालिकाओं का ठहराव बना कर रहे इसके लिए समुदाय में कला जत्था के माध्यम से जागरूकता पैदा करना आवश्यक है। उन्हें प्रशिक्षित करके गांव–गावं में नुक्कड़ नाटकों की प्रस्तुतियां की जायेगी। यह अभियान ऐसे गांव में चलाया जायेगा जहां पर महिला साक्षरता दर कम है, तथा बालिकाओं का शालात्याग दर अधिक है।

समूहों का गठन–

बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने एवं विद्यालय में लाने हेतु समूहों का गठन आवश्यक है।

माता शिक्षक संघ (एम०टी०ए०) –

जिन गावों में विद्यालय है। उस गांव की सक्रिय माताओं तथा शिक्षकों के संघ का निर्माण कर उन्हें उनके कार्य एवं दायित्वों के प्रति जागरूक बनाने का कार्य तथा बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने तथा लिंग संवेदनशीलता के लिए प्रशिक्षित किया जायेगा। यह माता–शिक्षका संघ विशेष रूप से बच्चों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने का कार्य एवं गावं के बच्चों का शतप्रतिशत नामांकन हेतु कार्य करेगा। प्रति माह में दो बार निर्धारित समय पर बैठकें भी करायी जायेगी।

महिला प्रेरक संघ–

प्रत्येक गावं में महिला प्रेरक संघ का गठन किया जायेगा। इस समूह को जेण्डर शिक्षा आदि पर प्रशिक्षण दिया जायेगा। जिससे बालिका शिक्षा को बढ़ावा मिले। उक्त संघ स्थानीय स्तर पर विद्यालय , वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र , ई०सी०सी० ई० केन्द्र की विभिन्न गतिविधियों का अनुश्रवण कर समुदाय तथा शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु विशेष प्रयास करेगा।

ठहराव परिक्रमा तारांकन :–

विद्यालय में सभी बच्चों की उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु ठहराव परिक्रमा प्रत्येक गांव स्तर पर निकाली जायेगी। जिसमें स्कूल के बच्चें, अध्यापक व अभिभावक एवं समुदाय के लोग शामिल होगें। ठहराव परिक्रमा के दौरान अभिभावक की काउसिलिंग तथा उन बच्चों के घरों के बाहर थोड़ी देर तक खड़े होकर नारे लगा कर बच्चों को विद्यालय लाने का प्रयास किया जायेगा।

तारांकन हेतु:–

- विद्यालय में बच्चों के प्रति अभिभावकों एवं बच्चों को संचेत करने के लिए हरा , पीला, लाल, निशान प्रति माह उनको उपस्थित के आधार पर दिया जायेगा। अभिभावकों को सचेत करने

हेतु उनके घरों पर एवं बच्चों का नाम लिख कर उनके सामने निशान लगा दिया जायेगा। साथ ही उन बच्चों की इस रंग के फीते उनकी शर्ट की जेब पर लगाया जायेगा। उपस्थिति के आधार पर निम्नलिखित तारांकन किया जायेगा।

- **हरा निशान** –माह में 15 दिन या उससे अधिक उपस्थिति पर ।
- **पीला निशान**– माह में 15 दिन से कम या 6 दिन तक उपस्थिति पर ।
- **लाल निशान**– माह में 6 दिन या कम उपस्थिति पर ।

जेण्डर संवेदीकरण प्रशिक्षण :–

बालिकाओं की शिक्षा के प्रति समुदायिक , शिक्षकों का नजरिया बदलने के लिए जेण्डर संवेदीकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम बच्चों के बीच में विद्यालय छोड़ने के कारण उनके निराकरण एवं सामान्य व्यवहार पर चर्चा / सभी बच्चों के प्रति सामान्य व्यवहार पर चर्चा / अभ्यास कर उनका संवेदी करण किया जायेगा।

प्रत्येक ग्राम शिक्षा समितियों का बालिका शिक्षा हेतु क्षमता सवंर्धन कार्यक्रम के अन्तर्गत संवेदन शील बनाने के लिए प्रशिक्षण प्रदान किये जोयेगें। जिसका वर्षवार विवरण निम्नवत है–

YEAR	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
GENDER SENSITIZATION OF VEC	0	0	957	957	957

माँ–बेटी मेला का आयोजन –

गांव स्तर पर माँ–बेटी मेले का आयोजन किया जायेगा। जिसका उद्देश्य महिलाओं को शिक्षा के प्रति जागरूक करके उनके द्वारा उनके बेटियों को विद्यालय में नामांकित कराते हुए उनका ठहराव सुनिश्चित किया जायेगा । प्रत्येक ब्लाक में प्रति वर्ष न्याय पंचायत स्तर पर मेले का आयोजन किया जायेगा । इस मेले का आयोजन उस ब्लाक में किया जायेगा जहां पर महिला साक्षरता दर कम है, और शालात्याग अधिक है।

महिला संसद —

गांव स्तर पर बालिका शिक्षा के प्रति महिलाओं का संवेदीकरण किया जायेगा। महिला संसद , संसद की तरह कार्य करेगी। जिसमें उनके द्वारा शिक्षा सम्बन्धी क्षेत्रीय समस्याओं को उठाया जायेगा। विशेष कर बालिका शिक्षा के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर कैसे किया जाय, का भी समाधान एवं उनका क्रियान्वयन भी किया जायेगा।

मीना कैम्पेन का आयोजन —

जिस गांव की महिला साक्षरता दर कम है तथा शालात्याग अधिक है, उन गावों को माईक्रो प्लानिंग के आधार पर चिन्हित करके समुदाय के साथ शैक्षिक गोष्ठियों का आयोजन किया जायेगा, साथ ही मीना फिल्म दिखा कर बालिका शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डाला जायेगा ।

समुदाय से उक्त दिखाये गये फिल्म पर चर्चा भी किये जायेगें।

कार्यानुभव शिक्षण:—

उच्च प्राथमिक कक्षाओं की बालिकाओं में शिक्षा के साथ—साथ जीवनोपयोगी कौशलों के विकास हेतु कुछ समाजोपयोगी उत्पादक कार्यों यथा बुनाई,कढाई,सिलाई,पेन्टिंग,मोमबत्ती बनाने आदि का भी प्रशिक्षण दिया जायेगा। जिसका वर्षवार विवरण निम्नवत है—

YEAR	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
SUPW FOR GIRLS	0	2	2	2	2

ग्राम शिक्षा समितियों की न्याय पंचायत स्तरीय कार्यशालायें :—

प्रत्येक न्याय पंचायत के समस्त वी0ई0सी0 की आमंत्रित कर कार्यशाला का आयोजन किया जायेगा, जिससे माईक्रो प्लानिंग से प्राप्त आंकड़ों को उनके सम्मुख प्रस्तुत कर शिक्षा के क्षेत्र में आने वाली बाधाओं पर भी चर्चा किया जा सके। जनपद में माडल कलस्टर के 20 न्याय पंचायतों में उक्त कार्यशालाएं जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत की गयी जिसमें निम्नांकित मुद्दे निकल कर आये।

- विद्यालय में अध्यापक की कमी।
- विद्यालय गांव से दूर होना ।
- महिला अध्यापिका का अभाव ।
- महिला अध्यापिका के पास शिक्षण कार्य के अतिरिक्त अन्य कार्य की समस्या ।
- बाढ़ के समय में विद्यालय में जल जमाव ।
- बालिका शिक्षा के प्रति अभिभावकों में अभिरूचि न होना।
- पूर्व माध्यमिक विद्यालयों का अत्यधिक अभाव होना।

कुछ मुद्दों का समाधान समुदाय के सहयोग से किया गया तथा कुछ मुद्दों का समाधान जिला शिक्षा परियोजना समिति के द्वारा किया गया।

- समुदाय / वी0इ0सी0 द्वारा नवीन विद्यालय हेतु भूमि
- वी0इ0सी0 द्वारा नालों पर पुलिया।
- पूर्व मा0 वि0 की मांग
- परियोजना द्वारा शिक्षा मित्रों का चयन ।
- वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों की स्थापना ।
- मीना कैम्पेन, गोष्ठी, प्रभात फेरी, बैठकें आदि।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत भी समस्त एन0पी0आर0सी0 स्तर पर ग्राम शिक्षा समितियों के कार्यशाला की आवश्यकता है।

पी0आर0 ए0 / पी0एल0ए0 विधि :-

इस विधि के माध्यम से कम महिला साक्षरता दर एवं अधिक शाला त्याग वाले विकास क्षेत्र के न्याय पंचायतों में सूक्ष्म नियोजन किया जायेगा । प्राप्त आंकड़ों के आधार पर विशेष क्षेत्र में नामांकन अभियान एवं लक्ष्य समूह का बालिकाओं का नामांकन , वे नियमित रूप से विद्यालय आयें, शैक्षिक सम्प्रति में बृद्धि हो। इस विधि में सीानीय स्वयंसेवी संस्थाओं, ग्राम शिक्षा समिति, उत्साही नवयुवकों , युवतियों महिला प्रेरक समूहों का घर-घर जाकर बच्चों के चिन्हांकन में सहयोग प्राप्त किये जोयेंगें।

शिशु शिक्षा केन्द्रों की स्थापना तथा सुदृढ़ी करण :-

जनपद - कुशीनगर के तीन विकास क्षेत्र में आई0 सी0 डी0 एस0 परियोजना के अन्तर्गत आंगनवाड़ी केन्द्रों का संचालित है। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत उन क्षेत्रों में जहां बड़े बच्चें छोटे बच्चों की देख भाल हेतु घर में रूक जाते है। उन्हें प्राथमिक शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने हेतु आंगनवाड़ी केन्द्रों का संचालन ई0 सी0 सी0 ई0 के रूप में प्राथमिक विद्यालय में चलाये जाने लगे। जिसकी स्वीकृति उ0 प्र0 सरकार के सहयोग से आई0 सी0 डी0 एस0 दी गयी।

3- 6 वय वर्ग के बच्चों के भारीरिक मानसिक विकास के लिए शिक्षा दी जाती है। इसके प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार है-

- छोटे भाई-बहनों की देख-रेख में लगी बालिकाओं को मुक्ति का विद्यालय तक लाना एवं ठहराव सुनिश्चित कराना ।

* 3–6 वय वर्ग के प्रथम पीढ़ी के बच्चों को स्कूल पूर्व तैयार विषयक गतिविधियां उपलब्ध कराना ।
* उचित पोषण आहार एवं स्वास्थ्य शिक्षा द्वारा बच्चों के सामान्य स्वास्थ्य और पौष्टिक आवश्यकताओं की देख–रेख के लिए माताओं को योग्य बनाना ।

ई0 सी0 सी0 ई0 केन्द्र जनपद के तीन विकास क्षेत्र के कुल 163 क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार संचालित किया जा रहा है। यह जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत चलाया जा रहा है। 98–99 , 99–2000 में केवल 3 विकास क्षेत्र पडरौना, खड्डा, दुदही में ही आई0 सी0 डी0 एस0 कार्यक्रम संचालित किये जा रहे थे। परन्तु वर्तमान समय में जनपद के सभी विकास खण्डों में संचालित किये जा रहे हैं जिसमें से डी0पी0ई0पी0 के अन्तर्गत तीन विकास खण्डों के 175 केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण किया गया है । इनके अतिरिक्त से 500 ई0 सी0 सी0 ई0 केन्द्रों का सुदृढ़ी करण सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत किया जाना प्रस्तावित है।

इस प्रस्तावित केन्द्रों के लिए आवश्यक सामग्री यथा खिलौने , रोचक चित्र युक्त पुस्तकें, स्लेट, पेंसिल, आलमारी, दरी इत्यादि की व्यवस्था का भी प्रस्ताव हैं। ई0सी0सी0ई0 कार्यकत्रियों को शिक्षण सहायक सामग्री मद में अनुदान , अतिरिक्त मानदेय, कान्टीनजेन्सी तथा रेकरिंग अनुदान की व्यवस्था प्रस्तावित है सभी कार्यकत्रियों को सेवापूर्ण प्रशिक्षण दिया जायेगा।

माडल कलस्टर डेवलपमेन्ट एप्रोच –

प्रत्येक विकास क्षेत्र के जहां पर महिला साक्षरता दर कम है एवं शाला त्याग अधिक है ऐसे न्याय पंचायत का माईक्रो प्लानिंग के आधार पर चयन किया जायेगा। कलस्टर के अन्तर्गत निम्नलिखित कार्यक्रम संचालित किये जायेगें।

* पी0आर0 ए0 /पी0 एल0 ए0 के माध्यम से सूक्ष्म नियोजन ।

- 6–14 वय वर्ग के समस्त बालिकाओं /बच्चों का शत प्रतिशत नामांकन।
- समुदाय को बालिका शिक्षा के प्रति जागरूक करना ।
- मीना कैम्पेन ।
- कला जत्था द्वारा बालिका शिक्षा के प्रति समुदाय को जागरूक करना ।
- ग्रीष्म कालीन शिविर ।
- किशोरी संघों की सीापना / प्रशिक्षण ।

एम0 टी0 ए0 / पी0टी0ए0 का गठन / प्रशिक्षण न्याय पंचायत स्तर पर वी0ई0 एस0 कार्यशाला जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत 15 एन0 पी0 आर0 सी0 की माडल कलस्टर के रूप में चयनित कर कार्य किया जा रहा है। जिसमें उपर्युक्त के सहयोग से विशेष सफलता मिली है। जिसका वर्षवार विवरण निम्नवत है–

YEAR	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
MCDA	20	15	15	15	15

किशोरी केन्द्र –

जो किशोरियां प्राथमिक शिक्षा के पश्चात विद्यालय छोड़ देती है उनकी सामाजिक , मानसिक विकास हेतु गांव संघ की महिलाओं तथा किशोरी से विचार करके आवश्यकतानुसार स्थानीय महिला को ही अध्यापिका बनाकर केन्द्रों का संचालन कराया जायेगा। इन किशोरी केन्द्रों का उद्देश्य उच्च प्राथमिक शिक्षा केन्द्रों को बढ़ावा देना होगा।

बालिका शिक्षा केन्द्रों का शैक्षिक भ्रमण कार्यक्रम –

बालिकाओं को शिक्षा के प्रति प्रेरित करने तथा उनका ठहराव बनाए जाने हेतु ज्यादा से ज्यादा संख्या में नामांकन हेतु केन्द्रों को शैक्षिक भ्रमण कार्यक्रम भी रखा जायेगा। इन्हें व अन्य ऐसे संगठन जो शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार प्रयोग कर रहे हैं उक्त समूहों का शैक्षिक भ्रमण करा कर उन्हें वर्ष में दो बार शैक्षिक भ्रमण कार्यक्रम रखे जायेगें।

किशोरियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण –

जो किशोरी केन्द्रों पर शिक्षा ग्रहण कर रही हैं उसमें कुछ बालिकाओं को व्यवसायिक प्रशिक्षण हेतु अन्य विभागों से कनवरसेसन कर प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाय। उक्त कनवर्जन्स दो विभाग– डी0आर0 डी0ए0 एवं उद्योग विभाग से किया जायेगा। उक्त व्यवसायिक प्रशिक्षण जैसे चाक बनाना, पत्तल बनाना, सिलाई – कढ़ाई, मोमबत्ती, अगरबत्ती आदि बनाने के प्रशिक्षण दिये जायेगें एवं संघ द्वारा उत्पादन कर व्यवसाय हेतु सामग्री तैयार की जायेगी। उक्त कार्य सामूहिक रूप से होगा। उक्त प्रशिक्षण हेतु एक प्रशिक्षक की व्यवस्था की जाय जो कुशल प्रशिक्षण दे सके।

पूर्व माध्यमिक विद्यालय स्तर पर बालिकाओं के लिए अन्य कार्यक्रम –

बालिकाओं को करके सीखने की शिक्षण विधि के आधार पर प्रत्येक पूर्व मा0 वि0 में कार्यानुभव शिक्षा को बढ़ावा दिया जायेगा। जिसके अन्तर्गत परम्परागत ट्रेड तथा गैर परम्परागत ट्रेड का चयन कर उन्हें आधुनिक तकनीकी से जोड़कर प्रशिक्षण प्रदान किया जाना प्रस्तावित है। उक्त तकनीकी प्रशिक्षण जैसे–रंगाई, सिलाई, कढ़ाई, चाक बनाना, डलिया बनाना, बुनाई, खिलौने बनाना इत्यादि के प्रशिक्षण आयोजित किये जायेगें। जिसका वर्षवार विवरण निम्नवत है–

YEAR	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
SUPW FOR GIRLS	0	2	2	2	2

छात्र अधिगम स्तर का मूल्यांकन (SUPW) –

छात्रों के मूल्यांकन का अभिलेख करने हेतु प्रत्येक छात्र के लिए छात्र प्रगति कार्ड की व्यवस्था की जायेगी। इससे छात्रों की प्रगति से अभिभावक अवगत हो सकेंगें। अभिभावक

की विद्यालय के प्रति सहभागिता बढ़ेगी साथ ही वह अपने बच्चों की शिक्षा के प्रति सोचेंगें। बच्चों में स्वप्रतिस्पर्धा की भावना जागृत होगी।

क्रियात्मक शोध –

शिक्षकों द्वारा क्रियात्मक शोध किया जाना अति आवश्यक है। जिससे विद्यालयी समस्या का समाधान हो सके। अध्यापक स्वयं अपनी समस्याओं की पहचान कर तदनुसार उनके समाधान हेतु प्रयास करेंगें। इस शोध से जहां अध्यापकों की क्षमता का विकास होगा वही दूसरी ओर विद्यालयी शिक्षा में गुणात्मक सुधार भी होगें।

सत्र के मध्य एवं सत्रांत सहारोह –

शिक्षा सत्र के मध्य में एवं सत्र के अन्तिम में अभिभावकों की बैठक करेगें, बच्चों की प्रगति जिसमें बच्चे की उपस्थित तथा उससे प्रभावित होने वाले उनकी उपलब्धि स्तर दोनों को विषय में उन्हें अवगत करायेगें । बच्चों द्वारा सांस्कृतिक गतिविधि अभिभवकों के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी। सत्रांत समारोह में नियमित आने वाले बच्चे को एवं अभिभावक को प्रोत्साहित कर सम्मानित करेगें। अगले सत्र के लिए बच्चों का नामांकन भी सुनिश्चित कराया जायेगा।

निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण –

पाठ्य पुस्तकों के वितरण हेतु परिषदीय विद्यालयों में नामांकन वृद्धि दर को दृष्टिगत रखते हुए श्रोतों के नामांकन का आंकलन किया गया है। अग्रलिखित तालिका ८.८व ८.६ में अनुसूचित जाति के बालको एवं समस्त बालकों का वर्षवार नामांकन प्रक्षेपित कर निःशुल्क पाठ्य पुस्तक की आवश्यकता का ऑकलन कर उनके वितरण का वर्षवार विवरण निम्नवत प्रस्तावित है। परिषदीय विद्यालयों के अतिरिक्त सहायता प्राप्त विद्यालय प्रा०वि० एवं राजकीय प्राप्त हाईस्कूलों एवं इण्टरमीडिएट कालेजों को भी निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण प्रस्तावित है।

सारणी ८.८अ प्राथमिक स्तर

क्र०	स्कूलों का प्रकार	वर्श२००३–०४	वर्श२००४–०५	वर्श२००५–०६	वर्श२००६–०७
१	परिशदीय	१६६०	२२१५४०	२२८८८६	२३६४६५
२	सहायता प्राप्त	०	३९६८	४३५७	४६६५
	योग	१६६०	२२५५०८	२३३२४३	२४११६०

सारणी ८.८अ उच्च प्राथमिक स्तर

क्र०	स्कूलों का प्रकार	वर्श२००३–०४	वर्श२००४–०५	वर्श२००५–०६	वर्श२००६–०७
१	परिशदीय	४६११०	३४७६८	४६३८०	५६१६१
२	सहायता प्राप्त	०	११८९६	१२१९३	१२५५७
	योग	४६११०	४६६६४	५८५७३	६८७४८

सारणी ८.९

प्राथमिक विद्यालय जनपद – कुशीनगर

कमांक	शैक्षिक सत्र	६–११ वय वर्ग के कुल बच्चों की संख्या	कुल नामांकित बच्चों की संख्या	मान्यता / गैर मान्यता प्राप्त वि० में नामांकित बच्चों की संख्या	परिषदीय प्रा० विद्यालयों में नामांकित बच्चों की संख्या	विद्यालय से अर्थात विद्यालय न जाने वाले बच्चों की संख्या	सकल नामांकन अनुपात लम्र	बालिका + अनुसूचित जाति बालकों की संख्या
१	२	३	४	५	६	७	८	९
१	२००१–०२	४७६६४३	४०६६१३	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
२	२००२–०३	४८६५१३	४२६७३७	१८०४६७	२४६२४०	६२७७६	८७११७५८२५८	१८५०५४
३	२००३–०४	५०२७३०	५०२७३०	१६११४१	३११५८६	०	१००	२१४१००
४	२००४–०५	५१६३०३	५६७६३३	२४६८००	३१८१३३	०	११०	२२१५४०
५	२००५–०६	५३०२४३	५८३२६७	२५८१३६	३२५१३१	०	११०	२२८८८६
६	२००६–०७	५४४५६०	५६६०१६	२६६४०७	३३२६०६	०	११०	२३६४६५

सारणी ८.१०

उच्च प्राथमिक विद्यालय जनपद – कुशीनगर

कमांक	शैक्षिक सत्र	११–१४ वय वर्ग के कुल बच्चों की संख्या	कुल नामांकित बच्चों की संख्या	मान्यता / गैर मान्यता प्राप्त उ०प्रा०वि० में नामांकित बच्चों की संख्या	परिषदीय उ०प्रा० विद्यालयों में नामांकित बच्चों की संख्या	विद्यालय से अर्थात विद्यालय न जाने वाले बच्चों की संख्या	सकल नामांकन अनुपात लम्र	बालिका + अनुसूचित जाति बालकों की संख्या
१	२	३	४	५	६	७	८	९
१	२००१–०२	२११५३६	१४५६६१	१२२५४२	२३४१६	६५५७८	६६	१५१४०
२	२००२–०३	२१७२५१	१८६६३५	१४६५४८	३७३८७	३०३१६	८६	२०११०
३	२००३–०४	२२३११७	२११६६१	१५८६७०	५२६६१	११११५६	६५	२२७००
४	२००४–०५	२२६१४१	२४०५६८	१६८४१८	७२१८०	०	१०५	३४७६८
५	२००५–०६	२३५३२७	२५८८५६	१६८२५८	९०६०१	०	११०	४६३८०
६	२००६–०७	२४१६८०	२६५८४८	१५९५०८	१०६३४०	०	११०	५६१६१

उपर्युक्त विवरण के अनुसार प्रत्येक वर्ष परिषदीय विद्यालयों में अध्ययनरत समस्त बालिकाओं तथा अनुसूचित जाति बालकों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण किया जाना प्रस्तावित है।

उच्च प्राथमिक विद्यालय हेतु कम्प्यूटर शिक्षा

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्राथमिक कक्षाओं में कम्प्यूटर शिक्षा का समावेश एक शैक्षिक नवाचार के रूप में किये जाने का निर्णय लिया गया है।प्रारम्भिक शिक्षा में कम्प्यूटर के उपयोग किए जाने से सार्थक परिणाम की सम्भावना है।कम्प्यूटर शिक्षा से जहां एक ओर जहां लक्ष्यों को सीखने में मदद मिलेगी वहीं दूसरी शिक्षकों को विषय सामग्री को बच्चों के सम्मुख प्रस्तुतीकरण में सुविधा होगी।शिक्षकों तथा बच्चों दोनों को नवीनतम ज्ञान के अन्वेषण के अवसर मिल सकेगें।कम्प्यूटर शिक्षा को उपयोगी एवं रोचक बनानें के लिए परियोजना जनपदों में कुछ चयनित स्कूलों में कम्प्यूटर कार्यक्रमों के अन्तर्गत प्रथमतः प्रतिवर्ष 10–10 विद्यालयों को चयनित किया जाएगा तथा एक जनपद में सम्पूर्ण परियोजना अवधि में कुल 50 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा के प्रावधान हेतु प्रतिवर्ष एक मुश्त 60,000/–रू0 व्यय किये जायेंगे।

YEAR	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
Computer Edu. For UPS(equip.)/ UPS	0	24	24	24	24

समेकित शिक्षा –

सभी के लिए शिक्षा का आशय है, सभी बच्चों को शिक्षा में ऐसे में बच्चों का एक वर्ग बचता है जो आजतक शिक्षा के क्षेत्र में उपेक्षित रहे हैं ये बच्चे है अक्षम बच्चें। जो किसी न किसी अक्षमता , दृष्टि सम्बन्धी, श्रवण सम्बन्धी , अस्थि सम्बन्धी एवं मानसिक अक्षमता से ग्रस्त है, देखा जा जाय तो ऐसे बच्चों में यदि अक्षमता है तो अनेक क्षमताएं भी हैं, देखा गया है कि शारिरीक रूप से अक्ष्म बच्चे में मानसिक रूप से अधिक जागरूक एवं क्रियाशील होते हैं। इसके अभिभावक का समाज का एवं साथ ही साथ सभी का यह दायित्व है कि वे अक्षम बच्चों में निहित क्षमाताओं को पहचान कर उन्हें विकसित करने के लिए उत्साहित करके शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया जाय।

समेकित शिक्षा की अवधारणा को इस प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है, जिस योजना के अन्तर्गत अक्षम बच्चों को उनके परिवार से जोड़ते हुए स्थाानीय विद्यालय में सामान्य छात्रों के साथ, सामान्य अध्यापकों द्वारा शिक्षा प्रदान करने की प्रक्रिया जिससे अक्षम बच्चों का विकास अपने परिजन तथा समाज में रहते हुए समाज के अनुरूप उनका सर्वांगीण विकास किया जा सके।

अक्षम बच्चा हमी आप में से किसी का भी हो सकता है, इसलिए समाज के प्रत्येक वर्ग विशेष तथा अध्यापकों के लिए यह सोचने का विषय है कि ये भी समाज के महत्वपूर्ण अंग है, ये भी समाज और देश के विकास कार्यों में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे सिर्फ सहानुभूति के पात्र ही नहीं है।अपितु इन्हे उचित वातावरण और भावनात्मक समर्थन के साथ–साथ शिक्षण प्रशिक्षण की भी जरूरत है।

उद्देश्य —

समेंकित शिक्षा का उद्देश्य यह है कि विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चेां के लिए एक ऐसी शिक्षा प्रणाली शुरू की जाय जिससे समाज एवं सरकार पर आर्थिक बोझ कम पड़े।

समेकित शिक्षा के माध्यम से विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे अपने परिवार में रहकर स्थानीय विद्यालय में सामान्य शिक्षकों के द्वारा अध्ययन करता है। अध्ययन के साथ–साथ पारिवारिक व्यवसाय की जानकारी मिलती रहती है। इसके अतिरिक्त अन्य उद्देश्य हैं–

समाज द्वारा अन्य सामान्य लोगों की भाँति इन विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को स्वीकृति दिलाना और उन्हें शिक्षा तथा रोजगार के समान अवसर उपलब्ध कराना ।

सामान्य बच्चों तथा अक्षमताग्रस्त बच्चों के बीच स्वस्थ सामाजिक सम्बन्ध विकसित करना जिसमें इन बच्चों के प्रति भेदभाव मूलक दृष्टिकोण को बदलकर तथा सकारात्मक बनाया जा सके।

उन्हें स्वतंत्र तथा आत्मनिर्भर जीवन व्यतीत करने हेतु तैयार करना।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा पर विशेष महत्व दिया गया है।

विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के प्रकार –

1. दृष्टि अक्षमता
2. श्रवण अक्षमता
3. अस्थि अक्षमता
4. मानसिक अक्षमता
5. अधिगम अक्षमता

सत्र 2001 –2002 में 0–14 वय वर्ग के अक्षमता ग्रस्त बच्चों की संख्या 3982 हैं जिसमें बालक 2654 तथा बालिकायें 1328 हैं। परन्तु इसका चिन्हांकन सही तरीके से नहीं हो पाया है और न ही 18 वय वर्ग तक के बच्चों का सर्वेक्षण किया गया है।

सारणी 8.11

क्र0सं0	अक्षमता	बालक	बालिका	योग
1.	दृष्टि अक्षमता	284	143	427
2.	श्रवण अक्षमता	297	136	433
3.	अस्थि अक्षमता	1232	608	1840
4.	मानसिक अक्षमता	248	166	414
5.	अधिगम अक्षमता	158	108	266
6	बोलने सम्बन्धी	267	121	388
7	अन्य	202	160	362
	योग	2688	1442	4130

डी0 पी0 ई0 पी0 के द्वारा जनपद में कुल 460 बच्चों का मेडिकल ऐसेमेन्ट कैम्प कराके इसमें 365 बच्चों को विकलांग प्रमाण पत्र दिया गया ।

जनपद — कुशीनगर में कोई स्वयं सेवी संगठन न होने के कारण अध्यापकों द्वारा जनपद के 2 विकास खण्ड दुदही एवं तमकुही में समेकित शिक्षा का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस संस्था द्वारा जनपद में निम्नांकित कार्य किये गये हैं।

- 6–14 वर्श के अक्षम बच्चों का सर्वेक्षण किया गया जिसमें दुदही में 314 बच्चे और तमकुही में 439 बच्चें विभिन्न विकलांग बच्चों को चिन्हित किया गया। इसके बाद समुदाय एवं शिक्षा समितियों को संवेदनशील बनाके इनको नामांकित कराया गया ।
- विकलांग बच्चों के मूल्यांकन के लिए ब्लाक स्तर पर आडियोमीटरी जांच , मानसिक विकलांग बच्चों का आई0 क्यू0 निर्धारण , दृष्टि बाधित बच्चों का दृष्टि क्षमता निर्धारण तीनों विशेषज्ञों द्वारा दिया जाना है। ब्लाक स्तर पर एसे बच्चों के खेल–कूद की प्रतियोगिता का आयोजन किया गया ।

- स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से दुदही के 4 और तमकुही के तीन बच्चों को ट्राइ सायकिल प्रदान किया गया ।
- दुदही एवं तमकुही के शिक्षकों को समेकित शिक्षा के मास्टर ट्रेनर हेतु प्रशिक्षण दिया जा चुका है।

सर्व शिक्षा अभियान में समेकित शिक्षा —

भारत वर्ष की 5–10 प्रतिशत की जनसंख्या किसी न किसी प्रकार की विकलांगता से ग्रसित है। शिक्षा के सार्वजनीकरण में सफलता को प्राप्त करने के लिए सर्व शिक्षा अभियान चलाया जायेगा।

सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्य सभी बच्चो को अनिवार्य रूप से बुनियादी शिक्षा प्रदान करना है। जिसमें विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चें भी सम्मिलित है। सर्व शिक्षा अभियान के मूल अवधारणा में भी ऐसे बच्चे की बुनियादी शिक्षा पर विशेष बल देने की बात कही है। इस उद्देश्य को ध्यान में रख करके जनपद में विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे के बुनियादी शिक्षा के लिए कार्यक्रम प्रस्तावित किये जा रहे है।

जनपद की वर्तमान स्थिति :—

कुशीनगर जनपद जो कि नेपाल सीमा से जुड़ा हुआ है। तराई क्षेत्र होने के कारण आयोडिन की कमी की वजह से अक्षमता का प्रति ात ज्यादा है। जनपद जो कि गोरखपुर मण्डल में सम्मिलित है पूरे मण्डल में किसी प्रकार की विकलांगता का कोई विशेष विद्यालय नहीं है। और पूरे मण्डल में मन्द बुद्धि एवं श्रवण विकलांग बच्चों के जांच का कोई व्यवस्था उपलब्ध नहीं है जिसकी वजह से विकलांग बच्चों की बुनियादी शिक्षा का कार्य केवल समेकित शिक्षा के माध्यम से ही सम्भव है।

शिक्षकों को सर्वेक्षण एवं चिन्हित विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के साथ कार्य करने के लिए अलग से प्रशिक्षण दिया जायेगा । सर्वेक्षण के लिए न्याय पंचायत स्तर पर शिक्षकों का एक दिवसीय प्रशिक्षण कराया जायेगा। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के साथ बेहतर कार्य करने के लिए जनपद के प्राथमिक उच्च प्राथमिक के समस्त शिक्षक शिक्षा एवं शिक्षा मित्रों का प्रशिक्षण कराया जाना प्रस्तावित है।

सर्व शिक्षा अभियान में समेकित शिक्षा को सफल बनाने वाले कारक—

समेकित शिक्षा को सफल प्रभावी तथा अर्थपूर्ण बनाने में सबसे महत्वपूर्ण कारक विकलांग बच्चों के साथ शिक्षक को स्नेह पूर्ण तथा सकारात्मक व्यवहार है। इसके अतिरिक्त शिक्षण परिवर्तन या सुधार की अर्न्तदृष्टि भी अपेक्षित है जिससे इन बच्चों की आवश्यकतानुसार शिक्षण अधिगम की व्यवस्था हो सके।

विकलांग बच्चों के साथ भी सामान्य बच्चों में जैसे व्यवहार किया जाना चाहिए जिससे उनका भी विकास सामान्य बच्चों के तरह हो सके।

सर्व शिक्षा अभियान में जनपद में अपनाई जाने वाले कार्यनीति –

1. **मेडिकल एसेसमेण्ट** — 2–3 न्यायपंचायत मिलाकर न्यायपंचात एवं ब्लाक स्तर पर विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों का मेडिकल एसेसमेण्ट विशेषज्ञ डाक्टरों टीम द्वारा किया जायेगा । इस टीम में नेत्र विशेषज्ञ , आर्थोपेडिक सर्जन, ई0 एन0 टी0 सर्जन एवं मानसिक विशेषज्ञ होंगे । कैम्प में ऐसे बच्चों को भी चिन्हित किया जायेगा जिन्हें उपकरण की आवश्यकता होती है।

2. **क्रियात्मक मूल्यांकन** – चिन्हित विकलांग बच्चों को मेडिकल एसेसमेण्ट के पश्चात् ब्लाक संसाधन केन्द्र पर तीनों विकलांगताओं के विशेषज्ञों द्वारा इन बच्चों का आडियो मीटरी दृष्टि विकलांग बच्चों के दृष्टि क्षमता का निर्धारण आदि।

3. **फाउडेशन कोर्स**– जनपद के शिक्षकों के प्रशिक्षण एवं न्याय पंचायत स्तर एवं विकास खण्ड स्तर पर शैक्षिक सपोर्ट देने के लिए विकास खण्ड से 2 ए0बी.0आर0सी0/एन0पी0आर0सी0 का 45 दिवसीय फाउडेशन कोर्स कराया जायेगा।

4. **मास्टर ट्रेनर्स**– जनपद के शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए प्रत्येक विकास खण्ड से 4–4 मास्टर ट्रेनर्स का चयन करके संस्थान से या जिला समन्वयक समेकित शिक्षा द्वारा कुल जनपद को मिलाकर या मण्डलीय स्तर पर किसी डायट में केन्द्र निर्धारण करके 10 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जा सकता है।

5. **शिक्षकों का प्रशिक्षण** — समूचे देश में एक मात्र सुलभ सुविधा हमारे विद्यालय तथा अध्यापक है। अतः हमें शिक्षकों को इस प्रकार प्रशिक्षित करके तैयार कर देना चहिए कि विशिष्ट आवश्यक वाले बच्चों को सामान्य बच्चों के अधिक शिक्षा दे सकें इसके लिए इन्हें पांच दिवसीय प्रशिक्षण दिया जायेगा। प्रशिक्षण में निम्न विन्दुओं का समावेश किया जाना चाहिए।

1. अध्यापक विकलांग बच्चों की पहचान एवं उनके विकलांगता का निर्धारण कैसे करे।
2. इन बच्चों को विद्यालय तक कैसे लाया जाये।
3. इन बच्चों के लिए सामान्य बच्चों के साथ कैसे शिक्षित किया जाये।
4. इन बच्चों के लिए अलग से कैसे सपोर्ट किया जाये एवं उचित मूल्यांकन कैसे किया जाये।
5. अकादमी क्षेत्र में बार–बार की विफलता से उत्पन्न निराश बच्चों को विद्यालय छोड़ने से कैसे रोका जाये।

6. **स्वास्थ्य परीक्षण** — प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत सभी बच्चों का स्वास्थ परीक्षण स्वास्थ विभाग के सहयोग से कराया जायेगा। इसके लिए दूरस्थ सीनों पर डाक्टरों को ले जाने हेतु यात्रा भत्ता एवं परिवहन की व्यवस्था की

जानी होगी। जनपद के समस्त प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालयों में स्वास्थ्य परीक्षण की प्रगति रिपोर्ट लिखने के लिए एक रजिस्टर रखा जायेगा।

शिक्षकों के लिए पाठ्य सामग्री का विकास –

जनपद में प्रा0 वि0 के शिक्षक उच्च प्राथमिक विद्यालय के लिए एवं शिक्षा मित्रों को मिलाकर कुल 3491 शिक्षक वर्तमान है। इन शिक्षकों के प्रशिक्षण में सहयोग के लिए विभिन्न प्रकार के पुस्तक एवं फोल्डर का मुद्रण कराया जायेगा जो निम्नवत है।

1. श्रवण अक्षमता के कारण पहचान एवं आवश्यक उपकरण ।
2. शारिरिक अक्षमता के कारण एवं आवश्यक उपकरण ।
3. दृष्टि अक्षमता के कारण पहचान एवं आवश्यक उपकरण।
4. मानसिक अक्षमता से सम्बन्धित फोल्डर।
5. अधिगम अक्षमता से सम्बन्धित फोल्डर।

इसके अतिरिक्त शिक्षकों के लिए विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की समस्या पहचान कक्षा प्रबंन्धन में शिक्षक की भूमिका एवं जन समुदाय को संवेदनशील बनाने के लिए आप क्या कर सकते " फोल्डर विकसित किये जायेंगें।

ब्लाक संसाधन समूहों की स्थापना –

अक्षम बच्चों के शिक्षण में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए ब्लाक संसाधन केन्द्र पर अक्षम बच्चों के लिए उनमें विशेष प्रकार के शैक्षिक सहायता सामग्री उपलब्ध करायी जाये एवं तीनों विकलांगताओं के विशेशज्ञ सन्दर्भ व्यक्ति को रखा जाये जो नियमित रूप से अभिभावक परामर्श शिक्षक प्रशिक्षणेत्तर एक आवश्यक उपकरणों के रख – रखाव का कार्य करेंगें।

टी0एल0एम0 — सामान्य बच्चों के साथ विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के लिए भी टी0एल0एम0 का निर्माण भी कराया जाये। ये टी0एल0 एम0. कुछ अलग होते इसके लिए अतिरिक्त धनराशि की भी आवश्यकता होगी।

अक्षम बच्चों को ध्यान में रखकर विद्यालय का निर्माण —

अब से जो भी विद्यालय निर्माण कराया जाय या बने हुए विद्यालय में सुधार किया जाये इसके निम्न बिन्दु हों सकते हैं।

रैम्प का निर्माण —

1. प्रत्येक विद्यालय में रैम्प का निर्माण अवश्य कराया जाये शारिरिक विकलांग बच्चों के चलने में सुविधा हो।

2. आई0 ई0 डी0 के लिए लर्निंग कार्नर – बच्चे सहायक सामग्री के माध्यम से आसानी से सीखते है। समेकित शिक्षा के बच्चों के लिए सामग्री आधारित शिक्षक और भी अधिक उपयोगी है। सहायक सामग्री का निर्माण अध्यापक एवं बच्चों द्वारा कराया जाये इसके लिए कुछ सामग्री जो निम्न हों–

- आंशिक दृष्टिवान बच्चों के लिए पुस्तक पढ़ने के लिए आवर्धक लेंस का प्रयोग ।
- श्रवण विकलांग बच्चों के लिए श्रवण यंत्र का प्रयोग एवं रख रखाव करना सिखाया जाये।
- मानसिक विकलांग बच्चों को खेलते हुए पढ़ने का अभ्यास ।
- यदि पूर्ण दृष्टिहीन बच्चा है तो ब्रेल लिखने या पढ़ने का अभ्यास ।
- इस प्रकार के सामग्री का बच्चे एवं अध्यापक निरन्तर आसानी से प्रयोग करे इसके लिए आवश्यक है कि सामग्री कक्षा में लर्निंग कार्नर बना कर रखी जाये।

3. **आई0 ई0 डी0 के लिए पुस्तकालय —**

समेकित शिक्षा के बच्चों के लिए विद्यालय में स्थित पुस्ताकालय में अलग से एक रैक रखा जायें एवं उनके सम्बन्धित पुस्तकें उसमें रखी जाये।

उपकरण एवं उपस्कर –

समेकित शिक्षा के बच्चों के शिक्षण कार्य के सहयोग के लिए विभिन्न प्रकार के उपकरण की आपूर्ति विभिन्न संस्थाओं के सहयोग से की जाती है। इसके लिए निम्न संस्थाओं से सम्पर्क किया जा सकता है।

1. राष्ट्रीय एवं विकलांग संस्थान 116 रापुर रोड देहरादून।
2. अली यादवगंज राष्ट्रीय श्रवण विकलांग संस्थान बान्द्रा , मुम्बई ।
3. एलिम्को, जी0टी0 रोड, कानपुर 208016।
4. अमर ज्योति रिहैविलटेशन एण्ड रिसर्च सेन्टर ककरडुमा विकास मार्ग दिल्ली ।
5. भारत सरकार के सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा स्थापित कम्पोजिट फिटमेण्ट सेन्टर।
6. राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान , मनो विकास नगर सिकन्दराबाद।
7. नेशनल ऐसोसिएशन फार डिब्लाइंड, एजू0 डिपार्टमेण्ट काटेग्रीन एल पी बाला काम्पलेक्स मुम्बई।
8. मंगलम, ए – 445 इन्दिरा नगर लखनंऊ।
9. यू0पी0 विकलांग केन्द्र, 13 लुकरगंज इलाहाबाद।

उपकरण एवं उस्कर विरण शिविर :–

विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा के मुख्य धारा से जोड़ने के लिए उपकरण एवं उस्कर की आवश्यकता होती है। जो मेडिकल ऐसेसमेण्ट में निर्धारित उपकरण एवं उपस्कर ब्लाक स्तर पर कैम्प लगाकर वितरण किया जायेगा।

आई0 ई0 पी0 का निर्माण –

विशेषज्ञ संदर्भ व्यक्ति द्वारा अति गम्भीर एवं बहुविकलांग के अभिभावक को परामर्श दिया जायेगा। पूरे ब्लाक के सर्वेक्षण के पश्चात चिन्हित विकलांग बच्चों के आवश्यक परामर्श हेतु उनके लिए कार्यरत संस्थाओं के माध्यम से ब्लाक स्तरीय एक परामर्श शिविर का आयोजन किया जायेगा।

आंगनवाडी कार्यकत्रियों की दो दिवसीय कार्यशाला :–

जनपद के समस्त 14 विकास खण्डों में आंगनवाड़ी का संचालन किया जा रहा है। विद्यालयीय पूर्व शिक्षा में विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के शिक्षा के लिए जनपद के समस्त कार्यकत्रियों के लिए दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जायेगा।

जनपद में आयोजित खेल, कूद प्रतियोगिता एवं सास्कृतिक कार्यक्रम में प्रतिभाग कराना :–

खेल ही एकता एवं मानवता पैदा करती है। वहीं इसके साथ–साथ शारिरिक एवं मानसिक विकास भी होता है। इस लिए जनपद में विभिन्न स्तर जैसे न्यायपंचायत स्तर , विकास खण्ड स्तर एवं जिलास्तर पर आयोजित खेल–कूद प्रतियोगिता एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिता समेकित शिक्षा में बच्चों को प्रतिभाग कराया जाय एवं अलग से भी इनके लिए विभिन्न अवसरों पर विभिन्न प्रकार के खेल एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किये जा सकते हैं। जैसे खेल–कूद में जलेबी की दोड़, कुर्सी दौड़, क्रिकेट प्रतियोगिता आदि।

सांस्कृतिक प्रतियोगिता में अनतांक्षरी, गायन एवं वादन प्रतियोगितावाद , वाद–विवाद प्रतियोगिता आदि।

उपरोक्त प्रतियोगिताओं विभिन्न अवसरों पर साथ–साथ या अलग से जैसे विकलांग दिवस लुई ब्रेल के जन्म दिन पर आयोजित किया जाये।

वातावरण सृजन —

समेकित शिक्षा को प्रभावित बनाने हेतु सबसे पहले वातावरण सृजन का कार्य करना अति महत्वपूर्ण विषय है वातावरण को समेकित शिक्षा के अनुकुल बनाने के लिए मानव शिक्षा एवं समुदाय को बैठक कार्यशाला एवं संगोष्ठियों के माध्यम से अभिप्रेरित किया जाना अनिवार्य हैं। इसके अतिरिक्त वातावरण निर्माण के लिए निम्न कार्य नीतियां अपनाई जाती है।

- फोल्डर बैनर, पम्पप्लेट, वाल पेन्टिंग, हैण्डिंग बोर्ड आदि के माध्यम से व्यापक सूचना प्रसार वातावरण सृजन का कार्य सुलभ किया जायेगा।
- वातावरण सृजन के अन्तर्गत शिक्षकों भूमि अभिभावकों को एवं समुदाय को प्रेरित करने के लिए निम्न कार्य किये जाने की आवश्यकता है।

समुदाय सहायता —

ग्राम शिक्षा समिति को विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के शिक्षक प्रगति के लिए अभि प्रेरित करना समेकित शिक्षा हेतु अनुकूल माहौल बनाने के लिए गांव के लोगों को जागरूक बनना, विशिष्ट अवसर वाले बच्चों को समान अवसर प्रदान करना । ग्राम शिक्षा समिति को प्रशिक्षण एवं बैठक के माध्यम से कार्यशील बनाना, ग्राम शिक्षा समिति के गठन में समय विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के अभिभावकों को पर्याप्त सर्मथन देना ।

अभिभावक :—

विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के लिए कार्य का पता लगाना और उन्हें अपने रूचि के अनुसार कार्य करने देना उनके द्वारा किये गये कार्य में इस ढ़ंग से उनकी सहायता करना उन्हें यह मालूम न हो कि उन्हे कमजोर समझ कर उनकी सहायता की जा रही है। उनके आत्म विश्वास एवं आत्म सम्मान को बढ़ावा देना एवं उनके द्वारा किये गये कार्यों पर प्रोत्साहन देना ।

शिक्षक :—

विद्यालय वातावरण को ऐसे बच्चों के लिए उपयोगी बनाना, ऐसे बच्चों में विशेष लगाव प्रदर्शित कराना, ऐसे बच्चों को शिक्षक द्वारा स्वस्थ्य खेल एवं मनोरंजन आदि के अवसर उपलब्ध कराना ऐसे बच्चों के प्रति समस्या बच्चों में सकारात्मक दृष्टि उत्पन्न करना।

प्रत्येक कार्य में उनकी बराबर की भागीदारी सुनिश्चित करना ऐसे बच्चों के साथ संवेदनशीलता के साथ व्यवहार का समाज एवं विद्यालय के वातावरण को अनुकूल बनाया जा सकता है। तथा बच्चें सफलता पूर्वक शिक्षा पूर्ण कर सकते हैं।

उपयुर्क्त वातावरण सृतन के लिए निम्नलिखित स्तर पर गोष्ठियां आयोजित करने की आवश्यकता है।

जनपद स्तरीय गोष्ठी :—

जनपद स्तरीय गोष्ठी जिलाधिकारी की अध्यक्षता में विकलांग कल्याण अधिकारी समाज कल्याण अधिकारी , मुख्यचिकित्साधिकारी एवं जन प्रतिनिधियों एवं जिले के प्रतिष्ठित नागरिकों के साथ समेकित शिक्षा को सफल बनाने के लिए जनपद स्तर गोष्ठी की जायेगी।

ब्लाक स्तर गोश्ठी:—

समेकित शिक्षा समुदाय को संवेदनशील बनाने के लिए जनप्रतिनिधयें एवं ब्लाक के सम्मानित नागरिक के साथ एवं गोष्ठी का अयोजन किया जायेगा। जिसमें अक्षमता ग्रस्त बच्चों

की शिक्षा एवं शासन सत्ता से मिलने वाला सहयोग के बारे में चर्चा किया जायेगा। इसमें मीडिया के लोागें को भी आमंत्रित किया जायेगा।

न्याय पंचायत स्तरीय गोष्ठी :-

जनपद के समस्त न्याय पंचायत स्तर पर वातावरण सृजन के लिए गोष्ठी का आयोजन किया जायेगा जिसमें न्याय पंचायत के जन प्रतिनिधियां सम्मानित नागरिक एवं सक्षम बच्चों के अभिभावको को आमंत्रित किया जायेगा।

नारा लेखन :—

विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चो क अभिभावकों एवं जन समुदाय को संवेदनशील बनाने के लिए जनपद के गांव में नगरों में एवं प्रमुख मार्ग पर नारा लिखना, वाल पेन्टिंग, बैनर पोस्टर एवं होर्डिगं बोर्ड लगाया जाय।

समेकित शिक्षा में स्वयं सेवी की भूमिका :—

सर्व शिक्षा अभियान मे विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चें की समेकित शिक्षा पर विशेष बल दिया गया है। शिक्षा के मृंख्य धारा से ऐसे बच्चों को जोड.ने के लिए स्वयं सेवी संगठनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। स्वयं सेवी सगठन जन समुदाय को संवेदनशील बनाना अभिभावकों को परामर्श देना शिक्षकों को प्रशिक्षण देना एवं शिक्षक रिपोर्ट प्रदान करना है। जनपद—कुशीनगर में कोई भी ख्याति प्राप्त स्वयं सेवी संगठन नही है लेकिन ....

एन० जी० ओ० की शर्ते —

1. संस्था सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के अन्तर्गत कम से कम तीन वर्ष पूर्व रजिस्टर्ड हो तथा नवीनीकरण हुआ हो।
2. संस्था के पास विकलांगता क्षेत्रों के विशेषज्ञों की उपलब्धता है।
3. विकलांगता के क्षेत्र. में कार्य करने का कम से कम दो वर्ष का अनुभव हो।
4. संस्था विकलांगता को जन्म अधिनियम 1995 की धारा 5 के अधीन पंजीकृत हो।

बी0आर0 सी0 की भूमिका :—

समन्वयक सहसमन्वयक शिक्षकों के जांच कर्ता का निरीक्षक नहीं है। वल्कि कठिनाईयों , कमियों को भी दूर करने में मददगार मित्र हैं। शिक्षक साथियों के शिक्षक अनुसमर्थन हैं।

समेकित शिक्षा के क्षेत्र में बी0 आर0 सी0 की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि बी0आर0 सी0 के समन्यवय से ही समेकित का संचालन सुचारू रूप से किया जा सकता है। इस क्षेत्र में बी0 आर0 सी के कार्य निम्नवत है।

1. ग्राम पंचायत स्तर पर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की बोध एंव पहचान प्रश्नावली के माध्यम से सर्वेक्षण किया जाना । ग्राम पंचायत स्तर पर सर्वेक्षण के स्तर पर एन0 पी0 आर0 सी0 /बी0 आर0 सी के लेबल पर सर्वेक्षण कार्यो की समीक्षा कर वास्तविक चिन्हिकरण कर रिर्पोट को जिला स्तर पर प्रेरित करना ।

2. प्रचार प्रसंग विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा के मुख्य धारा से जोड़ने , उसकी निजी कठिनाइयों को समझनें के साथ में उन्हें समर्थन प्रदान करने हेतु गांव में व्यापक प्रचार प्रसार कराना।

3. बैठक ग्राम सभा के स्तर से लेकर ब्लाक स्तर तक शिक्षित युवा, युवतियों एन0 जी0 ओ0, वी0 आई. सी0., सी0 आर0 सी0, बी0 आर0 सी0 एवं जन प्रतिनिधियों तथा ग्राम प्रधान वी0ई0 सी0 सदस्य के साथ बैठकर आयोजित करना। इन बैठकों के माध्यम से जनसमुदाय को संवेदन शील बनाना।

4. मार्ग दर्शन – अभिभावक शिक्षक एवं जन समुदाय विशेष आवश्यकता को इन बच्चों के समस्याओं को समझने एवं उनके कठिनाइयों को दूर करने के साथ–साथ उनके शिक्षा के प्रति जागरूक हेतु मार्ग दर्शन प्रदान करना ।

5. नैतिक समर्थन :– अभिभावकों शिक्षकों एवं ग्राम वासियों को ये समझाना कि अब बच्चे आम बच्चों की तरह पढ़ लिख सकते है। तथा अन्य क्रिया कलापों में बढ़चढ़ कर हिस्सा ले सकते हैं वशर्ते की इन्हे मानवीय आधार पर नैतिक समर्थन प्रदान किया जाय। और उनका उपहास न उड़ाया जाय।

6. अध्यापक प्रशिक्षण :– बी0आर0 सी0 स्तर पर होने वाले समस्त शिक्षक प्रशिक्षण आयोजित कराना।

एन0 पी0आर0 सी0 की भूमिका :—

समेकित शिक्षा के लिए अपनाये गये समस्त कार्यक्रमों एवं रणनितियों सुचारू रूप से क्रिया करने का कार्य प्रमुख रूप से एन0 पी0 आर0 सी0 का है। अतः एन0 पी0. आर0 सी0 की भूमिका अतिविशिष्ठ हो जाती है। समेकित शिक्षा को दृश्टिगत रखते हुए संसाधन केन्द्र को सुसज्जित बनाना । अभिभावकों से सम्पर्क शिक्षकों की मदद एवं प्रभावी अनुश्रवण का कार्य एन0 पी0 आर0 सी0 द्वारा किया जायेगा। तथा उस सामाजिक गतिविधियें के माध्यम से विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा मुहैया कराना तथा इन्हें विकास की ओर अग्रसर कराना एवं बी0आर0 सी0 को रिपोर्ट प्रेषित करना।

वास्तव मे उपस्कर एवं उपकरण निःशुल्क वितरण करने वाली कई संस्थायें है। परन्तु प्रशिक्षण के बाद प्रायः ये संस्थायें उपकरण नहीं उपलब्ध करा पाते है। अतः जनपद के 14 विकास खण्डों में समेकित शिक्षा को पूर्ण रूप से सफल बनाने के लिए निम्नवत उपकरणों का प्रस्ताव किया गया है।

सामुदायिक गतिशीलता कार्यक्रम :—

सर्व शिक्षा अभियान के सफल संचालन हेतु समुदाय की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। आज के परिस्थितियों मे जब सत्ता का विकेन्द्रीकरण हो चुका है तथा प्रत्येक स्तर पर समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित की जा चुकी है। इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में स्थानीय स्तर ग्राम शिक्षा समितियों , नगर शिक्षा समितियों को जागरूक मजबूत एंव सक्रिय बनाना होगा। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्राम शिक्षा समितियों एवं नगर शिक्षा समितियों को

प्रशिक्षित वी0आर0 जी0 के माध्यम से किया गया है। यह प्रशिक्षण तीन दिवसीय था । उक्त प्रशिक्षण के दौरान सर्वेक्षण , शैक्षिक मान चित्रण का कार्य भी किया गया। जिसमें शिक्षा सम्बन्धी मुद्दे निकल कर आये । प्रशिक्षण में विद्यालय के प्रति समुदाय का क्या कार्य एवं उत्तरदायित्व है स्पष्ट किया गया।

सामुदायिक गतिशीलता को प्रभावी बनाने हेतु अन्य विभागों से कनवर्जन्स कर कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। उक्त प्रशिक्षणों एवं कार्यक्रमों के क्रियान्वयन उपरान्त भी अभी अधिकांश ग्राम शिक्षा समितियों का सहयोग नही मिल पा रहा है। सर्व शिक्षा अभियान के किये जाने प्रशिक्षण में स्थिति को ध्यानगत रखते हुए उनके दायित्यों एवं कर्त्तव्यों का बोध कराने हेतु प्रशिक्षण एवं कार्यक्रमों से जोड़ा जायेगा।

वातावरण सृजन :—

समुदाय को सक्रिय एवं गतिशील बनाने हेतु वातावरण सृजन का कार्य प्रत्येक वर्ष किया जायेगा । उक्त कार्य निम्नलिखित माध्यम से किये जायेगें—

जनपद स्तर से लेकर ग्राम स्तर पर गोष्ठियों का आयोजन कला जत्था के माध्यम से गांव —गांव में नुक्कड़ नाटक के द्वारा , रैली, प्रभात फेरी, प्रेस मीडिया, होर्डिंग्स , पिक्चरहाल में स्लाइड दिखाकर , विचार विमर्श, दिवार लेखन, नुक्कड़ सभाओं के माध्यम आदि के द्वारा वातावरण सृजन किया जाना।

ग्राम शिक्षा समितियों एव नगरीय शिक्षा समितियों का प्रशिक्षण '—

विद्यालय एवं समुदाय के बीच सामंजस्य स्थापित करने हेतु ग्राम शिक्षा समितियों एवं नगर शिक्षा समितियों का प्रि क्षण कराना आवश्यक है। नवीन चयनित शिक्षा समितियों का प्रशिक्षण तथा प्रति दो वर्ष पर दो दिवसीय पुर्न बोधात्मक प्रशिक्षण दिया जायेगा। पुर्नबोधात्मक

प्रशिक्षण की आवश्यकता इस लिए है जिससे समुदाय को नयी गति विधियों को बताया जा सके एवं उनकी सहभागिता विद्यालय, नामांकन , ठहराव हेंतु सुनिश्चित हो सके।

समुदाय द्वारा किये जाने वाले कार्य एवं उत्तरदायित्व :–

माइक्रोप्लानिंग आंकड़ों का संकलन / विश्लेषण (ग्रामीण /नगर क्षेत्र)

शिक्षा के सर्वांगीण विकास हेतु समुदाय वी0ई0 सी0 के सहयोग से जनपद के समस्त गाव/ मजरों का सूक्ष्म नियोजन करने की आवश्यकता है। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत 2001 में सूक्ष्म नियोजन कराया जा रहा है जिसका आंकड़ा केवल प्राथमिक शिक्षा के लिए उपयोगी था। परन्तु सर्व शिक्षा अभियान परियोजना प्रारम्भ के समय पुनः माईक्रो प्लानिंग की आवश्यकता है।

1. परिवार सर्वेक्षण :–

शिक्षक/शिक्षिकाओं , ग्राम वासियों /ग्राम शिक्षा समितियों , स्थानीय शिक्षित नव युवक/ युवतियों के समूह द्वारा गांव के प्रत्येक परिवार के सदस्यों की शिक्षा की वास्तवित स्थिति का पता लगाया जायेगा, परिवार का शैक्षिक सर्वेक्षण किया जायेगा। सर्वेक्षण के समय अभिभावकों , ग्राम वासियों को शिक्षा के प्रति जागरूक करने एवं रूचि उत्पन्न करने का कार्य किया जायेगा। जिससे गांव का शैक्षिक विकास हो सके। पूरे गांव का सर्वेक्षण हेतु तीन–चार सर्वेक्षण दलों का गठन किया जायेगा। जिसमें महिलाएं भी शामिल की जायेगी। सर्वेक्षण कार्य निर्धारित परिवार संर्वेक्षण प्रपत्र पर किये जायेगें एवं गांव के सभी परिवारों की सूचनाओं का संकलन करेंगें, प्रत्येक वर्ष उक्त सूचना अपडेट किये जायेगें।

सर्व शिक्षा अभियान में निर्धारित लक्ष्या की प्राप्ति हेतु समुदाय का सक्रिय सहयोग अति **आवश्यक है। पंचायतीराज** व्यवस्था के अन्तर्गत विकेन्द्रीकृत प्रक्रिया के अनुसार विभिन्न स्तरों **पर समितियों का** गठन किया जा चुका है एवं सर्व शिक्षा अभियान अन्तर्गत ब्लाक शिक्षा **समितियों को सुदृढ़ीकृत** एव क्रियाशील बनाने पर जोर दिया जायेगा। शैक्षिक गोष्ठियों, **नामांकन, ठहराव** परिक्रमा सूक्ष्म नियोजन, शैक्षिक नियोजन एवं क्रियान्वयन आदि शिक्षा से **संबंधित समस्त विकास** कार्यों एव एस.एस.ए. के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु **पंचायतीराज समितियों** का सहयोग लिया जायेगा।

अध्याय – 9

गुणवत्ता संवर्द्धन

जनपद में शिक्षा की गुणवत्ता का परिदृश्य :

कुशीनगर जनपद में प्राथमिक शिक्षा की स्थिति में बदलाव के लिये वर्ष 99–2000 जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम आरम्भ की गई है। DPEP के अन्तर्गत भौतिक सुविधाओं तथा संसाधनों का सृजन और संवर्धन कारने के अतिरिक्त गुणवत्ता सुधार हेतु कार्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है। जनपद स्तर पर जिला एवं प्रशिक्षण संस्थान के अकादमिक नेतृत्व में प्रशिक्षण/अकादमिक पर्यवेक्षण, शिक्षकों को कार्यस्थल पर सहयोग – समर्थन हेतु योजनावद्ध कार्य किया जा रहा है। इस कार्य में जनपद में स्थापित बी0आर0सी0 तथा एन0पी0आर0सी0 की महत्वपूर्ण भूमिका, है। बी0आर0सी0 एन0पी0आर0सी0 सह समन्वयकों को उनके कार्य तथा दायित्वों के सम्बन्ध में दस दिवसीय तथा अकादिमिक पर्यवेक्षण के संदर्भ में तीन दिवसीय प्रशिक्षण डायट स्तर पर आयोजित किये गये। समन्वयकों द्वारा नियमित विद्यालय भ्रमण, आदर्श पाठों का प्रस्तुतीकरण, विद्यालयों, एन0पी0आर0सी0 तथा बी0आर0सी0 का उनके भौतिक – अकादिमिक पक्षों के आधार पर श्रेणीकरण , एन0पी0आर0सी0 स्तर पर मासिक बैठकों में शिक्षकों की समस्याओं के समाधान, शिक्षण सामग्री मेलों का आयोजन आदि उपायों के माध्यम से नियमित गुणवतता अनुश्रवण, कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। यह अनुभव किया गया कि आवश्यकताओं की पूर्ति तो की जा सकती है किन्तु कतिपय

क्षेत्र अनाच्छादित रह रहे हैं जिन्हें समुचित प्रकार से सहयोग और पर्यवेक्षण नहीं प्रदान किया जा सका है, **यथा** –

1. उच्च प्राथमिक स्तरीय विद्यालयों तथा शिक्षकों की अकादमिक आवश्यकताओं पर पूरा ध्यान **नहीं** दिया जा सका है।

2. अशासकीय हाईस्कूल, इण्टर कालेज के साथ संचालित कक्षा 6–8 तथा 1–5 के बच्चों **की** शैक्षिक आवश्यकताओं – कठिनाइयों के निवारण, शैक्षिक सम्प्राप्ति स्तर में सुधार और शिक्षकों की कठिनाइयों को दूर करने हेतु अकादमिक पर्यवेक्षण की परिधि में **नहीं** लाया गया हैं।

3. मकतब, मदरसों में अध्ययनरत बच्चे तथा अनेक शिक्षक भी जनपद में संचालित गुणवत्ता विकास कार्यक्रम में लाभान्वित **नहीं** हो रहे हैं।

1. जनपद में प्राथमिक विद्यालयों **की** संख्या – 1387
2. जनपद में उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संख्या – 146
3. जनपद में माध्यमिक विद्यालयों की सं0 (कक्षा 6, 7, 8 संचालित है)–
4. जनपद में ई0सी0सी0ई0 केन्द्रों की संख्या – 50

2. स्कूल पूर्व शिक्षा –

प्राथमिक शिक्षा के सर्वाजनीकरण में स्कूल पूर्व शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए जनपद के 3 विकास खण्डों में 50 "आंगन वाड़ी" केन्द्रों का संचालन किया गया। महिला एवं बाल विकास विभाग उ0प्र0 द्वारा जनपद में संचालित परियोजना के आंगनबाड़ी केन्द्रों में से 50 केन्द्रों की कार्यकत्रियों तथा सहायिकों को 8 दिवसीय प्रशिक्षण डायट में दिये गये। इनके पर्यवेक्षण हेत संबंधित एन0पी0आर0सी0 समन्वयकों को भी प्रशिक्षित किया गया। इन केन्द्र का समय दो घंटा बढ़ाकर बच्चे खासकर

लड़कियों को अपने छोटे भाई–बहनों की देखभाल से मुक्त कर विद्यालय शिक्षा हेतु अवसर दिया गया।

डी0पी0ई0पी0 की ओर से केन्द्रों की कार्यकत्रियों तथा सहायिका के अतिरिक्त मानदेय, अभिमुखीकरण, प्रशिक्षण और प्रतिवर्ष आठ दिवसीय पुनर्वोधात्मक प्रक्षिण केन्द्रों के लिए खेल सामग्री, उपकरण, शिक्षण सामग्री हेतु रु0 5000 तथा आकस्मिक व्यय हेतु वार्षिक रु0 1500 भी प्रदान किया गया। शिशु शिक्षा केन्द्रों के पर्यावेक्षण से ग्राम शिक्षा समिति तथा प्रधानाध्यापक को भी जोड़ा गया।

इस सुविधा से काफी प्रभाव पड़ा है –

1. बच्चाों को विद्यालयों में नामांकन बढ़ा है।
2. बालिकाओं के नामांकन में भी वृद्धि हुई है।
3. बच्चों ने विद्यालय में रुके रहने की आदत विकसित हुई है।
4. शिक्षा के प्रति बच्चों में रुचि बढ़ी है।
5. जो बच्चें विशेषतौर पर लड़कियाँ जो छोटे भाई बहनों की देखरेख की वजह से विद्यालय नहीं आती थीं, आने लगी हैं।

ग्राम शिक्षा समिति :

प्राथमिक शिक्षा व सार्वजनीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने की दृष्टि से डी0पी0ई0सी0 के अन्तर्गत विद्यालय प्रबन्धन तथा क्रियान्वयन में स्थानीय समुदाय की सहभागिता बढ़ाने के लिये स्कूलों के प्रति समुदाय के लगाव को प्रोत्साहित करने के लिए ग्राम शिक्षा समिति का गठन किया गया है। ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष ग्राम प्रधान होता है तथा इसमें महिलाओं, अनुसूचित जाति जनजाति के अभिभावकों, सेवी संगठन के सदस्यों को भी प्रतिनिधित्व दिया गया है। समिति का सदस्य सचिव

परिषदीय विद्यालय का प्रधानाध्यापक होता है। इसके अतिरिक्त समिति में विकलांग बच्चों के अभिभावकों को भी सम्मिलित करने के निर्देश हैं। विद्यालय ीवन की मरम्मत, अनुरक्षण, विद्यालय की अन्य सुविधाओं, भवन निर्माण आदि का उत्तरादायित्व ग्राम शिक्षा समिति का है। इसके अतिरिक्त ग्राम शिक्षा समिति विद्यालय तथा शिक्षकों के कार्यों का भी पर्यवेक्षण करती है तथा शिक्षामित्रों का चयन प्रस्ताव भी करती है।

डी0पी0ई0पी0 में जनपद कुशीनगर में डायट के नेतृत्व में ग्राम शिक्षा समितियों को तीन दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया गया। ग्राम शिक्षा समितियों के प्रशिक्षण के लिए जिला संसाधन समूह (डी0आर0जी0) तथा ब्लाक संसाधन समूह (बी0आर0जी0) का गठन किया गया। ब्लाक संसाधन समूह में नेहरू युवा केन्द्रों के स्वयं सेवकों सेवानिवृत्त स्वयं सेवी संगठनों के अनुक्रम मं बी0आर0जी0 के सदस्यों ने ग्राम शिक्षा समितियों के लिए विकेन्द्रीकृत प्रशिक्षण आयोजित किया जा रहा है। ये प्रशिक्षण ग्राम स्तर पर आयोजित किये जाने है तथा ये निम्नांकित बिन्दुओं पर आधारित है।

1. प्रतिभागितापरक विश्लेषण और समस्या समाधान अभ्यास कार्य।
2. कौशल निर्माण अभ्यास कार्य।
3. समुदाय तथा ग्राम शिक्षा समिति के अभ्यासों का सफलतापूर्वक प्रस्तुतीकरण।
4. प्रतिभागिता उपागम, रोल प्ले, केस स्टडी, क्षेत्र भ्रमण और सम्प्रेषण अभ्यास।

जनपद में ग्राम शिक्षा समितियों को अधिक क्रियाशील बनाने, विद्यालय की गतिविधियों में उनकी प्रतिभागिता को बढ़ाने तथा शैक्षिक विकास हेतु विद्यालयों में योगदान देने के लिए आयोजित इस प्रशिक्षण में स्कूल मैपिंग तथा माइक्रोप्लानिंग अभ्यास भी किये गये तथा इसके आधार पर ग्राम शिक्षा योजनायें तैयार की गई। ग्राम शिक्षा योजना विद्यालय स्तर पर सुरक्षित की गई है तथा उनका क्रियान्वयन किया जाता है।

विद्यालय स्तर पर नियोजन, स्कूल न आने वाले बच्चों की पहचान तथा उनके स्कूल न आने के कारणों की पहचान के लिए सूक्ष्म नियोजन और विद्यालय मानचित्रण का कार्य किया गया है। ग्राम शिक्षा समितियों के प्रशिक्षण के दौरान ग्रम शिक्षा समिति – 'संकल्प एवं प्रयास' नामक माड्यूल का उपयोग किया गया है जिसमें सूक्ष्म नियोजन और विद्यालय मानचित्रण के विभिन्न प्रारूप संकलित है। ग्राम शिक्षा समितियों के प्रशिक्षण तथा विद्यालय विकास योजना के निर्माण से विद्यालय के क्रियाकलापों में समुदाय की भागीदारी बढ़ी है, स्कूल के क्रियाकलापों का स्थानीय स्तर से पर्यवेक्षण में सुविधा हुई है तथा स्कूल में आने वाले बच्चों विशेषकर लड़कियों के नामांकन में लक्ष्य के अनुरूप वृद्धि हुई है।

समुदाय की भागीदारी बढ़ाने के लोगों को सम्मिलित किये जाने की आवश्यकता है बच्चों की प्रगति जानने के लिए अभिभावकों को आमंत्रित किया जा सकता है। शिक्षण के समय तथा प्रशिक्षण के समय भी समुदाय के लोगों को कक्षा में शिक्षण देखने के लिए आमंत्रित किये जाने की आवश्यकता है।

प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक दोंनों स्तरों पर बच्चों की शिक्षा में परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका है। अभिभावकों के जागरूक होने पर बच्चों का विद्यालय में नामांकन व नियमित उपस्थिति सुनिश्चित होने में सहयोग मिलता है। यदि माता–पिता शिक्षित हैं या परिवार के अन्य सदस्य भाई–वहन शिक्षित हैं को गृहकार्य करने में मदद मिलती है। छोटी कक्षाओं के बच्चों को उच्च कक्षाओं की तुलना में अभिभावकों से अधिक सहयोग मिलता है। शिक्षित अभिभावकों में अपेक्षाकृत शिक्षा के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण देखने को मिलता है।

ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश अभिभावक कम पढ़े–लिखे या निरक्षर हें और कृषि कार्य में लगे होते हैं, ऐसी स्थिति में वे बच्चों की शिक्षा में सहयोग नहीं दे पाते हैं और नही उनकी शिक्षा के प्रति ध्यान दे पाते है। नगरीय क्षेत्रों में परिषदीय विद्यालयों में अधिकांश बच्चे गरीब परिवारों से आते हैं। इनके माता–पिता या अभिभावक

अधिकांशतया मजदूरी का कार्य करते हैं तथा स्वयं भी शिक्षित नहीं होते हैं। इस लिए इन परिवारों के बच्चों को भी शिक्षा में कोई सहयोग नहीं मिल पाता है। इस प्रकार ग्रामीण एवं शहरी परिषदीय विद्यालयों में शिक्षा के लिए बच्चों को शिक्षकों का ही एक मात्र सहयोग है।

शिक्षकों को सहयोग समर्थन की व्यवस्था :

गुणवत्ता विकास विशेषकर बच्चों की शैक्षित सम्प्राप्ति स्तर में वृद्धि करने और कक्षा की प्रक्रिया में बदलाव लाने में शिक्षक की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान कुशीनगर के नेतृत्व में शिक्षक की क्षमता बढ़ाने उनके विषयवस्तु–ज्ञान में अभिवृद्धि और शिक्षण कौशलों में अपेक्षित बदलाव लाने के लिए बहुआयामी रणनीति अपनाई गई है। डी0पी0ई0पी0 के पूर्व एस0ओ0पी0टी0 कार्यक्रम के दौरान जो कठिनाइयाँ अनुभव की गई थी वे इस प्रकार हैं –

- प्रशिक्षण कार्यक्रम की विषयवस्तु शिक्षकों की अकादमिक आवश्यकताओं से सीधे जुड़ी हुई न होकर प्रक्रियाओं से इसे जोड़ने में कठिनाई हुई।

- प्रशिक्षण के उपरांत "फालोअप" खासकर विकासखण्ड और न्याय पंचायत स्तर पर शिक्षकों को सहयोग प्रदान करने की व्यवस्था नहीं की जा सकी।

- कुशीनगर जनपद के दो विकास खण्डों में रुचिपूर्ण शिक्षा कार्य संचालित तथा जिसके द्वारा शिक्षकों को क्रिया धारित प्रशिक्षण प्रदान किया किन्तु यह कार्यक्रम भाग दो विकास खण्डों में ही सीमिति होने के कारण जनपद के अन्य विकास खण्डों के शिक्षक लाभान्वित नहीं हो सके।

इन अनुभवों के आधार पर डी0पी0ई0पी0 के अंतर्गत सेवारत् शिक्षकों के लिए प्रतिवर्ष प्रशिक्षण आयोजित किये गये। ये प्रशिक्षण सभी शिक्षकों– परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों के सहायक तथा प्रधानाध्यापकों, नवनियुक्त शिक्षकों के लिए आयोजित किये

गये। डायट स्तर पर मास्टर ट्रेनर्स तथा संदर्भ व्यक्तियों का प्रशिक्षण आयोजित किया गया। विकास खण्ड स्तरीय इन प्रशिक्षणों का पर्यवेक्षण और अनुश्रवण डायट सदस्यों द्वारा किया गया।

शिक्षकों को शैक्षिक सपोर्ट के लिए जिला स्तर पर डायट, ब्लाक स्तर पर बी0आर0सी0 समन्वयकों की व्यवस्था है। प्रतिमाह एन0पी0आर0सी0 द्वारा विद्यालयों का अकादमिक पर्यवेक्षेण किया जाता है। तथा शिक्षकों को शैक्षिक तथा विद्यालय परिवेश सम्बन्धी समस्याओं के लिए आवश्यक समाधान सुझाये जाते हैं। बी0आर0सी0 समन्वयकों के लिए भी आवश्यक समाधान सुझाये जाते है। बी0आर0सी0 समन्वयकों एवं डायट के मेन्टर द्वारा भी समय-समय पर विद्यालयों का अकादमिक पर्यवेक्षण कर सुधार हेतु आवश्यक सुझाव दिये जाते हैं। अकादमिक पर्यवेक्षण की इस प्रकार की व्यवस्था तो है लेकिन इन सुझावों का कार्यरूप में परिणति नहीं अथवा कम हो पा रही है। इसको प्रभावी बनाये जाने के लिए उपाय किये जाने की आवश्यकता है।

शैक्षिक अनुसमर्थन के लिए डायट संकाय के सदस्यों सहायक वेसिक शिक्षा अधिकारियों समन्वयकों को तीन दिवसीय "शैक्षिक सपोर्ट एवं अनुश्रवण कार्यशालाओं" के माध्यम से डायट स्तर पर प्रशिक्षित किया गया है। राजय स्तर पर तैयार किये गये पैरामीटर/इन्डीकेटर्स का प्रयोग करते हुए विद्यालयों बी0आर0सी0 तथा एन0पी0आर0सी0 को श्रेणी बद्ध किया जाना सुनिश्चित है।

विभिन्न स्तर के पर्यवेक्षण के दौरान जो मुद्दे/समस्याएं चिन्हित की जाती है उनका निस्तारण मासिक बैठकों कार्यशालाओं में किया जाता है। सहयोग एवं समर्थन की प्रक्रिया को प्रभावी बनाने की दिशा में कुछ अन्य नवाचार किये जाने की आवश्यकता अनुभव की जा रही है।

डी0पी0ई0पी0 के अन्तर्गत सेवारत शिक्षक – प्रशिक्षण विवरण –

प्राथमिक स्तर पर –

डी0पी0ई0पी0 के अन्तर्गत जनपद के समस्त शिक्षकों को पाँच चक्र प्रशिक्षण दिये जाने की व्यवस्था है। प्रथम वर्ष सभी शिक्षकों के प्रशिक्षण का प्रथम चक्र पूर्ण हो रहा है। प्रथम चक्र का प्रशिक्षण ब्लाक स्तर पर आयोजित किये गये। ब्लाक स्तर पर ब्लाक समन्वयकों द्वारा प्रशिक्षणें की व्यवस्था की गयी।

प्रशिक्षण देने के लिए प्राथमिक एवं विद्यालय के शिक्षकों को खुली चयन प्रतियोगिता के द्वारा चयनित किया गया और उनकों टी0ओ0टी0 प्रशिक्षण प्रदान किया गया। प्रथम वर्ष में टी0ओ0टी0 प्रशिक्षण डायट स्तर पर तथा जनपद से बाहर राज्य स्तर के प्रशिक्षकों द्वारा दिया गया।

प्रथम चक्र में शिक्षकों का आठ दिवसीय प्रशिक्षण "साधन" प्रशिक्षण माड्यूल के आधार पर दिया गया। इस प्रशिक्षण के मुख्य बिन्दु थे।

1. शिक्षकों को अभिप्रेरित कर अपने दायित्वों के प्रति जागरूक बनाना।
2. शिक्षकों में बच्चों के प्रति समझ विकसित करना। सीखने सम्बन्धी बच्चों की कठिनाइयों को समझाना और उनके प्रति संवेदनशील बनाना।
3. शिक्षण में बच्चों की सक्रियता और भागीदारी बढ़ाना।
4. कक्षा का वातावरण जिज्ञासा पूर्ण बनाना।
5. टी0एल0एम0 के निर्माण एवं प्रयोग करने की दक्षता का विकास करना।
6. गतिविधि आधारित शिक्षण करना।

7. वंचित वर्ग विशेषकर बालिकाओं की शिक्षा में कठिनाइयों के प्रति संवेदीकरण तथा स्थानीय समुदाय से सहयोग प्राप्त करना।

उच्च प्राथमिक स्तर –

उच्च प्राथमिक स्तर के शिक्षकों के लिए डी0पी0ई0पी0 योजना में प्रशिक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है। इस दृष्टि से इन शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था की आवश्यकता है।

जनपद में कार्यरत शिक्षकों का विवरण–

सारणी 8.9

शिक्षकों की उपलब्धता ;परिषदीय विद्यालय

विद्यालय का प्रकार	सृजित	कार्यरत	रिक्त	स्वीकृत शिक्षा मित्र
परिषदीय प्राथमिक विद्यालय	4173	2191	1982	2230
परिषदीय उच्चप्राथमिक विद्यालय	972	469	503	–

स्रोत: विभागीय आकड़े

जनपद में अधिकांश शिक्षक 5 वर्ष से कम अनुभव वाले हैं इनको छोटे बच्चों की शिक्षण विद्याओं बहु कक्षा शिक्षण, विद्यालय, समय सारिणी, कक्षा प्रबन्धन आदि की विशेष जानकारी उपलब्ध कराने की आवश्यकता होगी। अच्छी संख्या 25 वर्ष या उससे अधिक सेवा अवधि शिक्षकों की हैं। इनके ज्ञान को नवीन विषय वस्तु के अनुसार अद्यतन करने की आवश्यकता होगी साथ ही नवीन पाठ्यक्रम के द्वारा शिक्षण करने के लिए इनकों जानकारी दिये जाने की आवश्यकता होगी। तथा इन शिक्षकों को नवाचारों एवं अभिनव प्रवृत्तियों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने की भी आवश्यकता है।

उच्च प्राथमिक स्तर में भी अधिकांश शिक्षक हाई स्कूल की योग्यता वाले हैं। इन्हें भी पाठ्यक्रम से सम्बन्धित विषयों की नवीन जानकारी दिये जाने की आवश्यकता होगी। कुछ शिक्षक 5 वर्ष या कम शिक्षक अनुभव वाले है इनहें भी कक्षा कक्षा की प्रक्रिया बच्चों के व्यवहार बहुकक्षा शिक्षण सम्बन्धी विधाओं से परिचित कराने की आवश्यकता होगी। जो शिक्षक 25 वष्र से अधिक सेवा अवधि के हैं इन्हें भी नवीन शिक्षण विधियों की जानकारी देने की आवश्यकता होगी।

योग्य उत्साही तथा नवाचार कार्यक्रमों को संचालित करने वाले शिक्षकों को प्रोत्साहित/पुरस्कृत करने की आवश्यकता है। विद्यालय का भवन उसके आस पास का वातावरण स्वच्छ एवं सुन्दर बनाने के लिए शिक्षकों छात्रों तथा अभिभावकों को मिलकर प्रयास करने की आवश्यकता है। विद्यालय का शैक्षिक वातावरण प्रभावी बनाने के लिए शिक्षकों द्वारा की दीवारों पर वर्णमाला, अंक ज्ञान सम्बन्धी चार्ट कहानी चित्रण आदि बनवाने की आवश्यकता है।

प्रशिक्षणें का कक्षा में प्रभाव –

पर्यवेक्षकों शिक्षकों से वार्ता करने तथा बत्त्चों से जानने पर पता चला है कि शिक्षकों में जागरूकता बढ़ी है सहायक सामग्री का प्रयोग अपेक्षाकृत अधिक हो रहा है, बच्चों की कक्षा में भागीदारी बढ़ी है। गतिविधियों के प्रयोग से विशेषकर छोटी कक्षाओं (1,2 व 3) के बच्चों में रूचि बढ़ी है और उनके लिए शिक्षा आनन्द दायी हुई है। बच्चे कक्षा में सक्रिय नजर आते हैं। एवं अभिवकों की सोच में भी अन्तर आया है।

प्राथमिक विद्यालयों में एक ही स्थान पर दो या अधिक कक्षाएं लगाई जाती है जिससे गतिविध आधारित शिक्षण में दूसरी कक्षाओं के शिक्षण में दूसरी कक्षाओं के शिक्षण में बाधा उत्पनन होती है साथ ही गतिविधियों के लिए कक्षा में पर्याप्त स्थान नहीं मिल पाता हैं। एकल अध्यापक विद्यालयों में सभी कक्षाओं के संचालन में भी कठिनाई होती है।

अभी बी0आर0सी0 भवन पूर्ण नहीं हुए है इसलिए ब्लाक स्तर पर भी प्रशिक्षण वैकल्पिक स्थलों पर आयोजित किये गये जिसमें पर्याप्त स्थान न मिल पाने के कारनण कठिनाइ अनुभव हुई। प्रशिक्षण ब्लाक स्तर पर आयोजित करनेसे शिक्षकों को सुविधा हुई। प्रशिक्षण जिन उद्देश्यों को लेकर किये गये वे ठीक थे।

प्रशिक्षणों के संचालन की व्यवस्था और अनुश्रवण –

डी0पी0ई0पी0 के अंतर्गत जनपद कुशीनगर में 14 बी0आर0सी0 तथा 141 एन0पी0आर0सी0 स्तर पर एक समन्वयक का चयन तथा पदस्थापन किया गया है जो कार्यरत शिक्षक ही है। इनको विभिनन विन्दुओं पर आयोजित प्रशिक्षण प्रदान किया गया –

1. बी0आर0सी0 के कार्य तथा दायित्व संबन्धी आधारभूत 10 दिवसीय प्रशिक्षण जो समर्थन मॉड्यूल पर आधारित था।

2. अकादमिक पर्यवेक्षण एवं सहयोग संबंधी तीन दिवसीय प्रशिक्षण।

3. ये प्रशिक्षण डायट स्तर पर आयोजित किये गये।

बी0आर0सी0

बी0आर0सी0, एन0पी0आर0सी0 समन्वयकों, सह–समन्वयकों को उनके कार्य तथा दायित्वों के सम्बंध में दस दिवसीय तथा अकादमिक पर्यवेक्षण के संदर्भ में तीन दिवसीय प्रशिक्षण डायट स्तर पर आयोजित किये गये। समन्वयकों द्वारा नियमित विद्यालय भ्रमण, आदिर्श पाठों का प्रस्तुतीकरण, विद्यालयों, एन0पी0आर0सी0 तथा बी0आर0सी0 का उनके भौतिक–अकादिमिक पक्षों के आधार पर श्रेणीकरण, एन0पी0आर0सी0 स्तर पर मासिक बैठकों में शिक्षकों की समस्याओं के समाधान, शिक्षण अधिगम सामग्री मेलों का आयोजन आदि उपायों के माध्यम से नियमित गुणवत्ता अनुश्रवण कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है।

समन्वयकों की भूमिका :

बी0आर0सी0 द्वारा वर्तमान में प्रमुख रूप से निम्नांकित कार्य किये जा रहे हैं –

1. बी0आर0सी0 संदर्भ केन्द्र के रूप में विकसित किया गया है जिसका उपयोग शिक्षक अपनी अकादमिक समस्याओं के समाधान हेतु करते हैं।

- विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षणों का नियोजन, आयोजन और फालोअप।
- विद्यालय भ्रमण, मासिक बैठकों का आयोजन, कक्षाओं का अवलोकन और उन्हें फीडबैक प्रदान करते हैं।
- वार्षिक कार्ययोजना तथा बजट का निर्माण एवं क्रियान्वयन में सहयोग प्रदान करता है।
- शिशु शिक्षा केन्द्रों तथा वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों का अनुश्रवण करते हैं।
- एन0पी0आर0सी0 स्तरीय क्रियाकलापों का पर्यवेक्षण करते हैं।
- ई0एन0आई0एस0 के आंकड़ों का संकलन।
- डायट के मार्गदर्शन में विकास खण्ड स्तरीय गुणवतता विकास कार्यक्रमों, कार्यशालाओं, सूक्ष्म नियोजन तथा विद्यालयी मानचित्रण, वातावरण सृजन आदि कार्यों का आयोजन करते हैं।

एन0पी0आर0सी0 समन्वयकों की भूमिका –

संकुल स्तर पर शैक्षिक अकादमिक तथा पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों के केन्द्रिक बिन्दु एन0पी0आर0सी0 है। स्थानीय समुदाय को अभिप्रेरित करना , सूक्ष्म नियोजन तथा विद्यालय मानचित्रण अभ्यास में ग्राम शिक्षा समितियों का प्रशिक्षण आयोजित, शिक्षकों के अनुभव का परस्पर विनिमय स्कूल भ्रमण तथा शिक्षककों को सहयोग प्रदान करना आदि एन0पीआर0सी0 समन्वयकों के प्रमुख कार्य है। इसके अतिरिक्त समन्वयकों द्वारा किये जाने वाले मुख्य कार्य निम्नवत् हैं –

1. शिक्षकों की मासिक बैठकों तथा कार्यशालाओं का आयोजन।
2. वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों तथा शिशु केन्द्रों का भ्रमण तथा पर्यवेक्षण करना।
3. स्कूल चलो अभियान, बालगणना तथा ई0एन0आई0एस0 आंकड़ों का संकलन तथा टेस्ट चेकिंग।
4. ग्राम शिक्षा समितियों के सहयोग से सूक्ष्म नियोजन तथा विद्यालय शिक्षण योजना का विकास करना।
5. बी0आर0सी0 को सहयोग प्रदान करना, मासिक बैठकों में प्रतिभाग तथा सूचनाओं का आदान प्रदान।
6. कार्यों तथा कार्यक्रमों की रिपोर्ट तैयार कर बी0आर0सी0 तथा डायट को भेजना।
7. विद्यालयों की ग्रेडिंग करना एवं शैक्षिक अनुसमर्थन करना।

प्रोत्साहन योजनाएं :

प्राथमिक विद्यालय में छात्रों के नामांकन एवं ठहराव के लिए सरकार द्वारा अनुसूचित जाति तथा पिछड़ी जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति की व्यवस्था की गयी है। जनपद के 11 वर्ष तक के आयु के समस्त बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए समयबद्ध कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के बालकों तथा सभी बालिकाओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करायी गई हैं। जिसके फलस्वरूप छात्रों के नामांकन में वृद्धि हुई है। बच्चों के लिए पोषाहार कार्यक्रम चलाया गया, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के निर्धन अभिभावकों को भी सहारा मिला।

बच्चों का विद्यालय में नामांकन एवं ठहराव बनाये रखने के लिए विद्यालयों में बच्चों के लिए छात्रवृत्ति पोषाहार योजना तथा निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों के वितरण की योजनाएं संचालित हैं। इन सुविधाओं से अभिभावकों को सहायता मिलती है। और बच्चों का नामांकन विद्यालयों में बढ़ा है तथा हास की समस्या पर भी अंकुश लगा है। छात्रवृत्ति का लाभ अनुसूचति जाति के सभी बालक बालिकाओं के पिछड़ा वर्ग के प्रति कुक्षा कुछ बच्चों को दिया जाता है। निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों के वितरण की व्यवस्था डी0पी0ई0सी0 योजनान्तर्गत की गयी है। जिसमें कक्षा–1 से 5 तक के अनुसूचित जाति के सभी बालक बालिकाएं तथा अन्य वर्गों की सभी बालिकाओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें प्रति वर्ष वितरित की जाती हैं। इस वर्ष समस्त बालक तथा बालिकाएं लाभान्वित हुए हैं।

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत बच्चों की शैक्षिक सम्प्राप्ति का मूल्यांकन किया गया है। इस क्रम में बेसलाइन एसेमेन्ट स्टडी की गई है। इन अध्ययनों के आधार पर बच्चों की शैक्षिक सम्प्राप्ति का तुलनात्मक 'अध्ययन करने पर स्थिति निम्नवत है –

बेस लाइन स्टडी के अनुसार छात्रों की उपलब्धि :

कक्षा 2 उपलब्धि स्तर

विषय	सम्पूर्ण	बालक मध्यमान प्रतिशत	बालिका मध्यमान प्रतिशत	अनुसूचित जाति मध्यमान प्रतिशत	अन्य पिछड़ा वर्ग मध्यमान प्रतिशत	अन्य वर्ग मध्यमान प्रतिशत
भाषा	सर्वे 63.28	13.23	11.90	11.63	13.09	13.52
गणित	68.82	14.77	12.62	12.55	14.28	2.77

स्रोत – विभागीय आँकड़े

कक्षा 5 उपलब्धि स्तर

विषय	सम्पूर्ण	बालक मध्यमान प्रतिशत	बालिका मध्यमान प्रतिशत	अनु0 जाति मध्यमान प्रतिशत	अन्य पिछड़ा वर्ग मध्यमान प्रतिशत	अन्य वर्ग मध्यमान प्रतिशत
भाषा	45.92	33.65	29.76	30.58	32.34	34.04
गणित	29.15	12.39	10.50	11.01	11.65	12.82

स्रोत – विभागीय आँकड़े

विशेष बच्चों के बारे में –

समाज में प्रत्येक बच्चे को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना हमारी प्रथम प्राथमिकता है। सभी बच्चों का शत प्रतिशत नामांकन हो, ठहराव हो और वे निर्धारित स्तर की विद्यालयी शिक्षा प्राप्त कर सकें।

समाज में कुछ बच्चें ऐसे भी हैं जो विद्यालयी शिक्षा से वंचित रह जाते हैं इनमें बाल श्रमिक खेतिहार बाल श्रमिक, मलिन बस्तियों में रहने वाले बच्चे, विकलांग बच्चे आते हैं जो अपनी कठिनाइयों/समस्याओं, परिस्थितियों के कारण विद्यालय नहीं आ पाते हैं। इनके विद्यालय से न जुड़ने से न जुड़ने के कारण शिक्षा के सार्वजनीकरण का लक्ष्य पूरा नहीं होता है।

इन बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा में शमिल करने के लिए उनके माता पिता तथा अभाभावकों से सम्पर्क कर उनसे मानसिक रूप से जुड़कर उनकी सोंच में सकारात्मक परिवर्तन लाना होगा।

इन बच्चों में आत्मविश्वास जगाने की आवश्यकता है।

इन विशेष बच्चों की पहचान कर उनकी शिक्षा व्यवस्था के लिए शिक्षकों को डायट स्तर पर विशेष रूप से प्रशिक्षित किये जाने की आवश्यकता है।

बाल श्रमिकों तथा मलिन बस्तियों में रहने वाले ऐसे बच्चों को औपचारिक शिक्षा व्यस्था से जोड़ना कठिन है अतः इन बच्चों के लिए वैकल्पिक शिक्षा व्यवस्था की आवश्यकता है। ये बच्चे प्राथमिक विद्यालयों की निर्धारित समय–सारिणी के अनुसार शिक्षा ग्रहण करने में असमर्थ रहते हैं और इनके पास समय कम होता है। साथ ही ये बच्चे औपचारिक स्कूल की कक्षा में प्रवेश लेने की उम्र (6 वर्ष) को भी प्रायः पार कर जाते हैं अतः इनका प्रवेश कक्षा 1 के बजाय इनके स्तर के अनुरूप कक्षा में कराना ही उपयुक्त होगा। बाल श्रमिक तथा मलिन बस्तियों में रहने वाले ऐसे बच्चों को औपचारिक पाठ्यक्रम की निर्धारित अवधि 8 वर्ष पूर्ण कराने के स्थान पर कम अवधि

के पाठ्यक्रम और तदनुरूप शिक्षण सामग्री विकसित करने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त इन बच्चों को जीवनोपयोगी कौशलों और कार्यानुभव की शिक्षा देना भी उपयुक्त होगा।

जनपद के विद्यालयों में शिक्षकों की अत्यन्त कमी है इस स्थिति में अधिकांश विद्यालयों में एक अध्यापक को एक समय में एकसाथ कई कक्षाएं पढ़ानी पड़ती है। इसके लिए शिक्षकों को बहु कक्षा शिक्षण विधियों की जानकारी होनी चाहिए। अतः उन्हें बहुकक्षा शिक्षण का प्रशिक्षण दिये जाने की आवश्यकता होगी।

उच्च प्राथमिक विद्यालयों में भी जनपद से बहुकक्षा एक बहुविषय शिक्षण की स्थिति बनी हुई है। उच्च प्राथमिक विद्यालयों में भाषा गणित विज्ञान के विषयों के लिए विशेष प्रशिक्षत अध्यापक होने चाहिए तभी वह इन विषयों का शिक्षण ठीक प्रकार से कर सकते है। उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों को प्रोन्नति देकर नियुक्त किया जाता है इससे वांछित स्तर के योग्य शिक्षक नहीं मिल पाते है। जिससे बहुत से विद्यालयों में एक सामान्य अध्यापक को विशिष्ट विषयों का शिक्षण करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में आवश्यक है कि उच्च प्राथमिक स्तर के शिक्षकों को विषयों के नवीन ज्ञान का प्रशिक्षण भी दिया जाना चाहिए। जिससे शिक्षक इन विषयों का शिक्षण उचित प्रकार से कर सके।

प्रभावी शिक्षण में सहायक सामग्री के उपयोग का बहुत महत्व है। जहाँ तक शिक्षण सहायक सामग्री के द्वारा शिक्षण की बात है देखने में आया है कि इसका प्रयोग कम हो रहा है। प्राथमिक स्तर पर तो सहायक सामग्री का प्रयोग देखने को मिलता है उच्च प्राथमिक विद्यालयों में इसका प्रयोग बिल्कुल नही हो पाता है। विष्ज्ञय वस्तु को मौखिक या श्याम पट पर अंकित करके ही बोध कराया जाता है अतः उच्च प्राथमिक विद्यालय में प्रयोग की आवश्यकता है इसके लिये विद्यालय में प्रयोगशाला की सामग्री एवं उपकरण दी जायेगी।

स्कूल भ्रमण, शिक्षकों से विचार–विमर्श के दौरान शिक्षक अपनी शैक्षिक कठिनाईयां इस प्रकार बताते है–

1. प्राथमिक/उच्च प्राथमिक स्तर पर विद्यालयों में पर्याप्त शिक्षक नहीं है। जिससे एक समय में एक साथ एक से अधिक कक्षाएं पढ़ानी पड़ती है।
2. अन्य विभागीय कार्यों से लगा दिये जाने के कारण शिक्षण के लिए पर्याप्त समय नहीं मिलता है।
3. अभिभावकों में शिक्षा के प्रति जागरूकता नहीं जिससे बच्चों को वे नियमित विद्यालय नहीं भेजते व उन्हें घरेलू कार्यों में अक्सर लगा दिया जाता है।
4. बच्चों को गृह कार्य पूरा करने में अभिभवकों में सहयोग नहीं मिलता जिससे वे गृहकार्य पूरा करके नहीं ला पाते है।
5. विभिन्न पाठों के शिक्षण के लिए शिक्षण सहायक समग्री के बनाने व प्रयोग करने की पर्याप्त जानकारी नहीं है। जानकारी दी जाने की आवश्यकता है।
6. विज्ञान, गणित के कुछ कठिन स्थलों के शिक्षण में भी कठिनाई है जिसकी जानकारी दी जाने की आवश्यकता है।
7. उच्च प्राथमिक स्तर पर जो बच्चे आते है वे पूरी तरह तैयार नहीं होते ह। नवीन ज्ञान देने में कठिनाई होती हैं उन्हें समझाने में अधिक समय लगता है।
8. उच्च प्राथमिक स्तर पर सभी विषयों के अध्यापक नहीं है। सामान्य विषयों के अध्यापकों को गणित, विज्ञान, भाषा विषय पढ़ाने पड़ते है।

प्राथमिक स्तर पर शैक्षिक सपोर्ट की व्यवस्था के अन्तर्गत न्याय़ पंचायत स्तर पर एन. पी.अर.सी. ब्लाक स्तर पर वी.आर.सी. है। उच्च प्राथमिक विद्यालय इस व्यवस्था से आच्छादित नहीं है। उनके लिए भी इस प्रकार की व्यवस्था की आवश्यकता है यह शैक्षिक सपोर्ट उच्च प्राथमिक विद्यालयों को डायट द्वारा जनपद स्तर पर तथा संकुल विद्यालय के द्वारा ब्लाक स्तर पर किसी केन्द्र विद्यालय को संकुल विद्यालय बनाकर दी जा सकती हैं।

समुदाय शिक्षकों से किस तरह की अपेक्षाएं रखता है इसकी जानकारी समुदाय से सम्पर्क एवं प्रशिक्षण के दौरान विचार करने पर बाते उभर कर सामने आयी।

(1) अभिभावक अपने बच्चों को परिषदीय विद्यालय में पढ़ाना चाहते है। वह चाहते हैं कि विद्यालय में बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा व्यवस्था हो।

(2) शिक्षक नियमित रूप से शिक्षण कार्य करें व अन्य कार्यों में उन्हें न लगाया जाये।

(3) विद्यालय में बच्चों को नैतिक शिक्षा भी दी जाये जिससे इनमें अच्छे संस्कार विकसित हों।

(4) विद्यालय में बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण भी होना चाहिए।

इन निष्कर्षों के आधार पर समुदाय की आवश्यकताओं/अपेक्षाओं के अनुरूप शिक्षा व्यवस्थ किये जाने की आवश्यकता है। ग्रामीण क्षेत्रों के अधिकांश क्षेत्रों मं अधिकांश बच्चों के अभिभावक निरक्षर है या अपने कृषि कार्यो में लगे हैं जिससे वे बच्चों की शिक्षा में कोई सहयोग नहीं दे पाते हैं। इसलिए विद्यालय में ही ऐसी व्यवस्था करने की आवश्यकता है जिससे बच्चों को सीखने के अधिक अवसर प्राप्त हो सके।

एस0एस0ए0 के अन्तर्गत प्रस्तावित आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण

सर्वशिक्षा अभियान गुणवत्तापरक प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण का अत्यन्त महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है। जनपद कुशीनगर में 6–14 वयवर्ग के सभी बालक–बालिकाओं को वर्ष 2010 तक जीवनोंपयोगी तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने का लक्ष्य है जिसे स्कूली शिक्षा व्यवस्था में गुणात्मक परिवर्तन करके तथा समुदाय की भागीदारी सहित प्रारम्भिक शिक्षा प्रदान करने की रणनीति के द्वारा प्राप्त किया जायेगा। कार्यक्रम के लक्ष्य इस प्रकार है –

1. 6–14 वयवर्ग के सभी बच्चों को स्कूल, ई0जी0एस0 केन्द्र वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों में लाया जायेगा।
2. सभी बच्चें पांच वर्ष की प्राथमिक शिक्षा पूरी करे यह लक्ष्य वर्ष 2007 तक प्राप्त कर दिया जायेगा।
3. सभी बच्चे आठ वर्ष की शिक्षा पूरी करें, यह लक्ष्य वर्ष 2010 तक प्राप्त किया जायेगा।
4. गुणवत्तापरक शिक्षा जो जीवनोपयोगी कौशलों पर बल देती हो, प्रदान की जायेगी।
5. प्राथमिक स्तर पर बालक–बालिकाओं, समुदायों और समूहों के मध्य अंतर को 2007 तक तथा समग्र प्रारम्भिक स्तर पर 2010 तक समाप्त कर लिया जायेगा।

6. लक्ष्य समूह (6–14) के सभी बच्चों का स्कूल समे अरक्षण का लक्ष्य 2010 तक सुनिश्चित किया जायेगा।

इन लक्ष्यों की प्राप्ति में शिक्षक तथा बेहतर शिक्षण प्रणाली की महत्वपूर्ण भूमिका होगी सर्वप्रथम गुणात्मक परिवर्तन के लिए जनपद का एक 'विजन' विकसित किया जायेगा जिससे जनपद– विकास खण्ड, न्याय पंचायत तथा स्कूल स्तरीय अभिकर्मियों की भागीदारी होगी। इस हेतु 4 दिवसीय विजनिंग कार्यशालाओं का आयोजन किया जायेगा। सर्वप्रथम जनपद स्तरीय अभिकर्मियों यथा डायट के संकाय सदस्यों, जिला परियोजना कार्यालय के कर्मियों, विकास खण्ड तथा न्याय पंचायत स्तरीय अभिकर्मियों के लिए डायट स्तर पर विजनिंग कार्यशालाए आयोजित की जायेगी जिनमें मुख्यतः सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्यों तथा लक्ष्यों, बच्चों की वर्तमान स्थिति तथा उसमें बदलाव के लक्ष्यों, शिक्षकों, विद्यालयों तथा कक्षा–कक्षों की प्रक्रिया की वर्तमान स्थिति तथा उसमें बदलाव के लक्ष्यों को दृष्टिगत रखते हुए सहभागिता आधारित निष्कर्ष और सहमतियां तय की जायेंगी। इन कार्यशालाओं का उद्देश्य होगा कि परियोजना के अन्तर्गत समस्त स्तरीय अभिकर्मियों में परिवर्तन के लक्ष्यों के समान विचार–अवधारणाएं बन सके। शिक्षकों के लिए भी वीजनिंग कार्यशालाओं का आयोजन न्याय पंचायत स्तर पर किया जायेगा।

कार्यरत शिक्षकों की दक्षता तथा उनके शिक्षण कौशल में अभिवृद्धि उनके विषय ज्ञान को बढ़ाने के लिए शिक्षक– प्रशिक्षण आयोजित किये जायेंगे। सेवारत शिक्षण प्रशिक्षण वर्ष में एक बार आयोजित करने की रणनीति के स्थान पर सेवारत प्रशिक्षणों के सतत् प्रक्रिया के रूप में संचालित किया जायेगा। शिक्षक प्रशिक्षण का इस प्रकार श्रृंखलाबद्ध नियोजन किया जोयगा कि प्रशिक्षण का एक प्रमुख भाग बी0आर0सी0 स्तर पर 6–8 दिवसों की अवधि के लिए उनके अनुक्रम में लघु अवधि प्रशिक्षण तथा कार्यशालाएं तथा बी0आर0सी एवं मुख्यता एन0पी0आर0सी0 स्तर पर आयोजित किये जायंगे प्रशिक्षण की यह कार्ययोजना शिक्षकों के लिए नियमित आधार पर अभिमुखीकरण में सहायक सिद्ध होंगी।

डी0पी0ई0पी0 के अन्तर्गत प्रशिक्षण अवधि में वर्तमान में अनुभूत आवश्यकताओं यथा बहुकक्षा–बहुस्तरीय शिक्षण प्रविधियों की जानकारी वास्तविक शिक्षण समय को बढ़ाना प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए विकसित नवीन पाठ्यक्रम और विषयवस्तुओं के बेहतर और प्रभावी उपयोग आदि के आलोक में ये सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण आयोजित किये जायेंगे।

प्राथमिक शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण–

प्रथम वर्ष में पाठ्यपुस्तकों पर केन्द्रित 8 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा। यह प्रशिक्षण प्राथमिक विद्यालयों के सभी सहायक, प्रधान अध्यापकों और शिक्षामित्रों को प्रदान किया जायेगा। इस आठ दिवसीय प्रशिक्षण के उपरांत इसी के अनुक्रम में लघु अवधि के प्रशिक्षण तथा कार्यशालाएं भी आयोजित की जायेगी। जिनका विवरण इस प्रकार है –

1. विजनिंग कार्यशालाएं –3 एन0पी0आर0सी0 स्तर पर
2. बहुकक्षा शिक्षण की दृष्टि से पाठ्यपुस्तक आधारित शिक्षण सामग्री निर्माण हेतु एक–एक दिवसीय तीन कार्यशालाएं– एन0पी0आर0सी0 स्तर पर आयोजित की जायेगी।
3. मैटीरियल मेला– एक दिवसीय – एन0पी0अर0सी0 स्तर पर
4. विकास खण्ड स्तरीय शिक्षक प्रशिक्षण के फालोअप के अन्तर्गत एन.पी.आर.सी. स्तर पर मासिक प्रशिक्षण/कार्यशालाएं जो पाठ प्रस्तुतिकरण पर केन्द्रित होगी।

ये वर्ष के 5 महीनों में आयोजित की जायेगी इन प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा एजेण्डा डायट द्वारा तैयार कर उपलब्ध कराया जायेगा।

एन0पी.आर.सी. स्तर पर आयोजित इन प्रशिक्षणों, कार्यशालाओं तथा गोष्ठियों का अभिलेखन भी किया जायेगा तथा बी0आर0सी0 तथा डबल द्वारा इनका नियमित पर्यवेक्षण किया जायेगा।

प्रथम वर्ष में आयोजित शिक्षक प्रशिक्षणों पर प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन रू0 70 की दर से व्यय अनुमानित है ।

द्वितीय वर्ष में इसी प्रकार भाषा तथा गणित की विषयवस्तु आधारित तथा बहुकक्षा शिक्षण विधियों पर आधारित 7 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा। इस 7 दिवसीय प्रशिक्षण के उपरांत तथा इसी तारतम्य में लघु अवधि के प्रशिक्षण तथा कार्यशालाएं भी आयोजित की जायेंगी जिनका विवरण इस प्रकार है–

1. बहुकक्षा शिक्षण तथा बहुस्तरीय शिक्षण हेतु बी0आर0सी0 स्तर पर 3 दिवसीय शिक्षक प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा जिसमें मुख्यतः शिक्षण विधियों, प्रथम वर्ष के दौरान शिक्षण सामग्री निर्माण के अनुभवों के आधार पर सामग्री निर्माण समय तथा सामग्री प्रबंधन आदि बिन्दुओं पर प्रशिक्षण दिया जायेगा।
2. एन0पी0आर0सी0 स्तर पर मासिक प्रशिक्षण आयोजित किये जायेंगे जो वर्ष के 7 महीनों में आयोजित होंगे तथा इनमें बी0आर0सी0 स्तरीय प्रशिक्षण के फालोअप को ध्यान में रखकर डायट द्वारा तैयार किये गये एजेण्डा का उपयोग किया जायेगा।
3. वास्तविक शिक्षण समय को बढ़ाने के लिए शिक्षण रणनीतियों सम्बन्धी 3 दिवसीय प्रशिक्षण एन0पी0आर0सी0 स्तर पर आयोजित किया जायेगा।

   द्वितीय वर्ष में आयोजित शिक्षक प्रशिक्षणो पर प्रति प्रतिभागी रू0 70 की दर से अनुमानित है।

तृतीय वर्ष में विज्ञान तथा सामाजिक विषय और मूलयांकन पर केन्द्रित 8 प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा। इन तारतम्य में बी0आर0सी0 स्तर पर अन्य प्रशिक्षण कार्यशालाएं भी आयोजित की जायेगी जिनका विवरण इस प्रकार है :–

1. बी0आर0सी0 स्तर पर 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला जो विज्ञान शिक्षण को रुचिकर बनाने, सामग्री निर्माण तथा पाठ प्रस्तुतियों पर आधारित होगा।

2. बी0आर0सी0 स्तर पर 2 प्रशिक्षण कार्यशाला जो सामाजिक विषय शिक्षण को

प्रभावी बनाने तथा पाठ प्रस्तुतियों पर आधारित होगा।

3. बी0आर0सी0 स्तर पर सतत् तथा व्यापक छात्र मूल्यांकन हेतु प्रश्नों/टेस्ट आइटम निर्माण हेतु 3 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जायेगी

4. प्रशिक्षणों के फालोअप के लिए एन0पी0आर0सी0 स्तरीय मासिक प्रशिक्षण कार्यशालाएं 5 माह में आयोजित की जायेंगी जिनका एजेण्डा डायट द्वारा तैयार किया जायेगा।

तृतीय वर्ष में आयोजित शिक्षक प्रशिक्षणों पर प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन रु0 70 की दर से अनुमानित है।

चतुर्थ वर्ष में शिक्षण अधिगम प्रकिया तथा सामग्री निर्माण उपयोग पर केन्द्रित 5 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा। इसी तारतम्य बी0आर0सी0 स्तर पर अन्यप्रशिक्षण कार्यशालाएं भी आयोजित की जायेंगी जिनका विवरण इसप्रकार है :—

1. प्रशिक्षण के फालोअप हेतु एन0पी0आर0सी0 स्तरीय मासिक प्रशिक्षण कार्यशालाएं वर्ष के 7 महीनों में आयोजित की जायेंगी जिनका एजेण्डा डायट द्वारा तैयार किया जायेगा।

2. एन0पी0आर0सी0 स्तर पर अनुपूरक अध्ययन सामग्री विकसित करने हेतु 2 दिवसीय कार्यशालाएं आयोजित की जायेंगी जिसमें न्यायपंचायत में स्थित प्राथमिक कक्षाओं के शिक्षकों को आमंत्रित किया जायेगा।

3. एन0पी0आर0सी0 स्तर पर गणित शिक्षण हेतु आदर्श पाठ योजनाओं की प्रस्तुती तथा सामग्री निर्माण हेतु 3 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जायेगी।

4. कक्षा शिक्षण में दृश्य—श्रव्य उपकरणों के उपयोग सम्बन्धी 2 दिवसीय कार्यशाला एन0पी0आर0सी स्तरपर आयोजित की जायेगी।

इन प्रशिक्षणों पर प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन रु0 70 की दर से अनुमानित है।

पांचवे वर्ष में प्राथमिक शिक्षकों के लिये उपर्युक्त प्रशिक्षणों के आधारपर पुर्नबोधात्मक प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा जिसमें अभिप्रेरण एक प्रमुख बिन्दु होगा। इसके उपरांत आगामी प्रशिक्षणों की रूपरेखा तथा विषयवस्तु का निर्धारण उपर्युक्त प्रशिक्षणों के अनुभवों और लेखबैक के आधार पर किया जायेगा। प्राथमिक स्तरीय शिक्षकों के लिये उपर्युक्त प्रस्ताविक प्रशिक्षणों के अतिरिक्त शिक्षकों के लिए अन्य विशेष प्रशिक्षण भी आयोजित किये जायेंगे, जिनका विवरण इस प्रकार है :–

1. प्रत्येक विद्यालय से एक–एक शिक्षक को अंग्रेजी तथा संस्कृत शिक्षण हेतु 05 दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा जो अंग्रेजी तथा संस्कृत विषय की पाठ्य पुस्तकों के कक्षा में उपयोग तथा सामग्री निर्माण के संबंध में होगा।

2. जिन प्राथमिक विद्यालयों में उर्दू भाषा–भाष बच्चे तथा शिक्षक हैं ऐसे शिक्षकों के लिए उर्दू विषय शिक्षण के लिए 05 दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

3. जिन अध्यापक की शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडियट अथवा उससे कम है उनके लिये विषय वस्तु आधारित 05 दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

4. जिन शिक्षकों का शैक्षिक अनुभव 15–20 वर्षों से अधिक है उनके लिए नवीन शिक्षण विधियों पर आधारित 06 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा।

5. नवनियुक्त सहायक अध्यापकों के लिए 10 दिवसीय सेवा पूर्वागम प्रशिक्षण डायट स्तरपर आयोजित किया जायेगा जिसमें प्रतिवर्ष नवीन नियुक्त

होने वाले सहायक अध्यापक–अध्यापिकाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

6. जो शिक्षक पदोन्नति प्राप्त कर प्रधानाध्यापक बनेंगे उनके लिए तथा अन्य प्रधानाध्यापक, प्राथमिक विद्यालयों के लिए भी 05 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा जो मुख्यतः नेतृत्व समय–प्रबंधन, विद्यालयी अभिलेखों के रखरखाव, स्कूल पर्यवेक्षण आदि बिन्दुओं पर केन्द्रित होगा।

उच्च प्राथमिक स्तर के शिक्षकों का प्रशिक्षण :

डी0पी0ई0पी0 के अधीन उच्च प्राथमिक कक्षाओं के शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था नहीं थी, अतः उच्च प्राथमिक शिक्षकों के लिए भी प्रतिवर्ष प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा। जिसमें सहायक अध्यापक, प्रधानाध्यापक, हाईस्कूल तथा इण्टर कालेजों में संचालित कक्षा 6–8 के शिक्षक–शिक्षिकाएं प्रतिभाग करेंगे। प्राथमिक कक्षाओं के विपरीत उच्च प्राथमिक स्तर पर कक्षा शिक्षण में शिक्षण विधियों की तुलना में पाठ्यवस्तु का महत्व अधिक है तथा शिक्षकों के विषय ज्ञान में अपेक्षित स्तर की वृद्धि की आवश्यकता अनुभव की गई है। इस आधारपर उच्च प्राथमिक स्तरीय शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम निम्नवत् आयोजित किये जायेंगे–

प्रथम वर्ष में शिक्षकों को विज्ञान विषय के शिक्षण, विषय वस्तु, शिक्षण विधियों तथा शिक्षण सामग्री निर्माण हेतु प्रशिक्षण दिया जायेगा जो 8 दिवसीय होगा। इस अनुक्रम में विकासखण्डस्तरपर विज्ञान विषय में पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तकों के आधार पर पाठों की प्रस्तुति, पाठ योजना तथा सम्बन्धित सहायक शिक्षण सामग्री निर्माण हेतु 3 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जायेगी।

प्रशिक्षण के फालोअप हेतु डायट द्वारा तैयार किए गए एजेण्डा के आधार पर 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशालाएं एन0पी0आर0सी0 स्तरपर आयोजित की जायेगी तथा वर्ष के 6 माह में इनका आयेाजन सुनिश्चित किया जायेगा। एन0पी0आर0सी0 स्तर पर 1 दिवसीय मैटीरियल

मेला का आयोजन किया जायेगा जिनमें शिक्षकों द्वारा शिक्षण सामग्री तैयार कर प्रदर्शित की जायेगी। इसी अनुक्रम में बी0आर0सी0 स्तर पर भी दिवसीय मैटीरियल मेला आयोजित किया जायेगा। प्रथम वर्ष में आयोजित शिक्षक प्रशिक्षणों पर प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन रु0 70 की दर से व्यय प्रस्तावित है।

द्वितीय वर्ष में शिक्षकों को गणित विषय के शिक्षण हेतु विषय–वस्तु शिक्षण विधियों, सामग्री निर्माण तथा उपयोग संबंधी 07 दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। इस अनुक्रम में विकासखण्ड स्तर पर गणित विषय के पाठ्यक्रम तथा पाइ्यपुस्तकों के आधार पर पाठों की प्रस्तुति, पाठ योजना तथा सम्बंधित सहायक शिक्षण सामग्री निर्माण हेतु 3 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जायेगी।

प्रशिक्षण के फालोअप हेतु डायट द्वारा तैयार किए गए एजेण्डा के आधार पर 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशालाएं एन0पी0आर0सी0 स्तर पर आयोजित की जायेगी तथा वर्ष के 6 माह में इनका आयोजन सनिश्चित किया जायेगा। एन0पी0आर0सी0 स्तर पर 1 दिवसीय गणित मेला का आयोजन किया जायेगा जिसमें शिक्षकों द्वारा शिक्षण सामग्री तैयार कर प्रदर्शित की जायेगी। इसी अनुक्रम में बी0आर0सी0 स्तर पर भी 1 दिवसीय गणित मेला आयोजित किया जायेगा। द्वितीय वर्ष में आयोजित शिक्षक प्रशिक्षणों पर प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन रु0 70 की दर से व्यय प्रस्तावित है।

तृतीय वर्ष में अंग्रेजी तथा संस्कृत विषय के शिक्षण हेतु शिक्षकों को विषय वस्तु तथा शिक्षण विधियों पर आधारित प्रशिक्षण दिया जायेगा जो 06 दिवसीय होगा। इस अनुक्रम में विकासखण्ड स्तरपर अंग्रेजी तथा संस्कृत विषय के पाठ्यपुस्तकों के आधार पर पाठों की प्रस्तुति, पाठ योजना तथा सम्बंधित सहायक शिक्षण सामग्री निर्माण हेतु 3 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जायेगी।

प्रशिक्षण के फालोअप हेतु डायट द्वारा तैयार किए गए एजेण्डा के आधार पर 1 दिवसीय

प्रशिक्षण कार्यशाला एन0पी0आर0सी0 स्तर पर आयोजित की जायेगी तथा वर्ष के 6 माह में इनका आयोजन सुनिश्चित किया जायेगा। उपर्युक्त के अतिरिक्त भाषा शिक्षण हेतु शिक्षकों के सहयोग से अनुपूरक अध्ययन सामग्री का विकास करने हेतु क्रमशः बी0आर0सी0 तथा एन0पी0आर0सी0 स्तरपर 2 दिवसीय तथा 1 दिवसीय कार्यशालाएं आयोजित की जायेंगी। तृतीय वर्ष में आयोजित शिक्षक प्रशिक्षणोंपर प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन रु0 70 की दर से प्रस्तावित है।

चौथे वर्ष उच्च प्राथमिक कक्षाओं के शिक्षकों के लिए हिन्दी भाषा शिक्षण तथा बच्चों के मूल्यांकन पर केन्द्रित प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा जो 08 दिवसीय होगा। शिक्षक प्रशिक्षण के इस क्रम में बी0आर0सी0 स्तरपर हिन्दी भाषा विक्षण हेतु अनुपूरक अध्ययन सामग्री विकास हेतु 2 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जायेगी।

भाषा शिक्षण हेतु पाठ्यपुस्तकों के आधार पर आदर्श पाठों की तैयारी तथा प्रस्तुति की जायेगी। इसके साथ–साथ भाषा शिक्षण हेतु सामग्री निर्माण हेतु 2 दिवसीय कार्यशाला एन0पी0आर0सी0 स्तर पर आयोजित की जायेगी। प्रशिक्षण के फालोअप हेतु डायट द्वारा तैयार किए गए एजेण्डा के आधार पर एन0पी0आर0सी0 स्तरीय मासिक बैठकें वर्ष के 6 माह में सुनिश्चित की जायेंगी जिनका पर्यवेक्षण एन0पी0आर0सी0 तथा डायट के संकाय सदस्य भी करेंगे।

उच्च प्राथमिक स्तरपर छात्र–छात्राओं की शैक्षिक उपलब्धि के मूल्यांकन हेतु सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन प्रणाली सम्बंधी शिक्षकों के अभिमुखीकरण के उपरांत इस तारतम्य में "टेस्ट आइटम" बनाने हेतु 2 दिवसीय तथा 1 दिवसीय कार्यशालाएं क्रमशः एन0पी0आर0सी0 तथा बी0आर0सी0 स्तरपर आयोजित की जायेंगी। चौथे वर्ष से आयोजित शिक्षक प्रतिक्षणों पर प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन रु0 70 की दर से व्यय प्रस्तावित है।

पांचवें वर्ष में उपर्युक्त प्रशिक्षण के आधार पर पुर्नबोधात्मक प्रशिक्षण आयोजित किया

जायेगा जो 01 दिवसीय होगा। इन प्रशिक्षणों के उपरान्त आगामी प्रशिक्षणों की विषय वस्तु की रूपरेखा इन प्रशिक्षणों के अनुरूप तथा फीडबैक के आधारपर निर्धारित की जायेगी तथा उसी के अनुरूप प्रशिक्षण पैकेज का विकास किया जायेगा। पांचवे वर्ष से आयेाजित शिक्षक प्रशिक्षणों पर प्रतिप्रतिभागी प्रतिदिन रु0 70 की दर से व्यय प्रस्तावित है।

प्रशिक्षणों में दूरस्थ शिक्षा माध्यम का अधिकतम उपयोग किया जायेगा।

उपर्युक्त सभी प्रशिक्षण डायट के नेतृत्व में विकास खण्ड स्तरपर संचालित किये जायेंगे।

उपर्यक्त प्रशिक्षण के अतिरिक्त उच्च प्राथमिक कक्षाओं के शिक्षकों के लिए कुछ विशेष प्रशिक्षण भी आयोजित किये जायेंगे जिसका विवरण इस प्रकार है–

क़म्प्यूटर उपयोग सम्बंधी प्रशिक्षण—

सूचना प्रोद्योगिकी के बढ़ते हुए प्रभाव तथा भावी समय की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक है कि बच्चों को कम्प्यूटर संबंधी जानकारी दी जाये। इस हेतुप्रथम वर्ष में प्रत्येक विकास खण्ड में कुल 07 उच्च प्राथमिक विद्यालयों से कम्प्यूटर शिक्षण की व्यवस्था हेतु शिक्षकों का प्रशिक्षण डायट स्तरपर आयेाजित किया जायेगा। इस प्रशिक्षण के लिये डायट के सदस्यों को एक मास का आधारभूत प्रशिक्षण प्रदान कराने के उपरांत उच्च प्राथमिक शिक्षकों के लिये 1 माह का प्रशिक्षण डायट में आयोजित किया जायेगा। इस हेतु प्रशिक्षण माड्यूल का विकास डायट तथा एस0सी0आर0टी0 के सहयोग से किया जायेगा। इस प्रकार प्रशिक्षित उच्च प्राथमिक शिक्षक अपने विद्यालयों में छात्र–छात्राओं को कम्प्यूटर उपयोग संबंधी शिक्षण प्रदान करेंगे। पाइलट आधार पर इस कार्यकम का अनुश्रवण डायट के प्रशिक्षित सदस्यों द्वारा किया जायेगा तथा कार्यकम की सफलता के आधार पर इसके रित्तर की कार्यवाही आगामी वर्ष में की जायेगी।

जेण्डर सेंसिटाइजेशन

कक्षा में बालिकाओं के प्रति व्यवहार में संवेदनशीलता लाने हेतु वी0आर0सी0 स्तर पर

दो दिवसीय कार्यशालायें आयोजित की जायेंगी जिसमेंप्रत्येक उच्च प्राथमिक विद्यालय से एक शिक्षक प्रतिभाग करेंगे।

1. नेतृत्व प्रशिक्षण

सभी उ0प्र0 वि0 के प्रधानाध्यापकों को नेतृत्व प्रशिक्षण तथा समय प्रबंधन एवं विद्यालय–प्रबंधन का प्रशिक्षण डायट स्तरपरप्रदान किया जायेगा। यह प्रशिक्षण दो दिवसीय होगा तथा इसके लिए प्रशिक्षण माडयूल काविकास सीमेट इलाहाबाद के सहयोग से डायट द्वारा किया जायेगा।

2. अन्य प्रशिक्षण

प्राथमिक तथ उच्च प्राथमिक शिक्षकों के प्रशिक्षण के अतिरिक्त डायट के नेतृत्व में अन्य प्रशिक्षण भी आयोजित किये जायेंगे जिनका विवरण इस प्रकार है :–

1. शिक्षामित्र/आचार्य जी प्रशिक्षण–जनपद के शिक्षामित्रों तथा ई0जी0एस0 केन्द्रों के आचार्य जी के लिए 30 दिवसीय आधारभूत प्रशिक्षण डायट स्तरपर आयोजित किया जायेगा। यह प्रशिक्षण शिक्षा मित्रों के लिए संवारत शिक्षक प्रशिक्षणों के अतिरिक्त होगा। इसके अतिरिक्त शिक्षा मित्र आचार्य जी के लिए 15 दिवसीय रिफ्रेशर प्रशिक्षण भी प्रतिवर्ष आयोजित किया जायेगा।
2. वैकल्पिक शिक्षाः–जनपद में प्रस्ताविक वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों के अनुदेशकों के लिए आधारभूत प्रशिक्षण 15 दिवसीय होगा तथा प्रतिवर्ष डायट में आयोजित किया जायेगा। इसके अतिरिक्त 10 दिवसीय रिफ्रेशर प्रशिक्षण भी आयोजित किया जायेगा । प्रशिक्षण माड्यूल का विकास डायट द्वारा तथा एस0सी0ई0आर0टी0 के सहयोग से जनपद स्तर पर किया जायेगा। वैकल्पिक शिक्षा का पर्यवेक्षण एन0पी0आर0सी0, बी0आर0सी0 के समन्वयको द्वारा किया जायेगा तथा पर्यवेक्षण हेतु क्षमता विकास हेतु समन्वयकों का 3 दिवसीय

प्रशिक्षण डायट स्तर पर आयोजित किया जायेगा। यह प्रशिक्षण प्रत्येक दो वर्ष के अंतराल पर आयोजित किया जायेगा ।

3. **ई0सी0सी0ई0 केन्द्रों के अनुदेशकों का प्रशिक्षण** – पूर्व प्राथमिक शिक्षा की दृष्टि से 30 शिशु शिक्षा केन्द्रो की स्थापना की जायेगी तथा इनकी कार्यकत्रियों तथा सहायिकाओं के लिए 7 दिवसीय प्रशिक्षण डायट में आयोजित किया जायेगा । इस प्रशिक्षण हेतु राज्य शिक्षा संस्थान, इलाहाबाद द्वारा विकसित प्रशिक्षण माड्यूल का उपयोग किया जायेगा।

ई0सी0सी0ई0 केन्द्रों की कार्य प्रतिक्रीया के प्रशिक्षण हेतु वर्ष 1997 में राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा प्रशिक्षण माड्यूल का विकास किया गया था। कालान्तर मेंइस मॉड्यूल को अनुभूत आवश्यकताओं के आलोक में संशोधित किया गया। राज्य शिक्षा संस्थान, इलाहाबाद तथा राज्य परियोजना कार्यालय, लखनऊ के सहयोग से इस प्रकार "आधारशिला" (भाग 1 व 2) प्रशिक्षण मॉड्यूल का विकास किया गया है । अनुदेशकों का प्रशिक्षण डायट स्तर पर आयोजित किया जायेगा तथा प्रशिक्षण के मुख्य बिन्दु इस प्रकार है । स्कूल रेडिनेस बच्चों की देखभाल को प्रोत्साहित करने, सहयोग करने हतु समुदाय का संवेदीकरण 3–6 वर्ष वर्ग के बचचों के संज्ञानात्मक, शारीरिक विकास, भाषाई कौशलों का विकास, बच्चों में सामाजिक–संवेगात्मक और सृजनात्मक अभिव्यक्ति, सौन्दर्यानुभूति के विकास हेतु अभ्यास आदि। प्रशिक्षण सात दिवसीय है और इसका 40 प्रतिशत समय खेल सामग्री, शीक्षक सामग्री के विकास में लगाया जाता है तथा इसके अतिरिक्त 5 केन्द्रों का भ्रमण भी कराया जाता है । इस मॉड्यूल का आगामी तीन–चार वर्षो तक उपयोग किया जायेगा । तदनंतर इसकी समीक्षा की जायेगी ।

4. **बी0आर0सी / एन0पी0आर0सी समन्वयकों का प्रशिक्षण** – डी0पी0ई0पी0 के अन्तर्गत परिषदीय विद्यालयों को सहयोग तथा पर्यवेक्षण प्रदान किया जा रहा है । एस0एस0ए0 परियोजना में अशासकीय सहायता प्राप्त हाईस्कूल इण्टर कालेज में ~~संचालित कक्षा 6–8 के शिक्षकों को भी अकादमिक सहयोग प्रदान किया जाना है~~ । इस प्रकार बी0आर0सी0, एन0पी0आर0सी0 समन्वयाकों के की क्षमता में अभिवृद्धि की

आवश्यकता है । इस दृष्टि सेबी0आर0सी0 एन0पी0आर0सी0 समन्वयाकं का उनके कार्य तथा दायित्व सम्बंधी अकादमिक पर्यवेक्षण के संदर्भ में 7 दिवसीय प्रशिक्षण डायट स्तर पर आयोजित किया जायेगा। इस प्रशिक्षण माड्यूल का विकास राज्य स्तर पर किया गया है तथा इसे जनपद की आवश्यकताओं के अनुरूप संशोधित परिवर्तित कर उपयोग किया जायेगा। बी0आर0सी0 एन0पी0आर0सी0 के समन्वयक सेवारत शिक्षकों के लिए आयोजित समस्त प्रशिक्षण को भी प्राप्त करेंगे तथा इनके अतिरिक्त समय–समय पर शिक्षामित्र, वैकल्पिक शिक्षा, शिक्षा गारंटी योजना ई0सी0सी0 तथा अकादमिक पर्यवेक्षण हेतु विकसित किये गये प्रशिक्षण मॉड्यूल के आधार पर भी इनकी क्षमता का विकास किया जायेगा। जिससे बी0आर0सी0 उन0पी0आर0सी0 समन्वयक अपने–अपने क्षेत्रान्तर्गत इन कार्यक्रमों का भी बेहतर अनुश्रवण तथा सहायेाग कर सकें।

5. **ए0बी0एस0ए0 एस0डी0आई0 प्रशिक्षण** – जनपद में विकास खण्ड स्तर पर गुववत्ता विकास कार्यक्रमों के नियोजन तथा कियान्वयन में ए0बी0एस0ए0 एस0डी0आइ0 को महत्वपूर्ण भूमिका है । इस दृष्टि से इनका 5 दिवसीय ओरियेन्टेशन कार्यक्रम डायट स्तर पर आयोजित किया जायेगा । इस हेतु प्रशिक्षण मॉड्यूल का विकास सीमेट द्वारा डी0पी0ई0पी0 के अन्तर्गत किया गया है । ए0बी0एस0ए0 एस0डी0आई0 के लिए अनुबोधात्मक प्रशिक्षण का अयोजन सीमेट द्वारा डायट स्तर पर किया जायेगा । इस प्रशिक्षण के मुख्य बिन्दु इस प्रकार है– अपने क्षेत्रान्तर्गत प्रशासनिक नियन्त्रण तथा कार्यक्रमों का अनुश्रवण, विद्यालयों बी0आर0सी0 एन0पी0आर0सी0 वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों, ई0सी0सी0ई0 केन्द्र आदि का अकादमिक पर्यवेक्षण आदि। अकादमिक पर्यवेक्षण हेतु आयोजित प्रशिक्षण, ई0एम0आई0एस0, माइक्रोप्लानिंग तथा सामुदायिक सहकारिता कार्यक्रमों हेतु आयोजित प्रशिक्षणों में भी प्रतिभाग करेंगे ।

6. **ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों का प्रशिक्षण** – स्कूल की गतिविधियों मं समुदाय की भागीदारी बढ़ाने, स्थानीय स्तर पर पर्यवेक्षण की कारगर व्यवस्था लागू करने, बच्चों खासकर बालिकाओं का नामांकन शत प्रतिशत करने ग्राम शिक्षा योजनाएं

बनाकर उसका क्रियान्वयन करने की दृष्टि से ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों ताकि जागरूक अभिभावकों के लिए तीन दिवसीय प्रशिक्षण ग्राम स्तर पर आयोजित किये जायेंगे । ये प्रशिक्षण प्रत्येक दो वर्ष के अंतराल पर आयोजित किये जायेंगे तथा एस0एस0ए0 के प्रथम वप्र में इसका आरम्भ किया जायेगा। प्रशिक्षण माड्यूल का विकास राज्य स्तर पर डी0पी0ई0 पी–।।। के अन्तर्गत किया गया है जिसे वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप जनपद स्तर पर संशोधित परिवर्द्धित किया जायेगा। ग्राम शिक्षा समितियों के लिए 03 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा जिसमें निम्नांकित सदस्य प्रतिभाग करेंगे – ग्राम शिक्षा समितियों के सभी सदस्य और महिला सदस्य, युवक मंगल दल के सदसय, मॉडल कलरटर एप्रोच की दृष्टि से चयनित क्षेत्रों या जिन क्षेत्रों में सामुदयिक सहभागिता में प्रयासों की प्रशिक्षण के फलस्वरूप अद्यतन माइक्रोप्लानिंग और स्कूल मैपिंग अभ्यास से प्राप्त आंकड़ो और स्कूल विकास योजनाएं प्राप्त होती है । इसके अतिरिक्त स्कूल सुविधाओं के अधिकतम उपयोग को सुनिश्चित किया जता है । विद्यालय में नामांकित न होने वालेक बच्चों की स्थिति ज्ञात कर उनके स्कूल जाने के प्रयास किये जाते है । स्कूलों के कार्यो में समुदाय की भागीदारी बढ़ती है । स्कूलों की गतिविधियों में समुदाय द्वारा पर्यवेक्षण से शिक्षकों के उत्तरदायित्व का पालन सुनिश्चत होता है जिससे बच्चों की शैक्षिक सम्प्राप्ति का स्तर बढ़ता है ।

7. एस0एस0ए0 परियोजना का प्रशिक्षण –

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत जिला परियोजना कार्यालय के अभिकर्मियों तथा डायट स्टाफ का प्रशिक्षण सीमेट द्वारा आयोजित किया जायेगा। यह प्रशिक्षण प्रथम वर्ष में आयोजित होगा। प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत सर्व शिक्षा अभियान के दिशा निर्देशों तथा कार्ययोजना की रणनीतियों के संबंध में जनपदीय टीम को प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा आगामी वर्षो में आवश्यकता अनुसार रिफ्रेशर प्रशिक्षण भी आयेजित किये जायेंगे । किसी भी प्रकार के प्रशिक्षण के अनुभवों की विभिनन स्तरों पर शैयरिंग की जायेगी तथा इनका डाक्यूमेन्टेशन भी किया जायेगा ।

शिक्षण समय को बढ़ाना :–

प्रत्येक माह डायट के प्रवक्ताओं द्वारा विद्यालय अनुश्रवण द्वारा प्राथमिक विद्यालय की समय सारणी का अध्ययन किया गया। प्राथमिक विद्यालय में समय सारणी का प्रयोग अधिकांश विद्यालयों में किया जाता है। वर्ष में 200 दिन कुल कार्य दिवस के लिए खुला। निर्धारित तिथियों का अवकाश भी विद्यालय में हुआ तथा 165 दिवस शिक्षण के लिए उपलब्ध हुए।

सारणी – 1

	प्राथमिक स्तर	उच्च प्राथमिक स्तर
कुल कार्य दिवस	220	220
शिक्षण दिवस	165	165
परीक्षा	10	10
अन्य कार्य	15	15
नष्ट हो जाने वाले दिन	10	10
समुदाय से संपर्क	10	10

स्रोत – डायट, रामपुर कारखाना देवरिया

सारणी 1.2

स्कूल समय सारणी (साप्ताहिक) के अनुसार उपलब्ध शिक्षण समय सप्ताह के अनुसार–

	प्राथमिक स्तर वादन / समय	उच्च प्राथमिक स्तर वादन / स्तर
भाषा–1 हिन्दी	प्रति घंटा 40 मिनट × 9	40 मिनट × 9
भाषा–2 अंग्रेजी	प्रति घंटा 40 मिनट × 3	40 मिनट × 5
भाषा–3 संस्कृत	प्रति घंटा 40 मिनट × 3	40 मिनट × 5
विज्ञान	प्रति घंटा 40 मिनट × 4	40 मिनट × 6
गणित	प्रति घंटा 40 मिनट × 8	40 मिनट × 10
सामाजिक विषय	प्रति घंटा 40 मिनट × 4	40 मिनट × 6
समाजोपयोगी कार्य	प्रति घंटा 40 मिनट × 5	40 मिनट × 4
कला शिक्षण	प्रति घंटा 40 मिनट × 4	40 मिनट × 3
अन्य प्रशिक्षण शारीरिक शिक्षा	प्रति घंटा 40 मिनट × 8	40 मिनट × 3
कृषि प्रशिक्षण शारीरिक शिक्षा		

स्रोत – डायट, रामपुर कारखाना देवरिया

उपर्युक्त सारिणी के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्राथमिक स्तर तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर 165 दिन ही उपलब्ध हो पाते हैं जबकि विभाग द्वारा न्यूनतम 220 कार्य दिवस सुनिश्चित किये जाने के निर्देश है। अतः सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत शिक्षण कार्य हेतु उपलब्ध दिवसों की संख्या कम से कम 220 दिन सुनिश्चित की जायेगी। परीक्षाओं, समुदाय से सम्पर्क तथा अन्य कार्यों में नष्ट हो जाने वाले दिनों को क्रमशः समाप्त

किया जायेगा तथा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि शिक्षक शिक्षण कार्य के लिए विद्यालयों में कम से कम 220 दिन उपलब्ध हरे। इसके अतिरिक्त उपलब्ध शिक्षण संयम के अधिकतम उपयेाग हेतु शिक्षक को समय प्रबन्धन सामग्री, प्रबन्धन स्कूल की गतिविधियों के समायोजन में बच्चों की भागीदारी बढ़ाने, समुदाय से उपलब्ध हो सकने वाले मानव संसाधनों का विद्यालय–गतिविधियों में उपयोग आदि उपायों को बढ़ावा दिया जायेगा।

पाठ्य सामग्री–

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत विकसित प्राथमिक कक्षाओं की नवीन पाठ्य पुस्तकों को जुलाई, 2000 के सत्र में प्राथमिक विद्यालयों में लागू किया गया। इन पाठ्यपुस्तकों का उपयोग सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के अन्तर्गत भी वर्ष 2005 तक जारी रहेगा। तदुरान्त एस0सी0ई0आर0टी0, उ0प्र0 द्वारा प्राथमिक कक्षाओं की पाठ्यपुस्तकों का यथा आवश्यक संशोधन किये जाने पर तद्नुरूप पाठ्यपुस्तकें वितरित करने की व्यवस्था भी सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत लागू की जायेगी। निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों के वितरण से बालिकायें तथा बालक लाभान्वित होंगे। नवीन पाठ्यपुस्तकों के अधार पर विकसित शिक्षक–संदर्शिकाएं जो डी0पी0ई0पी0 के अन्तर्गत विकसित की गयी थी उन्हें सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत सभी प्राथमिक शिक्षकों के लिए उपलब्ध कराने हेतु प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय पर एक सेट उपलब्ध कराया जायेगा।

प्राथमिक कक्षाओं (1–5) हेतु संशोधित पाठ्यक्रम बेसिक शिक्षा परियोजना उ0प्र0 द्वारा जुलाई 1999 में तथा उच्च प्राथमिक कक्षाओं (6–8) हेतु संशोधित पाठ्यक्रम जनवरी, 2000 में अनुमोदित किये जाने के उपरान्त मुद्रित कराकर सभी प्राथमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालयों को वितरित किया गया है। यह पाठ्यक्रम आगामी पाठ्यक्रम संशोधन की कार्यवाही किये जाने तक लागू रहेगा। शिक्षकों को प्रशिक्षण तथा कार्यशालाओं आदि के मध्यम से इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा कि वे इसका अधिकतम उपयेाग कक्षा शिक्षण में करें। इस हेतु बी0आर0सी0 एन0पी0आर0सी0 स्तर पर विशेष रूप से कार्यशालाओं का आयोजन तथा फालोअप किया जायेगा।

कक्षा 6–8 के लिए संशोधित पाठ्यक्रम के आधार पर नवीन पाठ्यपुस्तकों का विकास एस0सी0ई0आर0टी0 के तत्वाधान में किया जा रहा है। ये पाठ्यपुस्तकें एस0सी0ई0आर0टी0 के विशिष्ट संस्थानों, राज्य संदर्भ समूह के सदस्यों, शिक्षकों, बाह्य विशेषज्ञों आदि के सहयोग से सहभागिता आधारित प्रक्रिया के अन्तर्गत विकसित की जा रही है। इन पाठ्यपुस्तकों की फील्ड ट्रायलिंग लागू किया जायेगा। इन पाठ्यपुस्तकों के आधार पर शिक्षक संदर्शिकाओं का भी विकास किया जायेगा तथा ये शिक्षक संदर्शिकाएं प्रत्येक उच्च प्राथमिक विद्यालयों में निःशुल्क शिक्षकों के उपयोग हेतु एक सेट उपलब्ध करायी जायेगी। उच्च प्राथमिक विद्यालयों में निःशुल्क शिक्षकों के उपयेग हेतु एक सेट उपलब्ध करायी जायेगी। उच्च प्राथमिक विद्यालयें में निःशुल्क शिक्षकों के उपयेग हेतु एक सेट उपलब्ध करायी जायेगी। उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत सभी बालिकाओं तथा अनुसूचित जाति जनजाति के बालकों को निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध करायी जायेगी।

किशोरी बालिकाओं के लिए पाठ्य सामग्री

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत गुणवत्ता सुधार कार्यक्रमों में उच्च प्राथमिक स्तर पर विशेष बल दिया जायेगा । उच्च प्राथमिक स्तर में अध्ययनरत बालिकाओं को ध्यान में रखकर इस प्रकार की शिक्षण अधिगम सामग्री विकसित की जायेगी जो किशोरी बालिकाओं की जीवन आवश्यकताओं की पूर्तीकर सके तथा प्रभावी जीवन के लिये अच्छी तरह तैयार कर सके । यह विशेष रूप से ध्यान दिया जायेगा कि किशोर बालिकाएं जीवनोपयोगी कौशलों का यथेष्ठ एवं सम्यक ज्ञान प्राप्त कर सकें इस हेतु शिक्षण अधिगम सामग्री विकसति कर उच्च प्राथमिक विद्यालयों को उपलबध कराई जायेगी ।

7. गुणवतत्ता विकास मे डायट की भूमिका –

अकादमिक नेतृत्व प्रदान करना –

डायट द्वारा प्रत्येक स्तर पर अकादमिक नेतृत्व प्रदान किया जायेगा । गुणवत्ता विकास के लिए जनपद तथा उप जनपद स्तर पर वार्षिक कार्ययोजनाएं विकसित की जायेगी । जनपद, विकास खण्ड, न्यायपंचायत स्तरीय अभिकर्मियों के लिए प्रशिक्षणों का नियोजन तथा क्रियान्वयन, अकादमिक पर्यवेक्षण तथा श्रेणीकरण हेतु अभिमुर्खीकरण तथा क्रियान्वयन, विभिन्न स्तरीय अभिकर्मियों की क्षमता का विकास, शोध एवं मूल्यांकन, नवाचार कार्यक्रमों का संचालन तथा अनुश्ररण, सामग्री विकास ई0एम0एस0 आकड़ों का विश्लेषण तथा उपयोग आदि प्रमुख दायित्वों का डायट द्वारा जनपद स्तर पर निर्वाह किया जायेगा ।

इन कार्यक्रमों के समग्र लक्ष्य होगा शिक्षकों को कार्यस्थल पर सहयोग, समर्थन प्रदान करने की उपयुक्त रणनीतियों का विकास करने हेतु संस्थागत क्षमता संवर्द्धन करना । इस हेतु डायट द्वारा निम्नवत् कार्यवाही की जायेगी।

क्षमता विकास करना –

जनपद स्तर पर डायट – की अकादमिक नेतृत्व प्रदान करने की महत्वपूर्ण भूमिका होगी । प्राथमिक उच्च प्राथमिक शिक्षकों को विषयवस्तु तथा शिक्षण विद्या आधारित प्रशिक्षण प्रदान करने बी0आर0सी0, एन0पी0आर0 सी0, समन्वकों को पर्यवेक्षण के लिए प्रशिक्षित करने वैकल्पिक शिक्षा, वी0ई0सी0 प्रशिक्षण, समेकित शिक्षा हेतु प्रशिक्षण आदि मुख्य दायित्वों के निर्वहन हेतु डायट की क्षमता विकास करने के लिए "संस्थागत क्षमता विकास "कार्यक्रम" को लागू किया जायेगा । इसके अतिरिक्त विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों तथा स्वयंसेवी संगठनों से रिसोर्स नेटवर्किंग भी की जायेगी । प्राथमिक तथाउच्च प्राथमिक शिख के क्षेत्र में किये जा रहे नवीनतम शोध–मूल्यांकनों का उपयोग कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में सुनिश्चित किया जायेगा।

डायट द्वारा ए0बी0एस0ए0/एस0डी0आई0 प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के सहायक तथा प्रदशान अध्यापक और बी0आर0सी0 के समन्वयक, एन0पी0आर0सी0 के संकुल प्रभारी की क्षमता विकास विभिन्न प्रशिक्षणों के माध्यम से कराया जायेगा। राज्य स्तर के प्रशिक्षण संस्थानों में डायट के सदस्यों को प्रशिक्षित करके क्षमता में वृद्धि की जायेगी । वाह्य संस्थानों के विशिष्ट तथा अनुभवी व्यक्तियों, संस्थाओं के अनुभवों से लाभ उठाकर डायट के संकाय सदस्यों हेतु वार्ता/व्याख्यान का आयोजन करके सहायक अध्यापकों में क्षमता विकास किया जायेगा। उनमें नेतृत्व की क्षमता, प्रबन्धक एवं नियोजन की क्षमता, शैक्षिक सपोर्ट की क्षमता का विकास किया जायेगा।

अकादमिक संदर्भ समूह का सुदृढ़ीकरण –

जनपद स्तर पर गुणवत्ता विकास के लिए कार्यक्रमों का नियोजन, क्रियान्वयन तथा अनश्रवण करने गुणवत्ता विकास के लिए विभिन्न कार्यक्रमों यथा प्रशिक्षण आदि से प्राप्त फीडबैक का विश्लेषण कर उनका सामधान प्रस्तुत करने हेतु अकादमिक संसाधन समूह गठित किया गया है जिसमें डायट स्टाफ के अतिरिक्त वाह्य विशेषज्ञ शिक्षाविद्, योग्य शिक्षक आदि सदस्य हैं । अकादमिक संसाधन समूह के क्षमता विकास के पूर्व इसमें उच्च प्राथमिक स्तर पर भी अकादमिक सहायेाग प्रदान करने की दृष्टि से हाईस्कूल तथा इण्टर कालेज स्तर के शिक्षकों को जोड़ा जायेगा तथा इनकी क्षमता संवर्द्धन हेतु एस0सी0आर0टी0 के सहायोग से क्षमता विकास कार्य शाला डायट स्तर पर आयोजित की जायेगी । ये कार्यशालाएं मुख्यतः अकादमिक पर्यवेक्षण, विषय तथा स्कूल का शिक्षकों की समस्याओं का निवारण आदि बिन्दुओं पर केन्द्रित होंगी तथा प्रत्येक वर्ष 05 दिवसीय कार्यशालाएं आयोजित की जायेंगी।

गुणवत्ता सुधार में स्वयं सेवी संगठनों की सहभागिता –

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रस्तावित गुवणत्ता सुधार कार्यक्रमों में प्रदेश के अन्तर्गत स्थापित शासकीय संस्थाओं अथवा स्वैच्छिक संगठनों मेंजो अकादमिक सन्दर्भ समूह को सक्रिय बनांने, जिला तथा विकास खण्ड स्तर पर विकास खण्ड संसाधन केन्द्र समन्वयकों तथा मास्टर

ट्रेनर्स की क्षमताओं के विकास में लिया जायेगा इसके अतिरिक्त आकदमिक पर्यवेक्षण एवं समर्थन प्रणाली के अन्तर्गत विभिन्न स्तर पर क्षमता विकास करने में उक्त संस्थाओं का सहभागिता प्राप्त की जायेगी । इस सम्बन्ध में जनपद स्तर पर अनुभवी व ख्याति प्राप्त स्वैच्छिक संगठनों से प्रस्ताव प्राप्त किया जायेगा तथा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जिला शिक्षा परियोजना समिति के द्वारा स्वैच्छिक संगठनों का चयन किया जावेगा ।

कम्प्यूटर प्रशिक्षण –

डायट में प्रवक्ताओं को भी कम्प्यूटर के उपयोग की जानकारी आवश्य रखनी है । अतः इसकी प्रशिक्षण की व्यवस्था की जायेगी । स्थानान्तरण नियोजन तथा अनुश्रवण में कम्प्यूटर की सहायता करने की व्यवस्था को बढ़ाया जायेगा । इसके अतिरिक्त उच्च्य प्राथमिक कक्षाओं में भी बच्चों को कम्प्यूटर शिक्षा प्रदान करने का लक्ष्य है जैसा कि ऊपर वर्णित है, इस हेतु भी कम्प्यूटर शिक्षण हेतु शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जायेगा ।

शिक्षण सामग्री का विकास करना –

शिक्षण सामग्री तथ अनुपूरक अध्ययन सामग्री विकास का प्रशिक्षण डायट स्तर पर प्रदान कर एन0पी0आर0सी0 पर संकुल प्रभारी द्वारा कुशल अध्यापक की सहभागिता से शिक्षण सामग्री का विकास किया जायेगा तथा इसी प्रकार क्रमशः विाकस खण्ड एवं जनपद् स्तर पर अनुपूर्ण अध्ययन सामग्री का विकास किया जायेगा । इस कार्य में डी0पी0ई0पी0 के अन्तर्गत पूर्व में की गयी सामग्री विकास की प्रक्रिया के अनुभवों से लाभ उठाया जायेगा ।

डी0पी0ई0पी0 के अन्तर्गत शिक्षकों को रू0 500/– अनुदान के रूप में दिया गयाथा तथा इसका उद्देश्य यह था कि शिक्षक कक्षा में आवश्यकतानुसार शिक्षण सामग्री के निर्माण में इसे व्यय करेंगे । शिक्षक इससे चाट, पोस्टर व अन्य पठन सामग्री सहायक सामग्रियों विशेषकर विज्ञान और गणित शिक्षण में उपयोगी सामग्री तथा उपकरण आदि का क्रय करसकते है। विषय आधारित तथा पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तक आधारित शिक्षण सामग्री के निर्माण तथा उपयोग को सुनिश्चित करने हेतु इस अनुदान की महत्वपूर्ण भूमिका है । इस दृष्टि से सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत शिक्षक अनुदान की योजना को जारी रखा जायेगा तथा सभी शिक्षकों को प्रतिवर्ष रू0 500/– शिक्षक अनुदान के रूप में प्रदान किया जायेगा । इसके अतिरिक्त ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना में प्रदत्त विज्ञान किट का उपयोग भी सुनिश्चित

किया जायेगा । इस हेतु पूर्व की भाँति विभिन्न स्तरों पर मेटेरियल मेले भी आयोजित किये जायेंगे ।

न्याय पंचायत स्तर पर शिक्षण सामग्री की प्रदर्शनी लगायी जायेगी । तत्पश्चात इनकी प्रदर्शनी जिला स्तर पर डायट में करायी जायेगी । जिससे अध्यापकों के अन्तर्गत निहित क्षमता का विकास हो सकेगा।

सारणी ८.८अ प्राथमिक, स्तर

क०	स्कूलों का प्रकार	वर्श२००३–०४	वर्श२००४–०५	वर्श२००५–०६	वर्श२००६–०७
१	परिशदीय	२०६	७४५३	७६२८	७८१५
२	सहायता प्राप्त	०	१२५	१२५	१२५
	योग	२०६	७५७८	७७५३	७६४०

सारणी ८.८अ उच्च प्राथमिक स्तर

क०	स्कूलों का प्रकार	वर्श२००३–०४	वर्श२००४–०५	वर्श२००५–०६	वर्श२००६–०७
१	परिशदीय	१८८६	६७२	६७२	६७२
२	सहायता प्राप्त	०	२३१	२३१	२३१
	योग	१८८६	१२०३	१२०३	१२०३

कार्यशाला, गोष्ठियों का आयोजन –

प्राथमिक विद्यालय की विभिन्न समस्याओं के निराकरण हेतु कार्यशालाओं एवं गोष्ठी का आयोजन किया जाता है जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पर मुख्यतः केन्द्रित है । इस बैठक में शिक्षकों की अकादमिक समस्याओं का समाधान करने के अतिरिक्त आदर्श भी मासिक स्तरीय इन गोष्ठियों को और अधिक उत्पादक बनाने हेतु डायट स्तर से वार्षिक कार्ययोजना बनाने में एन०पी०आर०सी० की सहायता की जायेगी तथा तैयार की गई वार्षिक कार्ययोजना के आधार पर गोष्ठियों और कार्यशालाओं का आयोजन किया जायेगा । यह कार्यक्रम मुख्यतः उपर्युक्त शिक्षण सामग्री नियंत्रण शिक्षकों की कक्षा में अनुभूत कठिनाइयों के निवारण, आदर्श पाठ को प्रस्तुतीकरण आदि बिन्दुओं पर आधारित होगा। निम्नांकित विषय पर कार्यशालाए तथा गोष्ठियाँ आयोजित की जायेगी –

१. बच्चों की संप्राप्ति स्तर के आकड़ों की शेयरिंग ।

२. अनुपूरक अध्ययन सामग्री निर्माण ।

३. विज्ञान शिक्षण हेतु शिक्षकों के लिए अनुपूरक अध्ययन सामग्री विकास।

४. छात्र–छात्राओं की अधिगम सम्प्राप्ति के मूल्यांकन हेतु टेस्ट आइटम का निर्माण ।

५. स्कूल पूर्व शिक्षा की तैयारी के लिए कथा–कविता का संकलन ।

शोध एवं मूल्यांकन –

जनपदीय परिस्थितियाँ एक आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा एवं शैक्षिक कार्यक्रमों के अनुसार संस्थान विभिन्न विषयों जैसे पाठ्यक्रम कक्षा शिक्षण, विद्यालय प्रबन्ध, मूल्यांकन आदि क्षेत्रों में वास्तविक स्थिति का आंकलन कर व्यावहारिक कठिनाइयों के परिप्रेक्ष्य में उनके निवारणार्थ क्रियात्मक शोध करके प्राप्त निष्कर्षों का क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं, शिक्षक, प्रशिक्षक, निरीक्षक तक पहुँचाकर उनके द्वारा आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करेंगे । शिक्षकों, समन्वयकों को एक्शन रिसर्च सम्बन्धी प्रशिक्षण सीमेट के सहयोग से प्रदान किया जायेगा । एक्शन रिसर्च के लिए शिक्षकों को धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी । शिक्षक डायट के नेतृत्व में एक्शन रिवर्च हेत अपनी परियोजना का निर्माण कर इसे क्रियान्वित करेंगे । डायट की भूमिका मुख्यतः एक्शन रिसर्च हेतु शिक्षकों की क्षमता का विकास करने तथा इन शोध परियोजनाओं का सुचारू रूप से क्रियान्वयन कर पूर्ण कराना है ।

डायट द्वारा शिक्षकों की शिक्षण क्षमता का भी अध्ययन तथा मूल्यांकन किया जायेगा । सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत बच्चों की सम्प्राप्ति स्तर का अध्ययन किया जायेगा । डायट द्वारा एस0सी0ई0आर0टी0 के सहयोग जनपद स्तर पर "क्लास रूम ऑब्जर्वेशन स्टडी" भी की जायेगी ।

एक्शन रिसर्च :–

जनपद में विभिन्न स्तरों पर शिक्षकों द्वारा एक्शन रिसर्च का कार्य किये जाने की दृष्टि से 05 दिवसीय कार्यशलएं आयोजित की जायेगी तथा इन कार्यशालाओं के आयोजन में मुख्यतः सीमेट, इलाहाबाद और एस0सी0आर0टी0, लखनऊ का साहयोग प्राप्त किया जायेगा । बी0आर0सी0 को इस दृष्टि से सक्षम बनाया जायेगा कि शिक्षक अपनी अनुभूत समस्याओं के निदान के लिए स्वयंअपनी कार्ययोजना बनाएं और सामाधान ढूँढ़ने

मे कामयाब हो सके । इस प्रकार क्रियात्मक शोध की प्रक्रिया को संकुल स्तर तक तथा अनंतर विद्यालय स्तर तक ले जायेंगे। क्रियात्मक शोध हेतु प्रस्तावित क्षेत्र इस प्रकार है –

1. शिक्षक अनुदान का सार्थक उपयोग किस प्रकार हो ?

2. बहुकक्षा शिक्षण परिस्थितियों में विभिन्न विषयों का शिक्षण किस प्रकार हो ?

3. बच्चों के सतत् व्यापक मूल्यांकन में कक्षा के बच्चो का सहयोग ।

4. कक्षा की प्रक्रिया में जनभागीदारी बढ़ाने के तरीके ।

5. शिक्षक प्रशिक्षण का कक्षा में क्रियान्वयन सुनिश्चित करने हेतु संकेतो का विकास ।

6. कार्य–निष्पादन के आधार पर चिन्हित कमजोर विद्यालयों में 'प्रबन्धन' के मुद्दे ।

7. विद्यालय विकास योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के उपाय ।

8. महिला शिक्षकाओं का रोल–परस्पर परिवर्तित करने के लिए रणनीतियाँ।

9. कक्षा में धीमी गति से सीखने वाले बच्चों के लिए कारगर शिक्षण तकनीक ।

10. जहाँ बच्चों की शैक्षिक सम्पत्ति का स्तर क्या है उसके कारणों की पहचान ।

11. विद्यालयों के सन्दर्भ में समुदाय के सहयोग के अभाव के कारण का अध्ययन ।

12. बच्चों की विद्यालय में अनियमित उपस्थिति के कारणों का अध्ययन ।

13. मध्यान्तर के पश्चात विद्यालय से छात्रों के पलायन के कारणों का विश्लेषणात्मक निरूपण ।

14. अध्यापकों के गठन के स्तर मे वृद्धि हेतु प्रत्येक 6 माह बाद मूल्यांकन ।

ऑकाड़ो का विश्लेषण, नियोजन तथा प्रशिक्षण में उपयोग :–

ई0सम0आई0एस0 के द्वारा प्राप्त ऑकड़ों के विश्लेषण से प्रत्येक ब्लाक/प्रत्येक गाँव/प्रत्येक विद्यालय की मूलभूत समस्या/आवश्यकताओं की जानकारी मिलती है, इसके द्वारा ब्लाकवार, ग्रामवार, विद्यालयवार, लिंगवार तथा क्षेत्रवार छात्रों की जानकारी कर सकते है । किस स्थान पर ड्राप आउट की अधिकता है । इसकी समस्या का अध्ययन कर सकते हैं । विद्यालय न जाने वाली बालिकाओं के विषय में अध्ययन कर उन्हें विद्यालय में नामांकित किया जा सकेगा ।

ई0एम0आई0एस0 आंकड़े के विश्लेषण से क्वालिटी इन्डीकेटर्स के संदर्भ में बच्चों की स्थिति का विश्लेषण प्रस्तुत किया जायेगा । उदाहरण के लिए रिपिटेशन रेट, बच्चों द्वारा शिक्षण चक्र को पूरा करने में लगा समय इत्यादि ।

डायट द्वारा ई0एम0आई0एस0 से प्राप्त आंकड़े का विश्लेषण किया जायेगा। जिससे उनका उपयोग नियोजन तथा क्रियान्वयन में हो सकेगा ।

मूल्यांकन प्रणाली :–

छात्रों के मासिक, वार्षिक, मूल्यांकन की प्रणाली की जो व्यवस्था वर्तमान में हैं, उचित हैं किन्तु सुधार के लिए आवश्यक है कि कक्षा 5 की परीक्षा एन0पी0आर0सी0 स्तर पर तथा 8 की परीक्षा बी0आर0सी0 स्तर पर की जायेगी तथा मूल्यांकन की व्यवस्था डायट पर हो, साथ ही प्रश्न पत्र भी डायट पर कुशल अध्यापकों के सहायोग से बनाये जायेगे । छात्रों के उपलब्धि के मूल्यांकन और उन्हें फीड बैंक प्रदान करने के लिए सतत्–व्यापक मूल्यांकन प्रणाली विकसित की जायेगी ।

एस0सी0ई0आर0टी0, उ0प्र0द्वारा जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत बच्चों में शैक्षिक सम्प्राप्ति के मूल्यांकन हेतु सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन संबंधी एक प्रणाली को अंतिम स्वरूप प्रदान कर सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत भी उपयोग किया

जायेगा तथा इस पर अधारित प्रशिक्षण और अभिमुखीकरण शैक्षिक सत्र में आयोजित किया जायेगा । यह उल्लेखनीय है कि सतत् व्यापक मूल्यांकन सबंधी प्रशिक्षण हेतु शिक्षकों के प्रशिक्षण मॉड्यूल में एक अंश के रूप में ही रखा जायेगा तथा मुख्यतः एतद्–विषयक प्रशिक्षण डायट, बी0आर0सी0, एन0पी0आर0सी0 स्तरीय अभिकर्मियों को प्रदान किया जायेगा जिससे वे इस प्रणाली का क्रियान्वयन विद्यालय स्तपर पर सुनिश्चित करा सका ।

डायट स्तपर पर आयोजित होने वाले विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण/कार्यशाला तथा उनके प्रतिभागी निम्नवत् सारिणी द्वारा प्रदर्शित है –

क्र0सं0	कार्यक्रम	प्रतिभागी	अवधि
1.	बिजनिंग कार्यशाला	डायट के संकाय सदस्य, डी.पी.ओ. स्टाफ ए.बी.एस.ए., एस.डी.आई. बी.आर.सी. समन्वयक	04 दिन
2.	शिक्षक प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण	चुने हुए प्रशिक्षक	10 दिन
3.	शिक्षामित्र/आचार्य जी का प्रशिक्षण 1. आधारभूत प्रशिक्षण 20 रिफ्रेशर प्रशिक्षण	शिक्षामित्र, आचार्य जी	30 दिन
4.	वैकल्पिक शिक्षा के अनुदेशकों का प्रशिक्षण 1. आधारभूत प्रशिक्षण 2. रिफ्रेशर प्रशिक्षण	अनुदेशक	15 दिन
5.	वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों के पर्यवेक्षण हेतु प्रशिक्षण	बी.आर.सी., एन.पी.आ.सी. समन्वयक	03 दिन
6.	ई.सी.सी.ई. केन्द्रों के अनुदेशकों का प्रशिक्षण	ई.सी.सी.ई. केन्द्रों की कार्यकत्रियाँ तथा सहायिकाएं	07 दिन
7.	बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. समन्वयकों का प्रशिक्षण	बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. समन्वयक	07 दिन
8.	ए.बी.एस.ए., एस.डी.आई. का प्रशिक्षण	ए.बी.एस.ए., एस.डी.आई,	05 दिन
9.	ग्राम शिक्षा समितियों के प्रशिक्षण हेतु बी.आर.जी. का प्रशिक्षण	बी.आर.जी. के सदस्य	03 दिन
10.	कम्प्यूटर शिक्षण हेतु प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण	डायट स्टाफ, उच्च प्राथमिक विद्यालयों के चयनित शिक्षक	01 माह
11.	अंग्रेजी तथा संस्कृत विषयों के शिक्षण हेतु प्रशिक्षण	चुने हुए शिक्षक प्रशिक्षण	05 दिन

12.	उर्दू शिक्षकों का प्रशिक्षण	उर्दू शिक्षक	05 दिन
13.	सेवा पूर्वागम प्रशिक्षण	नवनियुक्त सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय	10 दिन
14.	नेतृत्व प्रशिक्षण	प्रधानाध्यापक पद पर पदोन्नति प्राप्त करने वाले शिक्षक	05 दिन
15.	एक्शन रिसर्च हेतु प्रशिक्षण	डायट स्टाफ, बी.आर.सी., एन.पी. आर.सी. के चुने हुए समन्वयक तथा चयनित शिक्षक	05 दिन
16.	मेटीरियल मेला	चुने हुए शिक्षक	03 दिन
17.	सतत् व्यापक मूल्यांकन हेतु प्रशिक्षण	बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. सम0 डायट स्टाफ, चुने हुए शिक्षक	03 दिन
18.	अकादमिक पर्यवेक्षण तथा श्रेणीकरण हेतु प्रशिक्षण	डायट स्टाफ, बी.आर.सी. एन.पी.आर.सी. समन्वयक	03 दिन
19.	कार्यानुभव प्रशिक्षण	बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. के चुने हेतु सम0 तथा चयनित उच्च प्रा0वि0 के शिक्षक	05 दिन
20.	अनुपूरक अध्ययन सामग्री विकास हेतु कार्यशाला (हिन्दी/स्थानीय बोली)	चिन्हित शिक्षक शिक्षिकाएं	03 दिन
21.	प्राथमिक/उच्च प्राथमिक कक्षाओं व विज्ञान शिक्षण हेतु सामग्री विकास	प्राथमिक/उच्च प्राथमिक, हाईस्कूल, इण्टर कालेज, के चुने हुए शिक्षक	03 दिन
22.	गणित शिक्षण हेतु सामग्री विकास कार्यशाला	प्राथमिक/उच्च प्राथमिक, हाईस्कूल, इण्टर कालेज के चुने हुए शिक्षक	03 दिन
23.	अकादमिक संदर्भ समूह की क्षमता	अकादमिक संदर्भ समूह के सदस्य	05 दिन
24.	कक्षा शिक्षण में श्रव्य–दृश्य माध्यम से उपयोग संबंधी	बी.आर.सी. समन्वयक, चुने हुए विद्यालय के शिक्षक	02 दिन

	कार्यशाला		
25.	बहुश्रेणी शिक्षण हेतु सेल्फ लर्निंग मेटीरियल का विकास संबंधी कार्यशाला	चुने हुए शिक्षक	25 दिन
26.	वास्तविक शिक्षण समय को ब्रढ़ाने हेतु प्रशिक्षण कार्यशाला	बी.आर.सी., एन.बी.आर.सी. समन्वयक	22 दिन
27.	संस्थागत क्षमता विकास कार्यशाला	डायट के संकाय सदस्य	03 दिन
28.	बाल श्रमिकों हेतु संकलित वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों हेतु शिक्षण सामग्री का विकास	डायट संकाय सदस्य तथा शिक्षक	05 दिन

अकादमिक सुपरविजन में डायट, बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. की समेकित भूमिका :—

अकादमिक सुपरविजन में डायट बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. की समेकित भूमिका रहेगी। एन.पी.आर.सी अनुश्रवण का प्रतिवेदन बी.आर.सी. को देगा, तथा समीक्षा करके बी.आर.सी. प्रतिवेदन डायट में प्रस्तुत करेगा। डायट में ए.आर.जी. के सदस्य द्वारा मुख्य समस्याओं पर चर्चा करके भविष्य का एजेण्डा तैयार करेंगे। डायट जनपद स्तर पर अकादमिक नेतृत्व प्रदान करेगा तथा इसके निर्देश में बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. कार्य करेंगे। प्रत्येक स्तर पर मासिक बैठकों का आयोजन, भ्रमण कार्यों का अनुश्रवण तथा "श्रेणीकरण" के माध्यम से प्रभावी कार्य संस्कृति का विकास किया जायेगा। अकादमिक पर्यवेक्षण की परिधि में अशासकीय उच्च प्रथमिक विद्यालयों, हाईस्कूल, इण्टर कालेज में 6–8 कक्षाओं को पढ़ाने वाले शिक्षकों, वैकल्पिक शिक्षा, इ.सी.सी.ई., ई,जी,एस. केन्द्रों को भी लाया जायेगा।

बी.आर.सी. तथा एन.पी.आर.सी. में गुणवत्ता विकास में प्रस्तावित भूमिका के सन्दर्भ में इनका प्रशिक्षण तथा अभिमुखीकरण डायट स्तर पर किया जायेगा। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का बल इस बात पर होगा कि डी.पी.ई.पी. के अन्तर्गत चलायी गयी अकादमिक पर्यवेक्षण प्रणाली को अधिक सुदृढ़ बनाया जा सके। विद्यालयों, एन.पी.आर.सी., बी.आर.सी. का उनके कार्य निष्पादन के आधार पर श्रेणीकरण किया जायेगा तथा अपेक्षित स्तर का प्रदर्शन न करने वाले विद्यालयों, संसाधन केन्द्रों को चिन्हित कर उन पर विशेष बल दिया जायेगा।

बी.आर.सी. की भूमिका :–

ब्लाक स्तर पर स्थापित वे संसाधन केन्द्र डायट के नेतृत्व में गुणवत्ता विकास हेतु अपनी वार्षिक कार्ययोजना विकसित करेंगे।

- सेवारत शिक्षकों का प्रशिक्षण आयोजन करेंगे।
- विद्यालयों में प्रशिक्षणों के प्रभाव का पर्यवेक्षण करेंगे।
- वैकल्पिक शिक्षा, ई.जी.एस., शिशु शिक्षा केन्द्रों का पर्यवेक्षण करेंगे।
- समुदाय के सदस्यों का बी.आर.सी. के माध्यम से प्रशिक्षण तथा समुदाय की भागीदारी बढ़ाने के ई.एम.आई.एस. आंकड़ों का संकलन तथा विश्लेषण करेंगे।
- अकादमिक समस्याओं के निवारण हेतु एन.पी.आर.सी. तथा डायट के मध्य सक्रिय कड़ी का कार्य करेंगे।
- बी.आर.सी. स्तर पर गुणवता विकास हेतु संदर्भ समूह विकसित करेंगे।
- शोध एवं मूल्यांकन अध्ययन के लिए शिक्षकों का सहयोग प्रदान करेंगे।
- स्कूल डेवलपमेन्ट प्लान का विकास कराने तथा अकादमिक अनुश्रवण का कार्य करेंगे
- बी.आर.सी. स्तर पर सामग्री निर्माण कार्यशालाओं का आयोजन करेंगे।

- प्राथमिक शिक्षा के प्रति समुदाय, अभिभावकों तथा संचार माध्यमों को अभिप्रेरित कर संवेदनशील बनायेंगे।

एन.पी.आर.सी. की भूमिका:–

न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र अपनी वार्षिक कार्ययोजना विकसित करेंगें।

- शिक्षकों के लिए मासिक प्रशिक्षणों, कार्यशालाओं का आयोजन करेंगे।
- विद्यालयों, वैकल्पिक शिक्षा, ई.सी.सी.ई. तथा ई.जी.एस. केन्द्रों का अकादमिक पर्यवेक्षण करेंगे।
- वी.ई.सी. के सदस्यों, डब्लू.एम.जी./पी.टी.ए./एम.टी.ए. सदस्यों का प्रशिक्षण आयोजित करेंगे।
- ई.एम.आई.एस. आंकड़ों का संकलन तथा विश्लेषण करेंगे।
- स्कूल भ्रमण तथा आदर्श पाठों का प्रस्तुतीकरण करेंगे।
- शोध एवं मूल्यांकन अध्ययन के लिए शिक्षकों को सहयोग प्रदान करेंगे।
- स्कूल डेवलपमेन्ट प्लान का विकास कराकर इसका अनुश्रवण करेंगे।
- एन.पी.आर.सी., अभिभावकों, शिक्षकों तथा बच्चों के लिए एक स्रोत केन्द्र के रूप में अपने आपको विकसित करेंगे।

12. नवाचार कार्यक्रम :–

1. डायट द्वारा विभिन्न ग्रामों जन–समुदाय जिसमें ग्राम शिक्षा समिति, स्कूल न जाने वाले बच्चों के अभिभावक, व्यवसाय करने वाले बच्चों के अभिभावक, ग्राम प्रधान, सम्मिलित थे तथा न्याय पंचायत संकुल प्रभारी, उच्च प्रा.वि. के प्रधानाध्यापक के साथ एफ.जी.डी. के दौरान यह तथ्य संज्ञान में आया कि जो बच्चे अपने व्यवसाय में संलग्न होने के कारण विद्यालय में नहीं

जाते हैं या जिन्होंने प्राथमिक स्तर की पढ़ाई पूर्ण कर विद्यालय जाना बंद कर दिया है, उन्हें पुनः विद्यालय में लाने के लिए ठहराव बनाए रखने के लिए तथा उहें स्वावलंबी बनाने हेतु कौशल विकास में दक्ष करने के लिए कार्यानुभव, प्रशिक्षण बहुत प्रभावी होगा। इसी प्रकार यदि लड़कियों को उनकी इच्छानुसार, फैशन डिजाइनिंग, स्क्रीन प्रिटिंग, फूड प्रजर्वेशन आदि का प्रशिक्षण देने से उनका उ.प्रा. स्तर पर विद्यालय में ठहराव बनाए रखने के लिए सहायता मिलेगी।

इसे पूर्व बी0ई0पी0 जनपदों में उ0 प्रा0 वि0 में बालिकाओं के लिए इसका पाइलट प्रोजेक्ट चलाया जा चुका है।, जिसके परिणाम बहुत सकरात्मक रहे है। इससे न केवल बालिकाओं के नामांकन में वृद्धि हुई है, अपितु उनका ठहराव भी बना रहा है।

बालिकाओं के लिए कार्यानुभव कार्यक्रम उनके ठहराव में अत्यन्त सहायक होता है। ठहराव पर प्रभाव की दृष्टि से किये गये अध्ययन के अनुसार **(Evaluation of the Pilot Project of work experience for girls of upper primary schools in UP, 1998 C.K. Misra)** जिन स्थानों पर यह योजना संचालित की गयी वहां कोई भी छात्रा विद्यालय से ड्राप आउठ नहीं हुई। यह निष्कर्ष इस धारणा की पुष्टि करता है कि कौशल विकास के कार्यक्रम उच्च प्राथमिक स्तर पर बालिकाओं के धारण में मदद करते हैं।

इस आधार पर बालिकाओं के लिए कार्यानुभव शिक्षण को जनपद में नवाचार कार्यक्रम के रूप में संचालित किया जायेगा। इस हेतु सर्वप्रथम जनपद के सभी विकासखण्डों में तीन–तीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों/कन्या उच्च प्राथमिक विद्यालयों को चिन्हित किया जायेगा। इस कार्य में यह योजना है कि प्रत्येक उ0 प्रा0 वि0 की स्थानीय आवश्यकता के आधार पर वहां बच्चों को ऐसे कौशल में प्रशिक्षित किया जाए।

कार्यानुभव प्रशिक्षण इस प्रकार नियोजित किया जायेगा कि एक बार विद्यालय में कच्चा माल उपलब्ध कर दिया जायेगा। उस कच्चे माल से जो सामान तैयार होगा उसका विक्रय करके प्राप्त बचत धनराशि में से कुछ अंश बालक–बालिकाओं को पारिश्रमिक के रूप में प्रदान किया जायेगा तथा मूल धनराशि से पुनः कच्चा माल लिया जायेगा। इस प्रकार से यह प्रक्रिया

निरन्तर बिना किसी अतिरिक्त बोझ के चलती रहेगी। उक्त कार्यानुभव प्रशिक्षण ब्लाक संसाधन केन्द्र की आवश्यकता के आधार पर सभी उ0 प्रा0 विद्यालय में लागू किया जायेगा।

2. बच्चों के लिए सामग्री विकास :-

पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर पूरक शिक्षण सामग्री विकसित की जायेगी। जिसमें स्थानीय उपलब्ध विशेषज्ञों जनपद स्तर की विभूतियों, भौगोलिक ऐतिहासिक स्थलों की जानकारी आदि हो सकती है। इनको प्रचलित पाठ्यक्रम के साथ-साथ रखा जायेगा जिससे बच्चे अपने स्थानीय महत्व के स्थानों महान व्यक्तियों आदि के बारे में जान सके एवं उनसे प्रेरणा ले सके इस मैटेरियल के विकास के लिए स्थानीय स्तर पर प्रयास किये जायेंगे। विषय वस्तु के विकास के लिए विभिन्न स्तरों प्राथमिक/उच्च प्राथमिक/माध्यमिक के शिक्षकों स्थानीय शिक्षा विदों समान सेवी व्यक्तियों की कार्यशालाए आयोजित की जायेगी। उपलब्ध स्थानीय साहित्य से भी योगदान लिया जायेगा।

3. कक्षा की प्रक्रिया में समुदाय की भागीदारी बढ़ाना:-

ग्राम शिक्षा समितियों के गठन के माध्यम से समुदाय को विद्यालय से जोड़ने का प्रयास किया गया है। ग्राम शिक्षा समितियों की बैठकें प्रतिमाह आयेाजित किये जाने की व्यवस्था है लेकिन व्यवहारिक रूप से यह देखने में आता है कि बैठकें नियमित रूप से आयेाजित नहीं होती है और जब आयेाजित होती है तो इनका मुख्य केन्द्र विद्यालय परिसर की समस्याओं तक ही रहता है। बच्चों की उपलब्धि पर कोई चर्चा नही होती है समुदाय की भागीदारी को इस ओर भी बढ़ाया जायेगा। इसके लिए समुदाय के लोग अभिभावकों को कक्षा शिक्षण की प्रक्रिया देखने के लिए आमंत्रित करेंगे जिससे उनमें बच्चों की शिक्षा के प्रति जागरूकता पैदा हो और बच्चों की शिक्षा पर विद्यालय के साथ-साथ घर पर भी ध्यान दिया जाये। समय-समय पर अभिभावकों को उनके बच्चों की उपलब्धि से भी अवगत कराया जायेगा। विद्यालय के वार्षिक समारोह में अच्छी उपलब्धि के लिए बच्चों को सम्मानित किया जायेगा। ऐसा करके स्थानीय अच्छे कार्यकर्ताओं को विद्यालय शिक्षण में सहयोग भी मिल सकेगा। विद्यालय से जुड़कर

समुदाय इसे अपना ही अभिन्न अंग स्वीकार कर सकेगा। यह सोच विद्यालय की प्रगति/विकास में महत्वपूर्ण होगी।

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान का सुदृढ़ीकरणः—

जनपद कुशीनगर में न होने के कारणडायट रामपुर कारखाना देवरिया द्वारा ही कुशीनगर के भी कार्यों का सम्पादन किया जा रहा है। डायट में डायट भवन तथा छात्रावास पूर्व निर्मित है। दो जनपदों के कार्यो के सम्पादन के कारण डायट के इन्फ्रास्ट्रक्चरर्स की कमी पड. रही है तथा स्वीकृत पदों के ासापेक्ष स्टाफ न होने के कारण परियोजना के कार्य प्रभावित हो रहे हैं। डायट के लिए 200 मेज तथा 220 कुर्सी कक्षा कक्ष के लिए आवश्यकता है। छात्रावास के लिए 20 तखत, 100 गद्दा, 100 कम्बल, 100 तकिया, 100 बेड शीट की आवश्यकता है।

डायट में कार्यालय के प्रयोग हेतु जीराक्स मशीन, इलेक्ट्रानिक टाइपराइटर की आवश्यक है। पुस्तकालय हेतु 10 आलमारी 4 बड़ी मेज की कमी है जिसके कारण छात्रों को अध्ययन की सुविधा उपलब्ध नहीं करायी जा सकती है।

संस्थान के लिए 5 किलोवाट के एक जनरेटर किलोवाट के एक जनरेटर की आवश्यकता है एक फोटोकापियर की भी आवश्यकता है। एक 53 सेमी. रंगीन टी0वी0 क्रय करने की आवश्यकता है। दो वाटर कूलिंग मशीन स्वच्छ पेयजल हेतु जरूरी है।

संस्थान के पास कम्प्यूटर लैब नहीं है एक कम्प्यूटर लैब की आवश्यकता है। एक कम्प्यूटर तथा एक प्रिन्टर भी क्रय किये जाने की आवश्कता है।

संस्थान पुस्तकालय के लिएं फर्नीचर/आलमारियों की आवश्यकता है।

सारिणी 9.25

मद	आवश्यकता
नवीन भवन	कम्प्यूटर लैब रीडिंग रूम शौचालय, फर्नीचर 200 व्यक्तियों हेतु।
मरम्मत/रखरखाव	डायट भवन एवं छात्रावास भवन की छत खिड़कियों की मरम्मत, अतिरिक्त कक्षा कक्ष व प्रसाधन कक्ष का निर्माण
उपकरण/ साज–सज्जा	फाटो जीराक्स मशीन, एक इलेक्ट्रानिक टाइपराइटर, एक कम्प्यूटर, एक प्रिन्टर, 200 कुर्सी – कक्षा कक्ष हेतु
	200 मेज, 50 तख्त, 100 गद्दा, 100 चादर, 100 कम्बल, 100 तकिया – छात्रावास हेतु
पुस्तकालय	फर्नीचर – 1 आलमारी, 50 कुर्सी, 50 मेज, 10 आलमारी।

सारिणी 9.26

जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान की क्षमता का सम्वर्द्धन

मद	सृजित	कार्यरत	रिक्त
प्राचार्य	01	01	–

उप प्राचार्य	01	01	—
वरिष्ठ प्रवक्ता	06	03	03
प्रवक्ता	17	05	12
कार्यानुभव शिक्षक	01	01	—
तकनीकी सहायक	01	01	—
सांख्यिकीकार	01	01	—
प्रतिनियुक्ति पर तैनात प्राथमिक	04	04	—
विद्यालय के शिक्षकों की संख्या	—	—	—

संकाय के सदस्यों के कौशल विकास सम्बन्धी विवरणः—

संकाय के सदस्यों को कुछ क्षेत्रों में प्रशिक्षित किये जाने की आवश्यकता है जिससे प्रशिक्षणों आदि के आयोजन तथा दैनिक कार्यों के सम्पादन में सुविधा हो सके।

1. समेकित शिक्षा हेतु संकाय सदस्यों को प्रशिक्षण दिया जाना आवश्यक है।
2. कम्प्यूटर प्रशिक्षण दिया जाना।
3. लाइब्रेरी संचालन-व्यवस्था हेतु एक सदस्य को प्रशिक्षत किया जाना।

4. शैक्षिक तकनीकी उपकरणों को संचालित किये जाने हेतु प्रशिक्षण।

5. मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला के उपकरणों/टेस्ट के प्रयोग हेतु प्रशिक्षण।

6. क्रियात्मक शोध सम्बन्धी प्रशिक्षण।

उत्कृष्ट कार्य हेतु पुरस्कार/प्रोत्साहन की व्यवस्था :–

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत कार्यक्रमों का क्रियान्वयन जनपद में विभिन्न स्तरों पर किया जायेगा। कार्यक्रम के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन में विकास खण्ड, न्याय पंचायत तथा ग्राम पंचायत तथा ग्राम स्तरीय अभिकर्मियों एवं शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। सर्व शिक्षा अभियान हेतु प्रस्तावित कार्य योजना के क्रियान्वयन विशेषकर गुणवत्ता विकास हेतु कार्यक्रम का सुचारू संचालन एवं प्रत्येक स्तर पर उपयुक्त कार्य संस्कृति को स्थापित तथा प्रोत्साहित करने की दृष्टि से उप–जनपद तथा अन्य स्तरों पर कार्यरत अभिकर्मियों एवं शिक्षकों ने स्वस्थ प्रतिस्पर्द्धा विकसित करने और उत्कृष्ट कार्य करने वालों को प्रोत्साहित किया जायेगा और पुरस्कृत भी किया जायेगा।

जनपद में प्रति वर्ष उत्कृष्ट कार्य–निष्पादन वाले 2 बी.आर.सी. को रू0 10,000 की दर से तथा प्रत्येक विकास खण्ड में 1 एन.पी.आर.सी. को रू0 7,000 की दर से पुरस्कार प्रदान किया जायेगा। इसी प्रकार प्रत्येक विकास खण्ड में से कार्य निष्पादन के आधार पर चयनित दो ग्राम शिक्षा समितियों को क्रमशः रू0 15,000 तथा रू0 10,000 की दर से पुरस्कार प्रदान किया जायेगा। इस धनराशि का उपयोग ग्राम शिक्षा समिति अपने निर्णयानुसार विद्यालय को समृद्ध बनाने में कर सकेगी। शिक्षकों को नवाचार के लिए प्रेरित करने के लिए, पठन–पाठन के उत्कृष्ट मानदण्ड स्थापित करने की दृष्टि से प्रतिभाशाली एवं योग्य शिक्षकों को चुनकर प्रत्येक विकास खण्ड में से एक–एक अध्यापक को पुरस्कृत किया जायेगा तथा इस हेतु उन्हें रू0 5,000/– प्रदान किया जायेगा। पुरस्कार के धनराशि का उपयोग बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. समन्वयकों व शिक्षकों के ज्ञान अभिवृद्धि व अतर्राज्यीय भ्रमण/एक्सपोजर विजिट पर किया जायेगा।

गुणवत्ता सुधार व सामुदायिक सहभागिताः–

शैक्षिक सत्र में दो बार छमाही परीक्षा के बाद (दिसम्बर) एवं वार्षिक के बाद (नई) से विद्यालय समारोह आयोजित किये जायेंगे, जिससे ग्राम शिक्षा समिति के सदस्य एवं अभिभावक प्रतिभाग करेंगे। इस अवसर पर छात्र–छात्राओं के रिपोर्ट कार्ड वितरित किये जायेंगे तथा बच्चों को शैक्षिक सम्प्रति समुदाय के सदस्य से चर्चा की जायेगी।

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान का सुदृढ़ीकरण :–

भवन का विस्तार :–

		अनुमानित लागत (रू0 लाख में)
1.	अतिरिक्त कक्षा–कक्ष–2 (द्वितीय तल)	40.00
2.	सभाकक्ष–एक	10.00
3.	अतिरिक्त प्रसाधन कक्ष–2	2.00
	योग–	52.00 लाख

उपकरण/साज–सज्जा

1.	कम्प्यूटर(1) प्रिंटिर्स, यू.पी.एस.	6.00
2.	फोटोकापियर	1.50
3.	पुस्तकालय हेतु पुस्तकें रेक, कुर्सी–मेज.	1.00
4.	जनरेटर, वाटर–कूलर, डुपलिकेटिंग मशीन	1.50

5.	कुर्सी, मेज – कक्षाकक्ष हेतु	2.00
6.	कुर्सी मेज – सभाकक्ष हेतु	8.00
9.	मोटर साइकिल	5.00
	योग–	35.00

आदर्तक (प्रतिवर्ष)

1.	क्रियात्मक शोध अध्ययन	2.00
2.	कार्यशालाएं/सेमीनार	2.00
3.	प्रकाशन एवं मुद्रण	4.00
4.	कटिन्जेन्सी	1.50
5.	वाहन रख–रखाव/पी.सी.ओ.	10.00
	योग–	15.00 लाख

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों के लिए, कम्प्यूटर का प्रावधान किया गया है। ये कम्प्यूटर जनपद में संचालित शिक्षक प्रशिक्षणों के लिए सामग्री विकास के लिए उपयोगी सिद्ध होंगे। सूचना तकनीक पर आधारित शिक्षक प्रशिक्षण सामग्री के विकास में भी ये कम्प्यूटर उपयोगी सिद्ध होंगे।

––*––

अध्याय–10

परियोजना क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण

सर्व शिक्षा अभियान की परियोजना वर्तमान व्यवस्था की सम्पूरक व्यवस्था के रूप में संचालित की जायेगी। इसकी अवधि वर्ष 2001 तक की होगी इस अवधि में 6–14 आयु के सभी बालक/बालिकाओं को गुणवत्ता युक्त शिक्षा दी जायेगी तथा सभी कार्यक्रम एवं उनका प्रबंधन उ0प्र0 सभी के लिये शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा किया जायेगा। इस अवधि में पर्याप्त क्षमता एवं प्रबंधन कौशल विकसित कर लिये जाने का लक्ष्य है।

परियोजना का प्रबंधन टीम भावना पर आधारित होगा और इसमें व्यक्तिगत पहल के लिये पर्याप्त अवसर उपलबध होंगे। प्रबंधन लोकतांत्रिक होगा और इससे यह अपेक्षा होगी कि यह अधिकतम जन सहभागिता सुनिश्चित कर सके। समय–समय पर समीक्षा और रणनीतियों के परिवर्तन के लिये इसे तत्पर रहना होगा और यह परिवर्तन भी सहभागिता पर आधारित होंगे। इससे सबसे निचले स्तर पर जवाबदेही, दिन–प्रतिदिन कार्यक्रमों का अनुश्रवण किया जायेगा। अध्यापकों व छात्रों की उपस्थिति सुनिश्चित की जायेगी।

प्रबंधतन्त्र : संवेदनशील और लचीली प्रणाली :–

सर्व शिक्षा अभियान की समस्त प्रक्रियाओं में सामुदायिक सहभागिता प्राप्त करते हुये विकेन्द्रीकृत शैक्षिक प्रबंधन प्रणाली स्थापित कर प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वजनिकरण के लय को प्राप्त किया जाना है। इस व्यापक कार्य के सम्पादन के लिये प्रशासनिक कार्यो के निष्पादन में

उच्च कोटि का लचीलापन लाने, जवाबदेही सुनिश्चित करने की प्रणाली स्थापित करने, वित्तीय निवेशों को अबाध प्रवाह प्रदान करने और सकारात्मक विधियों के साथ प्रवेश की सुविधा निर्मित करने के साथ उ0प्र0 सर्व शिक्षा अभियान ने एक प्रबंध तन्त्र तैयार किया है, जो निम्नवत् दर्शाया जा सकता है :–

निर्णयकर्त्ता समितियां		**सर्व शिक्षा अभियान की प्रबंधन पंक्ति**		**सहायक अकादमिक संस्थायें**
साधारण सभा और कार्यकारणी समिति यू0 पी0ई0एफ0 ए0पी0बी0	→	राज्य परियोजना कार्यालय	←	एस0सी0ई0आर0टी0 एस0आई0ई0, साईमेट एस0आई0ई0टी0 एन0जी0ओ0 आदि
↓		↓		↓
जिला शिक्षा परियोजना समिति	→	जिला परियोजना कार्यालय	←	डायट, एन0जी0ओ0 आदि
↓		↓		↓
क्षेत्र विकास समिति	→	ब्लाक शिक्षा अधिकारी	←	ब्लाक संसाधन केन्द्र
↓		↓		↓
ग्राम शिक्षा समति	→	विद्यालय प्रधानाध्यापक /	←	संकुल संसाधन केन्द्र

संगठनात्मक ढांचा–नीति निर्धारण

ग्राम शिक्षा समिति :

ग्राम स्तर पर बेसिक शिक्षा सम्बन्धी समस्त कृत्यों के सम्पादन हेतु बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972 यथा संशोधित वर्ष 2000 के अर्न्तगत ग्राम शिक्षा समिति का गठन किया गया है। जिसका स्वरुप निम्नवत है। :–

समिति का स्वरूप निम्नवत है :–

ग्राम पंचायत का प्रधान **<u>पदेन अध्यक्ष</u>**

2. ग्राम पंचायत में स्थित बेसिक स्कूल का प्रधान अध्यापक और यदि वहां एक से अधिक स्कूल हों तो उनके प्रधान अध्यापकों में से ज्येष्ठतम प्र0अ0 **<u>पदेन सचिव</u>**

3. बेसिक स्कूलों के छात्रों के तीन संरक्षक (जिसमें एक संरक्षक महिला होगी) जो सहायक बेसिक शिक्षा अधिकार द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जायेंगे। **<u>सदस्य</u>**

<u>अधिकार एवं दायित्व</u> :

ग्राम शिक्षा समिति निम्नलिखित कार्यों का सम्पादन करेगी–

- पंचायत क्षेत्र में बेसिक स्कूलों के निष्पादन हेतु प्रशासन, नियन्त्रण और प्रबंधन करना।
- बेसिक स्कूलों के विकास, प्रसार और सुधार के लिये योजनाऐं तैयार करना।

- पंचायत क्षेत्र में बेसिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा की अभिवृद्धि और विकास करना।
- बेसिक स्कूलों, उनके भवनों और उपकरणों के सुधार के लिये जिला पंचायत को सुझाव देना।
- ऐसे समस्त आवश्यक कदम उठाना जो बेसिक स्कूलों के अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के समय पालन और उपस्थिति को सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक समझे जायें।
- पंचायत क्षेत्र की सीमाओं के भीतर स्थित बेसिक स्कूलों के किसी अध्यापक या अन्य कर्मचारी पर ऐसी रीति से जैसे निहित की जाये लघु दण्ड देने की सिफारिश करना।
- बेसिक शिक्षा से सम्बन्धित ऐसे अन्य कृत्यों को करना, जो राज्य सरकार द्वारा उसे सौंपे जायें।

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम ।।। के अन्र्तगत यह समिति नीति निर्धारण के साथ–साथ मुख्य कार्यदायी संस्था के रूप में कार्य करती रही हैं, जिसमें विद्यालय भवनों का निर्माण, परिवेश में सुधार, शैक्षिक उपकरणों की आपूर्ति आदि सम्मिलित है। ग्राम शिक्षा समिति बेसिक शिक्षा सम्बन्धी कार्यो में जन सहभागिता हासिल करने में सफल हुई है। सर्व शिक्षा अभियान के अन्र्तगत भी ग्राम शिक्षा समिति द्वारा विद्यालय प्रबंधन एवं शैक्षिक नियोजन सम्बन्धी सारे कृत्यों का सम्पादन किया जायेगा। इसे अधिक प्रभावी बनाने एवं सक्रिय सामुदायिक भागीदारी के साथ–साथ बस्ती/ग्राम स्तर पर शैक्षिक

योजना तैयार करने और इसका समयबद्ध क्रियान्वयन करने हेतु इसके सदस्यों को माइक्रोप्लानिंग आदि विधाओं में सक्षम बनाया जायेगा ताकि बुनियादी स्तर से प्रारंभिक शिक्षा का लक्षित विकास हो सके।

उपर्युक्त के अतिरिक्त शिक्षा गारंटी योजना केन्द्र/वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों की मांग तथा शिक्षा के लिये परिवेश का निर्माण एवं अन्य समस्त संसाधनों का संकेन्द्रण (Convergence) इसी समिति का अधिकार एवं दायित्व है। शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों, आंचार्यों, आंगनवाड़ी केन्द्रों के स्टाफ के वेतन/मानदेय का भुगतान ग्राम शिक्षा समिति द्वारा किया जायेगा। छात्रवृत्तियों का वितरण पोषाहार वितरण का नियन्त्रण, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण ग्राम शिक्षा समिति के पर्यवेक्षण में किया जायेगा जिससे समुदाय में विद्यालयों के प्रति समुदाय स्वामित्व की भावना का पूर्णरूपेण विकास हो सके।

न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र (एन0पी0आर0सी0) :–

जनपद में सभी न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों का निर्माण जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम ।।। के अर्न्तगत कराया जा चुका है। इसे सुसज्जित किये जाने के साथ–साथ संकुल प्रभारियों की नियुक्ति कर उन्हें प्रशिक्षित किया जा चुका है। इनको प्रशिक्षण के माध्यम से और अधिक सक्रिय एवं क्रियाशील बनाया जायेगा।

कार्य एवं दायित्व :–

- न्याय पंचायत क्षेत्र के विद्यालयों का अकादमिक पर्यवेक्षण करना।
- अध्यापकों की साप्ताहिक बैठक कर उनकी व्यक्तिगत कठिनाइयों पर विचार–विमर्श एवं उसका निराकरण करना।

- ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों को प्रशिक्षित कराना।
- ग्राम शिक्षा समितियों के सहयोग से न्याय पंचायत क्षेत्र के विद्यालयों में गुणवत्ता सुधार, परिवेश निर्माण आदि की योजना तैयार करना।
- न्याय पंचायत स्तरीय शैक्षिक सूचनाओं का संकलन एवं सूक्ष्म नियोजन।

क्षेत्र पंचायत स्तरीय समिति :

जिले की भांति ही प्रत्येक क्षेत्र पंचायत स्तर पर एक **ब्लाक शिक्षा सलाहकार समिति** गठित है जो सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत विकास खण्ड स्तर पर कार्यक्रम निर्धारण अनुश्रवण आदि के लिये उत्तरदायी होगी।

क्षेत्र पंचायत स्तर पर गठित समिति में निम्नलिखित पदाधिकारी सम्मिलित है–

1. क्षेत्र पंचायत प्रमुख	**अध्यक्ष**
2. सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/प्रति उप विद्यालय निरीक्षक	**सदस्य–सचिव**
3. विकास खण्ड का एक ग्राम प्रधान	**सदस्य**
4. विकास खण्ड का एक वरिष्ठतम प्रधानाध्यापक	**सदस्य**

अधिकार एवं दायित्व :

इस समिति का मुख्य कार्य ब्लाक संसाधन एवं न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों के मध्य समन्वय स्थापित करना, जिला परियोजना समिति के निर्णयों का अनुपालन सुनिश्चित कराना

तथा क्षेत्र पंचायत के अन्तर्गत कार्यक्रमों का प्रभावी कियान्वन एवं अनुश्रवण करना इसका मुख्य दायित्व होगा। यह समिति ग्राम शिक्षा समितियों एवं जिला शिक्षा परियोजना समिति के बीच सम्पर्क सूत्र का कार्य करेगी तथा सुनिश्चित रोजगार योजना/पी0एम0जी0वाई0 के लिये आवंटित धनराशि में से प्राथमिकता के आधार पर धन उपलब्ध कराने में यह विशेष सहायक होगी। इस समिति की प्रत्येक महीने में एक बैठक अनिवार्य होगी।

<u>प्रशासनिक संगठन – ब्लाक स्तर</u> :

प्रत्येक क्षेत्र पंचायत स्तर पर एक सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/प्रति उप विद्यालय निरीक्षक कार्यरत हैं जो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के नियन्त्रण में परियोजना के कार्यक्रमों को कियान्वित करायेंगे तथा नियमित रूप से पर्यवेक्षण व अनुश्रवण करेंगे। सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/प्रति उप विद्यालय निरीक्षक, परियोजना कियान्वयन एवं प्रगति हेतु उत्तरदायी होंगे। विकास खण्ड के अन्तर्गत शिक्षा समितियों, ब्लाक संसाधन केन्द्र, न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों के मध्य समन्वय स्थापित करना उनका दायत्वि होगा और इसके लिये उन्हें आवश्यक अधिकार एवं सुविधायें प्रदान की जायेंगी। विकास खण्ड के विद्यालय, सांख्यिकी को समय से एकत्रित करना तथा जिला परियोजना समिति को उपलब्ध कराया जाना एवं सांख्यिकी की शुद्धता को बनाये रखने में विकास खण्ड स्तरीय अधिकारी की विशेष भूमिका एवं उत्तरादायित्व होगा। सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी पदेन विकास खण्ड परियोजना अधिकारी होंगे। साररूप में विकास खण्ड स्तरीय अधिकारी के प्रमुख उत्तरादायित्व निम्नलिखित होंगे :–

- सर्व शिक्षा अभियान की नीतियों एवं कार्यक्रमों का कियान्वयन।
- क्षेत्र पंचायत अन्तर्गत विद्यालय भवनों के निर्माण का वित्तीय पर्यवेक्षण करना।

- ग्राम शिक्षा समितियों को प्रभावी बनाना।
- ब्लाक परियोजना समिति की बैठक कराना एवं उसके निर्णयों का अनुपालन सुनिश्चित कराना।
- ब्लाक स्तर पर शैक्षिक आंकड़े एकत्रित कर संकलित करना।
- सभी प्रकार की छात्रवृत्तयों का वितरण सुनिश्चित कराना तथा सूचना एकत्र करना।
- खाद्यान्न वितरण तथा उससे सम्बन्धित सूचना संकलित कराना।
- विद्यालयों में अध्ययनरत सभी बालिकाओं एवं अनु0जा0/जन0जा0 के सभी बालक/बालिकाओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का समय से वितरण सुनिश्चित करना तथा गुणवत्ता में सुधार लाना।
- विद्यालयों का निरीक्षण करना तथा गुणवत्ता में सुधार।
- विद्यालयों में मानक के अनुसार अध्यापक–छात्र अनुपात बनाये रखना और आवश्यकतानुसार शिक्षा मित्रों की नियुक्तियां सुनिश्चित कराना।
- ग्राम शिक्षा समितियों तथा ब्लाक शिक्षा समिति के बीच समन्वय स्थापित करना।
- अध्यापकों के वेतन बिल प्रस्तुत करना तथा वेतन भुगतान सुनिश्चित करना।

ई0जी0एस0 तथा ए0आई0ई0 के संचालन का अनुश्रवण सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/प्रति उप विद्यालय निरीक्षक करेंगे तथा ई0जी0एस0 एवं ए0आई0ई0 केन्द्रों पर

अध्ययनरत छात्र एवं छात्राओं का विवरण एवं कार्यक्रम की प्रगति नियमित रूप से जिला परियोजना कार्यक्रम अधिकारी को उपलब्ध करायेंगे।

सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय हेतु बेसिक शिक्षा परियोजना के अर्न्तगत पूर्व में ही निर्मित ब्लाक संसाधन केन्द्र में आवश्यक स्थान की व्यवस्था की जायेगी। वे सर्व शिक्षा अभियान में विकास खण्ड परियोजना अधिकारी की भूमिका में समस्त दायित्वों का निर्वहन करेंगे। इस हेतु उनकी क्षमता में वृद्धि तथा गतिशीलता बढ़ाने के उद्देश्य से एक मोटर साइकिल के साथ यात्रा भत्ता तथा रख–रखाव हेतु नियम धनराशि (18000/– प्रति वर्ष प्रति विकास खण्ड) उपलबध कराने का प्रस्ताव है। उन्हें ई0जी0एस0/ए0आई0ई0 योजना के कार्य सम्पादन हेतु प्रशिक्षण दिया जायेगा। तथा उनके शासकीय दायित्यों के निष्पादन में सहायता हेतु जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत एक बी0आर0सी0 सह समन्वयक प्रत्येक विकास खण्ड संसाधन केन्द्र में नियुक्त है जो इस परियोजना में भी यथावत बना रहेगा।

ब्लाक संसाधन केन्द्र (बी0आर0सी0) :

जनपद में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम से संचालित हो चुकी है और सभी विकास खण्डों ब्लाक संसाधन केन्द्रों के भवनों का निर्माण कराया जा चुका है। परियोजना के अर्न्तगत सभी ब्लाक संसाधन केन्द्र विद्युतीकृत एवं सुसज्जित है। यहां समन्वयक भी नियुक्त किये जा चुके है और वे प्रशिक्षण भी प्राप्त कर चुके है। सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत कार्यक्रम की व्यापकता तथा उच्च प्राथमिक स्तर तक विस्तार को दृष्टिगत रखते हुए प्रत्येक ब्लाक संसाधन केन्द्र में एक अतिरिक्त सह समन्वयक का पद सृजित किया गया है, जो सहायक बेसिक शिक्षा

अधिकारी के परियोजना कार्यों के पर्यवेक्षण, सूचना को एकत्रित करना, संकलन, विद्यालय सांख्यिकी के संकलन एवं सभीप्रकार की बैठकों के आयोजन तथा कार्यक्रमों के अनुश्रवण में सहायता करता है।

शैक्षिक, गुणवत्तासम्बर्द्धन व समर्थन हेतु देखा गया है कि बी0आर0सी0 समन्वयक का अधिकाधिक समय सूचना के एकत्रीकरण एवं विश्लेषण में व्यय होता है। अतः प्रत्येक बी0आर0सी0 को एक कम्प्यूटर व एक कम्प्यूटर आपरेटर के साथ सुदृढ़ीकृत करने की योजना है। जिसके लिये प्रत्येक बी0आर0सी0 एक एक लाख रुपये का प्राविधान किया जा रहा है। किसी एक अध्यापक/समन्वयक को प्रशिक्षण देकर कम्प्यूटर का संचालन कराया जायेगा।

कार्य एवं दायत्वि :

1. अध्यापकों को अभिनवीकरण प्रशिक्षण प्रदान करना।
2. विद्यालयों का एकेडमिक निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करना कि वनीन विधियों के अनुसार शिक्षण कार्य किया जा रहा है अथवा नहीं।
3. विकास खण्डों की ऐकेडमिक आवश्यकताओं का आंकलन एवं संकलन करना, शैक्षणिक आवश्यकताओं का सूक्ष्म नियोजन करना।
4. ब्लाक स्तर पर एकेडमिक संसाधन समूह का गठन करना।
5. न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र तथा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण के बीच सम्पर्क सूत्र के रूप में कार्य करना।
6. ब्लाक स्तर के अधिकारियों एवं अन्य विभाग के अधिकारियों से समन्वय स्थापित करना एवं शिक्षा के हित में उसका नियोजन करना।

7. विकास खण्ड के अर्न्तगत स्कूल से बाहर बच्चों के संबंध में बस्तीवार तथा बच्चों का नामवार कम्प्यूटराईज्ड विवरण तैयार करना।

8. ब्लाक में विद्यालय सांख्यिकी का समय–समय पर एक एकत्रीकरण वसेम्पल चैकिंग का अनुश्रवण करना।

जनपद स्तरीय समिति :–

सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत नीति निर्धारण एवं रणनीतियों के निर्धारण के लिये जिला स्तर पर जिला शिक्षा परियोजना समिति, उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परियोजना के अर्न्तगत पूर्व से ही गठित है जिसके अध्यक्ष जनपद के जिलाधिकारी उपाध्यक्ष मुख्य विकास अधिकारी एवं सचिव जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं।

समिति का गठन निम्नवत है :–

जिलाधिकारी	–	अध्यक्ष
मुख्य विकास अधिकारी	–	उपाध्यक्ष
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	–	सदस्य–सचिव
प्राचार्य डायट	–	सदस्य
जिला श्रम अधिकारी	–	सदस्य
जिला समाज कल्याण अधिकारी	–	सदस्य
वित्त एवं लेखाधिकारी (बेसिक शिक्षा)	–	सदस्य
अधिशास अभियंता (आर0ई0एस0)	–	सदस्य
अधिशासी अभियंता (पी0डब्ल्यू0डी0)	–	सदस्य

जिला विद्यालय निरीक्षक – सदस्य

दो शिक्षाविद् (विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय से) – सदस्य

जिलाधिकारी द्वारा नामित

दो क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष वर्णमाला कम–से (एक वर्ष के लिये)

दो शिक्षक (राष्ट्रीय/राज्य पुरस्कार प्राप्त)

स्वैच्छिक संगठन के दो प्रतिनिधि (जिलाधिकारी द्वारा नामित)

जिला शिक्षा परियोजना समिति के अधिकार एवं दायित्व :–

य समिति एवं शिक्षा अभियान हेतु जिले की सर्वोच्च नीति नियामक समिति है। जिले स्तर पर उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परियोजना के द्वारा निर्धारित सीमाओं के अर्न्तगत रहते हुये इसे जनपद स्तर पर आवश्यक निर्णय लेने का अधिकार है। रणनीतियों में परिवर्तन से लेकर निर्माण कार्य, गुणवत्ता में सुधार एवं जनसहभागिता सुनिश्चित करने, रणनीति निर्धारण के संबंध में इसके निर्णय प्रभावी होंगे। प्रवेश धारण, गुणत्ता संर्वधन, निर्माण के लिये तकनीकि पर्यवेक्ष के लिये संस्थाओं का निर्धारण एवं प्रचार–प्रसार के लिये सभी कार्य इसी समिति रा निर्धारित किये जायेंगे। यह समिति जिले के अर्न्तगत सर्व शिक्षा अभियान के संरचना संचालन एवं निर्देश के लिये जनपद स्तर की सर्वोच्च समिति होगी। नपद में ई0जी0एस0/ए0आई0ई0 से सम्बन्धित प्रस्तावों काअनुमोदन तथा कार्यक्रम के संचालन का पूर्ण दायित्व भी इसी समिति का होगा।

जिला बेसिक शिक्षा समिति :–

उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परियोजना परिषद् अधिनियम 1972 के अन्तर्गत प्रत्येक जिले में ग्रामीण क्षेत्र के लिये जिला बेसिक शिक्षा समिति गठित की गयी है जिसकी सदस्यता निम्न प्रकार है। :–

1. जिला पंचायत अध्यक्ष	अध्यक्ष
2. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	सदस्य–सचिव
3. अपर जिला मजिस्ट्रेट (नियोजन)	पदेन सदस्य
4. जिला समाज कल्याण अधिकारी	पदेन सदस्य
5. जिला विद्यालय निरीक्षक	पदेन सदस्य
6. अपर बेसिक शिक्षा अधिकारी (महिला) यदि कोई हो और उनकी अनुपस्थिति में विद्यालय उप निरीक्षक	पदेन सदस्य
7. तीन व्यक्ति, जो जिला पंचायत के सदस्यों में से राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जायेंगे।	सदस्य
8. विद्यालय उप निरीक्षक जो समिति का सहायक सचिव होगा।	पदेन सदस्य

जिला बेसिक शिक्षा समिति, परिाद् अधीक्षण और निर्देशों के अधीन रहते हुये निम्नलिखित कृत्यों का सम्पादन करेगी।

(क) जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित बेसिक स्कूलों का प्रशासन करना।

(ख) नये बेसिक स्कूल स्थापित करना।

(ग) ऐसे बेसिक स्कूलों के विकास, प्रसार–सुधार के लिये योजनाऐं तैयार करना।

अतः उपरोक्त समिति नये स्कूलों तथा असेवित क्षेत्रों में स्कूली शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु विद्यालय के लिये स्थल यन में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाहन करेगी।

प्रशासनिक तन्त्र – जिला परियोजना कार्यालय :

जिला स्तर पर जिला बेसिक शिक्षा अकिारी, जनपदीय परियोजना अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे। राज्य परियोजना समिति तथा जिला परियोजना समिति द्वारा निर्धारित नीति एवं कार्यक्रमों का प्रभावी कियावन्यन, उसका दायित्व होगा। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जनपद स्तर पर जिला शिक्षा परियोजना समिति के निर्देशन व मार्ग दर्शन में कार्यक्रमों का कियावनयन करेंगे। इस कार्य में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की सहायता हेतु जिला परियोजना कार्यालय की स्थापना की जायेगी। जिसमें आवश्यक स्टाफ के पद उ0प्र0 सभी के लिये शिक्षा परियोजना परिषद् के नियमों के अनुसार सृजित कर उसमें तैनाती की जायेगी।

जिला परियोजना कार्यालय में निम्नलिखित अधिकारी एवं कर्मचारी होंगे :–

1. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	पदेन जिला परियोजना अधिकारी
2. उप बेसिक शिक्षा अधिकारी (ई0जी0एस0/ए0आई0ई0)	1 प्रतिनियुक्ति पर
3. समन्वयक	4 प्रतिनियुक्ति अथवा नियत वेतन पर
4. सलाहकार	2 रु0 10,000/–नियत वेतन प्रति पद
5. ई0एम0आई0एस0 अधिकारी	1 रु0 10,000/–नियत वेतन प्रति पद

6. कम्प्यूटर आपरेटर/सांख्यिकी सहायक 3 रु0 7,000/—नियत वेतन प्रति पद

7. सहायक लेखाधिकारी 1 **प्रतिनियुक्ति पर**

8. लिपिक 1 नियत मानदेय के आधार पर

9. परिचारक 1 नियम मानदेय के आधार पर

उपरोक्त में से उ0प्र0 सभी के लिये शिक्षा सरटेनिविलिटी प्लान के अर्न्तगत कोई भी पद सृजित नहीं है। उपर्युक्त सभी अधिकारी एवं कर्मचारी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जिला परियोजना अधिकारी के नियन्त्रण एवं पर्यवेक्षण में कार्य करेंगे तथा परियोजना कार्यकमों के कियावयन में उसके प्रति उत्तरदायी होंगे। जनपद के कार्यरत सभी उप बेसिक शिक्षा अधिकारी पदेन उप जिला परियोजना अधिकारी होंमे तथा अपने क्षेत्र से सम्बन्धित सभी प्रकार के परियोजना कार्यकमों के कियान्वयन हेतु उत्तरदायी होंगे।

उपरोक्त स्टाफ के अतिरिक्त, अन्य उप बेसिक शिक्षा अधिकारी/सायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/प्रति—उप वि?ालय निरीक्षक तथा बेसिक शिक्षा अकिारी के कार्यालय के सहायक स्टाफ का यह दायित्व होगा कि वे सर्व शिक्षा अभियान का कार्य अपने सरकारी कर्त्तय की तर करेंगे। परियोजना के कियान्वयन हेतु पूण्र लिपिकीय समर्थन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में उपलब्ध कर्मियों द्वारा प्रदान किया जायेगा।

निर्माण कार्य के तकनीकी पर्यवेक्षण की व्यवस्था :—

सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत होने वाले विद्यालय निर्माण कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से तकनीकी पर्यवेक्षण की व्यवस्था जिला प्राथमिकि शिक्षा कार्यकम की भांति रखी जायेगी। निर्माण कार्य का तकनीकी पर्यवेक्षण ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा अथवा लघु सिंचाई

विभाग के अभियन्ताओं से कराया जायेगा, जिसके लिये उन्हें मानदेय सर्व शिक्षा अभियान से दिया जायेगा। ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा व लघु सिंचाई विभाग में पूर्व से ही विकास खण्ड स्तरपर अभियन्ता उपलब्ध हैं। मानदेय को जो दर जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्धारित है प्रथमतः उसी दर से भुगतान किया जायेगा। वर्तमान में प्रति प्राथमिक विद्यालय भवन हेतु रु0 1,000 प्रति अतिरिक्त कक्षा कक्ष/न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र हेतु रु0 500 तथा प्रति शौचालय हेतु रु0 200 की दर अनुमान्य है। प्राथमिक विद्यालय के भवन के साथ शौचालय के निर्माण के तकनीकी पर्यवेक्षण हेतु अलग से मानदेय नहीं दिया जायेगा। यह विद्यालय भवन में सम्मिलित माना जायेगा। तीन वर्ष बाद मानदेय की दर में संशोधन का प्रावधान रखा जायेगा। अभियन्ताओं को मानदेय की धनराशि का भुगतान कार्य संतोषजनक होने पर जिलाधिकारी की अनुमति से जिलापरियोजना कार्यालय द्वारा दिया जायेगा।

एजूकेशनल मेनेजमेन्ट इन्फोरमेशन सिस्टम (ई0एम0आई0एस0) :—

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत संचालित कार्यक्रमों के प्रभावी अनुश्रवण हेतु जिला परियोजना कार्यालय में एक सुदृढ़ एवं कियाशील एम0आई0एस0 स्थापित किया जायेगा। बेसिक शिक्षा परियोजना जनपद में पूर्व से ही एम0आई0एस0 डाटा केप्चर प्रणाली व प्राथमिक स्तर का डायस साफटवेयर स्थापित है तथा कम्प्यूटर हार्डवेयर भी उपलब्ध है। वर्ष 1997–98 से वर्ष 2000–2001 तक के शैक्षिक आंकड़े उपलब्ध है। उच्च प्राथमिक स्तर के लिये साफटवेयर डाटाबेस तथा आवश्यकतानुसार कम्प्यूअर हार्डवेयर को उच्चीकृत कराने की व्यवस्था की जायेगी। इसके अतिरिकत जनपद में अनौपचारिक शिक्षा के अन्तर्गत एक कम्प्यूटर उपलब्ध है। उससे शिक्षा गारंटी योजना, वैकल्पिक शिक्षा योजना तथा नवाचार शिक्षा योजना सम्बन्धी

आयोजित किया जायेगा और उन्हें ई0एम0आई0एस0 सम्बन्धी प्रपत्र तथा उन्हें भरने, संकलन, विश्लेषण आदि की जानकारी दी जायेगी। इसके अतिरिक्त विद्यालय सम्बन्धी आंकड़ों के दो प्रतिशत सेम्पल चेकिंग के लिये भी फील्ड स्टाफ को प्रशिक्षण दिया जायेगा। जिससे आंकड़ों की शुद्धता की जांच हो सके।

1. ई0एम0आई0एस0 का प्रशिक्षण (जिला स्तर पर)

यह प्रशिक्षण दो दिवसीय होगा और इसमें जिला परियोजना अधिकारी, सभी समन्वयक, स्टाफ, कम्प्यूटर आपरेटर, लेखा स्टाफ प्रशिक्षण प्राप्त करेगे।

2. ई0एम0आई0एस0 का प्रशिक्षण (ब्लाक स्तर पर)

यह प्रशिक्षण दो दिवसीय होगा और इसमें जिला परियोजना अधिकारी/प्रति उप विद्यालय निरीक्षक एवं बी0आर0सी0समन्वयक/सह समन्वयक आदि प्रतिभाग करेंगे।

3. ई0एम0आई0एस0 का प्रशिक्षण (न्याय पंयायत स्तर पर)

यह प्रशिक्षण दो दिवसीय होगा और इसमें एन0पी0आर0सी0 समन्वयक/सह समन्वयक तथा सभी विद्यालयों के प्रधानाध्यापक प्रतिभाग करेंगे।

4. ई0एम0आई0एस0 का प्रशिक्षण (प्रोजेक्ट मेनेजमेंट)

एस0पी0ओ0/सीमेट द्वारा आयोजित यह प्रशिक्षण एक सप्ताह का होगा इसमें डी0पी0ओ0 एवं बी0आर0सी0 के कम्प्यूटर आपरेटर भाग लेंगा। प्रथम तीन दिन

ई0एम0आई0एस0 प्रबंधन एवं दूसरे तीन दिन में प्रोजेक्ट मेनेजमेन्ट इन्फारमेशन सिस्टम का प्रशिक्षण दिया जायेगा।

आंकड़ों का एकत्रीकरण तथा शुद्धता की जांच--

प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्तर दोनों के लिये नीपा, नई दिल्ली द्वारा तैयार किया गया विद्यालय सांख्यिकी प्रपत्र उपलब्ध हो गया है जिस पर प्रतिवर्ष विद्यालय सतर से 30 दिसम्बर की स्थिति के अनुसार आंकड़ों को एकत्रित किया जायेगा एवं कम्प्यूटर पर डाला एन्ट्री के पश्चात ई0एम0आई0एस0 रिपोर्ट तैयार की जायेगी। प्रतिवर्ष विद्यालयों से प्राप्त भरें हुये प्रपत्रों का कम्प्यूटर प्रिन्ट–आउट जिला परियोजना कार्यालय द्वारा विद्यालय के प्रधानाध्यापक को भेजा जायेगा ताकि प्रधानाध्यापक को यह जानकारी हो सके कि उनके द्वारा जो सूचना भरकर भेजी गयी थी वह सही है। अप्रत्यक्ष रूप से यह सूचना की पुष्टि स्वरूप होगा ओर यदि कोई त्रुटि हो गयी हो तो उसे शुद्ध करने का अवसर प्राप्त हो सकेगा।

आंकड़ों का उपयोग :

ई0एम0आई0एस0 आंकड़ों के विश्लेषण से महत्वपूर्ण इन्डीकेट्र्स जैसे जी0ई0आर0, एन0ई0आर0, ड्राप–आउट दर, रिपीटीशन दर छात्र–अध्यापक अनुपात, कक्षा–कक्ष अनुपात, एकल अध्यापकार्य विद्यालय आदि प्रतिवर्ष प्राप्त होंगे। इन इन्डीकेट्र्स का उपयोग डिसिजन सपोर्ट सिस्टम्स में किया जायेगा ताकि बार–बार सूचनाओं के एकत्रीकरण में समय की बचत हो सके और कार्य योजना की संरचना में तदनुसार कार्यक्रमों का समावेश/संशोधन किया जा सके। 'डायस' के अन्तर्गत ई0एम0आई0एस0 से प्राप्त आंकड़ों से स्कूल के बाहर के बच्चों की

कम्प्यूटराईज्ड वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली विकसित की जा रही हे, जिसे सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत उपयोग किया जायेगा, जिसके लिये भी ई0एम0आई0एस0 प्रयोग में लाया जायेगा।

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान :

गुणवत्ता में सुधार के लिए जिला स्तर पर पूर्व से ही जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान स्थापित है। जनपद का प्रशिक्षण संस्थान उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत सुदृढ़ किया गया है। सर्व शिक्षा अभियान के व्यापक कार्यक्रम को दृष्टिगत रखते हुए इसको और अधिक सुदृढ़ किया जायेगा। परियोजना के अर्न्तगत निम्नलिखित कार्य होंगे:

1. विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षणों के आयोजन हेतु मास्टर ट्रेनर/सन्दर्भ व्यक्तियों को चयनित कर प्रशिक्षित कराना।
2. राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर के प्रमुख संस्थानों से सम्पर्क स्थापित करना तथा शिक्षा के अभिनव कार्यकमों और अनुसंधानों तथा अप्लकालिक शोध कार्यों के लिये डायट स्टाफ की क्षुमता का विकास करना।
3. ब्लाक स्तर के सन्दर्भ व्यक्तियों को प्रशिक्षित करना तथा परियोजना द्वारा निर्धारित शैक्षिक कार्यक्रमों, शिक्षण विधियों और लक्ष्यों से अवगत करना।
4. जिले स्तर की शिक्षा की समस्याओं के निदान एवं उपचार के लिए शोध कायग्र करना और उसके परिणामों/निष्कर्षों की जानकारी सर्व संबंधित को उपलब्ध कराना ताकि आवश्यक उपाय किया जा सके।
5. जिले के समस्त स्कूलों का गुणवत्तामूलक निरीक्षण करना, उनके परिणामों का

विश्लेषणकरना तथा आवश्यकतानुसार अध्यापकों को मार्गदर्शन देना।

6. ब्लाक संसाधन केन्द्रों के समस्त शैक्षिक किया–कलापों का निर्देशन एवं नियन्त्रण करना।

7. जिले स्तर पर अन्य विभागों एवं अधिकारियों से समन्वय स्थापित करना तथा शैक्षिक कार्यों में नियोजन करना।

8. जिले स्तर पर एकाडमिक समूह का गठन करना।

9. न्यूनतन अधिगम स्तर सुनिश्चित करना और इसके लिए बेस लाइन सर्वे कराना।

10. शिक्षा के लिए नवाचार कार्यक्रम विकसित करना।

11. शैक्षिक आंकड़ों (ई0एम0आई0एस0 के माध्यम से संकलित) का विश्लेषण करना तथा नियेाजन में उनके उद्योग करने हेतु जिला स्तर के अभिकर्मियों को प्रशिक्षण देना।

12. शिक्षकों, समन्वयकों, ई0सी0सी0ई0 तथा वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों के अनुदेशकों, ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों निरीक्षण अधिकारियेां का प्रशिक्षण आयोजित कराना।

धे का हस्तांतरण (फ्लो ऑफ फण्ड)

प्रत्येक वर्ष जनपद अपनी वार्षिक कार्य योजना एवं बजट तैयार कर राज्य परियोजना कार्यालय को प्रस्तुत करेगा। सीमेट के अप्रेजल के पश्चात एवं उ0प्र0 सभी के लिये शिक्षा परियोजना परिषद के अनुमोदन के उपरान्त जिले की वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट के आधार पर राज्य परियेाजना कार्यालय द्वारा धनराशि जिला परियोजना कार्यालय एवं जिला शिक्षा एवं

प्रशिखण संस्थान के लिये अवमुक्त की जायेंगी। प्रशिक्षण, आकदमिक पर्यवेक्षण आदि गुणवत्ता कार्यक्रम हेतु धनराशि जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा बी0आर0सी0 एवं एन0सी0आर0सी0 को उपलब्ध करायी जायेगी। निर्माण, वैकल्पिक शिक्षा आदि अन्य कार्यक्रमों के लिये धनराशि जिला परियोजना कार्यालय द्वारा सम्बन्धित कार्यदायी संस्था जैसे–ग्राम शिक्षा समिति, स्वयं सेवी संस्थाओं, अध्यापकों आदि के सीधे खातों के माध्यम से हस्तान्तरित की जायेगी।

सर्व शिक्षा अभियान के नाम अलग बैंक खाता होगा जो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी तथा लेखाधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से परिचालित किया जायेगा। सभी के लिये शिक्षा परियोजना परिषद की वित्तीय सन्दर्शिका पहले स ही प्रख्यापित है जिसके अनुसार जिलाधिकारी को विभागाध्यक्ष के सभी अधिकार प्रतिनिधित्व है। अतः रू0 5000 मूल्य से अधिक के सभी वित्तीय मामलों पर जिलाधिकारी की अनुमति आवश्यक है। इसी प्रकार की व्यवस्था जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान पर भी लागू है। डायट का खाता भी डायट प्राचार्य एवं उसी के लेखा सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी द्वारा संयुक्त रूप से संचालित होगा। ब्लाक संसाधन केन्द्र/न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों पर भी संयुक्त खाता खुला है। जिसका परिचालन उ0 प्र0 सभी के लिए शिक्षा परियोजना के नियमों के अनुसार किया जा रहा है। वित्तीय संदर्शिका में लेखा जोखा रखने के वित्तीय नियम स्पष्ट निर्धारित हैं। परचेज एवं प्रोक्योरमेंट के नियम भी इसी सन्दर्शिका में निर्धारित किये गये हैं, जो परियोजना में भी अपनायें जायेंगे तथापित सर्व शिक्षा अभियान की रूप रेखा में यदि संशोधन की कोई आवश्यकता होगी तो उ0प्र0 सभी के लिये शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा की जायेगी। समसत लेखा सम्बन्धित स्टाक को सर्व शिक्षा

अभियान के नियमों तथा वित्तीय प्रबंधन प्रणाली में प्रथम वर्ष में ही प्रशिक्षण दिया जायेगा तथा समय–समय पर रिफ्रेशर कोर्स भी आयोजित किये जायेंगे परियेाजना कार्यक्रमों की अधिकांश धनराशित ग्राम शिक्षा समितियों को भेजी जाती है, जिनके बैंक मं खाते पूर्व से ही संचालित है। जिला परियोजना कार्यालय एवं जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा राज्य परियोजना कार्यालय को प्राप्त एवं व्यय धनराशि का संकलित विवरण प्रतिमाह उपलब्ध कराया जायेगा। सामान्यतः राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा त्रैमासिक आधार पर धनराशि जिलों को अवमुक्त की जायेगी।

फन्ड फ्लो डॉयग्राम

राज्य परियोजना कार्यालय

जिला परियोजना कार्यालय

1. बी0आर0सी0एवं एन0पी0आर0सी

2. ग्राम शिक्षा समिति

3. अध्यापक

4. स्वयं सेवी संस्था आदि

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान

बी0आर0सी0एवं एन0पी0आर0सी0

सम्प्रेक्षण व्यवस्था :

उ0प्र0 सभी के लिये शिक्षा परियोजना परिषद के अन्तर्गत प्रतिवर्ष सर्व शिक्षा अभियान के सभी जनपदों में लिखे जोखे का स्वतंत्र सम्प्रेक्षण (इन्डेपैन्डेट आडिट) चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट के माध्यम से किया जायेगा यह कार्य वित्तीय वर्ष समष्टि के तुरन्त बाद प्रारम्भ कर दिया जायेगा। चार्टर्ड एकाउन्टेट का चयन व टर्म्स आफ रिफरेन्स फार आडिट का निर्धारण सभी के लिये शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा किया जायेगा। राज्य सरकार/भारत सरकार के नियमों के

अनुसार सर्व शिक्षा अभियान के समसत जनपदों के लेखे जोखे का सम्प्रेक्षण (आडिट) महोलेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा भी प्रतिवर्ष किया जायेगा।

राज्य परियेाजना कार्यालय, लखनऊ द्वारा भी समय–समय पर आंतरिक सम्प्रेक्षण (इन्टरनल आडिट) की व्यवस्था रहेगी।

परियेाजना का कियान्वयन निर्धारित लक्ष्य व उद्देश्यों के अनुरूप सुनिश्चित करने हेतु जिला स्तर पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों, प्रति उप विद्यालय निरीक्षकों, बी0आर0सी0 समन्वयकों की पाक्षिक समीक्षा बैठकें आयोजित की जायेगी जिसमें योजना कार्यों को सम्पादित करने में आने वाली समस्याओं के विषय में चर्चा की जायेगी एवं उसके स्थानीय समाधान हेतु प्रयास किया जायेगा इसी प्रकार प्रचार्य डायट द्वारा संचय सदस्यों व बी0आर0सी0 समन्वकों की मासिक बैठक आयोजित की जायेगी और कार्यकमों के कियान्वयन तथा अनुभूति कठिनाईयों पर फीड बैंक प्राप्त किया जायेगा। राज्य स्तरीय निर्देश को आवश्यकता वाली समस्याओं को राज्य परियोजना कार्यालय में होने वाली मासिक बैठक में अवगत कराया जायेगा तथा मार्ग दर्शन व निर्देश प्राप्त कर आवश्यक उपाय किये जायेंगे साथ ही समय–समय पर पर्यवेक्षक एवं अनुश्रवण कार्यशालाओं के माध्यम से भी माध्यम से भी योजना को सशकत किया जाता रहेगा और कमियों का निराकरण करते हुए सुधार लाया जायेगा।

प्रत्येक माह जनपद से कम्पयूटराईज्ड पी0एम0आई0एस0 रिपोर्ट तैयार की जायेगी, जिसका विश्लेषण किया जायेगा एवं निष्कर्षों के आधार पर कार्य–योजना–के कियान्वयन व अनुश्रवण में आवश्यक संशोधन किया जायेगा वार्षिक ई0एम0आई0एस0 डाटा के विश्लेषण से प्रापत इण्डीकेटर्स का उपयोग भी परियोजना कार्यकमों के कियान्वयन व नियोजन में किया

जायेगा तथा यथा आवश्यक उपचारात्मक प्रयास अपनायें जायेंगे।

आगामी वर्ष की वार्षिक कार्य योजना व बजट की संरचना के समय विगत वर्ष में प्राप्त अनुभव, अनुभूत कठिनाइयों, प्राप्त विभिन्न इण्टीकेटर्स को ध्यान में रखते हुए आगे के वर्ष में कार्य प्रस्तावित किये जायेंगे।

———*———

विभिन्न विभागों से समन्वय सम्बन्धी प्रस्ताव

भारतीय संविधान में 86th संशोधन के अन्तर्गत 6-14 वर्ष के सभी बच्चों को प्रारम्भिक शिक्षा का मौलिक अधिकार बना दिया गया है। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत शिक्षा के सार्वभौमीकरण हेतु 31 दिसम्बर 03 तक नामांकन करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। प्रारम्भिक स्तर पर निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा हेतु एक अध्यादेश भी संसद में विचारार्थ प्रस्तुत है। शिक्षा के सार्वजनीकरण को दृष्टिगत रखते हुए विभिन्न विभागों से सहयोग अपेक्षित है जिससे शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। यह आवश्यक है कि विभिन्न विभागों से सर्वभौमिकरण हेतु अपेक्षित सहयोग प्राप्त किया जाए तथा दायित्व निर्धारण हेतु बिन्दुओं पर विचार विमर्श किया जाए।

क्रम सं.	विभाग	अपेक्षित कार्यवाही
1.	नगर विकास विभाग	असेवित वार्डों में विशेषकर नवीन परिषदीय विद्यालयों हेतु निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराना।
2.	ऊर्जा विभाग	ब्लाक स्तरीय, न्याय पंचायत स्तरीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में निःशुल्क बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराना।
3.	विकलांग कल्याण विभाग	• District-wise Special School को designate करने का कष्ट करें जिनमें ऐसे विशिष्ठ विद्यालय जिनके पास Expert है तथा severe disabled बच्चों को पढ़ाने की क्षमताए हैं, उनको जनपद के अन्य severely disabled आउट आफ स्कूल बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु एक standard व्यवस्था कराने के लिए सहमति देने का कष्ट करें। • सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय से संचालित CRR/CFC/DDRC से उपकरणों का

		वितरण बच्चों के लिए सुनिश्चित कराना।
4.	श्रम विभाग	• शिक्षा से वंचित बाल श्रमिकों की सर्वेक्षण के आधार पर NCLP विद्यालयों में समस्त बाल श्रमिकों का नामांकन कराना। • बच्चों को श्रम से मुक्त कराकर शिक्षा से जोड़ने में सहयोग कराना।
5.	आई.सी.डी.एस. विभाग	भारतीय संविधान के राज्य हेतु नीति निर्देशक तत्वों में 0-6 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा आदि की व्यवस्था हेतु राज्यों को निर्देश प्रदत्त हैं। अतः प्रदेश के सभी विकास खण्डों तथा नगरीय क्षेत्रों में भारत सरकार को सुविचारित प्रस्ताव हेतु आग्रह किया जाय। परियोजना का शत–प्रतिशत आच्छादन हेतु। ➢ पूर्व प्राथमिक शिक्षा की उपयोगिता पर कोई संदेह नहीं है। अतः समस्त स्कूलों को ई.सी.सी.ई. कार्यक्रम से आच्छादित किया जाना आवश्यक है।
6.	पंचायत विभाग/ ग्राम विकास विभाग	1. विद्यालयों की बाउंड्री वाल हेतु धन उपलब्ध कराना। 2. ग्राम स्तर पर गठित विभिन्न स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से शिक्षा हेतु जागरूकता पैदा करना।
7.	युवा कल्याण	1. ग्राम स्तर पर गठित युवक मंगल दल, महिला मंगल दल के माध्यम से शिक्षा के पक्ष में वातावरण सृजन करना। 2. विद्यालय से बाहर चिन्हित बच्चों के नामांकन हेतु इन दलों को उत्तरदायित्व प्रदान करना। विशेषकर शहरी क्षेत्रों के 14 वर्ष तक के धुमन्तु

		बच्चे।
8.	प्रोबेशन विभाग (महिला एवं बाल–कल्याण विभाग)	शहरी क्षेत्रों में 14 वर्ष तक के घुमन्तू, कचरा बीनने वाले बच्चों तथा 'भीख' मांगने वाले बच्चों को आश्रय ग्रहों में दाखिल कराना ताकि उनके लिए शिक्षा व्यवस्था कराई जा सके।
9.	सूडा	शहरी क्षेत्रों में सूडा के सी.डी..एस केन्द्रों में विद्यालय संचालित किये जाने की व्यवस्था हेतु सहयोग प्राप्त करना।
10.	समाज कल्याण विभाग	विभिन्न जनपदों में संचालित आश्रम पद्धति विद्यालयों में शिक्षा से वंचित बच्चों आवासीय ब्रिज कोर्स के माध्यम से औपचारिक विद्यालयों की मुख्यधारा से जोड़ने हेतु सहयोग प्राप्त करना।
11.	स्वैच्छिक संस्थाए एवं अन्य सामाजिक संगठन	शिक्षा के सार्वभौमिकरण, शत–प्रतिशत नामांकन ठहराव एवं गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान किये जाने हेतु यथावश्यकता अनुसार सहयोग प्राप्त कराना

मीडिया

सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों के व्यापक प्रचार–प्रसार के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये गये हैं तथा महत्वपूर्ण स्थानों पर होर्डिंग्स लगाये गये हैं, जनपद स्तर पर प्रदर्शनी, गोष्ठियों का आयोजन किया जा रहा है जिसका कवरेज स्थानीय समाचार पत्रों क माध्यम से किया जा रहा है।

आकाशवाणी द्वारा उ०प्र० के 11 रिले केन्द्रों के माध्यम से शैक्षिक गोष्ठियों/वाद विवाद/ वार्ताओं के प्रसारण की योजना प्रस्तावित है।

KUSHINAGAR

(In thousands)

	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	2002-2003 Phy	2002-2003 Fin	2003-2004 Phy	2003-2004 Fin	2004-2005 Phy	2004-2005 Fin	2005-2006 Phy	2005-2006 Fin	2006-2007 Phy	2006-2007 Fin	Total Phy	Total Fin
A	**ACCESS**													
A1	New Primary School Unserved	259	0	0	68	17612.00	0	0	5	1280	0	0	73	18892
A2	New Upper Primary Schools	451	20	9020	113	31640.00	0	0	5	1400	0	0	138	42060
A3	Salary of PS Asst. Teacher(2002-03)	9	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0
A4	Salary of Asst. Teacher(3 no.) in new school (2001-02/02-03)	10	60	6840	60	7200.00	60	7200	60	7200	60	7200	300	35640
A5	Salary of Shiksha Mitra 2003-04/05-6	2.25	0	0	68	918.00	68	1683	73	1806.75	73	1806.75	282	6214.5
A6	Salary of Assistant Teachers(PS) 2003-04/05-06	9	0	0	68	3672.00	68	7344	73	7884	73	7884	282	26784
A7	Salary of Assistant Teachers(UPS) 2003-04 (six months)/05-06	10	0	0	339	20340.00	339	40680	354	42480	354	42480	1386	145980
A8	Teaching Learning Equipment		0	0	0		0		0		0		0	
A8.1	PS	10	0	0	68	680.00	0	0	5	50	0	0	73	730
A8.2	UPS	50	38	1900	113	5650.00	0	0	5	250	0	0	156	7800
A9	TLE UPS not covered OBB	50	44	2200	0	0.00	0	0	0	0	0	0	44	2200
A10	Assessment Surve For UPS Per Year	200	0	0	0	0.00	1	200	1	200	1	200	3	600
	Total		0	**19960**	0	**87712.00**	0	**57107**	0	**62650.75**	0	**69570.75**	0	**286900.5**
	Interventions for out of school children		0	0	0		0		0		0		0	0
A11	Alternative Schools		0	0	0		0		0		0		0	0
A11.1	EGS (for 25 child per center))	0.85	0	0	0	0.00	50	1056.25	140	2957.5	140	2957.5	330	6971.25
A11.2	Honraria	1	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0
A11.3	Training	1.5	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0
A11.4	Contingency	0.47	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0
A11.5	Equipment	1.76	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0
A11.6	Adm. & Management Cost AIE Primary(including all models of DPEP(per child)- Shiksha	6.06	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0
A12	Ghar	0.85	0	0	0	0.00	27	570.375	52	1098.5	52	1098.5	131	2767.375
A13	AIE Upper Primary	1.2	0	0	14	504.00	56	2016	56	2016	56	2016	182	6552
A14	Back to school camps(per child)(for 40 children per center)	1.5	0	0	0	0.00	10	600	10	600	5	300	25	1500
A15	Bridge/Remedial course PS	180	0	0	1	180.00	2	360	2	360	2	360	7	1260
A16	Bridge Course at NPRC level	0.85	0	0	140	4732.00	140	4732	140	4732	140	4732	560	18928
A17	Strengthening Maqtab/Madarsa(per center)	15.4	0	0	0	0.00	0	0	51	782.85	51	782.85	102	1565.7
A18	Updation Of Microplanning	250	0	0	0	0.00	1	250	1	250	1	250	3	750
	ACCESS Subtotal		0	**19960.00**	0	**93128.00**	0	**56691.63**	0	**75347.60**	0	**72067.60**	0	**327194.88**
R	**RETENTION**		0	0	0		0		0		0		0	
R1	Reconstruction - PS	191	0	0	0	0.00	46	8786	40	7640	0	0	86	16426
R2	Reconstruction - UPS	383	0	0	0	0.00	15	5745	8	3064	0	0	23	8809
R3	**Additional Classrooms**		0	0	0		0		0		0		0	
R3.1	Additional Classroom Primary Schools	70	0	0	0	0.00	400	28000	400	28000	272	19040	1072	75040
R3.2	Addl. Classroom Upper Primary Schools	70	25	1750	26	1820.00	90	6300	80	5600	0	0	221	15470
R4.1	Toilets Upper Primary	10	20	200	45	450.00	0	0	0	0	0	0	65	650
R4.2	Toilets Primary	10	0	0	0	0.00	250	2500	250	2500	145	1450	645	6450
R5.1	Drinking Water Primary	18	0	0	0	0	82	1476	0	0	0	0	82	1476
R5.2	Drinking Water Upper Primary	18	0	0	0	0	113	2034	0	0	0	0	113	2034
R6.1	Repair & Maintenance of School Primary	5	0	0	1387	6935.00	1389	6945	1457	7285	1462	7310	5695	26475
R6.2	Repair & Maintenance of School UPS	5	146	730	146	730.00	211	1055	324	1620	339	1695	1166	5830
R7.1	Salary of Addl. Teachers PS@8 pm(02-03)	8	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0

R7.2	Salary of Additional teacher as Old Shiksha Mitra PS@2.25 pm	2.25	0	0	0	0.00	1331	32942.25	2106	52123.5	2194	54301.5	5631	139367.25
R7.3	Salary of Additional Teacher (PS)	8	0	0	0	0.00	775	74400	862	82752	955	91680	2592	248832
R7.5	Salary of Fresh SM(PS) to improve PTR(11 mths)	2.25	0	0	1331	17968.50	775	19181.25	88	2178	94	2326.5	2288	41654.25
R10.1	School Improvement grant(p.a./school) Ps	2	0	0	25	50.00	1414	2828	1487	2974	1487	2974	4413	8826
R10.2	School Improvement grant(p.a./school) UPs	2	146	292	291	582.00	401	802	406	812	406	812	1650	3300
R12	**Promoting Girls Education**		0	938	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	938
R12.1	Summer Camps	4.5	0	0	0	0.00	42	189	42	189	30	135	114	513
R12.2	MCDA	75	20	1500	0	0.00	15	1125	15	1125	15	1125	65	4875
R12.3	Meena Manch	4	0	0	0	0.00	56	224	56	224	56	224	168	672
R12.4	SUPW for Girls Per School	25	0	0	0	0.00	2	50	2	50	2	50	6	150
R12.5	Trg./Refresher courses for Gender Coordinators	0.07	0	0	0	0.00	1	1.4	1	1.4	1	1.4	3	4.2
	Opening of ECCE centers		0	0	0		0		0		0		0	0
R13	Strengthening ICDS centers	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0
R13.1	Development & Distribution of ECCE Materials		0	0	0		0		0		0		0	0
R13.2	TLM(per center)	5	0	0	0	0.00	95	475	95	475	95	475	285	1425
R13.3	Additional Honn. Of Instructor + Worker(per mth.)	0.38	0	0	0	0.00	95	356.25	95	356.25	95	356.25	285	1068.75
R13.4	Contigency(per center)	1.5	0	0	0	0.00	95	142.5	95	142.5	95	142.5	285	427.5
R13.5	Training		0	0	0		0		0		0		0	
R13.5a	Induction & Recurring	0.07	0	0	0	0.00	95	6.65	95	6.65	95	6.65	285	19.95
R16	Community Mobilization		0	0	0		0		0		0		0	
R16.1	MTA/PTA training for 2 days per person	0.07	0	0	0	0.00	728	2038.4	729	2041.2	0	0	1457	4079.6
R16.2	Bal Mela at NPRC(5 pa per NPRC)	5	0	0	0	0.00	140	700	140	700	140	700	420	2100
R16.3	Trg. of VEC/Community Leaders/person/day/BEC/WEC	0.48	0	0	0	0.00	478	229.44	479	229.92	0	0	957	459.36
R17	Award to Best VEC (2 no)	25	0	0	0	0.00	2	50	2	50	2	50	6	150
R18	Award to Best Shiksha Mitra	5	0	0	0	0.00	1	5	1	5	1	5	3	15
R19	Special Interventions for SC/ST children	66.7	0	712	0	0.00	20	1334	20	1334	20	1334	60	4714
R20	Computer Edu. For UPS(equip.)/UPS-Innovative Prog	60	0	0	10	5000.00	24	1440	24	1440	24	1440	82	9320
R21	School Health Check up/School PS+UPS	2.5	0	0	0	0.00	324	810	1781	4452.5	1781	4452.5	3886	9715
	RETENTION Sub Total		0	**6122**	0	**33535.50**	0	**202171.1**	0	**209370.92**	0	**192086.30**	0	**643285.86**
Q	**QUALITY IMPROVEMENT**		0	0	0		0		0		0		0	
Q1	Training Programmes		0	0	0		0		0		0		0	
Q1.1	Induction Training for Shiksha Mitra(/perseon for 30 days)	2.1	0	0	68	142.80	775	1627.5	868	1822.8	957	2009.7	2668	5602.8
Q1.2	Induction Trg. For Asst. Teacher(/person for 30 days)	0.07	114	239.4	0	0.00	775	1627.5	882	1852.2	955	2005.5	2726	5724.6
Q1.3	In-service Teachers Trg (/person for 20 days) HT + AT for PS	1.4	590	826	0	0.00	4948	6927.2	5040	7056	5133	7186.2	15711	21995.4
Q1.4	In-service Teachers Trg.(/person for 20 days) UPS	1.05	0	0	764	802.20	857	899.85	987	1036.35	987	1036.35	3595	3774.75
Q1.5	In-service Teachers Shiksha Mitra(/personfor 20 days)	0.07	0	0	237	331.80	2505	3507	2598	3637.2	2692	3768.8	8032	11244.8
Q1.6	Induction Training of EGS & AIE workers(/person for 30 days)	0.07	0	0	0	0.00	133	279.3	65	136.5	0	0	198	415.8
Q1.7	Trg. Of BRC coordinators/Asst. Coordinators(/person for 10 days)	0.07	0	0	0	0.00	42	29.4	42	29.4	42	29.4	126	88.2
Q1.8	Trg. Of NPRC coordinators(/person for 10 days)	0.07	0	0	0	0.00	140	98	140	98	140	98	420	294
Q1.9	Trg. Of resource persons at DIET(/person for 20 days)	0.07	0	0	0	0.00	28	39.2	28	39.2	28	39.2	84	117.6
Q.10	ABSA/SDI Trg.(/person for 5 days)	0.07	0	0	0	0.00	20	7	20	7	20	7	60	21
Q2	IED Provision for disable children	1.2	500	200	1944	2332.80	1250	1500	910	1092	910	1092	5514	6216.8
Q2.1	**IED**-Medical Assessement	2.3	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.2	Printing of Modules	9	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.3	Funds for NGOs	300	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.4	Pre Integrated Skills ICDS workers training	5	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.5	Support Services/Residential Camps	5	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.6	Training of Master Trainers	1.31	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.7	Training on IED to teachers(17.2 th. /batch of 32 teachers	17.2	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.8	Aids and Appliances	15	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0

Q2.9	Parents Councelling and IEP formation	10	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.10	Awareness workshop	5.3	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.11	Extra Curricular Activities	20	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.12	Foundation Course by RCI	8.8	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.14	Master Trainer training @ 1.31x2x2	1.31	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0
Q3	AWPB Review & Trg. Of Plg. Teams by SIEMAT(5 days)	2.5	0	0	0	0.00	5	12.5	5	12.5	5	12.5	15	37.5
Q4	Trg. On EMIS by SIEMAT(3 days)	2.0	0	0	0	0.00	14	28	14	28	14	28	42	84
Q5	Teacher Learning Material		0	0	0		0		0		0		0	
Q5.1	Teacher grant (Teachers+Shiksha Mitra)	0.5	0	0	206	103.00	7578	3789	7763	3881.5	7650	3825	23197	11598.5
Q5.2	Teacher Grant (UPS)	0.5	704	352	1889	944.50	1203	601.5	1218	609	1218	609	6232	3116
Q5.3	Free Text book PS	0.05	0	0	1990	99.50	225508	11275.4	233243	11662.15	241160	12058	701901	35095.05
Q5.4	Free Text book UPS	0.15	30130	4519.5	46110	6916.50	46664	6999.6	58573	8785.95	68748	10312.2	250225	37533,75
Q5.5	School Library	0.15	0	0	0	0.00	3240	486	3240	486	3240	486	9720	1458
Q5.6	Dev. Printing & Dist. of AS Trg. Modules	0.05	0	0	0	0.00	77	3.85	65	3.25	0	0	142	7.1
Q5 7	Children Learning Evaluation (PS) 3 times	15	0	0	0	0.00	1457	21855	1457	21855	1457	21855	4371	65565
Q5.8	Children Learning Evaluation(UPS) 3 times	7.5	0	0	0	0.00	324	2430	324	2430	324	2430	972	7290
Q5.9	School Awards (Academic Olympiad)	25	0	0	0	0.00	2	50	2	50	2	50	6	150
	QUALITY Sub Total		0	**6136.9**	0	**11673.10**	0	**64072.8**	0	**66610**	0	**68937.85**	0	**217430.65**
C	**CAPACITY BUILDING**		0	0	0		0		0		0		0	
C1	DIET Capacity Building		0	0	0		0		0		0		0	
C1.1	Equipments/Furniture/Computer	60	0	0	0	0.00	1	60	0	0	0	0	1	60
C1.2	Telephone/Fax	40	0	0	0	0.00	1	40	1	40	1	40	3	120
C1.3	Maintenance of Computer Room	50	0	0	0	0.00	1	50	1	50	1	50	3	150
C1.4	Educational Tour & Survey	26	0	0	0	0.00	1	26	1	26	1	26	3	78
C1.5	Travelling Allowance	50	0	0	0	0.00	1	50	1	50	1	50	3	150
C1.6	Hiring	25	0	0	0	0.00	1	25	1	25	1	25	3	75
C1.7	POL and Maintenance of Vihicle	80	0	0	0	0.00	1	80	1	80	1	80	3	240
C1.8	Seminar	200	0	0	0	0.00	1	200	1	200	1	200	3	600
C1.9	Research/Action Research	200	0	0	0	0.00	1	200	1	200	1	200	3	600
C1.10	Exposure Visit	50	0	0	0	0.00	1	50	1	50	1	50	3	150
C1.11	Salary of Computer Operator	7	0	0	0	0.00	1	84	1	84	1	84	3	252
C1.12	Salary of Driver (where applicable)	4	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0
C1.13	Consumable/Computer Stationary	20	0	0	0	0.00	1	20	1	20	1	20	3	60
C1.14	Contingency	50	0	0	0	0.00	1	50	1	50	1	50	3	150
C2	Block Resource Center		0	0	0		0		0		0		0	
C2.1	Civil Construction	800	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0
C2.2	Salary Coordinator @ of 12 for 12 mths	12	0	0	0	0.00	0	0	14	2016	14	2016	28	4032
C2.3	Asstt. Coordinator (1 no.) @10 for 12 mths	5.5	0	0	0	0.00	0	0	28	1848	28	1848	56	3696
C2.4	Chokidar one no. for 12 mths @ 3.0	3	0	0	0	0.00	14	504	14	504	14	504	42	1512
C2.5	Equipment/Furniture Fixture	10	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0
C2.6	Travelling Allowance & Meetings	6	0	0	14	84.00	14	84	14	84	14	84	56	336
C2.7	Maintenace of Equipment	2	0	0	0	0.00	14	28	14	28	14	28	42	84
C2.8	Maintenace of Building	10	0	0	0	0.00	14	140	14	140	14	140	42	420
C2.9	TLM(per center)	5	0	0	14	70.00	14	70	14	70	14	70	56	280
C2.10	Consumables	5.0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0
C2.11	Contigency	12.5	0	0	14	175.00	14	175	14	175	14	175	56	700
C2.12	Monthly Review Meeting of CRC Coordinators/meeting	0.3	0	0	0	0.00	14	50.4	14	50.4	14	50.4	42	151.2
C2.13	Contigency - ABSA	5.0	0	0	0	0.00	14	70	14	70	14	70	42	210
C3	School Complex (NPRC)		0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0
C3.1	Construction	70	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0